सप्तम माला खंड 1 अंक 1

मंगलवार 30 मार्च 1982

9 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 30 मार्च, 1982/9 चैत्र, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 18, पंक्ति 2, शीर्षक में "सम्बन्ध" शब्द के स्थान पर "सम्बन्धो" पढ़िये।

पृष्ठ 21, पंक्ति 2 में प्रश्न संख्या "*533" के स्थान पर "*532" पढ़िये।

पृष्ठ 70, पंक्ति 22 में सदस्य के नाम से पहले प्रश्न संख्या "584" के स्थान प "5874" पढ़िये।

पृष्ठ 88, पंक्ति 16 में सदस्य के नाम से पहले प्रश्न संख्या "898" के स्थान प "5898" पढ़िये।

पृष्ठ 143, पंक्ति 8 में सदस्य के नाम से पहले प्रश्न संख्या "590" के स्थान "5970" पढ़िये।

पृष्ठ 191, पंक्ति 2 में सदस्य के नाम से पहले प्रश्न संख्या "602" के स्थान प "6025" पढ़िये।

पृष्ठ 217, नीचे से पंक्ति 7 में शीर्षक "नकली दवाइयां बनाने वाले एक गिरोह का पता लगाना" के स्थान पर "पूर्वी दिल्ली पुलिस द्वारा नकली दवाइयां बनाने वाले एक गिरोह के पकड़े जाने का समाचार" पढ़िये।

पृष्ठ 237, पंक्ति 1, शीर्षक में "दक्षण" तथा पंसकुरा" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दक्षिण तथा पंसुकुरा" पढ़िये।

पृष्ठ 247, पंक्ति 5 में "श्री दौलत सिंह जदेजा (जमनगर)" के स्थान पर श्री दौलत सिंह जी जदेजा (जामनगर)" पढ़िये।

पृष्ठ 308, पंक्ति 20 में "श्री दलोप सिंह मूरिया" के स्थान पर "श्री दलीप सिंह भूरिया" पढ़िये।

पृष्ठ 313, पंक्ति 20 के पश्चात् "6·28 बजे" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 29, मंगलवार, 30 मार्च, 1982/ 9 चैत्र, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या	519, 524, 525, 529 और 530	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		18—215
*तारांकित प्रश्न संख्या	520, 521, 526, 527, और 531 से 538	18—25
अतारांकित प्रश्न संख्या	5821 से 5843, 5845 से 5872, 5874 से 5961, 5963 से 5985 और 5987 से 6054	25—212
सभा पटल पर रखे गये पत्र		215
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		216
तेतीसवां प्रतिवेदन		
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति		216
तीसरा प्रतिवेदन		
अतिलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		217
पूर्वी दिल्ली पुलिस द्वारा नकली दवाइयां बनाने वाले एक गिरोह के पकड़े जाने का समाचार		
श्री एम० के० शेजवलकर		215
कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी		217
श्री बी० शंकरानन्द		224
श्री एडुआर्डो फैलोरो		226
श्री जी० एम० बनातवाला		230

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	235
(एक) राजस्थान के डूंगरपुर और बाँसवाड़ा जिले में खनिजों की खोज के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता	
श्री भीखा भाई	235
(दो) उत्तर प्रदेश में खेरी-लखीमपुर क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास के लिए बैंकों आदि से वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती उषा वर्मा	235
(तीन) राजस्थान नहर परियोजना के लिए सीमेंट और कोयले की आपूर्ति	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	236
(चार) दक्षिण पूर्व रेल के पंसुकुरा-हल्दिया खण्ड पर रेल सुविधाओं में सुधार करने की मांग	
श्री सत्य गोपाल मिश्र	237
(पांच) पिलानी, राजस्थान में शहीद भगत सिंह की मूर्ति के कथित विकृत किए जाने की जांच कराने की आवश्यकता	
श्री मनीराम बागड़ी	238
श्री भीष्म नारायण सिंह	
(छः) मद्रास में माल और यात्रियों की बुकिंग करने के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा चालू की गई गैर-सरकारी एजेंसी प्रथा को समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन	239
(सात) उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद, इटावा, आगरा और मैनपुरी जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य	
श्री छोटे सिंह यादव	240
सामान्य बजट अनुदानों की मांगें, 1982-83-जारी	240
विदेश मन्त्रालय-जारी	
श्री माधव राव सिंधिया	240
श्री दोलत सिंह जी जदेजा	247
श्री अटल विहारी बाजपेयी	252
श्री बी० आर० भगत	265
श्री आर० आर० भोले	271

विषय		पृष्ठ
	श्री टी० नागरत्नम	274
	श्री एच० के० एल० भगत	278
	श्री अशफाक हुसैन	282
	श्रीमती जयन्ती पटनायक	289
	श्री जी० एम० बनातवाला	293
	प्रो० नारायण चन्द पराशर	295
	श्री चित्त बसु	304
	श्री दिलीप सिंह भुरिया	308
	श्री सी० चिन्ना स्वामी	310
	श्री चन्द्रजीत यादव	312
राज्य सभा से संदेश		312—313

लोक सभा

मंगलवार, 30 मार्च, 1982/-9 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : संसदीय कार्य मन्त्री श्री भीष्म नारायण सिंह राज्य सभा से चुन लिए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बधाई स्वीकार करें ।

प्रो० दंडवते, मुझे ऐसा लगता है कि आज सदन छुट्टी के मूड में है, आज सदस्य बैठना नहीं चाह रहे हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते: श्री भीष्म नारायण सिंह तो अब बुर्जग राजनीतिज्ञ हो गए है ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा से हो अधिक लगाव क्यों है ?

प्रो० मधु दंडवते: क्योंकि इस सभा में बहुत सा सुविधाएं प्राप्त हैं:

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली में कुछ रुटों पर तारों का डाक द्वारा भेजा जाना

*519. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तार घर नई दिल्ली में कुछ रूटों पर कुछ स्टेशनों को तारों को कुछ वर्षों से डाक द्वारा भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और तारों के तेजी से डिलिवर किये जाने तथा जनता की शिकायतों से बचने के लिये तारों को डाक से भेजने के लिये क्या कार्रवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(क) जी नहीं । सेवा की अत्यावश्यकता की अपेक्षा होने पर ही विशेष अवसरों पर तार डाक द्वारा भेजे जाते है । हालांकि कुछ अवसरों पर विशेष मार्गों पर तार हवाई डाक द्वारा भेजे गए ।

(ख) जिन स्थानों को तार हवाई डाक द्वारा भेजे गए, उनके नाम निम्नलिखित हैं :- अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कानपुर, लखनाऊ, मद्रास, रांची, श्रीनगर और वाराणसी ।

तारों को डाक द्वारा भेजने से बचने के लिए तथा शीघ्र वितरण को सुनिश्चत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्रवाही की गई है:—

(1) अत्य-कालिक तार संकेतकों की नियुक्ति ;

(2) तार संकेतकों के रिक्त पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती कार्यक्रम ;

(3) प्रचालन मे कुछ क्रियाविधि परिवर्तन ;

(4) पारगमन में विलंब को कम करने के लिए दिल्ली और बम्बई स्थित जैंटेक्स का संवर्धन ;

(4) लम्बी दूरी की पारेषण लाइनों के कार्य निष्पादन पर निकट-निगरानी ;

(6) तार सेवा के कार्य निष्पादन को निरन्तर मानीटर करना ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए यह गुस्ताखी की बात होगी जो में यह कहूं कि अपनी गलती को छिपाने के लिए ये उत्तर बड़ी सावधानी से देते हैं। गलती को कबूल करना अच्छी बात है और सावधानी से गलती को छिपाने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है । ये प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं :

"नहीं महोदय तार तभी भेजे जाते हैं जब उसकी अत्यन्त आवश्यकता होती है । तथापि कभी कभी कुछ मार्गों पर तार हवाई जहाज द्वारा भी भेजे गए है ।"

आपन स्टेशनों के नाम भी बताए हैं जैसे बम्बई, कलकत्ता व अन्य स्टेशन आदि

पहला सवाल मेरा यह है कि जो आदमी अपनी गांठ का पैसा जमा करके पहले तार का पैसा जमा करता है, कि मेरा तार जाना चाहिए जिससे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जल्दी पहुंच जाए और उसकी रेडियों पर खबर आ जाए। लेकिन वह तार समय पर नहीं पहुंचता । आप उससे पैसा ले लेते हैं तार का और जहां हवाई जहाज नहीं जाता है, वहां आप तार हवाई जहाज से न भेज कर डाक से भेजते हैं तो फिर आप तार भेजने वाले से तार का पैसा क्यों लेते हैं ? उसको एक्ससेप्ट क्यों करते है ? अगर एक्ससेप्ट करने के बाद भी आप उसे डाक से भेजते है तो क्या उसका पैसा तार भेजने वाले को रिफण्ड करते है ?

मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों कितने तारों का पैसा लेकर तार डाक द्वारा भेजे हैं और कितना पैसा आपका डिपार्टमेंट पचा गया है ? उस पैसे को आप रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : लोग तो चिट्ठी भी तार की माफिक भेजना चाहते हैं ।

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय ऐसा तो तभी होता है, जब बहुत जरूरी समझा जाता है । इस उद्देश्य के लिए भारतीय टेलिफोन अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है । इसलिए जबकि शाम के समय सभव नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में शाम के बाद सरकारी संगठनों, बैंकों व अन्य सगठनों आदि से काफी संख्या में तार प्राप्त होते हैं । कई कुछ स्टेशनों पर सूचना भेजना सभव नहीं होता क्योंकि लाइनों में गड़गड़ी होती है या फिर रात के समय कर्मचारियों की संख्या कम होती है । रात के समय अनुपस्थिति 20 से 25 प्रतिशत होती है । ऐसे मामलों में ही यह हवाई डाक द्वारा भेजे जाते हैं जिससे कि समय कम लगे । शाम के समय प्राप्त तारों को पारेषण लाइनों द्वारा भेजने से तो वह अगले दिन सुबह ही पहुंच सकते हैं । अब यदि उन्हें हवाई डाक द्वारा भेजा जाए तो यह शीघ्र पहुंचगे । इसलिए ऐसा किया जाता है । राशि वापस लोटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, ऐसे उदाहरणों मे काफी कमी हुई है । अब जनवरी, 1982 के दौरान दिल्ली से ही विभिन्न स्टेशनों जैसे अहमदाबाद को दस बार भेजा गया पर अब जनवरी, 198 ! में एक भी बार नहीं भेजा गया । जहां तक बम्बई का संबंध है जनवरी, 1981 में यह आठ बार भेजा गया । तथा जनवरी, 1981 में केवल एक बार । मैं आपको ऐसी सूची दे सकता हूं जिसमें यह दिखाया गया है कि 10 से 15 बार से घटकर पिछले वर्ष में यह केवल एक ही बार भेजा गया । इसमें काफी हद तक कमी कर दी गई है और हमारी यह कोशिश है कि इसे बिल्कुल शून्य कह दिया जाए ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि हम तार डाक के द्वारा भेजते हैं लेकिन आप पैसा वसूल करते हैं तार का । आपने एक बात यह नहीं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि तार हवाई जहाज द्वारा भेजे लेकिन बहुत सी जगह हवाई जहाज नहीं जाता । अब जहां हवाई जहाज नहीं जाता तो डाक आपने तार डाक द्वारा भेजा और पैसा आपने लिया ले है डाक का । क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे या कानून में अमेंडमेंट करेंगे कि जो तार आप डाक मे भेजे उसका पैसा आप रिटर्न करें ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : जब यह प्रश्न पूछा गया है तो इस विषय की पेचीदीगियों और बारीकियों का कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए । उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तार भेजने की बात की है । हमारे यहां टेलिफोन कार्यालय चौबीस घंटे काम करते हैं हमारे यहां 26,000 'कम्बाइन्ड टेलिग्राफ कार्यालय हैं जो कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । उनके काम का समय निर्धारित है । यदि उस अवधि के बीच तार नहीं पहुंचता है तो तार रूक जाएगा । उसे कोई स्वीकर नहीं करेगा । इसलिए एक ग्रामीण टेलीग्राफ कार्यालय को तार भेजने की समस्या

अलग है। जबकि एक महानगर से दूसरे महानगर एक सीटीओं से दूसरे सीटीओं तथा एक जी० टी० ओ० से दूसरे डी० टी० ओ० को तार भेजने की समस्या अलग है। यह सभी समस्या अलग अलग हैं।

हमने एक मूल्यांकन किया और यह देखा कि एक राज्य या सर्किल से मैंने जाने वाले तारों में से केवल 55 प्रतिशत ही उस क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने हैं ...

एक माननीय सदस्य : उन्होंने यह नहीं पूछा, आंकड़े पूछे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं पूरा विवरण बता रहा हूं पैंतालीस प्रतिशत उससे अलग है जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, उन्होंने पूछा है कि हमने कितनी राशि एवत्र की है, उसका जबाव दे दिया गया है। यह भी व्यवस्था है कि यदि एक जगह तार भेजने का और कोई जरिया नहीं है तो वहां डाक द्वारा भेजा जाएगा।

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हम इस समय तीन कदम उठा रहे हैं। हमने इसे शीघ्रता से भेजने के लिए 1981 के प्रारम्भ में इसकी पुनरीक्षा की टी। इसके परिणामस्वरूप हवाई डाक द्वारा भेजे जाने वाले तारों में काफी कमी हुई है। यह वायर द्वारा नहीं जा रहे हैं। भेजे जाने वाले तारों की कुल संख्या प्रतिदिन 2 लाख है। उसमें से 0.1 प्रतिशत डाक या हवाई डाक द्वारा भेजे जाते हैं। वाकी तार प्रेषित किए जाते हैं।

मैं पूरा उत्तर दूंगा। हमने दो प्रणालियां शुरू की हैं, एक तो जैनिटिक्स प्रणाली है, जो कि बम्बई और दिल्ली में है। इसका बिस्तार किया जा रहा है। इसे कलकत्ता और मद्रास में भी लगाया जाएगा जिससे कि दूरस्थ स्टेशनों तक तार सीधे भेजे जा सकते हैं न कि प्रेषण द्वारा एक और अनुभव मद्रास में किया जा रहा है जिसे स्टोर एण्ड फारवर्ड प्रणाली कहते हैं। हमारी इलेक्ट्रोनिक कम्पनी ने इस पर काफी सफलता प्राप्त की है। मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि यह अनुभव काफी सफल रहा है इसमें यह होता है कि कोई भी तार आने पर उसे स्टोर कर लिया जाता है चाहे उसका रूट मिले या न मिले। हम उसे स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही रूट मिल जाता है वह बिना किसी बाधा या रुकावट के दूसरी जगह भेज दिया जाता है इस नई प्रणाली से टेलिग्राफ की समस्या बाकी हद तक कम हो जाएगी।

ट्रांसमीटर वायरसेटों की क्षमता बढ़ाया जाना

* 524. **श्री भोखा भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्रांसमीटर वायरसेटों की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ऐसा अनुमान है कि संदर्भ आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों के बारे में है। उड़ीसा हरियाणा त्रिपुरा और

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने उन राज्यों में आकाशवाणी के कुछ ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने के प्रस्ताव किये थे।

(ख) सापेक्ष प्राथमिकताओं और संसाधनों की कमी के कारण, उन योजनाओं को चालू छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना संभव नहीं हुआ है।

श्री भीखा भाई : क्या माननीय मन्त्री यह बताएंगे कि क्या आदिवासी क्षेत्रों, विशेषकर इन्दौर और अहमदाबाद को जो कि आदिवासी क्षेत्रों को निकट हैं, को भी प्राथमिकता दी जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : जी, हां, नई योजना में नई परियोजनाएं शुरू करने और वर्तमान ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने में आदिवासी क्षेत्रों को प्रमुखता दी जा रही है।

श्री भीखा भाई : क्या राजस्थान से उदयपुर आकाशवाणी की क्षमता बढ़ाने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री वंसत साठे : मुझे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि उड़ीसा हरियाणा त्रिपुरा और यू० पी० की सरकारों ने ही सिर्फ भेजा है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। राज्यों के जो समाचार होते हैं, कोई भी आदमी अपने प्रान्त के समाचार नहीं सुन पाता हूं इस वास्ते कि ट्रांस्मीटर उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिहार सरकार ने भी अपने यहां ट्रांस्मिटर को और ज्यादा शक्तिशाली करने के सम्बन्ध में लिखा है यदि हां तो उस पर क्या कार्रवाई की है और यदि नहीं खिला है तो क्या केन्द्र सरकार अपने इनिशिएटिव पर वहां की सरकार की अक्षमता को देखते हुए, उसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कदम उठाएगी ?

श्री वसन्त साठे : आज तो भिम्न भिन्न राज्यों ट्रांस्मिटर है, उनको और ताकत देने की योजना की गई है। छठी योजना में जो शामिल किए गए हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। डिब्रूगढ़, असम में 100 किलोवाट से 300 किलोवाट करने की योजना है। रांची बिहार 10 किलोवाट से 100 किलोवाट, राजकोट, गुजरात 20 किलोवाट से 30 किलोवाट धारवाड़ कर्नाटक 10 किलोवाट से 200 किलोवाट, रायपुर, मध्य प्रदेश 20 किलोवाट से 100 किलोवाट, पुरो महाराष्ट्र 20 किलोवाट से 100 किलोवाट, अजमेर, राजस्थान 20 किलोवाट से 200 किलोवाट, मद्रास, तमिलनाडु 20 किलोवाट से 200 किलोवाट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 50 किलोवाट 300 किलोवाट, सिलीगुडी, वैस्ट बंगाल 20 किलोवाट से 200 किलोवाट, बड़प्पा, आंध्र प्रदेश 20 किलोवाट से 100 किलोवाट, पटना, बिहार 20 किलोवाट से 100 किलोवाट। इस से बिहार में पटना और रांची दोनों जगह की शक्ति बढ़ाई जाएगी। सौ किलोवाट किया जाएगा दस किलोवाट से रांची में और पटना को 20 किलोवाट से सौ किलोवाट किया जाएगा।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना में हुई प्रगति

* 525. †श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :

श्री नीरेन घोष : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; यदि निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, तो यह कब तक शुरू होगा ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता की मांग की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई सहायता दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

पेट्रोवलयम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 54000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता सहित एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए वर्ष 1977 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास कारपोरेशन (डब्लू० बी० आई० डी० सी०) को एक आशय पत्र जारी किया गया था—मई, 1980 में कारपोरेशन ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इथीलीन क्षमता को परिवर्तित करके 100 000 मी० टन प्रति वर्ष कर दिया गया था। आशय पत्र में दिनांक 19-12-1980 को नई क्षमता में संशोधन कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास कारपोरेशन द्वारा इस उद्योग समूह के लिए स्थान का चयन हल्दिया में किया जा चुका है। निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा यह बताना कठिन है।

(ख), (ग) और (घ) राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। इस समय छठी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में इस परियोजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि हल्दिया एक स्थित पेट्रो-रसायन परियोजना पं बंगाल के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यदि यह परियोजना क्रियान्वित हो गई तो एक डेढ़ लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें 428 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जैसा कि आपने बताया कि आपने वर्ष 1977 में एक आशय पत्र जारी किया था और फिर उसे छोड़ दिया गया।

दूसरा आशय पत्र 19-12-1980 को जारी किया गया था।

श्री पी० शिव शंकर : संशोधित आशय पत्र

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जी हां, संशोधित यदि मेरी जानकारी सही है तो आपके विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक दल ने पूरे प्रस्ताव की जांच की थी और एक आशय पत्र दिया गया था कि परियोजना व्यवहार्य है। परन्तु यह कैसे हो सकता है कि इतने महीने बीतने

के बावजूद भी आप बंगाल सरकार को इक्विटी देने अथवा औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का आश्वासन नहीं दे पाए। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है इसलिए मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। आपने कहा है कि यह बहुत मुश्किल है। इसके क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया अब उन्हें उत्तर देने हैं।

श्री पी० शिव शंकर : जैसा कि मैंने अपने मित्र को बताया कि आशय पत्र वर्ष 1977 में जारी किया गया था। पं० बंगाल औद्योगिक विकास निगम चाहती की क्षमता में वृद्धि की जाए और वह चाहते थे कि आशय पत्र में तदनुसार संशोधन किया जाए जो कि दिसम्बर, 1980 में किया गया। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि एक बार परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने तथा भेजे जाने के बाद इसमें 428 करोड़ रुपए का व्यय था वर्ष 1981 में मुख्य मन्त्री ने यह प्रस्ताव किया व्यय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का इक्विटी सहयोग होना चाहिए और उन्होंने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकार इक्विटी शेयर पूंजी में 40 प्रतिशत का योगदान देगी और केन्द्र को भी इतना ही योगदान देना चाहिए। आगे यह भी बताया गया था कि जहां तक बाकी की 20 प्रतिशत इक्विटी पूंजी का सम्बन्ध है यह सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जायेगी इन सुझावों को सामने रखे जाने के बाद लागत तथा परियोजना की दृष्टि से पूरी योजना पर विचार किया गया। निर्मित किए जाने वाले उत्पादों में परिवर्तन से प्रस्तावित परियोजना, सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, पर 660 करोड़ रुपए से 690 करोड़ रुपए का व्यय करता था। इसके बाद छठी पंच वर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र की जो स्थिति है उसमें बिल्कुल भी पूंजी नहीं दी गई है राज्य सरकार के योजना आयोग के कार्यकारी दल ने 1982-83 की राज्य योजना में 3 करोड़ रुपए की राशि पर विचार किया था जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में जबकि न तो राज्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया है और जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना में कोई आवंटन नहीं किया है, इस आधार पर मेरे मित्र द्वारा उठाए गए केन्द्र द्वारा इक्विटी को भागेदारी और औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के प्रश्नों पर कुछ कहना कठिन है यदि पं० बंगाल औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार परियोजना रिपोर्ट तथा वित्तीय व्यवस्था अन्य आवश्यकताएं पूरी कर पाती है तो जहां तक लाइसेंस देने का प्रश्न है उसमें कोई विलब नहीं लगेगा। परन्तु केन्द्र सरकार की भागेदारी का अडंगा जो बीच मे लगा दिया गया है उसके लिए संसाधन एकत्र करने होंगे जो कि काफी कठिन काम है, इसलिए विलंब हो रहा है।

श्री आर० पी० दास० : यह तो केवल एक सुझाव ही था कि केन्द्र सरकार इस संयुक्त कार्य में भाग ले।

श्री पी० शिव शंकर : मै भी यही कह रहा हूं।

श्री आर० पी० दास : वह तो केवल मात्र सुझाव ही था।

श्री पी० शिव शंकर : यह मुख्य मन्त्री का एक विशिष्ट पत्र है, सुझाव मात्र नहीं है। मैं दस्तावेजों के आधार पर बोल रहा हूं। मुख्य मन्त्री ने स्रोत जुटाने में कुछ कठिनाइयां अवश्य

महसूस की थी और यही कारण हैं कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव पर विचार किया गया है, जैसा कि मैंने बताया था और जैसा कि चक्रवर्ती ने बताया है, अध्ययन दल ने इसका अध्ययन किया था और तत्पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ है कि अनुमानित परियोजना लागत मोटे तौर पर 660-690 करोड़ रुपए आती हैं। यही मैंने बताया था और योजना नियंत्रण में ऐसा कुछ नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उत्तर से यही पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार अपनी भागीदारी तथा संसाधन की बात सोच रही है। अब प्रश्न यह है कि मान लीजिए आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि आप भागीदारी नहीं कर सकते और चूंकि अपनी योजना में कोई व्यवस्था नहीं की है, चाहे ऐसा किसी भी कारण वश हुआ है, तो आप अपनी भागदारी के बिना ही पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने और अपने संसाधन जुटाने के लिए अनुमति देंगे।

श्री पी० शिवशंकर : मेरा ख्याल है कि मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं ...(व्यवधान) जो बात मैंने पहले कही थी कि यदि राज्य सरकार संसाधन जुटाती है तो यह बात नहीं कि केन्द्रीय सरकार की उसके प्रति कोई रुचि नहीं है। केन्द्रीय सरकार संसाधनों की व्यवस्था के लिए चिंतित है और छठी पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार का नियतन नहीं किया गया है। क्या में सभी को जानकारी में यह बात सकता हूं कि गुजरात सरकार ने भी गुजरात पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स' इक्विटी सहभागिता के लिए ऐसी ही मांग की है। किन्तु जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गयी है। किन्तु यदि पश्चिम बंगाल सरकार निधि एकत्र करने में काफी समर्थ है, तो मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उन्हें अवश्य लाइसेंस दिया जाएगा। किन्तु यदि ये तो ध्यान में रखना ही होगा। मैं नहीं समझता रहा हूं कि इतना पैसा आप कहां से लाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष···

हां, श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु : मेरे विचार से प्रश्न बहुत स्पष्ट है। पूरा मामला दो खास पहलुओं से संबन्धित है। एक तो परियोजना की व्यवहारिकता और दूसरा हैं केन्द्र की सहमार्गता। अब क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या सही नहीं है कि जहाँ तक परियोजना की व्यवहार्यता का सम्बन्ध है, राज्य सरकार या पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास निगम ने केन्द्रीय दल की सलाह के अनुसार परियोजना रिपोर्ट में संशोधन किये हैं। इसलिए परियोजना की व्यवहार्यता के लिए आपत्ति उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या मन्त्री महोदय इसको स्पष्ट करेंगे कि यह परियोजना व्यवहारिक है या नहीं पहला प्रश्न तो यही है।

मेरा दूसरा प्रश्न वित्तीय अड़चनों के बारे में केन्द्र की इक्विटी सहमार्गता से सम्बन्धित है। क्या माननीय मन्त्री महोदय योजना आयोग के साथ यम मामला उठाएंगे और यह सुझाव देंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग एक विशेष नियतन करे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री पी० शिवशंकर : मेरा निवेदन हैं कि मैंने यह नहीं कहा कि परियोजना व्यवहारिक नहीं है (व्यवधान)···

वस्तुतः रिकार्ड का अध्ययन करने के बाद मैं यह कहूंगा कि···

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, रिकार्ड का अध्ययन करने के बाद मैंने महसूस किया कि परियोजना पर आगे कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये। (व्यवधान) मेरा ख्याल है कि आप पहले मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह सुनना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको जवाब देने से रोक दूंगा।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, जैसा कि मैंने बताया है संसाधनों का जुटाना एक मुख्य समस्या है, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इन वित्तीय साधनों सम्बन्धी समस्या को अभी जांच कर रहे हैं। जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, उसमें किसी प्रकार का नियतन नहीं किया गया था। मैं पहले ही गुजरात का उदाहरण दे चुका हूं कि जहां उन्होंने एक और पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स स्थापित करना चाहा था, किन्तु अभी तक आशय पत्र जारी नहीं किया गया है, हालांकि राज्य योजना में सर्वेक्षण आदि के लिए नाम मात्र की ही राशि निश्चित की गई है। अन्तिम रूप से वित्त की समस्या की सामने आती है। यदि वित्तीय समस्या का समाधान हो जाए, तो परियोजना को कार्यरूप देना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिसके बारे में मैं अभी इसी समय सही नहीं बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न ठीक ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के सदस्यों ने प्रश्न को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। महोदय पश्चिम बंगाल घनी आबादी वाला राज्य है अपनी बढ़ती आबादी के कारण नहीं बल्कि देश की और देश से बाहर के बहुत से शरणार्थियों के आकर पश्चिम बगाल में बस जाने के कारण ऐसा हुआ है। अतः यह काफी आबादी वाला राज्य है। इसलिए घन का निवेश करने में समर्थ नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को भी ध्यान में में रख कर कि देश के अन्य भागों से शरणार्थी आकर वहां बस गए हैं पश्चिम बंगाल को सहायता दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उन्हें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या वे इस आधार पर सहायता दें।

अध्यक्ष महोदय : यह काम पुनर्वास मंत्रालय को करना है पेट्रोलियम रसायन मंत्रालय का नहीं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं एक और प्रश्न पूछने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कल पूछियेगा,

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं एक प्रश्न कल पूछूंगा ।

कोढ़-रोधक औषधियों की आवश्यकता

*529. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोढ़-रोधक औषधियों की वार्षिक आवश्यकता लगभग कितनी है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1981 को कीढ़-रोधक औषधियों का बिशेषकर डैपसोन का रक्षित भण्डार कितना था ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में कीढ़-रोधक औषधियों का अभाव है;

(घ) यदि हां तो कीढ़.रोधक औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है, और

(ड.) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ड.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

(क) हमारे देश में कोढ़ के उपचार के प्रयोग की जाने वाली तीन प्रमुख औषधों, डैप्सोन क्लोफन जी माइन और रिफाम्पिसिन है । औषधों और भेषाजों पर गठित एक कार्यकारी दल द्वारा वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष के लिए इन औषधों की वार्षिक आवश्यकता निम्न प्रकार आंकी गई है:—

क्र० सं०	औषध	वार्षिक आवश्यकता (कि० ग्रा०) 1981-82	1982-83
1	2	3	4
1.	डेप्सोन	37,000	45,000
2.	क्लोफाजिमाइन	430	520
3.	रिफाम्पिसिन	9,800	13,300

(ख) इस समय डेप्सोन को स्टेट केमिकल्स एंड फार्मोस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) के माध्यम से आयात के लिए सरणीबद्ध किया गया है । दिनांक 28

फरवरी 1982 को सी० पी० सी० के पास डेप्सोन का 1268 कि० ग्रा० का स्टाक था । इसके अतिरिक्त 9500 कि० ग्रा० पाइपलाइन में है। दिनांक 31 दिसम्बर 1982 को सी० पी० सी० के पास डेप्सोन के बफर स्टाक का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता । क्लोफा जिमाइन और रिफाम्पिसिन बल्क औषधों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से आयात द्वारा पूरा किया जाता है और ये आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत है ।

क्लोफा जिमाइन और रिफाम्पिसिन बल्क औषधों और इन पर आधारित फार्ममूलेशनों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है । तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डेप्सोन बल्क की कम सप्लाई के जिसके कारण इस औषध का इस वर्ष के लिए आयोजित मात्रा के बराबर आयात करना सभव नहीं था और आयात में कुछ विलम्ब हो गया था । तथापि, कुल उपलब्धता आयात और स्वदेशी उत्पादन दोनों मिलकर इस वर्ष की कुल आवश्यकताओं से कुछ ही अधिक है। इसके फार्ममूलेशन की केवल स्थानीय रूप से कुछ कमी थी ।

(घ) और (ङ) कोढ़ के उपचार के लिए औषधों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं —

(1) डेप्सोन क्लोफ जिमाइन और रिफाम्पिसिन के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान की गई है ।

(2) रिफाम्पिसिन के निर्माण के लिए भारतीय कंपनी को विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है । सार्वजनिक क्षेत्र में मैं० हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० ने रिफाम्पिसिन के लिए उचित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु विदेशी पार्टियों से बातचीत करने हेतु कदम उठाए हैं ।

कोढ़ के उपचार के लिए औषधो की स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु खुले सामन्य लाईसेन्स के अन्तर्गत सीमाशुल्क के भुगतान को छूट सहित रिफाम्पिसन और क्लोफ जिमाइन के आयात की अनुमति दी गई है तैयार फार्मूलेशन अर्थात क्लोफा जिमाइन कैप्सूल रिफाम्पिसिन रिफम्पिसिन कैपसूल्स का आयात भी सीमा शुल्क के भुगतान की छूट सहित अनुमेय है । डेप्सोज क्लोसन जिमाइन और रिफाम्पिसिन पर आधारित फार्मूलेशनों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से भी छूट दी गई है ।

श्रीमती जयंती पटनायक : महोदय, प्रधान मंत्री की 2000 ई० के अंत तक कुष्ठता निवारण की योजना के बारे में सभी को मालूम है । समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए औषधि की क्विम गुण और सप्लाई को ध्यान दिया जाना चाहिए । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में आंकी गई आपेक्षाओं का ब्योरा दिया है । मुझे संदेह है कि प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद आवश्यकताओं और अपनायी जाने वाली नीति को फिर से आंका नहीं गया है । इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसी प्रभावी कुष्ठरोधी औषध का आविष्कार करने के लिए अपने देश में अनुसंधान करने और उसका विकार करने के लिए सरकार के क्या कार्यक्रम हैं । क्या इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अनुसंधान या विकास किया गया है । मैं ऐसा

इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 27 अगस्त, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में इस प्रकार बताया गया है :—

"डेपसोन औषध (डी० डी० एस०) इस रोग के मुख्य प्रकारों-लेप्रोमैट्स और लेप्रोसी के उपचार के लिए पिछले तीस सालों से अचूक हैं। ब्रिटेन के मेडिकल रिसर्च काउन्सिल ने यह पता लगाया है कि 1964 तक जिन कुष्ठ रोगियों का डेपसोन की सहायता से काफी लम्बा इलाज चल रहा था उनमें दुबारा इस रोग के लक्षण उभर आए थे। जांच से पता चला कि इसके रोगाणुओं ने डी० डी० एस० के प्रति अपनी प्रतिरोध शक्ति विकसित कर ली है। यह काउन्सिल अधिक प्रभावी टीके के विकास के लिए काम कर रहा है।"

इस देश में डैपेसोन ज्यादा प्रभावी है। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। यह अधिक उपयोगी और प्रभावी औषध है। किन्तु अपने अनुसंधान और विकास से हमें इसके प्रति और सजग हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर और प्रकाश डालें।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, भण्डार के प्रश्न के उत्तर में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मुख्य औषक डेपसोन, जो कि कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है वह "राज्य रसायन और भेषज निगम" जो कि राज्य व्यापार निगम का क्षीण अंग है और आयात का सरणीकरण भी करती है, उसके पास 28-2-1982 तक 1268 कि० ग्राम० थी और 9500 कि० ग्रा० डेपसोन आ रहा है। प्रश्न यह पूछा गया है कि 31-12-1982 तक अतिरिक्त भंडार कितना होगा। क्योंकि यह भविष्य के बारे में पूछा गया है, अतः स्टाक स्थिति को आंकना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने वह जबाव दिया था, क्योंकि यह प्रश्न भावी विधि के बारे में किया गया था, मैं उसका निश्चित उत्तर नहीं दे सकता था कुछ हद तक कल्पना के लिए भी तो छोड़ दिया जाना आवश्यक है।

भावी कार्यक्रम और किये गए उपायों के बारे में जो प्रश्न किया गया है, उसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि डैपसोन के लिए व्यापार विकास महानिदेशालय को अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है और पंजीकरण भी किया गया है। डैपसोन तैयार करने वाली एक फर्म बरोज वेलकोम की मूल क्षमता 10,800 कि० ग्राम० की थी। इस क्षमता को फरवरी, 1982 में बढ़ाकर 28,000 कि० ग्राम० कर दिया गया है। मैसर्स बी० सी० पी० एल० ने भी इस औषध को तैयार करने की अपनी मूल क्षमता 6,500 कि० ग्रा० को बढ़ाकर 15,000 कि० ग्रा० कर लिया है।

डेपसोन फारमुलेशन को उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फार्मुलेशन पर उत्पादन शुल्क में भी छूट दी जाती है। जहां तक इस औषधि का सम्बन्ध है इसकी उपलब्धता के बारे में यही स्थिति है और श्रीमन्, औषधियों तथा फार्मास्यूटिक इसके बारे में समय-समय पर अनुसंधान किया जा रहा है लेकिन इस औषधि के बारे में हमारा देश अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : श्रीमन्, बात यह है कि डेपसोन की मांग बहुत है और ऐसा लगता है कि जिस औषधि से इसके कार्मुलेशन बनाये जाते हैं उसे आयात किया जाता है और इसका आयात एक एकाधिकारी संस्था द्वारा किया जाता है और इसका अर्थ यह है कि हमें समय पर सप्लाई मिलने में कोई कठिनाई हो सकती है। यहां अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है—

> "तथापि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोक डेपसोन की कमी रही है जिसके कारण इस वर्ष के लिए जिसये आयात की योजना थी इसका इतना अध्ययन नहीं किया जा सका है और अध्ययन में कुछ विलम्ब भी हुआ है।"

इसे देखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इसके बनाये जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं···बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी बाजारों पर कम निर्भर रहें ?

श्री पी० शिवशंकर : यह सही है कि जहां तक थोक औषधि (बल्कड्रग) का सम्बन्ध है डेपसोन के फार्मुलेशन के लिए इसका आयात पेरिस की एक एकाधिकारी संस्था से किया जा रहा है, वही एक कम्पनी है जो इस बल्कड्रग को बनाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नही है कि इसका आयात, जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, ओ० जी० एल० के आधार पर किया जा रहा हो। लेकिन इसे सी० पी० सी० के माध्यम से मंगाया जाता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। पेरिस स्थित जो कम्पनी इसकी सप्लाई करती है उसका नाम रुसेल उक्लाभ ऑफ पेरिस है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे देश में उस कम्पनी की क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गए हैं जो इस औसध को बना रही है और कई मामलों ये तो नई कंपनियों के लिए आशय-पत्र भी जारी कर दिये गए हैं। इसके परिणामस्वरूप हमें आशा है कि बहुत शीघ्र लगभग एक या दो वर्ष में हम इस औषध के फार्मुलेशन के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जाएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें हमें पहले ही 15 मिनट लग गए हैं। कृपया शान्त रहिए।

श्री जेवियर अरावकल : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का वह हिस्सा है जिसकी लापरवाही की गई है। इसीलिए हम इसे इनके नोटिस में लाना चाहते हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : मंत्री महोदय हमें डेपसोन के आयात की वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहे थे। डी० डी० एस० का विनिर्माण देश में ही किया जा सकता है क्योंकि डाई फिनाइल डामासिटाइल शल्फोन जैसे अवयव हमारे देश में उपलब्ध हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि हम इस औषधि को अपने देश में बनाकर आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सकते ? फिर, मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि बरोज वैलकम और सरकारी क्षेत्र की एक और कम्पनी को वृद्धि-लाइसेंस कैसे दे दिया गया और एक भारतीय कम्पनी एस्ट्रा-आई० डी० एम० को यह लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक अपने ही देश में डेपसोन का निर्माण करने का सम्बन्ध है मैं इसे स्पष्ट कर दूं । 1982-83 तक की मांग को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त उत्पादन हो जाएगा और तब इस सम्बन्ध में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे । मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह अंशत: इस देश में ही बनाने का प्रश्न है । मेरे माननीय मित्र जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका दूसरा भाग था : बहुराष्ट्रिकों को प्रोत्साहन क्यों दिया गया है ? वे एस्ट्रा-आई० डी० एल० के संदर्भ में पूछ रहे थे कि इस कंपनी को इस औषधि का निर्माण करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह कंपनी भारतीय हैं और इस औषधि का 20,000 किलोग्राम फार्मुलेशन बनाने के लिए इन्हें आशय-पत्र जारी कर दिया है । कई ओर कंपनियों को भी मजूरी दी गई है । कई और कंपनियां भी डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत हैं । अत: इसमें कुछ समय लगेगा । लेकिन जैसा कि मैंने कहा है आशा है कि 1982-83 तक हम पूर्णत: आत्म-निर्भर हो जाएंगे ।

श्री जेकियर अराक्कल : अनुमान है कि भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक है । मुझे यह जानकर खुशी है कि जैसा मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि 1982 83 तक हम कुष्ठ रोग की औषधि के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएंगे । मेरा प्रश्न एक विशेष बात से सम्बद्ध है । जहां तक इन महत्वपूर्ण औषधियों के निर्माण, वितरण और इन्हें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाने का सम्बन्ध है, इस ओर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? कई स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं ने, जो इस रोग को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ने शिकायत की है कि यह औषधि उपलब्ध नहीं है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसको देश में उत्पादन करने और वितरण के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं । आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी हैं । यह रोग शहरों में भी फैल रहा है ।

श्री पी० शिवशंकर : इस औषधि के निर्माण के प्रश्न पर मैंने पहले ही कहा था कि अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गए हैं और कई कंपनियों ने डी० जी० टी० डी० में पंजीकरण करवा लिया है । कुछ और कंपनियों को आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं । यदि माननीय सदस्य इनकी सूची लेना चाहें तो मैं दे सकता हूं । मैसर्स बंगाल केमीकल्स और फार्मा-स्यूटिक्ल्स लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी वार्षिक क्षमता 15,000 किलोग्राम है । मैसर्स बरोज वेलकम की लाइसेंस क्षमता 28,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है । यह तो इन दो कंपनियों की क्षमता है । उत्पादन के बारे में, जैसा कि मैं कह चुका हूं, एस्ट्रा-आई० डी० एम० को आशय-पत्र जारी किया जा चुका है और वहां उत्पादन शुरू हो चुका है और इसकी स्थिति का पता 1982-83 के बाद ही चलेगा । जहां तक देश में ही इस औषधि का निर्णय करने की के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । 1982-83 के बाद जो उत्पादन यहां किया जाएगा उसे देखते हुए इस औसधि की उपलब्धा के बारे में हमें व्यर्थ ही संदेह नहीं करना चाहिए । इसके विपणन के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था । इसके लिए कई एजेंसियां हैं और वे अंशत: स्वास्थ्य मंत्रालय के नियत्रण में कार्य करती हैं । अन्तिम विश्लेषण यह होगा कि जब हम एक बार उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो इसकी पूर्ति में कमी नहीं होगी । इसके फार्मुलेशनों का

विवरण सरकार के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के लिए और सम्पादकों द्वारा भी वाणिज्यिक माध्यम से किया जाता है। यह इसके विपणन का पहलू है।

मीडियम वेव के द्वारा कई नगरों को जोड़ने हेतु रेडियो स्टेशन स्थापित करना।

* 530. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने कई नगरों को मीडियम वेव द्वारा जोड़ने हेतु रेडियो स्टेशनों की स्थापना की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है और उक्त योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां।

(ख) जनेवा में 1975 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सघ के क्षेत्रीय प्रशासनिक एल० एफ०/एम० एफ० सम्मेलन ने विभिन्न देशों द्वारा मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड के उपयोग की योजना बनाई थी जिसमें प्रचालन की फ्रीक्वेंसियां और शक्तियां निश्चित की गई थीं। भारत को भी देश के विभिन्न स्थानों पर दिवा कालीन प्रचालन के लिए 780 चैनल आबंटित किए गए हैं। जिनमें से 500 चैनलों को रात्रि के समय प्रचालन के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की योजना की वैधता अवधि नवम्बर, 1989 में समाप्त होगी। क्योंकि इस पर कुल निवेश बहुत ज्यादा होगा, अतः सरकार द्वारा योजना को चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। छठी योजना अवधि (1980-85) में 12 केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने तथा 12 नए केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है।

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस स्कीम के अन्तर्गत एक केन्द्र को चालू करने में कितनी धनराशि खर्च करनी होगी और इस स्कीम के लिए 1982-83 में सरकार ने कितनी धनराशि जारी की है और क्या चयनित धनराशि पूरी आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगी ? यदि नहीं तो क्या मन्त्री महोदय अन्य स्रोत से इसकी पूर्ति करेंगे, जिसमें विदेशी सहायता भी सम्मिलित होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : अध्यक्ष जी एक केन्द्र के लिए कितना खर्चा होता है, यह उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। एक किलोवाट के केन्द्र पर 20 से 25 लाख रुपये और दस किलोवाट के केन्द्र पर 30 से 50 लाख रुपये का खर्चा होता है। इससे भी अगर ज्यादा बढ़ाते जाएं तो करोड़ डेढ़ करोड़ रुपये का खर्चा होता है।

छठी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा प्रावधान है, जैसा कि अभी मैंने एक सवाल के जवाब

में कहा भी है कि स्टेशंस को शक्तिशाली बनाने की योजना है। करीबन 12 जगह नये स्टेशंस को शक्तिशाली बनाने की योजना है। करीबन 12 जगह नये स्टेशंस खोले जाएंगे। ईटानगर में 100 के डलब्यु का, तुरा में 20 के डबल्यु का गेंगटोक में 20, मदुराई में 10, आगरा में 10, जमशेदपुर में 1, दिप्पु में 1, अदिलाबाद में 1, क्योंझर में 1, शोलापुर में 1, नागरकोयल में 1 के डब्ल्यु का। जहां तक खर्चे की सारी बात है, इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन ने हमको 780 का प्रावधान क्लियर किया है। हम अपने खर्चे के मुताबिक 125 कर पाये हैं, बाकी के जो बचे हैं, उनके लिये प्लान में प्रावधान मिले तो हम तैयार हैं कि बाकी के भी किये जाएं। अब यह सरकार और सदन कर सकता है।

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या मन्त्री महोदय, यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक यह स्कीम किसी भी जगह पर देश में लागू की गयी है अथवा नहीं ? क्या सरकार इस स्कीम को तत्काल लागू करने के लिए कोई कदम उठा रही है ताकि जन जागृति आ सके ?

श्री वसन्त साठे : अभी मैंने बताया कि यह जो स्कीम छठी योजना में चालू की गई है, वे प्रोसेस में हैं।

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या मन्त्री महोदय, यह भी बतायेंगे कि सरकार जिला हेडक्वाटर स्तर पर रेडियो स्टेशन खोलने का कोई विचार कर रही है ?

श्री वसन्त साठे : अब जिले तो बहुत है। हर जिले में फण्डस और साधनों की कमी के कारण नहीं हो सकता है।

श्री कमल मिश्र मधुकर : उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्र में दस के० डब्ल्यु० के दस दूर संचार केन्द्र खोलने का आप से पहले मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था। उस क्षेत्र में मोतीहारी और रक्सौल नेपाल और चीन के बोडस पर हैं। क्या आप वहां 10 के० डब्ल्यु० के प्रसारण केन्द्र खोलने जा रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि न तो रक्सौल और न मोतीहारी इस लिस्ट में है। ये इस लिस्ट में नहीं दिखायी पड़त हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्रीमान, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले सभा को सूचित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल मतदाता सूचियों के बारे में अशोक सेन एण्ड कम्पनी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

माननीय मन्त्री ने उन 12 स्टेशनों का जिक्र किया है जो छठी योजना अवधि में खोले जाने हैं। लेकिन इसमें दुर्गापुर का उल्लेख नहीं है, यह औद्योगिक क्षेत्र में हैं। इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि दिल्ली में हम कलकत्ता से प्रसारित बंगला समाचार नहीं सुन सकते। जैसा कि आपने कहा है कि आप विभिन्न रेडियो स्टेशनों की शक्ति बढ़ा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कलकत्ता रेडियो स्टेशन को भी शक्तिशाली बना रहे हैं, ताकि

हम आल इण्डिया रेडियो कलकत्ता के कार्यक्रमों की सुबह, दोपहर तथा रात में दिल्ली में सुन सकें।

श्री बसन्त साठे : मैंने मीडियम वेव के स्टेशनों के बारे में कहा था। यदि मीडियम वेव के स्टेशन ही शक्तिशाली बन भी जाएं तो उन्हें केवल एक दूरी पर ही सुना जा सकता है। शार्ट वेव के स्टेशनों की, जो स्किप और जम्प करके तरंगों का अधिक क्षेत्र में दूर तक पहुंचाते हैं, तो दूरस्थ जगहों पर भी साफ प्रसारण सुने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली में कलकत्ता रेडियो स्टेशन के प्रसारण सुनना चाहते हैं तो केवल शार्ट वेव पर ही साफ प्रसारण सुना जा सकता है। भारत बहुत विशाल देश है। अतः यदि आप दिल्ली में कलकत्ता के प्रसारण और कलकत्ता में दिल्ली के प्रसारण सुनना चाहते हैं तो आपको और शक्तिशाली स्टेशनों के लगाये जाने का इन्तजार करना होगा।

श्री जमीलुर्रहमान : स्पीकर साहब, पिछले सवाल में बदन की बीमारी का तजकिरा था, इसमें मिजाज की बीमारी का तजकिरा होना चाहिए। इनफरमेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बड़ी भारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा मदारी है।

श्री जमीलुर्रहमान : वह मैंने नहीं कहा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इनफरमेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी बहुत भारी है और वह मुल्क के मिजाज को बनाता है। मैं आपके जरिए अर्ज करना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी हल्के, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में चाइना, नेपाल और बंगला देश का बार्डर लगता है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल करिए।

श्री जमीलुर्रहमान : इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इन इलाकों में मुल्क के आइडियाज को प्रोजेक्ट करने के लिए पूर्णिया में एक रेडियो स्टेशन कायम किया जाना चाहिए। बिहार की आबादी 6 करोड़ है और वहां पर मीडियम वेव के ट्रांसमीटर हैं।

अध्यक्ष महोदय : लगता है आप जवाब नहीं लेना चाहते, क्योंकि समय खत्म हो रहा है।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों को देखते हुए क्या आप पूर्णिया में एक रेडियो स्टेशन कायम करेंगे, ताकि सारे लोगों को फायदा हो ?

श्री बसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिहार का सवाल है, अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार मे रांची और पटना, दोनों जगह 100-100 किलोवाट के दो बड़े स्टेशन पावरफुल करने का प्रावधान किया गया है। मेरे ख्याल म और गुंजाइश पूर्णिया नगर के लिए अभी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एल० पी० वर्मा। वे अनुपस्थित हैं। श्री सत्यगोपाल मिश्र।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : प्रश्न सं० 532।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के बीच बिजली परियोजनाओं सम्बन्ध विवादों के निपटान के लिये समिति ।

* 520. श्री राम प्यारे पनिका : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के बीच बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी विवादों के निपटान के लिए कोई स्थायी समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और ऐसी समिति बनाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इस समिति ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ड.) यदि नहीं, तो समिति द्वार अपना प्रतिवेदन कब तक दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जी, नहीं ।

(ख) से (ड.) प्रश्न नहीं उठता ।

गोवा सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के मामलों के लिए केन्द्रीय अभिकरण (मुकदमा सेल) की नियुक्ति

* 521. श्री राजेश पाइलट : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा,दमण और दीव सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई केन्द्राय अभिकरण (मुकदमा सेल) नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नियुक्ति के विशेष निबंधन और शर्तें क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय अभिकरण ने उच्चतम न्यायालय में 1 अगस्त 1981 और 1 फरवरी, 1982 के बीच उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने मुकदमों में (प्रकीर्ण मामलों सहित) अपने अधिवक्ता नियुक्त किए ; और

(घ) ऐसे अधिवक्ताओं को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उस सरकार ने फीस के रूप में कितनी राशि दी अथवा देय है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) इस मंत्रालय का केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग गोवा, दमण और दीव प्रशासन का उच्चतम न्यायालय में मुकदमा सम्बन्धी कार्य करता है ।

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र का मुकदमा सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग उसी

रीति से करता है जिस रीति से वह भारत सरकार और इसकी योजना में सम्मिलित अन्य राज्य सरकारों का मुकदमा सम्बन्धी कार्य करता है।

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग पर जो खर्च होता है वह भारत सरकार और इसकी योजना में सम्मिलित राज्य सरकारों के बीच बांट लिया जाता है।

(ग) प्रश्नगत अवधि के दौरान, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के अधिवक्ताओं ने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से आठ मामलों पर जिनमें प्रकीर्ण मामले भी सम्मिलित हैं, कार्रवाई की।

(घ) केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कार्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कोई फीस संदेय नहीं है क्योंकि ये अधिवक्ता सरकार के पूर्ण कालिक सेवक हैं।

वर्ष 1981-82 और 1982-83 में बिजली की मांग और सप्लाई स्थिति

*526. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के अन्त में देश में बिजली की मेगावाट में मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है ;

(ख) वर्ष 1982-83 में बिजली की मांग और सप्लाई का स्थिति के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है ;

वर्ष 1981-82 के अन्त में मध्य प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या थी और वर्ष 1982-83 के लिए इसकी स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को अक्तूबर, 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि में बिजली के संकट का सामना करना पड़ा था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) देश में विद्युत की स्थिति में सुधार हो रहा है तथा 1979-80 की तुलना में यह बहुत अच्छी है और इसमें और सुधार होने की आशा हैं। देश को अप्रतिबाधित अधिकतम मांग 22274 मेगावाट है। इसकी तुलना में वर्तमान उपलब्धता लगभग 1827 मेगावाट है। वर्ष 1981-82 के दौरान देश में ऊर्जा का प्रत्याशित उत्पादन 122000 मिलियन यूनिट है। इसकी तुलना में ऊर्जा को प्रत्याशित आवश्यकता 137000 मिलियन यूनिट है।

(ख) वर्ष 1982-83 में देश की ऊर्जा को अनुमानित आवश्यकता 145000 मिलियन यूनिट है। इसकी तुलना में वर्ष के दौरान उपलब्धता 132000 मिलियन यूनिट होगी।

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत की वर्तमान उपलब्धता लगभग 1080 मेगावाट है इसकी तुलना में प्रत्याशित व्यस्ततम मांग 1500 मेगावाट है। वर्ष 1982-83 के दौरान अनुमानित उपलब्धता लगभग 1320 मेगावाट है। इसकी तुलना में व्यस्ततम मांग 1575 मेगावाट है।

(ख) अक्तूबर, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश ने विद्युत की कमी का सामना किया। इसके कारण हैं (1) प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की अपर्याप्तता ; (2) 40 : 60 के अपेक्षित स्तर की तुलना में जल विद्युत-ताप विद्युत का लगभग 12 : 88 का घटिया मिश्रण ; (3) पिछले तीन वर्षों के दौरान गांधी सागर जलाशय में जल का अनुप्रवाह कम होना जिससे जल विद्युत का उत्पादन सीमित हुआ ; तथा (4) सतपुड़ा में 200 मेगावाट के यूनिटों के आशोधन तथा नवीकरण में अत्यधिक समय लगना।

सुबर्ण रेखा पनबिजली घर

*527. **श्री हनिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजनावधि में सुबर्ण रेखा पनबिजली घर चालू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो सुवर्ण रेखा पनबिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा,

(ग) इसकी लागत अनुमानत: कितनी है ; और

(घ) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : बिहार में सुवर्ण रेखा जल-विद्युत परियोजना में दो विद्युत केन्द्र हैं। जिनमें प्रत्येक में 65-65 मेगावाट का एक-एक यूनिट प्रतिष्ठापित है यह परियोजना रांची जिले में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। परियोजना की संशोधित लागत 33.10 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के दोनों विद्युत केन्द्र अक्तूबर, 1977 और अक्तूबर, 1980 में चालू किए जा चुके हैं।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा बनाये गये रूपक वृत्त चित्र

*531. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा कितने रूपक वृत्त चित्र बनाये गए थे। और कितने ठेकेदारों द्वारा बनवाये गए ; और

(ख) क्या रचनात्मक फिल्मों और नैतिक प्रधान फिल्मो को बनाने का कोई कार्यक्रम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली ने वर्ष 1981 के दौरान 23 डाकुमैंट्री फिल्में बनाई और टेलीकास्ट की जिनमें से केवल एक बाहरी व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी।

(ख) सृजनात्मक और सौद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाने का दूरदर्शन का सदैव प्रयास रहा है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता ले जाया जाना

*533. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में विभिन्न उर्वरक निगमों के मुख्यालय कौन-कौन से हैं,

(ख) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन का मुख्यालय अभी तक कलकत्ता नहीं ले जाया गया है ; और

(ग) यदि हां तो इस बारे मे सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक कंपनियों के मुख्यालय निम्न प्रकार हैं :—

कंपनी का नाम	मुख्यालय का नाम
1, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	दिल्ली
2. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	दिल्ली
3. नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	दिल्ली
4. राष्ट्रीय कैमकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	बम्बई
5. दि फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इण्डिया लि०	सिन्दरी
6. दि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	उपयोगमंडल
7. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मद्रास
8. पोरादीप फासफेटिक लिमिटेड	दिल्ली

(ख) जी, हां ।

(ग) अस्थाई रूप में मार्च 1979 में यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन का मुख्यालय कलकत्ता में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये । बाद में स्थानान्तरण के विरुद्ध कर्मचारियों से सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे । इसी दौरान बड़ी मात्रा में गैस की उपलब्धता के आधार पर एक उर्वरक संयंत्र का निर्माण राजस्थान में, एक संयंत्र का का निर्माण मध्य प्रदेश में और 4 संयंत्रों का निर्माण उत्तर प्रदेश में करने का निर्णय किया गया है । इन संयन्त्रों के स्थानों और स्वामित्व का निर्णय अभी किया जाता है । कुछ विद्यमान कंपनियों के मुख्यालयों पर इन निर्णयों का प्रभाव पड़ेगा ।

पश्चिम बंगाल में डायमंड हारबर कुएं की प्रायोजित गहराई

*533 **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में डायमड कुएं की प्रायोजित गहराई क्या है ;

(ख) इस कुएं में कितने पदार्थों का परीक्षण किया गया है ; और

(ग) डायमंड कुएं का भविष्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पश्चिम बंगाल में डायमंड हारबर कूप की प्रक्षिप्त गहराई 5,500 मीटर थी ।

(ख) कूप में अभी तक तीन पदार्थों का परीक्षण किया गया है ।

(ग) इस कूप में अभी तक कोई हाइड्रो-कार्बन प्राप्त नहीं हुये हैं । भावी पूर्वेक्षण बाद में आगे किये जाने वाले प्रस्तावित परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेंगे ।

कर्नाटक के लिये खाना पकाने की गैस

*534. **श्री के० मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसयय और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के विभिन्न नगरों में कितने व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों, के आवंटन के लिये कितने व्यक्ति अब भी प्रतीक्षा सूची मे हैं ;

(ख) उन लोगों को एजेन्सिया देने के लिये क्या नीति निर्धारित की गई है अथवा क्या मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं ;

(ग) क्या कतिपय कमजोर वर्गों को भी किसी प्रकार का कोटा अथवा वरीयता या कीमतों में रियायत आदि प्रदान की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य के ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको उपरोक्त लाभ मिले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्री (श्री पी० शिव शकर) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 की योजनाओं में कर्नाटक के विभिन्न शहरों में उद्योग द्वारा 27 एल०पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपे आवंटित किये जाने की सूचना मिली है । एजेन्सियों के आवंटन हेतु कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती है ।

(ख) समाचार-पत्रों में दिये गये विशिष्ट विज्ञापनों के संदर्भ में आवेदन करने वाले आवेदन-कर्ताओं मे से विधिवत गठित चयन समितियों की सिफारिश के आधार पर तेल कंपनियों द्वारा डीलरों की नियुक्ति की जाती है । चयन समितियों, उम्मीदवारों की व्यापारिक योग्यता/विक्रय-कला, वित्त व्यवस्था करने की क्षमता और सुविधाओ को प्रदान करने की योग्यता, पूर्णकालिक (स्वयं) कार्य करने वाला डीलर, सामान्य मूल्यांकन, व्यक्तित्व और पाठयेतर गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन करती हैं ।

(ग) वर्ष 1980-81 से तेल कंपानयों द्वारा आवंटित की जाने वाली डीलरशिप/डिस्ट्री-

ब्यूटर शिपों का 70 प्रतिशत समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित की जाती हैं उनसे किसी प्रकार की प्रतिभूत धन राशि नहीं ली जाती हैं ।

(घ) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को (5) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को (2) और बेरोजगार इन्जीनियरों को (4) एल० पी० जी० को डिस्ट्रीब्यूटरशिपें पहले से ही आवंटित की जा चुकी है ।

कर्नाटक में बिजली की कमी

*535. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कर्नाटक राज्य में बिजली की कमी है जिसके कारण व्यापार उद्योग और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) कर्नाटक को बिजली के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाये हैं ।

(ग) बंगलोर और गुलबर्गा में दो ताप परियोजनाओं के मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार परियोजनाओं का कार्य जल्दी शुरु तथा पूरा करने के लिये शीघ्र ही कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कर्नाटक इस समय विद्युत की कमी का सामना कर रहा है । पड़ौसी राज्यों से सहायता को मिलाकर राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता लगभग 20 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है । इसकी तुलना में राज्य की ऊर्जा की आवश्यकता 25 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है । कमी को पूरा करने की दृष्टि से राज्य ने 7 जनवरी 1982 से ऊर्जा के उपभोग पर 10-33 1/3 प्रतिशत विद्युत कटौती तथा अन्य 200 के० वी० ए० से अधिक की मांग करने वाले उच्च वोल्टता औद्योगिक उपभोक्ताओं को व्यस्ततम मांग पर 10 से 30 प्रतिशत विद्युत कटौती लागू की है । तदुपरान्त 4 मार्च, 1982 से उच्च वोल्टता उद्योगों पर मांग कटौती 10-45 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी । कृषि उपभोक्ताओं पर कोई कटौती लागू नहीं है ।

(ख) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने की दृष्टि से, राज्य में 1517 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें से 790 मेगावाट 1982-85 की अवधि में चालू की जाएगी । परियोजना के क्रियान्वयन का प्रमुख दायित्व, जिसमें निधियों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना शामिल है, राज्य सरकार का है । गहन मानीटरिंग करके, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं तथा रेलवे के साथ समन्वय सुनिश्चित करके तथा सीमेंट, इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे आवश्यक निवेशों का आवंटन करके केन्द्र सरकार सहायता प्रदान कर रही है ।

(ग) बंगलोर और गुलबर्गा में ताप विद्युत संयन्त्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर भारत में पेट्रोल पम्पों पर छापे

*536. **श्री एन० ई होरो** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर भारत में पेट्रोल पम्पों पर कोई छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल और डीजल में मिलावट किये जाने के कारण कितने पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे गए ;

(ग) जिन पेट्रोल पम्पों में पेट्रोल और डीजल में मिलावट पाई गई है, उनका ब्योरा क्या है और क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) (ख) (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

एशियाई खेलों के लिए दूरदर्शन इंजीनियरों और प्रोड्यूसरों को प्रशिक्षण

*537. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए स्काटलैण्ड की थामसन फाउन्डेशन ने टेलीविजन के इंजीनियरों और प्रोड्यूसरों को प्रशिक्षण देने की पेशकश की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि "फाउन्डेशन" ने भारत में पत्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेषज्ञ और एक दल भेजने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ग) थामसन फाउन्डेशन टी० वी० कालेज ग्लास्गो ने एशियाई खेलों के रंगीन क्वरेज के लिए इंजीनियरों और कार्यक्रम कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने ले लिए विशेयज्ञों को भेजने के लिए अपनी रजामंदी व्यक्त की है। उन्होंने प्रस्ताव की शर्तें सूचित की है जिनकी जांच की जा रही है।

(ख) जो, नहीं।

गुजरात में तेल/गैस के नए क्षेत्र

*538. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल और गैस वाले नये क्षेत्र कहां-कहां पाये गए हैं और उनमें तेल और गैस की कितनी-कितनी मात्रा होने की सम्भावना है;

(ख) तेल वाले इन नये क्षेत्रों में कब तक उत्पादन शुरू होने की आशा है; और

(ग) वहां उत्पादन शुरू करने में ढिलाई के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1081-82 (फरवरी, 1982 तक) के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में लोहार, सिसोदरा तथा लंघबेज में तेल तथा दहेज तथा कुदारा मे गैस की खोज की थी। इन क्षेत्रों की उत्पादन संभावनाओं का पता केवल तभी लगेगा जबकि इन संरचनाओं में और मूल्यांकन कूपों का व्यधन किया जायेगा।

(ख) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इन क्षेत्रों से उत्पादन किस समय तक प्रारम्भ किया जा सकेगा क्योंकि यह क्षेत्र अभी मूल्यांकन अवस्था में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मामलों के लिए उच्च न्यायालय की विशेष न्यायपीठों की स्थापना

5221. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में ऐसे मामलों की भारी संख्या को, जिनके विषय में मुकदमे चल रहे हैं, ध्यान में रखते हुए जिनके कारण अनुसंधान कार्य प्रभावित हो रहा है तथा राष्ट्रीय लक्ष्य अस्त-व्यस्त हो रहे हैं, राज्यों के उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायपीठें स्थापित करने का है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ग० रहीम) : सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

हिन्दी पत्रकारिता में एक वर्षीय पाठ्यक्रम

5822. **श्री भीकू राम जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जन-संचार संस्थान द्वारा हिन्दी पत्रकारिता के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के क्या कारण हैं जबकि हिन्दी समाचार-पत्रों, उनके पाठकों और पत्रकारों की संख्या किसी भी अन्य भारतीय भाषा या अंग्रेजी की अपेक्षा बहुत अधिक है; और

(ख) सरकार भारतीय जन-संचार संस्थान में हिन्दी पत्रकारिता में एक वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में कब तक निर्णय कर लेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) संस्थान द्वारा पत्रकारिता में इस समय आयोजित किए जा रहे दो मुख्य पूर्णकालिक पाठ्क्रम ये हैं (1) विकासशील देशों के लिए पत्रकारिता में स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा (क) गुट निरपेक्ष देशों के लिए समाचार एजेंसी पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम। इसके अलावा, संस्थान ने 1980-81 में विज्ञान और जन सम्पर्क में एक नया पाठ्यक्रम भी शुरू किया। इसके अलावा संस्थान द्वारा हिन्दी पत्रकारिता में पुनश्चर्या पाठ्क्रमो सहित संचार में अनेक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों भी आयोजित किये गए थे। सस्थान ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से 22 जून से 4 जुलाई, 1981 तक हिन्दी पत्रकारिता में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम वाराणसी में आयोजित किया था इसमें 18 व्यक्तियों ने भाग लिया था। जिनमें से 11 उत्तर प्रदेश से, पांच मध्य प्रदेश से तथा दो बिहार से आए थे।

(ख) संस्थान वर्तमान प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में पूर्णतया व्यस्त है तथा फिलहाल और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को हाथ में लेना कठिन होगा।

हिन्दुस्तान लीवर लि० की अतिरिक्त क्षमता का नियमित किया जाना

5823. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनी लीवर लि० इंगलैण्ड की एक सहायक कंपनी हिन्दुस्तान लीवर लि० के सम्बन्ध में अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने, औद्योगिक विकास तथा विनियन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों पर उत्पादन क्षमता सम्बन्धी पृष्ठांकन तथा व्यापारिक लाइसें पर उत्पादक क्षमताओं के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने एरोमेटिक रसायनों के निर्माण के लिए अधिक क्षमता के विनियमन के लिए मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० का आवेदन-पत्र अनुमोदित किया। ब्योरे सलग्न विवरण-पत्र में दिए गए है।

विवरण

क्र० सं०	मद का नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	विनियमित की गई क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
1.	समूह ख एरोमेटिक रसायन (सिन्थेटिके इस्टर्स, एलिडहाइड्स और मस्कस)	60	75
	(1) चम्पाकल		
	(2) सिवासिक एल्डिहाइड		
	(3) साइक्तामाइन एल्डिहाइड		
	(4) साइक्लोमेकोन		
	(5) फैटी एल्डिहाइड		
	(6) गारियनोलीन		
	(7) हिनोलीन		
	(8) अबोनील फोर्मेट		
	(9) केस्ट्रोन		
	(10) मेटाक्सोलीन		
	(11) स्टाइरालाइल		
	(12) वेस्टेस्टर		
	समूह ग एरोमेटिक रसायन	60	114
	(1) गैरामियत ओर इस्टर्स		
	(2) लिट्रोनोलोल		
	(3) हाइड्रेक्सी सिट्रोनोल		
	(4) फिनाइल इथाईल अल्कोहल और इस्टर्स		
	(5) बेन्जील अल्कोहल और इस्टर्स		
	(6) कार्वोन ओर उसके डेरिवेटिन्ज		
	(7) साइट्रल एसीटल्स		
	(8) साइट्रोनेलाल		

प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए कच्चा माल

5824. **श्री निहाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्लास्टिक के सामान का बड़े मध्यम और लघु पैमाने पर निर्माण करने वाले उद्योगों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले दो सालों के दौरान प्लास्टिक की चीजों का उत्पादन करने के लिए विदेशों से कच्चे माल का आयात किया और प्रत्येक मामले में कितने मूल्य का कच्चा माल आयात किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) महानिदेशक तकनीकी विकास (डी० जी० टी० डी०) के पास पंजीकृत प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करने वाले बड़े तथा मध्यम उपयोगों की राज्यवार संख्या तथा उन उद्योगों की संख्या जिन्हें कि औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए है, नीचे दी गई है :

राजस्थान	2
आन्ध्र प्रदेश	8
गुजरात	19
हरियाणा	3
महाराष्ट्र	76
उत्तर प्रदेश	9
तमिलनाडु	9
कर्नाटक	10
पश्चिम बंगाल	23
दिल्ली	1
मध्य प्रदेश	3
	163

प्लास्टिक वस्तुओं का लघु स्तर पर निर्माण करने वाली यूनिटों की राज्यवार संख्या जोकि अपने राज्य के उपयोग निदेशालयों के पास पंजीकृत हैं, उपलब्ध नहीं है ।

(ख) औद्योगिक यूनिटों के अनुसार वास्तविक आयातों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

दिल्ली में खराब टेलीफोन

5825. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 1 मार्च के बाद काफी बड़ी संख्या में टेलीफोन कई दिनों तक खराब पड़े रहे;

(ख) क्या यह भी सच है कि नार्थ एवेन्यू में संसद सदस्यों के यहां लगे टेलीफोन भी इन दिनों खराब पड़े रहे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे टेलीफोन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनके निष्क्रिय होने के क्या कारण हैं;

(ङ.) सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 28-2-1982 तथा 1-3.1982 को बे मौसम वर्षा होने के कारण भूमिगत केबुलों में गड़बड़ी हो जाने से लगभग 5000 टेलीफोन खराब हुए जिन्हें 7-3-1982 तक ठीक कर दिया गया।

(ख) जी हां।

(ग) दिनांक 1-3-1982 को 08.25 बजे नार्थ एवेन्यू में 278 टेलीफोन खराब पाए गए। इनमें से 50 तो पूरी तरह खराब थे तथा 228 में आंशिक खराबी थी। ये टेलीफोन 2-3-1982 को 1700 बजे तक ठीक कर दिये गए।

(घ) क्षतिग्रस्त केबुल में पानी घुस जाने के कारण इन 278 टेलीफोन के फीडिंग केबुल खराब हो गए थे।

(ङ.) दोष का पता चल जाने पर तुरन्त सुधार कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी काम रात दिन चलता रहा तथा दिनांक 2-3-1982 को 1700 बजे दोष ठीक कर, संचार सम्पर्क चालू कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली टेलीफोन में भूमिगत केबुलों की पूरी मरम्मत करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं।

टेलीफोन एक्सचेंजों में ट्रंक-कालों की गड़बड़ी

*826. **श्री जी० आई० कृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन एक्सचेंजों मे ट्रंक-कालों में गड़बड़ी किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से राजधानी में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार ट्रंक-कालों और द्रुत ट्रंक सेवाओं में इस प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एवं (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल रख दी जाएगी।

(ग) ऐसे मामले पकड़े जाने पर कड़ी अनुशासनिक कारंवाई करने हेतु अनुदेश मौजूद हैं।

मदुरे में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

5827. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :**

श्री एन० सुन्दराजन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरे में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस समय यह किस चरण में है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) और (ख) राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायापीठ मदुरे में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। सरकार इस बिषय पर विचार कर रही है।

टेलीफोन केबलों की कमी

5828. **श्री नवीन खाणी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन केबलों की कमी है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) टेलीफोन केबलो की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) टेलीफोन केबलों का निर्माण करने के बारे में देश कब तक स्वावम्बी हो जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) (क) जी हां,

(ख) मौजूदा फैक्टरियों की उत्पादन क्षमता आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) और (घ) आत्म निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मौजूदा फैक्ट्रियों कर विस्तार किया जा रहा है तथा नई यूनिटें भी स्थापित की जा रही है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यरत ओषधि उपक्रम

5829. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत ओषधि उपक्रमों का ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रायय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) डी० जी०

टी० डी० के औषधि और भोजन निदेशालय के रजिस्टर में केन्द्रीय क्षेत्र में 4 सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम और लगभग 170 अन्य यूनिटें गैर सरकारी क्षेत्र में औषधों और भेषजों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में बल्क औषधों और फार्मुलेशनों के निर्माण में लगी 2500 से अधिक लघु उद्योग यूनिटें हैं

दूर संचार में उत्पादन क्षमता और प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाना

5830. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार छठी योजना के दौरान दूर संचार में उत्पादन क्षमता और प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने के बारे में व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का है ;

(ख) क्या इसके लिए विदेशी प्रतिष्ठानों ने कोई प्रस्ताव पेश किये थे ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सरकार ने सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है कि इलेक्ट्रानिक किस्म के बड़े स्थानीय एक्सचेंज के उपस्कर बनाने के लिए पांच लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले दो कारखाने स्थापित किए जायें। अस्सी के दशक में स्थापित होने वाले इन कारखानों में प्रत्येक की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपए होगी। सहयोग से उत्पादन हित इस प्रकार के पहले कारखाने के लिए विश्व व्यापी स्तर पर टेण्डर आमन्त्रित किए गए हैं। स्थान चयन समिति ने पहले कारखाने की स्थापना के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि संचार मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड मद्रास द्वारा 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, हासूर तमिलनाडु में, टेलीप्रिंटर के मौजूदा इलैक्ट्रो-मेकेनिकल रूप के स्थान पर, प्रति वर्ष 8,000 इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर की उत्पादन क्षमता स्थापित की जाए। इस सम्बन्ध में विदेशों से प्राप्त सहयोग के प्रस्तावों पर बिचार किया जा रहा है।

संचार मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बगलौर द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में, विस्तार और आधुनिकीकरण के नीचे लिखे प्रमुख कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है :

(एक) रायबरेली में, भारतीय क्रासबार परियोजना (आई० सी० पी०) डिजाइन के क्रासकार स्विचिंग उपस्कर की 2 लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षपता वाला एक कारखाना स्थापित करना, इस उद्देश्य से इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मैसर्स बी० टी० एम० आफ बेल्जियम का सीमित सहयोग प्राप्त करेगी। यह सहयोग, उत्पादन और प्रलेखन के काम में तकनीकी सहायता के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति के रूप में होगा।

(दो) छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की 10 हजार लाइनें प्रतिवर्ष बनाने वाले पालघाट कारखाने की उत्पादन क्षमता में, इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज तथा इलैक्ट्रानिक निजी शाखा एक्सचेंज की प्रतिवर्ष 1-5 लाख (समतुल्य) लाइनों का उत्पादन कर वृद्धि करना। इस सम्बन्ध में विदेशों से प्राप्त सहयोग के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

(तीन) नैनी और बंगलोर स्थित दो कारखानों में समसामयिक डिजाइन के 10 लाख टेलीफोन उपकरण तथा इसके 15 लाख प्रमुख उप-घटक बनाने की क्षमता स्थापित करना। सहयोगी का अन्तिम रूप से चयन करन तथा परियोजना की मंजूरी आदि के लिए कार्रवाई जारी है।

(चार) बंगलोर और नैनी के पारेषण प्रभागों में चैनलिंग/मल्टीप्लेक्सिंग उपस्कर की उत्पादन क्षमता स्थापित करना। सहयोगी के अन्तिम रूप से चयन तथा परियोजना की मंजूरी आदि के लिए कार्रवाई जारी है।

(पांच) बंगलोर और नैनी में इस समय मैसर्स तामुरा इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, जापान के सहयोग से इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे टेलीफोन उपकरणों में लगाने के लिए प्लास्टिक इन्टेसिव डायलों की उत्पादन क्षमता स्थापित करना। बगलोर में इसके लिए पुर्जे जोड़न (असेम्बली) का काम शुरू हो चुका है।

(छः) अनेक दूरसंचार उपस्कर की उत्पादन क्षमता स्थापित करना, जैसे प्रतिवाहक एक सरणि (एस० सी० पी० सी०) भू-संचार उपस्करों का बगलोर में तथा अति उच्च आवृत्ति/परा उच्च आवृत्ति प्रणाली आदि के उपस्करों का बगलोर नैनी के दो कारखानों में उत्पादन।

नये 20 सूत्री कार्यक्रम को देखते हुए बिजली की दरों में परिवर्तन

5831. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 20-सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विशेषरूप से राज्य सरकारों द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस समय चलाई जा रही पेय जल की योजनाओं के लिए बिजली की वर्तमान दरों में परिवर्तन करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने कृषि कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बिचार किया है ताकि खेतों में लगे पम्पसेटों को अधिक समय तक बिजली मिल सके और वे देश के कृषि उत्पाद बढ़ाने में सहायक हो सकें ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लेखित मामलों में पंजाब सरकार को सहायता देने के बारे में क्या विशेष कार्यवाही की है ; और

(घ) पंजाब राज्य के लिए उपर्युक्त परियोजनाओं में तीव्रता लाने हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि का आबंटन करने पर विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के लिए विद्युत टैरिफ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाते हैं।

कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत सप्लाई करने को अति उच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकारें/राज्य बिजली बोर्ड कृषि पम्पसेटों को 5 से 12 घन्टे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई कर रहे हैं।

(घ) छठी योजना के दौरान पंजाब में विद्युत विकास के लिए 73 2.94 करोड़ रुपये के परिव्यय पर विचार किया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मांगी गई धनराशि

5832. **श्री रेणुपद दास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्र सरकार से वर्ष 1981-82 के दौरान कितनी धनराशि की मांग की थी ;

(ख) क्या सरकार ने बिजली बोर्ड द्वारा मांगी गई कुल राशि दे दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वास्तव में उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ;

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) वार्षिक योजना 1981-82 विषयक विचार विमर्श के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लिए 189.25 करोड़ रुपए के परिव्ययों के बारे में प्रस्ताव भेजे थे। इन पर योजना आयोग में विचार विमर्श किया गया था राज्य सरकार के साथ परामर्श करके 162.85 करोड़ रुपएं का परिव्यय स्वीकृत किया गया था।

कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के उत्पादकों को हो रही कठिनायां

5833. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिय सल्फेट उर्वरकों के उत्पादकों को यूरिया डी० ए० पी० जैसे सांविधिक रूप से नियंत्रित उर्वरकों के साथ प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पादों की बिक्री करने में गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ।

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों श्रेणियों में अवधारण मूल्य सूत्र एक समान नहीं है। और पहली श्रेणी के उर्वरकों को वे लाभ कहीं मिलते जो लाभ नियंत्रित मूल्यों वाले उर्वरकों को दिए जाते हैं ; और

(ग) क्या पहली श्रेणी के उर्वरकों के उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें भी नियंत्रित मूल्य वाले उर्वरकों के उत्पादकों की बराबरी पर लाया जाये और यदि हां तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) निर्माताओं द्वारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट की बिक्री में कुछ समस्याओं की सूचना सरकार को दी गई है।

(ख) कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट जो कानूनी मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं है, पर प्रतिधारणा मूल्य योजना लागू नही है।

इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

4834. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ने इन्द्रावती से जल विद्युत उत्पादक स्टेशन का निर्माण कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता ऋण के बतौर दी जाने वाली है ;

(ग) क्या उड़ीसा को चालू वित्तीय वर्ष में यह धनराशि उपलब्ध हो जाएगी ; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना के शुरू हो जाने पर कुल कितने मेगावाट जल विद्युत पैदा हो सकेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) जी, हां। उड़ीसा की अपर इन्द्रावती परियोजना, जिसमें 120-120 मेगावाट की 5 यूनिटें (कुल 600 मेगावाट) प्रतिष्ठापित किये जाने की परिकल्पना की गई है, वित्त वर्ष 1983 में विश्व बैंक ग्रुप सहायता के लिए प्रस्तावित की गई है। बैंक सहायता के लिए परियोजना का पूर्व मूल्यांकन करने के सिलसिले में विश्व बैंक दल ने हाल ही में परियोजना स्थल का दौरा किया था। तथापि, विश्व बैंक द्वारा अभी इस परियोजना का अन्तिमरूप से मूल्यांकन किया जाना है, उसके पश्चात ही,बैंक सहायता की राशि आदि का पता चल पाएगा।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

5835. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग द्वारा पिछले दो सालों के दौरान पेश किए गए प्रतिवेदनों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से कोई मामले हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले कौन से हैं ; और

(ग) उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) से (ग) एकाधिकार क्या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, के उपबन्धों के उल्लघन से, या तो इसकी धारा 13 अथवा धारा 37 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यापार आदेशों, इसके किन्हीं भी उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के आदेशों, के उल्लंघन तथा इस अधिनियम के अध्याय 8 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाहियों का उल्लंघन, उपलक्षित होता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत 1980 व 1981 के वर्षों की रिपोर्टों में वर्णित इसके आदेशो के उल्लघन युक्त मामलों, तथा इन मामलों में की गई कार्यवाही, के ब्यौरे का संलग्न विवरण पत्र में उल्लेख किया गया है।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को 1980 व 1981 के वर्षों की रिपोर्टों में वर्णित, इसके आदेशों को पालन न करने के परिणामस्वरूप, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघनों के मामलों के ब्यौरे।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	आरोपों की प्रकृति	आयोग द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	मै० बसन्त रेडियो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स, इन्दौर	आयोग द्वारा इसकी जांच सं० 3/1978 में पारित इसके दिनांक 22-8-1978 के आदेश का पालन न करना।	आयोग ने कपनी को दिनांक 28-8-1980 को एक कारण बताओं नोटिस प्रेषित किया। कार्यवाहियों से, कंपनी द्वारा आदेश के पालन न करने का कोई पता नहीं चला। तदनुसार, आयोग ने अपने दिनांक 12-6-1981 के आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया।
2.	मै० बैस्टर्न इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	आयोग द्वारा इसको जांच सं० 90/1975 में पारित इसके	आयोग ने कंपनी को दिनांक 17-2-1981 को एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया। आयोग ने कार्यवाहियों के अभिलेखों

1	2	3	4
		दिनांक 9-7-1976 के "बन्द करो और कभी न करो" आदेश का पालन न करना।	के आधार पर अपने दिनांक 17-10-1981 के आदेश के अनुसार साथ-साथ अवलोकित किया कि कंपनी इसके आदेश के पालन न करने सम्बन्धी आरोपों के विरुद्ध अपने बचाव के लिए उत्सुक नहीं थी, अत: आयोग ने निदेशक को निर्देश दिया कि वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, की धारा 57 के साथ पठति, धारा 50 के अन्तर्गत आवश्यक कदम उठाये तथा इसकी धारा 59 के अन्तर्गत, अपराध को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को लिखित रिपोर्ट करे। कंपनी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र भी दिया है, जो आयोग के समक्ष अनिर्णीत है।
3.	मै. गोपाल मैटल एण्ड वुडवर्क्स अलीगढ़ तथा अलीगढ़ पैडलाक के अन्य निर्माता	आयोग के दिनांक 23-10-1978 के "बन्द करो और कभी न करो" आदेश का पालन न करना।	आयोग ने दिनांक 28-5-1981 को एक कारण बताओ आदेश पारित किया है। आगे कार्यवाहियों आयोग के समक्ष अनिर्णीत है।
4.	मै० टैक लारी ओनर्स एसोसियेशन	आयोग के दिनांक 22-12-1980 के आदेश को पालन न करना।	आयोग ने एसोसियेशन को दिनांक 23-3-1981 को एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया है। एसोसियेशन ने पालन करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जो ठीक माना गया, अत: आयोग ने 13-7-1981 को निर्णय दिया कि ऊपर कथित कारण बताओ नोटिस पर कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
5.	मै० महाराष्ट्र टैंक लारी ओनर्स एसो-	आयोग के दिनांक 20-12-1980 के	आयोग ने एसोसियेशन को दिनांक 28.1-1981 को एक कारण बताओ

1	2	3	4
	सियेशन	"बन्द करो और कभी न करो" आदेश का पालन न करना।	नोटिस प्रेथित किया। एसोसियेशन ने आयोग को सूचित किया कि उन्होंने दिनांक 18-12-1980 की आपत्तिकारी अधि-सूचना को 19-12-1980 को वापिस ले लिया है, एवं 16-3-1981 को प्रेषित नवीन अधिसूचना द्वारा उन्होंने आयोग के दिनांक 20-12-1980 के आदेश का पालन किया है अत: एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस, आयोग के दिनांक 25-5-1981 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।
6.	मै. क्लोराइड इंडिया लि.,	आयोग के, इसकी जांच सं. 42/1977 में पारित दिनांक 5-12-1980 के 'बंद करो और कभी न करो' आदेश का पालन न करना।	कंपनी को कारण बताओ नोटिस प्रेषित करने के पश्चात्, आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एव परिस्थितियों की परीक्षा करने पर, अपने दिनांक 21-12-1981 आदेश द्वारा अपने दिनांक 5-12-1980 के आदेश के उल्लंघन के लिए कंपनी पर अभियोग चलाने का निदेश दिया। तथापि, कंपनी ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र दिया, एवं आयोग ने इसके पश्चात् अपने दिनांक 19-3-1982 के आदेश से, कुछ निबन्धनों के साथ अपने दिनांक 21-12-1981 के अभियोग चलाने के आदेश को रद्द कर दिया।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

5836. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1982-83 के दौरान कितने टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे टेलीफोन केन्द्रों का ब्योरा क्या है, जो पहले से ही निर्माणाधीन

हैं अथवा जिन्हें सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है तथा वहां कितने टेलीफोन केन्द्रों को स्वचलित बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन केन्द्रों के सुधार के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) लगभगग 30, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध रहे।

(ख) छोटे नये एक्सचेंजों का सही स्थान, उपस्कर, प्राप्त होने के समय की मांग पर निर्भर करता है। छठी योजना के दौरान स्वचलीयकरण किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) एक्सचेंजों के कार्य रिष्पादन में निरंतर मनीटरिग और व्यापक रख-रखाव के प्रयास द्वारा सुधार किया जा रहा है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में उन करचल टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम जिन्हें छठी पचवर्षीय योजना के अत तक स्वचलीकरण के लिए मंजूर कर दिया गया है।

1. आमलापुरम
2. एलुरु
3. जगतियल
4. कुरनूल
5. कोथा गुदेम
6. कामारेड्डी
7. मिरयाल गुछा
8. मदनापल्ली
9. निजामाबाद
10. नरतारा ओपेट
11. रावुला पलम
12. सामलकोर
13. तिनाली
14. तानुकु
15. तुनी

टेलीफन सेवाओं में सुधार के लिए "डिजोटल" प्रोद्योगिकी शुरू किया जाना

5837. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार के लिए "डिजीटल" प्रौद्योगिकी शुरू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) चालू योजना के दौरान अंकीय इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । आयातित प्रौद्योगिकी सहित इन एक्सचेंजों के उत्पादन हेतु दो नई फैक्टरियों, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 5 लाख लाइन प्रतिवर्ष है, की योजना बनाई गई है । मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग की पालघाट यूनिट का भी अंकीय टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर के उत्पादन हेतु प्रतिवर्ष 1.5 लाख समान लाइनों की क्षमता का विस्तार किया जायेगा । प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु चुने गए सहयोगक (सहयोगकों) से प्रारंभिक चरण में कुछ तैयार उपस्कर आयात करने की योजना भी बनाई गई है ।

(ग) पालाघाट यूनिट का विस्तार करने हेतु आमंत्रित विश्व-जनीन निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है । दो नई फैक्टरियों के लिए विश्व-जनीन निविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 31-3-1982 है ।

पुश टेलीफोन उपकरणों का आयात

5838. **श्री अर्जुन सिंह सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एशियाई खेलों के दौरान उपयोग के लिए पुश बटन टेलीफोन उपकरणों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देशी इलैक्ट्रिक एककों से उन्हें प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है;

(ग) क्या सरकार ग्राहकों को मानव चालित या पुश बटन उपकरण देने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो पुश बटन उपकरण शुरू करने की सम्भावना कब तक है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकार उपभोक्ताओं को हस्तचालित सामान्य टेलीफोन प्रदान करने की स्थिति में है । प्लग एवं साकेट पर एक्सटेंशन के बतौर डाक-तार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करके उपभोक्ता भी अपने पुश बटन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं ।

जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण

5839. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत के मामले में प्रायः जनजातीय गांवों की उपेक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय गांवों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे जनजातीय गांवों की संख्या कितनी है जिनको छठी योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों मे बिजली दी जानी है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में ऐसे जनजातीय राज्यों की संख्या कितनी है जिनको अब तक बिजली दी जा चुकी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। ग्राम विद्युतीकरण निगम आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को आसान शर्तों तथा प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता देता है।

(ग) छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान स्वीकृत की जाने वाली ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 15,000 गांवों के विद्युतीकरण किये जाने की आशा है।

(घ) जून, 1981 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में 24,011 आदिवासी गांव विद्युतीकृत किये गए हैं।

रोजगार समाचार के लिये विज्ञापनों का आरक्षण

5840. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह देखा है कि विज्ञापन दाता अपने विज्ञापन केवल बड़े समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को ही देते है (अंग्रेजी तथा भाषाई) ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी नीति निर्णय करने का है कि विभिन्न मंत्रालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के चतुर्थ श्रेणी सेवाओं सहित "नियुक्त और भर्ती" के सभी विज्ञापन "रोजगार समाचार" (और उसके भाषाई संस्करणों) में तथा देश में छोटे अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। प्रमुख समाचार-पत्रों/नियतकालिक-पत्रों के लिए निजी विज्ञापनदाताओं की तरहीज सर्वविदित है।

(ख) और (ग) पर्याप्त समय होने पर सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित भर्ती सम्बन्धी सभी विज्ञापनों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा "एम्पलायमेंट न्यूज"/"रोजगार समाचार" में प्रकाशित किया जाता है। तथापि, विज्ञापनों को जारी करने के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ स्वायत्ता प्राप्त है और वे सभी अपने विज्ञापनों को विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी नहीं करते। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस बात के लिए राजी करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं कि वे अपने अधिक से अधिक विज्ञापनों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी करें।

नरसापुर आन्ध्र प्रदेश में गैस के लिए खुदाई

5841. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में नरसापुर स्थान में गैस के संकेत प्रथम बार 1980 में मिले थे ;

(ख) क्या उस समय से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई करने के लिए आगे कदम उठाये गये हैं ;

(ग) यदि ऐसा किया जा चुका है तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और क्या गैस के निक्षेप वाणिज्यिक उपयोग के लिये पर्याप्त हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) नरसापुर संरचना के पहले कुंए में दिसम्बर, 1979 में हुए धमाके से गैस की विद्यमानता का पता चला था।

(ख) इसके बाद नरसापुर-2 औरराजोल-1 नामक दो और कुंओं को व्यधन के लिए गया है। नरसापुर की प्रायोजित गहराई 5000 मीटर है और इसको 3401 मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है। राजोल -1 को 4500 मीटर की लक्षित गहराई की तुलना में 4501 मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है।

(ग) और (घ) : आन्ध्र प्रदेश में हाईड्रो-कार्बन की अभी तक कोई व्यापारिक खोज नहीं की गई है और आगे बिना अन्वेषण और मूल्यांकन किये बिना इस स्थिति में क्षेत्र की भावी संभावनाओं के बारे में कुछ कहना कठिन है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा समाचार एजेंसियों को की गई अदायगियों की दरों में असंगति।

5842. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा विभिन्न समाचार एजेंसियों को की जा रही अदायगियों की दरों में असंगति हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा विभिन्न समाचार एजेंसियों को किन दरों पर अदायगयां की जाती हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा दरों में असंगति को दूर करने के लिए कार्रवाही कि जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं । समाचार एजेन्सियों को किया जाने वाला भुगतान प्रत्येक द्वारा प्रदान की गई सेवा पर निर्भर करता है जो प्रत्येक एजेंसी द्वारा समाचारों के कवरेज की मात्रा पर निर्भर करती है ।

(ग) वर्तमान दरें नीचे दी गई है :—

पी० टी० आई०	2,59,000 रुपए प्रतिमास
यू० एन० आई०	1,93,000 रुपए प्रतिमास
हिन्दुस्तान समाचार	40,300 रुपए प्रतिमास इसमें क्षेत्रीय समा-
समाचार भारती	35,500 रुपए प्रतिमास चार यूनिटों को समाचारों की सप्लाई के लिए भुगतान भी शामिल है ।

(घ) समूचे मसले पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों की एक समिति गटित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं । सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है । सिफारिशें विचाराधीन है ।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

क. भुगतान के लिए सिद्धान्त

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा समाचार एजेन्सियों को अशंदान के लिए भुगतान के लिए सिद्धान्त निम्नलिखित होने चाहिए :—

1. भुगतान सर्वथा और एकमात्र गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए अर्थात समाचार एजेन्सियों द्वारा दी गई सेवाएं ।

2. इस प्रकार की सेवा दक्ष और उपयोगी होनी चाहिए तथा वह आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करे ।

3. समाचार एजेंसी (एजेन्सियों) और उनकी संख्या का चयन आकाशवाणी और दूरदर्शन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए।

4. आकाशवाणी द्वारा किए जाने वाले भुगतानों में उत्पादन का कोई तत्व शामिल नहीं होना चाहिए।

5. समिति ने यह नोट किया कि आकाशवाणी अपने ढांचे पर प्रति वर्ष 55 लाख रु० खर्च कर रही है जो कुल समाचार सामग्री की लगभग 69 प्रतिशत सामग्री उपलब्ध करता है और इसलिए समाचार एजेंसियों को भुगतान सामान्यतया इतना ही होना चाहिए।

ख. उन एजेंसियों की संख्या जिनका ग्राहक बनना है

6. आकाशवाणी को अंग्रेजी की एक ही समाचार एजेन्सी का ग्राहक बन करके अपने समाचार बुलेटिनों को पोषित करने के लिए अपनी सभी आवश्यकताओं को प्राप्त कर पाना चाहिए।

7. आकाशवाणी के लिए एक भाषाई समाचार एजेन्सी से ही सेवाएं प्राप्त करना पर्याप्त होना चाहिए।

ग. भुगतान का नया फार्मूला

8. समाचार एजेन्सियों को वर्ष 1981-82 के दौरान सभी चार एजेन्सियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए, एक बारगी व्यवस्था के रूप में वर्ष 1980-81 के लिए टेलीप्रिन्टरों के किराए के लिए भुगतान की गई राशि को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को भुगतान की गई राशि से 20 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाए। वर्ष 1981-82 के लिए टेलीप्रिन्टरों के किराए के लिए भुगतान की जाने वाली राशि वही होगी जो वर्ष 1980-81 में थी।

9. वर्ष 1982-83 के दौरान और उसके बाद अंग्रेजी या हिन्दी की समाचार एजेन्सियों को देय राशि में टेलीप्रिन्टरों द्वारा या दस्ती प्रदतन की गई सेवाओं सहित सभी सेवाओं के प्रभार शामिल होंगे ; टेलीप्रिंटर के रूप में या दस्ती डिलीवरी के लिए कोई प्रभार देय नहीं होंगे।

10. एक अंग्रेजी की और एक भाषाई समाचार एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित पैरा 5.8 और 5.12 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की संविदा अवधि के लिए भुगतान से 5 प्रतिशत अधिक भुगतान करना चाहिए सिफारिश संख्या 8 के अनुसार संविदा अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात 1982-83 के लिए देय राशि टेलीप्रिंटर सेवा के लिए भुगतान की गई राशि सहित संबंधित समाचार एजेन्सी को वर्ष 1981-82 के लिए किए गए भुगतान की राशि जमा उस राशि की 5 प्रतिशत होगी।

11. तथापि, यदि सिफारिश संख्या 10 के अनुसार देय राशि किसी भी विशिष्ट वर्ष में इस राशि से कम हो तो भाषाई समाचार एजेन्सी को प्रति वर्ष न्यूनतम सात लाख रुपए का भुगतान किया जाए।

12. भुगतान उन केन्द्रों, जिनमें एजेन्सी द्वारा सेवा उपलब्ध की जा रही है, में सेवा के वर्तमान स्तर पर सेवा के लिए है। इस प्रकार के केन्द्रों की सूची किए जाने वाले करार के साथ लगाई जानी चाहिए।

13. नया फार्मूला 1-4-1982 से 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रह सकता है।

14. यदि सेवा की मांग की गई हो तथा करार में असम्मिलित केन्द्रों के लिए प्रदान की गई हो तो अतिरिक्त भुगतान 1000 रुपए प्रति महीने की दर पर टेली-प्रिंटर किराए के रूप में हो सकता है।

15. समाचार एजेन्सी (एजेन्सियों) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के स्वरूप को वर्ष के अन्त में आन्तरिक रूप से संतोषजनक प्रमाणित किए जाने के बाद भुगतान किए जाने के लिए वर्ष के दौरान देय कुल राशि का 10 प्रतिशत भाग अलग रख लेने की वर्तमान परिपाठी को जारी रखा जा सकता है। किए जाने वाले करार में एक उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

16. रोकी गई राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद एक महीने के भीतर शीघ्र कर दिया जाना चाहिए।

17. यदि प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक हो तो सरकार तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले भी मामूले पर पुनर्विचार कर सकती है।

घ. समाचार एजेंसियों के निदेशक मंडलों में आकाशवाणी का प्रतिनिधित्व

18. भविष्य में जिन समाचार एजेन्सियों का ग्राहक बनाने का प्रस्ताव हो, उनके निदेशक मंडलों में आकाशवाणी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि एक एकल यूनिट के रूप में, आकाशवाणी का भाग समाचार एजेन्सियों द्वारा सभी दैनिक समाचार पत्रों से प्राप्त किए गए अंशदान 1/3 से कुछ अधिक ही था।

19. नए करार के करने से पहले ही आकाशवाणी द्वारा चुनी गई एजेन्सी (एजेन्सियों) के मंडल में इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के लिए लिखित में अनुरोध किया जाना चाहिए।

20. यह वांछनीय है कि कोई औपचारिक करार करने से पूर्व सम्बन्धित एजेंसी/एजेंसियों से मंडल में आकाशवाणी को प्रतिनिधित्व देने के लिए लिखित सहमति

प्राप्त कर ली जाए। इसका करार में उल्लेख होना चाहिए या अनुरोध और स्वीकृति की प्रतियां उनके साथ लगाई जानी चाहिएं।

21. आकाशवाणी को चाहिए कि इस बात पर नजर रखे कि आर्टिकल्ज ऑफ एसोसिएशन या उप-नियमों में संशोधन किए जाने या निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक संकल्प पारित किए जाने, जैसा भी मामला हो, की औपचारिकताएं पूरी हों।

समाचार भारती

5843. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी समाचार एजेंसी समाचार भारती, जो कि एक लिमिटेड कम्पनी है ; ने अपनी वार्षिक विवरणी किस तारीख तक फाइल की हैं ; और

(ख) विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए कम्पनी, जिसके अधिकतर शेयर सरकार के है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री(श्री ए० ए० रहीम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159/162 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियां 30.6.1977 तक प्रस्तुत की गई है।

(ख) वार्षिक विवरणों को सम्मलित करते हुए, विलम्ब दस्तावेजों को न प्रस्तुत न करने पर, कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में दूर संचार में सुधार

5845. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में दूरसंचार में सुधार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) सुन्दरवन के कैनिंग स्थित मुख्यालय को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तथा अन्य प्रमुख नगरों से प्राथकिता ट्रंक डायल पद्धति से जोड़ने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या वर्षा काल में सारी दूरसंचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती ; और

(च) इस अवधि के दौरान प्रणाली के सामान्य कार्यकरण को बनाए रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र दूरसंचार सुविधाओं में सुधार की प्रगति इस प्रकार है :—

(1) 1-4-81 से प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या-68

(2) 1-4-81 से खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों संयुक्त डाक-तार घरोसंख्या-10

(3) बरुईपुर में नया ट्रंक केन्द्र संस्थापनाधीन है।

(4) जयनगर और कैनिंग को बरुईपुर स्थित ट्रंक केन्द्र से जोड़ने के लिए ३ चेनल ओपन वायर कैरियर प्रणाली मंजूर की गई है।

(क) कैनिंग स्थित मौजूदा एक्सचेंज को अगली पंचवर्षीय योजना में समुचित किस्म के एक स्वचल इक्सचेंज द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है तथा इसके पश्चात एस० टी० डी० प्रदान किये जाने की आशा है।

(ग) टेलीफोन सेवा वर्षा के मौसम के दौरान कुछ सीमा तक प्रभावित होती हैं। खुदाई करने वाली अन्य एजेन्सियों द्वारा क्षतिग्रस्त स्थानों में पानी केबल में प्रविष्ट हो जाता है।

(घ) मानसून अवधि के दौरान दूरसंचार सेवाओं की संतोषजनक कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष वाह्य संयंत्र का मानसून से पूर्व निवारक अनुसरण कार्यान्वित किया जाता है।

मथुरा तेलशोधन कारखाने में नियुक्तियां

5846. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा तेलशोधक कारखाने में 1 जनवरी, 1982 के बाद नियुक्तियों के लिए चुने गये व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उनके ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : 1 जनवरी 1982 के पश्चात मथुरा शोधनशाला में नियुक्ति के लिये 25 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसके ब्यौरा नीचे दिये गये हैं :

क्रम सं०	चयन किये गये व्यक्तियों की सं०	पद का नाम (पदनाम)	वेतनमान
1.	2	इन्जीनियरी सहायक(सिविल)	495-1033
2.	2	ड्राफ्टसमैन	450-877
3.	9	फायर फायरिंग तथा सैफ्टी आपरेटर ग्रेड "डी"	360-624
4.	1	टेलीफोन आपरेटर	360-624
5.	8	ड्राइवर	360-624
6.	1	सहायक सफाई निरीक्षक	395-756
7.	1	हस्पताल परिचायक (महिला)	275-451
8.	1	कुक-कम-वेयरर	275-451

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विभाजन

5847. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दो भागों में बांटने के कथित कदम के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के अनेक एककों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बटवारे के सम्बन्ध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को ज्ञापन भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दो भागों में बांटने के प्रस्ताव पर विचार के पीछे कारण एवं तर्क क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को किसी यूनिट में विभाजित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कार्मिक विभाग के अधिकारियों में अनुसूचित जातीय/अनुसूचित जन-जातियों व्यक्ति

5848. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कार्मिक विभाग के अधिकारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों की प्रतिशतता क्या है और तथ्यों के ब्योरे क्या हैं ;

(ख) क्या आरक्षण के बारे में सरकार की नीति का पालन नहीं किया गया है ;

(ग) क्या जन-जातिय अधिकारियों की बिल्कुल कमी के कारण श्रमिकों के साथ, जिनकी भारी प्रतिशतता जनजातिय लोगों की है, विशेषरूप से भाषा के मामले में बातचीत में बहुत दिक्कतें उत्पन्न होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) भा० को० को० लि० के कार्मिक विभाग के कुल अधिकारियों में से 5·2 प्रतिशत अनु० जातियों/अनु० जन जातियों के हैं।

(ख) आरक्षण के बारे में सरकारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई को सीधी ट्रंक डायल प्रणाली से दिल्ली एव लखनऊ से जोड़ना

5849. **श्री मन्नी लाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जिला हरदोई को सीधी ट्रंक डायल प्रणाली से दिल्ली एवं लखनऊ तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जायेगा ; और

(घ) क्या इस मामले में पहले भी कोई कार्यवाई की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र तकवाना) (क) जी हां।

(ख) विभिन्न संयोजित कार्यों के लिए आवश्यक प्राक्कलन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस सुविधा की व्यवस्था हेतु योजना पूरी हो गई है।

भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर यूनिट के लिए कोयले की ढुलाई हेतु ठेका दिया जाना

5850. **श्री अशफाक हुसेन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम को गोरखपुर यूनिट में पिछले तीन वर्षों में कोयले की मासिक कितनी खपत हुई,

(ख) कोयला क्षेत्रों से गोरखपुर तक कोयले की ढुलाई का माध्यम क्या था ;

(ग) यदि उसकी ढुलाई सड़क परिवहन से की गई थी तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्रों से गोरखपुर यूनिट तक कोयले की ढुलाई हेतु स्वीकार किये गये टेंडरों का ब्योरा क्या है ;

(घ) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिनकी निविदायें अन्तिम रूप से मानी गई और ठेका किन दर पर दिया गया ;

(ङ) क्या सबसे कम दर के प्रस्ताव की निविदा वाले व्यक्ति ठेका को दिया गया था ;

(च) यदि नहीं, तो सबसे कम दर वाली निविदा ठेका न दिये जाने का क्या कारण है, और

(छ) क्या निविदायें आमंत्रित करने वाले नोटिस में दण्ड अथवा बोनस सम्बन्धी कोई शर्त सम्मिलित थी, यदि हाँ, तो उन पार्टियों की संख्या क्या है जिन्हें दण्डित किया गया है अथवा बोनस दिया गया है और उसकी राशि का ब्योरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर यूनिट में पिछले तीन वर्षों में कोयले की मासिक खपत अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में कोयला क्षेत्रों से गोरखपुर तक कोयले की ढुलाई रेल और सड़क दोनों साधनों द्वारा की गई है।

(ग) और (घ) उन ठेकेदारों के नाम जिनको अन्तिम रूप से ठेके दिए गए थे, निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	ठेकेदार का नाम	दर/मी० टन	टिप्पणी
1979-80	मैं० भारत रोडवेज	रु० 207/-	डीजल और ट्रकों की अनुरक्षण लागतों में सामान्य वृद्धि के कारण बाद में यह दर 252 रु० तक संशोधित की गई थी
1980-81	मे० जीवनदास, गोरखपुर	रु० 257/-	करनपुरा क्षेत्र से कोयले के परिवहन हेतु
	मैं० कनोडिया इन्टर-प्राइजेज, देवरिया	रु० 257/-	करनपुरा क्षेत्र से कोयले के परविहन हेतु
	मैं० एस० एन० ट्रान्सपोर्ट झरिया	(क) रु० 275/-	झरिया क्षेत्र से कोयले के परिवहन हेतु
		(ख) रु० 257/-	करनपुरा क्षेत्र से कोयले के परिवहन हेतु।
1981-82	मैं० एस० एन० ट्रान्सपोर्ट, झरिया	रु० 225/23	
	मैं० अशोक कोल ब्यूरो, गोरखपुर	रु० 225/23	
	मैं० शक्ला एण्ड कं० देवरिया	रु० 225/23	
(ङ) और (च)			
1979-80	ठेका प्रारम्भ में निम्नतम बोलीदाता मैं० गुप्ता कैरिअर्स आफ इण्डिया		

कलकत्ता को दिया गया था, जो अपने वायदे से हट गया । द्वितीय निम्नतम बोलीदाता, मै० सुपर ट्रान्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन ने बातचीत में भाग नहीं लिया । इसलिए 207/- रु०/मी० टन की दर पर तीसरे निम्नतम बोलीदाता मै० भारत रोडवेज कलकत्ता को ठेका दिया गया था ।

1980-81 पात्र टेण्डर दाताओं से बातचीत के पश्चात तीन पार्टियों को चुना गया था और समझौते की निम्नतम दरों पर ठेका दिया गया था ।

1981-82 प्रथम पांच निम्नतम बोलीदाताओं में से निम्नतम बोलीदाता और चतुर्थ बोलीदाता को अनुभव की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया था अत: अन्य तीन बोलीदाताओं को 225.23 रुपए प्रति मी० टन की एक समान दर पर ठेका दिया गया था ।

(छ) उपरोक्त समस्त ठेकों में दण्डात्मक धारा शामिल की गई थी । मै० भारत रोडवेज, कलकत्ता पर उनके वर्ष 1979-80 के ठेके के सम्बन्ध में दण्डात्मक धारा लागू की गई थी । तथापि, दण्ड के रूप में रोकी गई धनराशि के विरुद्ध पार्टी ने न्यायाधिकरण से मामला उठाया और उनके पक्ष में फैसला किया गया था । इन ठेके में बोनस का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, नाजुक स्टाक स्थिति के कारण कोयले के तीव्र परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए केवल एक माह की अवधि के लिए जब कोयले के स्टाक की स्थिति नाजुक स्तर तक पहुंच गई, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बोनस की स्वीकृति दी गई थी ।

क्र० स०	परिवहनकर्ता का नाम	भुगतान किए गए बोनस की धनराशि
1.	मै० एस० एन० ट्रान्सपोर्ट, धनवाद	रु० 96,685,00
2.	मै० कनोजिया इन्टरप्राइजिज देवरिया	रु० 57,248,00
3.	मै० जीवनदास, गोरखपुर	रु० 39,040,00

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए कोयले की क्षपत का विवरण

माह	वर्ष 1979-80	वर्ष 1980-81	वर्ष 1981-82
अप्रैल	5918	6705	10392
मई	9285	4945	7577
जून	8130	4497	7746

1	2	3	4
जुलाई	10765	4745	9163
अगस्त	9384	8267	9830
सितम्बर	6046	8523	9372
अक्तूबर	8427	9435	7658
नवम्बर	6930	9500	6682
दिसम्बर	4418	6200	7898
जनवरी	5292	8520	8324
फरवरी	4908	7343	9275
मार्च	6236	8730	11336 (लगभग अनुमानित खपत)
कुल खपत	85729	87410	104261

टेलीफोन की बकाया राशियां

5851. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन जिला में वर्तमान टेलीफोन प्रयोक्ताओं की ओर 28 फरवरी, 1981 के दिन कुल कितनी राशियां, क्षेत्रवार बकाया थी ; और

(ख) उत्तर दक्षिण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी ओर 10 हजार से अधिक की राशियां बकाया है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

यातायात ड्यूटी पर नियुक्त विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध सेशन न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां

5852. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेशन न्यायालय ने यातायात सम्बन्धी नियमों के अतिक्रमण के मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली में नियुक्त किए गए विशेष महानगर मजिस्ट्रेटो पर प्रतिकूल टिप्पणियां की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मजिस्ट्रेटों द्वारा किए गए कौन से अतिक्रमण न्यायपालिका के ध्यान में आए हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने दो विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित किए गए उन आदेशों से, जिनमें मोटरयान अधिनियम के उपबन्धों के अतिक्रमण के लिए सिद्धदोष करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया गया था, उद्भूत तीन अपीलों को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की थी कि अपराधी के विचारण में उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियां हैं।

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 में जिस प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है उसे नहीं अपनाया गया। इस धारा में मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की गई है कि वह अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पूर्व अभियुक्त का अभिवाक् यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करें जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है ;

(2) अभियुक्त का विचारण उसे सुने जाने का या उसे काउसल नियुक्त करने का कोई अवसर दिए बिना कर दिया गया ;

(3) पुलिस प्राधिकारियों को इस बात की इजाजत दी गई थी कि वे विधि द्वारा दिए गए प्राधिकार के बिना विधि विरुद्ध निरुद्ध करें ;

(4) यानों को परिबद्ध कर लिया गया था और पहले से निश्चित निर्णय द्वारा जिसमें नपी-तुली भाषा का प्रयोग किया गया था यथासंभव अधिकतम जुर्माना विधि द्वारा दिए गए प्राधिकार के बिना अधिरोपित किया गया था।

किन्तु उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन इस मामले में अपीलकर्ताओं और प्रत्यार्थियों को तथा दिल्ली प्रशासन के स्थायी काउन्सेल को भी सूचना जारी की है।

(ग) इस प्रक्रम पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

डाक-तार विभाग में कनिष्ठ इन्जीनियरों की पदोन्नति

5853. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अनुसार कार्यनिष्पादन गुण तथा क्षमता का सेवा ज्ञापन में लिखा जाना अपेक्षित होता है जिसके आधार पर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाती है तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर की जाती है तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा डाक-तार विभाग सेवाओं में कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के बारे में निर्णय करते समय संवीक्षा की जाती है; और

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में विशेष रूप से बिहार में पदोन्नतियों के बारे में निर्णय करने से पूर्व उपरोक्त सेवा ज्ञापन लिखे गये, प्रतिहस्ताक्षर किये गए तथा उनकी संविक्षा की गई और यदि नहीं, तो क्या सभी गोपनीय रिपोर्टों को रद्द किया जाना है और उनकी पुनरीक्षा की जाती है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट उनके आसन्न वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन के आधार पर लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के आसन्न वरिष्ठ अधिकारी इन रिपोर्टों की पुनरीक्षा करते हैं। प्रत्येक रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में में "सेवा के ब्यौरे" रखने होते हैं। "सेवा के ब्यौरे" मे उसके ध्यान में आने वाले अच्छे और बुरे कार्य की घटनाए दर्ज की जाती हैं। गोपनीय रिपोर्टों के पुनरीक्षण के समय पुनरीक्षा अधिकारी के पास "सेवा के ब्यौरे" भेजना अपेक्षित नहीं है, न ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति निर्धारण के लिए विभागीय पदोन्नति समिति को भेजना होता है।

(ख) बिहार सहित सभी सर्किलों के लिए कनिष्ठ अभियंताओं से सहायक अभियंताओं में पदोन्नति का नियंत्रण डाक-तार निदेशालय केन्द्रीय रूप में करता है। प्रत्येक बार जैसा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया, गोपनीय रिपोर्टों के इन्राजो की जांच करने के बाद कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंताओं के पद पर पदोन्नत किया गया। अत: गोपनीय रिपोर्टों अथवा उनकी "पुनरीक्षा" को स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

धार्मिक संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्ति

5854. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दरगाहों तथा खानकाहों में प्रशासकों की नियुक्तियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न हिन्दू मठों में इस प्रकार के प्रशासक नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारत के दो समुदायों के बीच भेदभाव करने का क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर को छोड़कर जो अपने ढंग का एक ही दरगाह समझा जा सकता है तथा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अधीन नाजिम नियुक्त करने की शक्ति है, केन्द्रीय सरकार को देश में किसी दरगाह या खान-काहों में कोई प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का नाजिम वास्तव में दरगाह समिति का सचिव होता है और उसके माध्यम से दरगाह समिति

दरगाह विन्यासों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध से सम्बन्धित अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न हिन्दू मठों में प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा करने का कोई आधार नहीं है कि दोनों समुदायों के बीच कोई भेदभाव किया गया है।

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

5855. **पागुन सुन्दरई :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है हालांकि केन्द्र सरकार के इस बारे में कड़े आदेश हैं कि विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कम से कम सदस्य अवश्य होना चाहिए और सभी वर्गों के पदों में पदोन्नति के लिए आरक्षण होना चाहिए ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के इस प्रकार के भी आदेश हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जिस नियुक्ति समिति ने 21/22 जनवरी, 1982 को साक्षात्कार लिया उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई भी सदस्य नहीं था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन के लिए सरकारी निदेश मे यह विचार किया गया है कि जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को शामिल करने के लिए प्रयास करना चाहिये। इजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड विभागीय प्रोन्नति समिति में कंपनी के केवल वरिष्ठ प्रबन्धक हैं और आरक्षित श्रेणियों के एक प्रतिनिधि को सहयोजित करना सम्भव नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मनोनीति प्रतिनिधि जिसे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था, साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सका।

पावर क्राइसिस हिट्स आई० डी० पी० एल० मुजफ्फरपुर शीर्षक समाचार

5856. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इकोनामिक टाइम्स दिनांक 13 फरवरी, 1982 में पावर क्राइसिस हिट्स आई० डी० पी० एल० मुजफ्फरपुर शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या इण्डियन इग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लि० का मुजफ्फरपुर एकक जनवरी, 1980 से बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण समय-समय पर बन्द रहा था, यदि हां तो 1981 में जनवरी से 15 मार्च, 1982 तक इण्डियन इग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० कितनी अवधि के लिए बन्द रहा ;

(ग) पैसे की दृष्टि से कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) उपरोक्त एकक को बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1980 और 1982 के दौरान अनियमित बिजली सप्लाई के कारण यूनिट प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा । इस कारण कलैंडर वर्ष 1980 के दौरान 17 दिनों और 1982 (जनवरी से 15 मार्च तक) के दौरान 23 दिनों के लिए प्लांट बन्द रहा । तथापि वर्ष 1981 के दौरान प्लांट बन्द नहीं हुआ ।

(ग) आई० डी० पी० एल० ने बिजली सप्लाई की अनियमितता/अनुपलब्धता के कारण प्लांट को हुई कुल हानि निम्न प्रकार बताई है : —

1980	—	रु० 71.68 लाख
1981	—	रु० 36.15 लाख
1982	—	रु० 62.10 लाख
[जनवरी से मार्च, 1982 तक]		

(घ) राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्ड से मामला उठाया गया और बिजली बोर्ड ने कम्पनी को सुधरी बिजली सप्लाई का आश्वासन दिया है ।

राजस्थान में पाइराइट्स तथा फास्फेटों पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना करना

5857. **श्री चतुर्भुज** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर जिले में एक फास्फेट सम्पदा तथा जिला सीकर में उपलब्ध फाइराइट्स सम्पदा पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ताकि इन खनिजों को उपयोग में लाया जा सके; और

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) उदयपुर जिले में झामरकोतरा राक फास्फेट पर आधारित फास्फेटिक उवरक प्लांट लगाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिये आवश्यक कार्यवाही पर तभी विचार किया जा सकेगा जब राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किये जा रहे अर्ध वाणिज्यिक सुधार प्लांट तैयार हो जाये और राक फास्फेट के गुणा और मात्रा के बारे मे निश्चित आंकड़े उपलब्ध हो जायें।

मैसर्स पाइराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल्स लि०, भारत सरकार का एक उपक्रम, सल्फुरिक एसिड पर आधारित सीकर जिले के सलादोपुरा से उपलब्ध पाइराइट्स से निर्मित किये जाने वाले फास्फेटिक उर्वरकों के उपयुक्त ग्रेड के निर्माण के लिये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तैयार कर रहा है। इस बारे में आगामी कार्यवाही तभी की जा सकती है जब रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी।

मुख्य डाकघरों में लाइनों में प्रतीक्षारत लोगों की समस्या को हल करने के लिए अशकालिक विक्रेताओं की नियुक्ति

5858. **श्री सी० पलानीअप्पन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सलेम जैसे कुछ मुख्य डाकघरों में व्यस्तता के समय (पीक आचर्स) अपनी जरूरत की चीजों के लिए लोग लम्बे समय तक लाइनों में प्रतीक्षारत खड़े रहते हैं ;

(ख) व्यस्तता के समय लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है ; और

(ग) क्या व्यस्ता के समय कमीशन के आधार पर बिक्री के लिए अशकालिक विक्रेताओं की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सलेम मुख्य डाकघर सहित तमिलनाडु सर्किल स्थित मुख्य डाकघरों में डाकघर काउन्टरों में प्रतीक्षा समय यथोचित ही है।

(ख) व्यस्त घंटों तथा त्योहारों के दौरान जनता की सेवा करने के लिए अतिरिक्त काउन्टर खोलकर विशेष प्रबन्ध किए जाते हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सदर्न पैट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० मद्रास

5859. **श्री सुभाष यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर्न पैट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० मद्रास ने उत्पादन कब शुरू किया था ;

(ख) शुरू में उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और कितते लक्ष्य प्राप्त हुए ;

(ग) क्या इस सदर्न पैट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० ने इन सभी वर्षों के दौरान आज तक लाभ अर्जित किया है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या इस अवधि के दौरान जबकि यह निगम घाटे में चला रहा है प्रबन्धक अपने वेतन बढ़ाते रहे है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) मे० सदर्न पैट्रोकैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० मद्राम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न संयन्त्रों ने नीचे दर्शाई गई तिथियों से उत्पादक प्रारम्भ किया :—

संयन्त्र	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि
अमोनिया	21.6.1975
यूरिया	22.9.1975
सल्फ्यूरिक एसिड	13.12.1975
फास्फोरिक एसिड	7. .1976
यूरिया अमोनियम फास्फेट	7.5.1979
डाइअमोनियम फास्फेट	24.4.1977

(ग) 1975-76 से 1980-81 के दौरान वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धित निम्न प्रकार हैं :—

(पोषक तत्व टनों में)

वर्ष अप्रैल-मार्च	नाइट्रोजन लक्ष्य	नाइट्रोजन वास्तविक	पी 2 ओ-5 लक्ष्य	पी 2 ओ-5 वास्तविक
1975-76	87,860	73,090	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था	शून्य
1976-77	1,81,546	1,49,048		1,472
1977-78	1,80,487	1,82,177	18,919	18,007
1978-79	1,76,670	1,44,195	32,522	32,035
1979-80	1,95,000	2,21,424	36,340	46,923
1980-81	1,92360	2,07,002	54,280	57,960

(ग) प्रारम्भिक वर्षों में कंपनी ने हानि उठाई किन्तु बाद के वर्षों में इसके कार्य निष्पादन में सुधार हुआ। इसने वर्ष 1978-79 से आगे लाभ दर्शाना शुरू कर दिया। लाभ इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये कुल लाभ	(करोड़ रुपए) ब्याज और मूल्यह्रास के पश्चात शुद्ध लाभ
1978-79	29.06	7.79
1979-80	28.98	8·30
1980-81	36.44	14.62

(घ) कंपनी के अनुसार कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित की जाती है। चूंकि कंपनी ने गत वर्षों में अभी तक लाभांश घोषित नहीं किया है कंपनी विधि बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती प्रभावी है।

डा० मुखर्जी नगर में भूमि का आवंटन

5860. **श्री आनन्द सिंह :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० मुखर्जी नगर में पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को भूमि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या इन लाभार्थियों को किंग्सवे कैम्प में अपने पिछले आवासों को खाली करना कानूनी रूप से जरूरी था ;

(ग) क्या उनमें से अनेक लोगों ने यद्यपि मुखर्जी नगर में अपने मकान बना लिए है, फिर भी पिछले आवासों को अभी तक खाली नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो कानूनी को लागू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभी को मेज पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

5861. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) में इस समय सहायक अभियन्ता (सिविल), निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक, आशुलिपिक तथा कनिष्ठ आशुलिपिक और स्टेनो-टाइपिस्टों

के कितने पद हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद हैं :

(ख) क्या यह सच है कि लम्बे समय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत कोटे को पूरा नहीं किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में उपबन्ध में दी गई है ।

(ख) और (ग) विचार क्षेत्र में आने वाले ऐसे अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित रिक्त स्थानों को उपबन्ध में दिखाई गई सीमा तक भर सकना संभव नहीं हो सकता है स्टेनोटाइपिस्ट के ग्रेड में जिनमें कि भर्ती सीधों भर्ती द्वारा की जानी होती है, रिक्त स्थानों को अधिसूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें समग-समय पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं ताकि भर्ती और पदोन्नति विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित कोटे को पूरा किया जाय ।

सहायक इन्जीनियर (सिविल) को सीधी भर्ती के कोटे के 50 प्रतिशत पदों के भरने के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन इन पदों की केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों में से भरने के लिए विज्ञापन देकर, किया जा रहा है ।

प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखत सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने होते हैं । अपवाद सहायक इन्जीनियरी (सिविल) के पदों के बारे में है जो 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने होते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए विचार क्षेत्र कुल रिक्त स्थानों की सख्या का 5 गुना है । पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों को किसी भी श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी कर्मचारी पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का पात्र नहीं है ।

विवरण

क्रम० सं०	पद की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या			भरे गये पदों की संख्या			अभ्युक्ति
			अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए	जोड़	अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों में से	अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों में से	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक इन्जीनियर (सिविल)	14*	3	1	4	—	—	—	
2.	निजी सचिव	10	2	1	3	—	—	—	
3.	वैयक्ति सहायक	1	—	—	—	—	—	—	
4.	वरिष्ठ आशुलिपिक	33	5	3	8	1	—	1	
5.	कनिष्ठ आशुलिपिक (हिन्दी)	1	—	—	—	—	—	—	
6.	कनिष्ठ आशुलिपिक	79	12	5	17	3	—	3	
7.	कनिष्ठ आशुलिपिक (हिंदी)	4	2	—	2	—	—	—	
8.	स्टेनो-टाइपिस्ट	103	17	8	25	8	—	8	
9.	स्टेनो-टाइपिस्ट हिन्दी)	7	1	1	2	6	—	6	

*इसके अतिरिक्त सहायक इन्जीनियरी (सहित) के 13 पद रिक्त हैं, जिनमें से 9 पदों को 30.9.81 के आगे बढ़ाया जाना है तथा सहा-

यक इन्जीनियरी (विद्युत/सहायक मेकेनिकल) के 4 पदों का इस्तेमाल 3 महीने के लिए किया जाना है। अत: आरक्षण के कोटे का हिसाब सहायक इन्जीनियरी (सिविल) के 14 पदों के बारे में लगाया गया है आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :—

सहायक इन्जीनियरी (सिविल) के आरक्षित पद

अनुसूचित जाति के लिए	अनु० जनजाति के लिए	जोड़
7	3	10

टिप्पणी :— निजी सचिव का पद पदोन्नति का पद है। चूंकि निचले पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं था। अत: निजी सचिव का कोई भी पद रिक्त स्थान अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारी की नियुक्ति करके नहीं भरा जा सकता।

छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था की जांच करने हेतु आयोग की नियुक्ति

5862. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया स्माल एण्ड मिडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन ने छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों की अर्थव्यवस्था की जांच करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सरकार ने इस आशय का समाचार देखा है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए एक अलग आयोग गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रेस आयोग के विचारणीय विषयों में से एक "समाचारपत्र उद्योग की अर्थ व्यवस्था ; अखबारी कागज, मुद्रण मशीनरी और समाचार पत्रों के लिए अन्य निवेश" का अध्ययन करने से सम्बन्धित है। उम्मीद है कि आयोग अपनी रिपोर्ट मार्च, 1982 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगा।

अजमेर, राजस्थान के लिए रसोई गैस की डीलरशिप

5863. **श्री भीखा भाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में अजमेर के लिए भारतीय तेल निगम की रसोई गैस की डीलरशिप अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी ,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु अनुसूचित जाति के कितने लोगों का साक्षात्कार लिया गया ;

(ग) अन्तिम जांच रिपोर्ट के लिए उनमें से कितने लोगों को योग्य पाया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के एक सरकारी कर्मचारी का चयन किया गया था ; और

(ङ) क्या डीलरशिप दिए जाने सम्बन्धी नियमों में पात्र सरकारी कर्मचारी को डीलरशिप दिए जाने की अनुमति है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) चयन समिति के सम्मुख 17 व्यक्ति साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए थे।

(ग) 13

(घ) जी नहीं।

(ङ) सरकारी कर्मचारी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है तथा अगर कार्य कर रहे कर्मचारी का चयन हो जाता है तो यह निर्दिष्ट करते हुए प्रतिबन्धित आशय पत्र जारी किया जाता है कि उसकी वितरक/डीलर के रूप में नियुक्ति इस शर्त पर की जा रही है कि वह अपने वर्तमान रोजगार से त्याग पत्र दे देगा।

दूर-संचार अनुसन्धान केन्द्रों में क्षेत्रीय अधिकारियों को विशेष वेतन

5864. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर-संचार अनुसन्धान केन्द्रों में अनिश्चित काल तक के लिए स्थानांतरित करके भेजे गए क्षेत्रीय अधिकारियों को विशेष वेतन दिए जाने का क्या आधार है ;

(ख) दूर-संचार अनुसन्धान केन्द्रों में लगातार छः वर्षों से अधिक अवधि से कितने क्षेत्रीय अधिकारियों को विशेष वेतन मिल रहा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि विशेष रूप से दूर संचार अनुसन्धान केन्द्रों के लिए भर्ती किए गए कुछ स्नातक इन्जीनियरों को विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है जबकि दूर-संचार अनुसन्धान केन्द्र में इन अधिकारियों के शैक्षिक योग्यता कार्य, दायित्व वही है जो दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र को स्थानान्तरित किए जाने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों का है और ऐसा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री यागेन्द्र मकवाना) : (क) (ख) और (ग) भारतीय दूर संचार सेवा (आई० टी० एस०) संवर्ग के अधिकारी, जब दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में नियुक्त किए जाते हैं, तो उनको तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विशेष वेतन दिया जाता है। वे तब तक विशेष वेतन प्राप्त करते हैं, जब तक वे दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र में नियुक्त रहते हैं। इस समय आई० टी० एस० संवर्ग के 117 अधिकारी 6 वर्षों से अधिक से विशेष वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

2. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से टी० आर० सी० हेतु विशेष तौर पर नियुक्त अधिकारी, वे कार्य करते हैं जिसके लिए उनको नियुक्त किया जाता है, जबकि दूसरी ओर आई० टी० एस० सवर्ग से आए हुए अधिकारियों को जब दूर-संचार अनुसन्धान केन्द्र मे नियुक्त किया जाता है, तो उनसे उस ड्यूटी की भी अपेक्षा की जाती है, जो उनके सामान्य कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती।

टिहरी गढ़वाल में विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव

5865. **श्री टी० एम० नेगी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान टिहरी गढ़वाल में विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव की (खण्डवार) संख्या क्या है ; और

(ख) इस क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने में अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की टिहरी गढ़वाल जिले में, निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत यथा परिकल्पित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार 1982-83 के दौरान 646 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है ।

क्रम सं०	स्कीम	1982-83 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या
1.	चम्बा, जौनपुर और नरेन्द्र नगर ब्लाकों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीम	22
2	जाखोली, तखन्दर और भिलनगाना ब्लाकों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीम	50
3.	प्रताप नगर ब्लाक के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीम	96
4.	कीर्तिनगर और देवप्रयाग ब्लाकों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीम	151
5.	जौनपुर ब्लाक के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीम	180
6.	थोलधार ब्लाक के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीम	147
		646

उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत, 1982-83 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 1.73 करोड़ रुपये की राशि ऋण किस्तों के रूप में वितरित किए जाने की आशा है । उपर्युक्त स्कीमों में टिहरी गढ़वाल जिले का ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम शामिल नहीं है । उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम की निधियों से बाहर साथ में लिया जाएगा ।

एक धिकार गृहों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को असफल करने का षडयंत्र

5866. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री चित्त महाटा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एकाधिकार गृहों तथा अन्य निहित स्वार्थ के लोगों द्वारा अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने के लिए सुनियोजित तथा व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को असफल करने का षडयन्त्र किए जाने की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट, शब्द "एकाधिकारी" तथा "अन्य निहित स्वार्थों" की अभिव्यक्ति से माननीय सदस्य का ध्यान, संभवत: एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम, की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरण योग्य उपक्रमों (वृहद औद्योगिक घराने, प्रमुख उपक्रम तथा एकाधिकारी उपक्रम) की ओर है। कम्पनी कार्य विभाग के पास एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घरानों द्वारा "राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सुनियोजित एवं क्रमबद्ध रूप से नष्ट करने" के आरोपों की बाबत कोई सूचना नहीं है एवं वह प्रश्न मे अभिव्यक्त आशका में योग देने की स्थिति में नहीं है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार उपक्रमों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, तथा साथ ही कम्पनी अधिनियम, 1956 उद्योग (विकास एवं विनियम,) अधिनियम, 1951 पूंजी निर्गमन (केन्द्रीय) अधिनियम, 1947 अथवा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 आदि के समान अन्य आर्थिक अधिनियमों में वर्णित, विनियमनकारी उपबन्धों के अधीन कार्य करना होता है। ये अधिनियमन यह सुनिश्चित करने के लिए निरुपित किये गए हैं। कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घराने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की संरचना के अन्तर्गत, तथा सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय नीतियों व सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार संचालित हों व कार्य करें। इन कानूनी उपबन्धों के पालन करने मे किसी भी असफलता के लिए, सम्बन्धित कानूनों में अभिसंविदित दण्डों का भागी होना पड़ता है, एव सरकार द्वारा सदैव यह सुनिश्चित करना होता है कि किन्हीं ऐसे प्रस्तावों को अनुमति प्रदान न की जाए, जो जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को प्रोत्साहन देता हो, अथवा एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों को प्रेरणा देता हो, या उत्पादन व वितरण में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को विकृत करता हो।

कृषि में प्लास्टिक के इस्तेमाल का अध्ययन करने सम्बन्धी समिति

5867. **श्रीमती सयोगिता राणे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में प्लास्टिक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए एक समिति का गठन किया था ;

(ख) क्या इस समिति ने तत्सम्बन्धी वित्तीय नीति और प्लास्टिक के उपयोग की सम्भावनाओं की भी जांच की थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) मार्च, 1981 में योजना आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य श्री जी० बी० के० राव की अध्यक्षता में सरकार ने कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था।

(ख) और (ग) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग की सम्भावनाओं की समिति समीक्षा कर रही है ; समिति को रिपोर्ट हेतु दिए गए विषयों में भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग के समस्त अर्थतन्त्र की समीक्षा सम्मिलित है।

उपग्रह सुविधाओं पर नियंत्रण

5868. डा० सरोश राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पृथ्वी पर कुछ स्टेशन उपग्रह की मुख्य नियंत्रण सुविधाओं का स्थान ले लेगें ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं, जिन्हें वृहद योजना के अन्तर्गत शुरू किया जायेगा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) उपग्रह की कार्यकुशलता, ऊंचाई परिक्रमा पथ, नियंत्रण एवं ऐसे ही अन्य कार्यों का मानीटर करने के लिए अन्तरिक्ष विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्राप्त किया जा रहा है। अन्तरिक्ष विभाग हसन में एक भू-केन्द्र स्थापित कर रहा है जिसका नाम मास्टर कंट्रोल फैसीलिटी (एम० सी० एफ०) रखा गया है। उपग्रह के माध्यम से भविष्य में दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डाक तार विभाग देश में विभिन्न स्थानों पर 28 भू-केन्द्र स्थापित कर रहा है।

उपरोक्त दोनों प्रकार के भू-केन्द्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने होते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मास्टर कंट्रोल फैसीलिटी स्टेशन— हसन (कर्नाटक)

डाक तार भू-केन्द्र :

(i) मुख्य स्टेशन : नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, शिलांग एवं बम्बई।

(ii) प्राथमिक स्टेशन : जयपुर, लखनऊ, जालंधर, पटना, एर्नाकुलम, हैदराबाद, भुवनेश्वर, एव अहमदाबाद।

(iii) दूरस्थ स्टेशन : भुज, जोधपुर, पंजिम, श्रीनगर, लेह कवारती, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, यग्जवाल, अगरतला, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल गंगटांक एवं मिनीकाय

(घ) यह योजना सम्भत: 1982 के मध्य तक कार्य करने लगेगी।

धुले, महाराष्ट्र में "माइक्रोवेव लिंक" के जरिये दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना किया जाना

5869. श्री मानिकराव होडल्या गावित : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुले, महाराष्ट्र में माइक्रोवेव लिंक के जरिये दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धुले एक पिछड़ा तथा आदिवासी जिला है, इसे प्राथमिकता दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव का कार्यान्वियन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में तार घरों का खोला जाना

5870. श्री दया राम शाक्य : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तारघरों के खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो ये तार घर कब तक खोले जायेंगे, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) ग्रामीण क्षेत्रों में, डाक तार विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार, जो कि विवरण में दी गई है, तारघर खोले जा रहे हैं।

(ख) नीति की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी स्थानों में चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान तार सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

हानि पर संयुक्त डाक-तारघर (तारघर) खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियों	संयुक्त डाक-तारघर (तारघर) खोलने हेतु पूर्ति
1. जिला मुख्यालय	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की
2. उप मंडलीय मुख्यालय	

3. तहसील मुख्यालय 4. ब्लाक मुख्यालय	शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्ययस्था की जाएगी।
6. ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।	
7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिसका इन्चार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
8. आम रास्ते से दूर के स्थान	(क) मौजूदा तारघर से 20 किलोमीटर से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए। (ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए। (ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 5000 रु० से अधिक होना चाहिए।
9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्र में 10 प्रतिशत होना चाहिए। (ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 20000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. सभी स्थान	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दिशा में किराए और गारन्टी के आधार पर

टिप्पणी : 1. क- जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 किलोमीटर

अर्द्धव्यास के वृत्त में आए हुए सभी स्थानों की सम्मिलित जनसंख्या और अल्पमत राजस्व की शर्तों के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन खोला जा सकता है। इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते हैं।

ख- सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :—

(1) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय

(2) जिन स्थानों पर लैम्प्स (बड़े आकार की बहुद्देश्यीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं ; और

(3) ग्रामीण उद्योगों और /अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

विभिन्न उद्योगों में रसायन उत्पादों का उपयोग

5871. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उद्योगों में कुल कितने रासायनिक उत्पादों का उपयोग किया जाता हैं और ऐसे विषैले रसायनों की संख्या क्या है जो वातावरण को दूषित करते हैं ; और

(ख) क्या हम रसायनों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं तथा इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेजते रहे हैं तथा इस जानकारी के संग्रह तथा इसका कार्य सरकारी तौर पर किस संगठन अथवा संस्थान को सौंपा गया है और इस सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) देश में विभिन्न उपयोगों में प्रयुक्त रासायनिक उत्पादों की संख्या काफी अधिक है और सही आंकड़े बताना कठिन होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, फिनोल डायक्लसाइड, अमोनिया, नाइट्रोजन के आक्साइड, फ्लोराइड, क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन, बूटाडोन और कार्बन मोनोक्साइड प्रमुख प्रदूषण तत्व हैं। जल प्रदूषण का विनियमन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण का विनियम वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत किया जाता है। ये अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड जो सम्पूर्ण देश के लिये प्रमुख तकनीकी एजेन्सी है, ने कहा है कि वे रसायनों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोई सूचना नहीं देते हैं।

घटिया कोयले के कारण सुपर तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली के उत्पादन में कमी

587. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सुपर तापीय विद्युत संयंत्रों, विशेषकर कोरबा बिजली घर को घटिया कोयले की सप्लाई के कारण इसके विद्युत उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र का केवल एक युनिट हाल ही में समकालित किया गया है तथा कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र और अन्य विद्युत केन्द्रों में प्राप्त हुए कोयले की गुणवत्ता के बारे में समस्याएं रही हैं। घटिया किस्म के कोयले के कारण प्रचालनात्मक समस्याए हो सकती हैं और उत्पादन में हानि हो सकती है। केवल कोयले की गुणवत्ता के कारण ही हुई हानियों की मात्रा को बता सकना सम्भव नहीं है।

(ग) कोयला ब्लेण्डिंग संयंत्रों/स्क्रीनिंग संयंत्रों/पिकिंग बेल्टस की स्थापना उचित आकार के व सलेटी पत्थर और पत्थर आदि से रहित कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ओपन-कास्ट कोयला खानों पर क्रशर की स्थापना, गलती करने वाली कोयला खानों पर प्रतिनिधियों को तैनात करना आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत केन्द्रों को धुले हुए कोयले की सप्लाई करने के लिए गैर कोकिंग कोयले का परिष्करण करने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की गुणवत्ता के बारे में ऊर्जा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा सतत रूप से मानीटरिंग की जाती है।

डाक सम्बन्धी मामलों में सऊदी अरब के साथ सहयोग

588. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को डाक सम्बन्धी मामलों में सहयोग के लिए सऊदी अरब से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा क्या सुझाव दिये गए हैं ; और

(ग) उन पर सऊदी अरब की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सऊदी अरब तक प्रशासन में भारतीय डाक विशेषज्ञों द्वारा सेवा परामर्श प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सऊदी अरब डाक प्रशासन ने हमारे डाक प्रशासन को एक निमंत्रण भेजा था। उनके इस निमंत्रण के उत्तर में तीन सदस्यों का एक शिष्टमण्डल सऊदी अरब गया था।

(ख) दौरा पूरा करने पर भारतीय शिष्टमण्डल ने डाक सेवाओं के कुछ क्षेत्रों, जिनमें हम अपनी सुविज्ञता प्रदान करने की स्थिति में हैं, की जानकारी उन्हें दे दी है।

(ग) इस सम्बन्ध में सऊदी अरब डाक प्रशासन से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों से विज्ञापन प्रसारण सेवा शुरू किया जाना

5875. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों से कितनी राशि वसूल की जा रही है;

(ख) क्या विविधा भारतीय चैनलों के अलावा आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों से भी विज्ञापन प्रसारण सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अन्तिम गणना के अनुसार 1980-81 के दौरान प्राप्त राशि इस प्रकार थी :—

आकाशवाणी	12.23 करोड़ रुपये
दूरदर्शन	8.07 करोड़ रुपये

(ख) जी, हां।

(ग) शुरू में 1-4-1982 से विज्ञापनों का प्रसारण सुबह और सांय दोनों के अंग्रेजी और हिन्दी के अखिल भारतीय समाचार बुलेटिनों से पहले और बाद में शुरू किया जा रहा है। तदुपरान्त इनका प्रसार बुलेटिन तथा विशिष्ट विशेष श्रोतागण कार्यक्रमों से पहले और बाद में तथा लोकप्रिय सुगम संगीत कार्यक्रमों के बीच में शुरू किया जायेगा।

हिमालय के क्षेत्रों में कुकिंग गैस की सप्लाई

5876. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र में वनों के परिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा ईंधन के रूप में वनों के इस्तेमाल को कम करने की दृष्टि से, क्या मंत्रालय के रूप में लोगों को इसके विकल्प के रूप में घटी दरों पर कुकिंग गैस की सप्लाई करने को तैयार हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) हिमालय के क्षेत्र सहित विभिन्न स्थलों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की सप्लाई विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है जैसे कि क्षेत्र में मांग की सम्भावना, प्रचालनों की व्यवहार्यता तथा परिवहन विरोध। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल

तथा कुमाऊं प्रभागों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का विपणन प्रारम्भ किया गया है तथा इसका ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विस्तार किया जायेगा। वर्तमान में रिआयती दरों और पेट्रोलियम उत्पादन सप्लाई करने के लिए कोई नीति नहीं है।

सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

5877. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री राम विलास पासवान : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच्चर समिति की कुछ सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं;

(ख) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के विभिन्न संशोधनों के सम्बन्ध में सच्चर समिति के सुझावों पर विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों और वाणिज्य मंडलों आदि से इस विषय में प्राप्त अन्य सुझावों के साथ सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इन सुझावों में से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम के संशोधनों के सम्बन्ध में सरकार के मतों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा इस विषय में निकट भविष्य में अपेक्षित कानून को पुरःस्थापित करने के पग उठाये जा रहे है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर सच्चर समिति के बहुत से सुझावों को कुछ और कुछ संशोधनों के बगैर स्वीकार किया जा चुका है तथा उनको अधिनियम के संशोधन हेतु सम्बन्धित विधेयक में, जिसको सरकार संसद के वर्तमान अधिवेशन में पुरःस्थापित करने की आशा रखती है, प्रतिफलित किया जायेगा।

तथापि, कम्पनी अधिनियम का संशोधन जो वस्तुतः जटिल है, उसमें कुछ अधिक समय लगेगा, यद्यपि सारे प्रयास इस मामले को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने में गतिशील हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्य अध्ययन एकक

5878. **श्री रामायण राय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से (1979 से 1981) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्य अध्ययन एकक में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और उक्त अवधि के दौरान इसकी संस्थापना पर कुल कितना व्यय किया गया है तथा यात्रा भत्ते के रूप में व्यय के पृथक आंकड़े क्या हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान इस इकाई का प्रत्येक सदस्य कितने दिन दौरे प्रशिक्षण पर रहा और ऐसे निर्दिष्ट कार्य पर रहा है जो उसके कार्य से सम्बन्धित नहीं था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस इकाई ने कितनी परियोजनायें/अध्ययन कार्य सम्पन्न किये और उसके फलस्वरूप सरकार को किया शुद्ध वित्तीय लाभ हुआ ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या इस एकक की उपयोगिता इस पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसत साठे) : (क) 1979 से 1981 तक के दौरान कार्य अध्ययन एकक की स्वीकृति नफरी प्रति वर्ष 11 थी। केवल एक ही व्यक्ति तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा है। इस अवधि के दौरान इसकी सिवन्दी और यात्रा-भत्तों पर खर्च हुई राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	सिबंदी पर हुआ खर्च	यात्रा भत्तों पर हुआ खर्च
1979	65,327.55 रुपये	7,405.96 रुपये
1980	1,06,760.90 रुपये	7,982.65 रुपये
1981	1,44,005.80 रुपये	20,469.65 रुपये

(ख) इस अवधि के दौरान किये गए दौरों/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सूचना सलग्न विवरण में दी गई है। जो निर्दिष्ट कार्य सामान्य कार्य से सम्बन्धित नहीं होते उनको मत्रालय द्वारा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, राष्ट्रीय फिल्म समारोहों आदि जैसी घटनाओ/कार्य की अविलम्बिता के हित में कार्य अध्ययन एकक सहित मंत्रालय के कर्मचारियों को सौंपा जाता है। ये निर्दिष्ट कार्य सामान्य कार्य का अंग होते है और इस प्रकार के निर्दिष्ट कार्यों का अलग रिकार्ड केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान कार्य अध्ययन एकक ने दिन प्रतिदिन के कार्य के अलावा कुल मिलकार 70 कार्य अध्ययन (38 कर्मचारी/कार्य-भार अध्ययन और 32 पद्धति/संगठन और पद्धति अध्ययन) हाथ मे लिए। कर्मचारी अध्ययन से, उन कार्यालयों जिनका अध्ययन दिया गया, की कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण करने और मिव्ययता सम्बन्धी सरकार के निदेशों को ध्यान में रखते हुए बेहतर काय सचालन के लिए उनका व्यवस्थित करन में मदद मिली है। उक्त एकक द्वारा हाथ मे लिये गए पद्धति/संगठन और पद्धति अध्ययनों से दक्षता बढ़ाने तथा प्रशासनिक ढांचे में गति लाने में मदद मिली है। इस प्रकार के अध्ययनों से प्राप्त होने वाले लाभों की गणना वित्तीय रूप में नहीं की जा सकती।

विवरण

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम और पद नाम	वर्ष 1979 से 1981 तक के दौरान दौरे/प्रशिक्षण पर जितने दिन रहे उनकी संख्या		
		1979	1980	1981
1.	श्री एम० एर० शिवरामन	19	—	—

1	2	3	4	5
	(वरिष्ठ विश्लेषक) (अब सेवा निवृत्त)			
2.	श्री टी० एस० सुन्दरेश्वरन (वरिष्ठ विश्लेक)	12	43	83
3.	श्री जो० डी० गुलाटी (वरिष्ठ विश्लेषक)	20	36	48
4.	श्री वी० एस० मनोट (कनिष्ठ विश्लेषक)	17	36	48
5.	श्री वीरेन्द्र कुमार (अनुसंधान सहायक)	8	16	25
6.	श्री जे० एन० झा (अनुसंधान सहायक)	—	16	(कार्य अध्ययन एकक से बदली हो गई)
7.	श्री आर० के० अग्रवाल (अनुसंधान सहायक)	—	—	20
8.	श्री बी० दत्त (अनुसंधान सहायक)	—	—	27
9.	श्री ए० के० सक्सेना (अनुसंधान सहायक)	—	—	10
10.	श्री प्रभात सिंह (अनुसंधान सहायक)	17	(कार्य अध्ययन एकक से बदली हो गई)	—
11.	श्री आर० डी० मुखोपाध्याय (अनुसंधान सहायक)	14	— तथैव	—
12.	श्री पी० एस० वर्मा (अनुसंधान सहायक)	11	— तथैव	—
13.	श्री पी० एम० एस० नारायण (अनुसंधान सहायक)	—	—	14

टिप्पणी : इसके अलावा निम्नलिलित दो अधिकारी उनके नामों के आगे दर्शाए अनुसार दिल्ली में प्रशिक्षण पर रहे :—

क्रम सं०	नाम और पदनाम	प्रशिक्षण का ब्योरा	संस्थान का नाम	अवधि
1.	श्री आर० डी० मुखोपाध्याय (अनुसंधान सहायक)	प्रबंध सेवाओं पर मौलिक पाठ्यक्रम	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली	7-3-1979 से 23-4-1976 तक
2.	श्री टी० एल० सुन्दरेश्वरन (वरिष्ठ विश्लेषक)	कार्यनिष्पादन-बजट और लेखा परीक्षा	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली	29-10-1981 से 10-11-1981 तक

चिनसुराह टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में परिवर्तित किया जाना

5879. **प्रो० रूप चन्द्र पाल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनसुराह टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 900 लाइनों के स्वचल एक्सचेंज उपस्कर का संस्थापना कार्य मार्च, 1982 में आरम्भ किया गया।

अन्नापारा फेस-2 परियोजना के चालू होने में देरी

5880. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की मितसुई द्वारा बताई गई दरों के सम्बन्ध में अन्तिम चरण में जो अड़चन आ गई है उससे उत्तर प्रदेश की अन्नापारा चरण-2 परियोजना चालू नहीं हो पायी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपनी दर कम करने तथा परियोजना को शुरू करने के सम्बन्ध में मितसुई के साथ पुनः बातचीत चल रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ये मामला किस स्थिति पर है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली और बुलन्दशहर के बीच टेलीफोन सेवा

5881. **श्री त्रिलोक चन्द्र :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और बुलन्दशहर के बीच टेलीफोन लाइनें आमतौर पर खराब रहती हैं ; और

(ख) बुलन्दशहर और दिल्ली के बीच टेलीफोन सेवा सुधारने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, सेवा सामान्यता संतोषजनक है।

(ख) उपरोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा सहित ट्रंक सर्किटों को निरन्तर मानीटर किया जाता है तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित परीक्षण किए जाते हैं।

अपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी लागत में वृद्धि

5882. **श्री सूरजभान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्थापित प्रत्येक तापीयपन बिजली परियोजना के निर्माण में उसके पूर्ण होने की जो मूल निर्धारित अवधि और लागत थी, इससे कितना अधिक समय और लागत लगी ;

(ख) इस प्रकार प्रत्येक मामले में कितनी हानि हुई ;

(ग) इस समय जो परियोजनाएं अपूर्ण हैं उनके पूरा होने से अपने निर्धारित समय से अनुमानत: कितना अधिक समय लगेगा और प्रत्येक पर कितनी अधिक लागत आएगी ; और

(घ) ऐसी हानियों को कम करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाऐ गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) प्रतिष्ठापित किये गए प्रत्येक ताप विद्युत तथा जल विद्युत उत्पादन यूनिट के सम्बन्ध में निर्धारित लागत और समय से लगी अधिक लागत और समय के आंकड़े सहज ही उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) निर्माणाधीन ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओ के सम्बन्ध में परियोजनाए जिस अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई थी वह अनुमानित लागत और इनकी अद्यतन अनुमानित लागत तथा स्कीम की स्वीकृति के सन्दर्भ मे चालू करने की सम्भावित तारीख तथा चालू करने के बारे में अद्यतन अनुमान (विवरण-1 तथा 2) में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3780/82]

(घ) विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में शीघ्रता लाने की दृष्टि से परियोजनाओं के विभिन्न क्रिया कलापों को ध्यान पूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानिटरिंग निदेशालयों की स्थापना की गई है ।परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सियों आदि के साथ समन्वय तथा समीक्षा बैठकें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में नियमित रूप से की जाती हैं। सभी बाधाओं पर पूरी-पूरी नजर रखी जाती है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की

जाए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ मामले को उठाते हैं। उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विद्युत विभाग में समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। ऊर्जा मन्त्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मन्त्रियों की बैठकें भी राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। जिनमें निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू किए जाने के बारे में समीक्षा की गयी थी ताकि उपचारी कार्रवाही की जाए।

बालनगीर मंडल में शाखा पोस्ट मास्टरों को वितरण भत्ता

5883. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सर्किल के बालनगीर डाक डाक मन्डल के 75 प्रतिशत शाखा पोस्ट मास्टरों को, जो वितरण का कार्य भी करते हैं ; वितरण भत्ता नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार उन्हें शीघ्र वितरण भत्ता दिलाए जाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बोलनगीर में 320 विभागेतर शाखा पोस्टमास्टर हैं जो कि अपनी डयूटी के अतिरिक्त वितरण कार्य भी कर रहे हैं। उनमें से 240 शाखा पोस्टमास्टर पहले से ही वितरण फत्ता प्राप्त कर रहे हैं। वितरण भत्ता देने के लिए शेष 80 विभागतर शाखा पोस्टमास्टरों के मामले की जांच की जा रही है।

इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल लि० के एककों में घाटा

5884. **श्री रामलाल राही** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश के विभिन्न स्थानों में सरकार द्वारा संचालित औषध निर्माणी एकक घाटे में चल रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ख) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० के ऋषिकेष, देहरादून, हैदराबाद, मद्रास गुडगांव और मुजफ्फरपुर स्थित एकक कब से घाटे में चल रही है तथा इसके क्या कारण हैं और इस घाटे को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। हानि के मुख्य कारण हैं :—

(1) भट्टी तेल और बिजली जैसे कच्चे मालों और उपयोगिताओं की लागत में वृद्धि।

(2) मूल्य में वृद्धि करके उत्पादन लागत में वृद्धि की देर से और अपर्याप्त क्षतिपूर्ति

जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है ।

(3) नकद हानि को पूरा करने के लिए स्वीकृत सरकारी ऋण पर देय ब्याज का जमा होना ।

(4) संस्थागत बिक्री की अपेक्षा व्यापार बिक्री का प्रभुत्व ।

(5) कम क्षमता उपयोग ।

(6) औषधों और फार्मूलेशनों की बिक्री में विपणन रूकावटें ।

(ख) कुछ वर्षों को छोड़कर आई० डी० पी० एल० के सभी प्लांटों को घाटा हुआ है ।

हानि के मुख्य कारण हैं :—

(1) अनेक वर्षों से निवेश लागत में वृद्धि जबकि औषधों का बिक्री मूल्य वर्ष 1974-75 से नवम्बर/दिसम्बर, 1980 तक स्थिर रहा ।

(2) सल्फा जैसे कुछ औषधों के लिए विपणन बाधा ।

(3) बिना रुकावट के पर्याप्त बिजली और उपलब्धता की समस्या ।

(4) कच्चे मालों की कमी ।

(5) उत्पादन के साथ-साथ विस्तार का कार्यान्वयन ।

(6) तकनीकी समस्याएं ।

कार्यकरण में सुधार और हानि में कमी लाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) कुछ एंटीबायों टिकों के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रोद्योगिकी और स्ट्रेनों का आयात ।

(2) विद्यमान प्रौद्योगिकी में सुधार वाले और दक्षता में सुधार लाने खपत गुणांक को कम करने के लिए अनुसन्धान और विकास प्रयासों का जारी रखना ।

(3) क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के लिए विपणन कार्य कलाप में तेजी लाना विशेषकर व्यापार में ।

(4) बाजार रुख और कुछ बल्क औषधों के अप्रचालित हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्पाद मिश्र में परिवर्तन और कुछ बल्क औषधों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ।

(5) प्लांट को आर्थिक रुप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग को अधिक करने के लिए शल्य उपकरण प्लांट का औद्योगिक उपकरण और फार्मूलेशन निर्माण में विविधीकरण करना ।

बदायूं जिले में टेलीफोन सेवा

5885. **मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदायूं शहर (उत्तरप्रदेश) तथा इसके पास के अन्य क्षेत्रों में और बदायू जिले के अन्य एक्सचेंजों में (एक्सचेंजों वार) कितने टेलीफोन कार्यरत हैं ;

(ख) इस जिले के प्रत्येक एक्सचेज में टेलीफोनों की कितनी क्षमता है ;

(ग) टेलीफोनों के लिए ऐसे कितने आवेदक हैं (सवर्गवार) जिन्हें अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) बदाय् जिले में इन एक्सचेंजों से (एक्सचेंजवार) कितने गांव सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के रुप में जुड़े हुए हैं और

(ड) क्या ये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्वतन्त्र रुप से अथवा अन्य केन्द्रों से सम्बद्ध होकर कार्य करते हैं और क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायते प्राप्त हुई हैं कि इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को स्वतन्त्र रुप से कार्य दिया जाए और उन्हें किसी अन्य सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र से न जोड़ा जाए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) बदायूं जिले में कार्य कर रहे टेलीफोनों की संख्या निम्नानुसार है :

बदायूं	—	461	शासवान	—	15
अल्लापुर	—	9	कुछला	—	10
बिसौली	—	32	उझानी	—	169
दातागंज	—	17	वजीर गंज	—	7
बिल्सी	—	25	बबराला	—	37

एक्सचेजों के कार्य निष्पादन की निरन्तर मानीटरिंग की जाती है तथा टेलीफोन सेवा के अनुरक्षण को संतोषजनक स्तर तक बनाए रखने के लिए नियमित जांच की जाती है तथा दोषों को तुरन्त सुधारा जाता है ।

(ख) बदायूं जिले में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता (लाइनों में) निम्नानुसार है :

बदयूं	—	500	शासवान	25
अल्लापुर	—	10	कुछला	25
बिसौली	—	50	उझानी	200
दातागंज	—	25	बजीरगंज	25
बिल्सी	—	50	बबराला	50

(ग) बदायूं जिले में केवल बदायूं टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनक्शओं हेतु प्रतीक्षा सूची है। टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या श्रेणीवार निम्नानुसार है :

ओ० वाई० टी०	कोई नहीं
विशेष	3
सामान्य	48

चूंकि टेलीफोन कनेक्शन हेतु मांग संयोजन क्षमता से अधिक है अतः नए कनेक्शनो हेतु प्रतीक्षा सूची हैं।

(घ) 78 गांवों के 90 सार्वजनिक टेलीफोनघर निम्नानुसार इनटेलीफोन एक्सचेजों से छुड़े हुए हैं :

बदायूं	25	अल्लापुर	7
बिसौली	9	दातागज	11
बिल्सी	9	शासधान	6
कुछला	7	उझानी	7
वजीरगंज	6	बबराला	3

(ड़) इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों में से कुछ श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं। इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों को स्वतन्त्र के बतौर परिवर्तन करने हेतु कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों में 1 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारी

5886. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लि० के गोरखपुर, तलचर, सिंदरी और रामगुंडम एककों में, अलग-अलग ऐसे कितने अधिकारी है जो 15 वर्षों क अधिक समय से एक ही एकक में कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बाड़मेर और जैसलमेर में रेडियो स्टेशनों की स्थापना

5887. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 60 हजार वर्ग मील क्षेत्रफल वाले पिछड़े हुए सीमावर्ती जिले, बाड़मेर और जैसलमेर के अधिकांश भाग से रेडियो सुविधा से वंचित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में पाकिस्तानी रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रम स्पष्ट सुनाई देते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बाड़मेर और जैसलमेर में रेडियो स्टेशन के महत्व और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इन स्थानों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव योजना आयोग के समक्ष रखा था ; और

(घ) क्या मध्य-कालीन पुनरीक्षा के समय केन्द्रीय सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता की आवश्यक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इन स्थानों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्तावों के बारे में विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के पूर्वी भाग जोधपुर के उच्च-शक्ति वाले ट्रांसमीटर की प्राथमिक ग्रेड दिवाका लीन सेवा द्वारा कवर होते हैं। तथापि, अन्य भाग जोधपुर सहित आकाशवाणी के किसी भी निकटवर्ती ट्रांसमीटर की प्राथमिक ग्रेड सेवा द्वारा कवर नहीं होते।

(ख) कवर न हुए इन क्षेत्रों में रेडियो पाकिस्तान के सुने जाने के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं।

(ग) बाड़मेर और जैसलमेर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम पर चौथी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय विचार किया गया था। तथापि संसाधनों के अभाव और प्राथमिकताओं के कारण, इस स्कीम को छोड़ देना पड़ा था।

(घ) यह पुनः संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्षक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

मथुरा के तेल शोधक कारखाने को बम्बई के भारी कच्चे तेल की सप्लाई

5888. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के कच्चे तेल के भारीपन और शरद् ऋतु में उसे मथुरा भेजने की समस्या का अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाएं ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी हां।

(ख) और (ग) परामर्शदाता की रिपोर्ट मई, 1982 तक प्राप्त होने की आशा है।

स्थापित की जाने वाली वृहत तापीय विद्युत परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई

5889. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए वृहत तापीय बिजली घरों से मध्य प्रदेश को बड़ी मात्रा में बिजली सप्लाई किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मैगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सैक्टर में स्थापित किए जा रहे वृहत पिट हैड सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से क्षेत्र के राज्यों के बीच विद्युत का आबंटन, सामान्यत: केन्द्रीय योजना सहायता तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थापित हो उस राज्य कुछ अतिरिक्त सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 2100 मेगावाट की चरम क्षमता में से मध्य प्रदेश का भाग 610 मेगावाट है।

पश्चिमी बंगाल के जिला मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं

5890. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के जिला मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध किये जाने के संबन्ध में रानीगंज वाणिज्य मंडल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसकी जांच करा ली है ;

(ग) उसमें क्या मुद्दे उठाये गये हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार की नई योजनाएं आरंभ करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) प्रतिवेदन पश्चिम बंगाल के जिला मुख्यालयों में एक्सचेंजों के स्वचलीकरण तथा एम० टी० डी० प्रदान करने से सम्बन्धित है। सरकार की पहले से यह नीति है कि जिला मुख्यालयों से उनकी सम्बन्धित राजधानियों को एम० टी० डी० प्रदान की जाए। इसको सत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि स्विचिंग और परिशण उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल हेतु कार्यक्रम को छठी योजना के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है।

विद्युत संसाधनों के लिए हिमाचल प्रदेश के स्थानों का सर्वेक्षण

5891. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत संसाधनों के दोशन के लिए हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और उससे कितने मैगावाट विद्युत उपलब्ध हो सकेगी और क्या उससे संबन्धित ब्योरा सदन के पटल पर रखा जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : पिछले 5 वर्षों के दौरान, हिमाचल प्रदेश में जिन जल विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण किया गया है/अन्वेषण किया जा रहा है, उनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश द्वारा अन्वेषण की गई/अन्वेषण की जा रही लघु/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा।

स्कीम	नदी बेसिन	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक ऊर्जा (गंगावाट अवर)
1. चमेरा	रावी	540	1761
2. पारवती एक और दो	व्यास	1900	705?
3. बास्पा	सतलुज	250	1691
4. लारजी	व्यास	140	711
5. मलाना	व्यास	75	258
6. जिस्पा	चेनाव	240	1150
7. अलायन	व्यास	25	150
8. रेणुका*	यमुना	40	235
9. बस्सो चरण-तीन	व्यास	60	—
10. दुहगन	व्यास	10	52
11. सवारी	व्यास	10	52
12. गज* =	व्यास	10.5	38
13. न्योगल*	व्यास	4.5	23
14. शोल्डिंग	सतलुज	12	—
15. नाथपा झाकड़ी* =	सतलुज	1020	4960
16. बनेर ×	व्यास	6	28

*परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई

=केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत

× विचाराधीन

सर्किल अध्यक्षों की संसद सदस्यों के साथ बैठकें

5892. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-सत्रावधि के दौरान सर्किल अध्यक्ष संसद सदस्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सर्किलों के नाम क्या हैं, जिनके अध्यक्षों ने सातवीं लोक सभा के आरम्भ से प्रत्येक अन्तर-सत्रावधि के दौरान नियमित बैठकें आयोजित की हैं ; और

(ग) उन सर्किलों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रत्येक अन्तर-सत्रावधि के दौरान कम से कम एक भी बैठक आयोजित नहीं की तथा इस अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक सर्किल के अध्यक्ष ने अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ । अधिकांश सर्किल अध्यक्षों द्वारा काफी सीमा तक नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

(ख) एवं (ग) ये बैठकें नवम्बर, 1980 में पुन: चालू की गई थीं । प्रत्येक सर्किल में आयोजित की गई बैठकों की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

नवम्बर, 1980 के बाद सर्किल स्तर पर संसद सदस्यों के साथ आयोजित बैठकों तारीखें दर्शाने वाली विवरणी ।

क्रम सं०	सर्किल का नाम	आयोजित की गई बैठकों की तारीख
1.	तमिल नाडु	29-12'80, 26-6-81 एवं 8-1.82
2.	पश्चिम बंगाल	2-2-81 एवं 9-7-81
3.	कर्नाटक	27-1-81 24-6-81 एवं 8-2-82
4.	उत्तर प्रदेश	10-2-81 एवं 28-9-81
5.	गुजरात	28-1:81, 7-7-81 एवं 28-1;84
6.	बिहार	6-2.81, 15-2-82
7.	आन्ध्र	4-2-81, 28:7-81 एवं 16-2-82
8.	उत्तर पश्चिम	9-1:81 एवं 13-7-81
9.	राजस्थान	3-2-81 एवं 20-10-81
10.	महाराष्ट्र	12, 13 एवं 16 जनवरी, 81 और 10, 12 एवं 13 अगस्त, 82

11.	जम्मू काश्मीर	जनवरी, 81
12.	मध्य प्रदेश	5-2-81 एवं 13-11-81
13.	केरल	17-1-81 एवं 4-2-81
14.	उत्तर पूर्व	1-2-81
15.	दिल्ली	10.2.81 एवं 4-9-81
19.	उड़ीसा	4-2-81 24-6-81 एवं 6-2-82

लक्ष्मी नगर/शकरपुर क्षेत्र में तारघर खोला जाना

5893. **श्री तारिक अनवर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मीनगर के रेजिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन ने लक्ष्मीनगर/शकरपुर क्षेत्र में एक तारघर में एक खोलने की मांग पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कारवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है ;

(ग) किस अनुमानित तारीख/महीने से तारघर कार्य करने लगेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो तारघर न खोलने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए इस समय निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नही उठता ।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

5894. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखबारी कागजों के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि का छोटे समाचारपत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) क्या इस बात का अध्ययन किया गया है कि इसका समाचारपत्रों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि उन विभिन्न बातों में से केवल एक है जिनका समाचारपत्रों सहित, पर प्रभाव पड़ता है ।

(ख) हाल ही में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, प्रेस आयोग के विचारणीय विषयों में से एक "समाचार उद्योग की अर्थव्यवस्था ; अखबारी कागज, मुद्रण मशीनरी और समाचार-पत्रों के लिए अन्य निवेश" की जांच से सम्बन्धित है। उम्मीद है कि आयोग अपनी रिपोर्ट इस मास के अन्त तक प्रस्तुत कर देगा।

मथुरा तेल शोधक कारखाने द्वारा उत्पादन

5895. **श्री राम प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा तेल शोधक कारखाना द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए विभिन्न मदों के प्रस्तावित उत्पादन का कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : वर्ष 1982-83 के लिये मथुरा शोधनशाला में विभिन्न मदों के उत्पादन का प्रस्ताव कार्यक्रम नीचे दिया गया है :

	(आंकड़े 000" मी० टनों में)
(क) क्रूट इटेड	5400 0
(ख) उत्पाद	
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	126.7
मोटर स्पिरिट	264.0
नैफथा	694.6
उच्च मिट्टी का तेल	850.6
विमानन टरबाइन ईंधन	181.8
हाई स्पीड डीजल तेल	1479.3
लाईट डीजल तेल	60.0
भट्ठी का तेल	531.8
उर्वरक फीडस्टाक	538.0
बिटुमन	225.0
सल्फर	3.3

गोदावरी बेसिन के दूसरे कुएं से गैस का उत्पादन

5896. **श्री रामगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गोदावरी बेसिन में खोदा गया दूसरा कुआ सफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कुंए से गैस का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) दूसरे तटीय कूप में अभी भी व्यधन कार्य किया जा रहा है । इस कारण इसके सम्बन्ध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"डेसू" के कार्य प्रभार कर्मचारियों को नियमित करना

5897. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कार्य प्रभार कर्मचारियों को दो वर्ष की लगातार सेवा करने के बाद भी, नियमित नहीं किया जाता है ; और यदि हां, तो सफाई श्रेमिकों, जो जो 5 से 6 साल से कार्यप्रभार, कर्मचारी के रूप नें काम कर रहे हैं, को नियमित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने दिनांक 30 अप्रैल, 1981 से सफाई कार्य के किल ठेका प्रणाली समाप्त करने की घोषणा की है, और यदि हां तो इसे अब तक समाप्त न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) 30 अप्रैल 1981 से अब तक विभिन्न श्रेणियों के कितने पद बनाये गए हैं और मेहतर के पेनल में नियुक्ति के लिए मेहतर के पद न बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) अब तक मेहतर के पद बनाने में कितना खर्च अन्तर्गत है और विभिन्न श्रेणियों के पदों को बनाने में कितना खर्च अन्तर्ग्रस्त है ;

(ड.) सफाई ठेकेदारों को प्रतिमाह कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है, और

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ठेका और बंधुआ मजदूर प्रणाली सरकार की नीति के खिलाफ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अनुमोदित भर्ती और पदोन्नति विनियमों के उपबन्धों तथा मान्यता-प्राप्त यूनियनों के साथ हुए समझौते के अनुसार, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को कार्यप्रभारित पर दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने के बाद नियमित मजदूरी के पद में खपा लिया जाता हैं । अनुमोदित भर्ती पदोन्नति विनियमों के अनुसार, दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान में नियमित वेतनमान मे सफाई कर्मचारी का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है ।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कफाई कार्य के लिए ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए अप्रैल 1981 में निर्णय लिया गया था । तथापि, इस निर्णय का केवल आंशिक रूप में ही क्रियान्वित किया जा सका है क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास सभी स्थानों पर सफल नहीं हुए हैं ।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में 3 0.4.81 से 24.3.81 से 24.3.82 की अवधि के दौरान सृजित किए गए (सफाई कर्मचारियों के पदों सहित) विभिन्न श्रेणियों के पदों की कुल संख्या 414 है। जिन पर वार्षिक व्यय लगभग 32.69 लाख रुपए बैठता है। सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन करने का प्रस्ताव की दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में जांच की जा रही है। इससे वित्तीय भार 2.60 लाख रुपये प्रतिवर्ष आयेगा। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की कालोनियों की सफाई करने का उत्तरदायित्व दिल्ली नगर निगम द्वारा लिये जाने की सभाव्यता का पता लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान की कुछ कालोनियों तथा/या कार्यालयों में सफाई कार्य ठेके के आधार पर किये जान के लिए भुगतान की जान वाली राशि इस समय लगभग 12.200 रुपये प्रतिमास है।

(च) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कुछ परिसरों के सफाई कार्य को ठेके पर करवाने में संस्थान का इरादा सरकार की नीति का था किसी श्रमिक कानून/अधिनियम की अवहेलना करने का नहीं है। इस व्यवस्था के स्थान पर अन्ततः कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जानी है।

विद्युत उत्पादन के लिए सुयोग्य कोयला खानों का सर्वेक्षण

898. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिए सुयोग्य कोयला खानों के अस्तित्व के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में वास्तविक स्थिति क्या है और प्रत्येक कोयला खान से प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विद्युत परियोजना को कितना कोयला दिया जा रहा है,

(ग) क्या सरकार अथवा कोल इण्डिया ने यह ध्यान में रखकर, कि कोयला बहुत मंहगा है, तापीय विद्युत परियोजना विद्युत परियोजनाएं के स्थान पर विचार करके मुहानों पर ही स्थापित की जानी चाहिएं, और

(घ) यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो प्रत्येक परियोजना में विद्युत उत्पादन की लागत पर प्रति यूनिट क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ताप विद्युत केन्द्रों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करन के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर सर्वे किए जात है।

(ग) और (घ) ताप विद्युत केन्द्र के स्थान का निर्धारण, विभिन्न पहलुओं जैसे कोयले की उपलब्धता, उत्पादन क्षमता परोषण की लागतों जल को उपलब्धता तथा अन्त अवसंरचना-

त्मक सुविधाओं आदि को ध्यान में रख कर किया जाता है। इस समय स्थापित किए जा रहे नए सुपर ताप विद्युत केन्द्र कोयला-खानों के पास स्थित हैं।

आकाशवाणी के मंगलोर केन्द्र से तुलु भाषा के स्थानीय समाचारों का प्रसारण

5899. **श्री ओस्कर फर्नांडीस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के मंगलोर केन्द्र से तुलु भाषा स्थानीय समाचार प्रसारित करने की कोई मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में खाना पकाने की गैस के आवंटन की एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के लिए साक्षात्कार

5900. **श्री बिरदा राम फुलवारी** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अनेक तेल कंपनियों ने वर्ष 1980-81 में खाना पकाने की गैस के आवंटन की एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के लिए अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लिया है,

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यार्थियों का ब्योरा क्या है जिनका साक्षात्कार लिया गया है तथा उन तेल कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से एजेंसियां आवंटित की जाती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अभी तक राज्य में किसी को एजेंसी आवंटित नहीं की गई है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) चार तेल कंपनियों अर्थात इण्डियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी ने अपनी वर्ष 1980-81 की योजनाओं के लिये राजस्थान में विभिन्न स्थलों के लिये रिटेल आरक्ष लैट डीलरशिपों (पेट्रोलि/डीजल पम्प) तथा/या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की डिस्ट्रीब्यूटर शिपों को प्रदान करने के लिये आवेदकों का साक्षात्कार लिया था। जिन आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया था उनके ब्योरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता है।

एस० टी० डी० प्रणाली से जुड़े हुए शहर और नगर

5901. **श्री एन० सुन्दराजन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1982 तक एम० टी० डी० प्रणाली से जोड़े जा चुके शहरों और नगरों की संख्या क्या है ; और

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक एस० टी० डी० प्रणाली से कितने नगरों और शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में 239 नगर कस्बे एस० टी० डी० प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं ।

(ख) इस वर्ष के अन्त तक, अर्थात 1982 तक 12 और नगरों/कस्बों को एम० टी० डी० प्रणाली के साथ जोड़े जाने की संभावना है ।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

5902. **श्री आर० पी० यादव :** क्या सूचना और प्रसारण : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० पी० डी० द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भाषाओं में कितनी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है, उनके प्रकाशन की अवधि और वितरण, प्रत्येक पत्रिका में काम करने वाले प्रकाशन कर्मचारियों की सख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दी पत्रिकाओं को, कम कर्मचारी और कम सुविधाएं देकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ;

(ग) हिन्दी पत्रिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब होने के क्या कारण है ; और

(घ) नियमित और सम्य पर मुद्रण को सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी पत्रिकाओं को समान सुविधाएं तथा कर्मचारी प्रदान करने हेतु क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) एक विवरण जिसमें सूचना दी गई है, संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3781/82]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कुल मिलाकर सभी पत्रिकाएं समय पर निकलती हैं ।

(घ) हिन्दी पत्रिकाओं को पहले से ही समान सुविफाएं और कर्मचारी उपलब्ध किए हुए हैं ।

प्राइवेट कम्पनियों को गैस कनेक्शन देने का प्रावधान

5903. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद, गुजरात में कैलीको मिल्स की तरह कितनी प्राइवेट कम्पनियों को गैस कनेक्शन दिये गये और ये कनेक्शन किन तारीखों को तथा किस दर पर दिये गये ;

(ख) कालोल में आई० एफ० एफ० सी० ओ० तथा अन्य प्राइवेट कम्पनियों को गैस कनेक्शन किन तारीखों को दिए गये और किस दर पर दिये गये ;

(ग) काडी में जी० आई० डी० सी० को किस दर पर और किस तारीख को गैस कनेक्शन दिया गया ;

(घ) क्या लखपति उद्योगपतियों को गैस कनेक्शन कम दर पर दिये जाते हैं जबकि लघु उद्योगों और सरकारी उद्योगों को ऊंची दरों पर गैस कनेक्शन दिये जाते हैं ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या हाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस कनेक्शन देने के लिए निर्धारित दरें, प्राइवेट बड़े उद्योगों की निर्धारित दरों से चार-पांच गुने हैं ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या प्राइवेट उद्योगों की तुलना में, लघु उद्योगों और सहकारी उद्योगों को रियायती दरों पर गैस कनेक्शन दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टेलीफोन सेवा का कार्यक्रम

5904. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टेलीफोन लाइनें ठीक से काम नहीं कर रही है जिसके कारण अधिकाश प्रयोक्ता कई असुविधाओं का सामना कर रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उपाय किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) स्थानीय टेलीफोन सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। तथापि जंगल से गुजरने वाली ऊपरी ट्रंक लाइनों में कभी-कभी व्यवधान आ जाता है। ऊपरी लाइनों में आए इन दोषों को तत्काल दूर किया जाता है।

(ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली के पारेषण में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हाई वोल्टेज लाइन

5905. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० टी० लाइनों की लम्बाई कम करके उन्हें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में अथवा ट्रांसमिशन के डी० सी० प्रणाली में बदलने से पारेषण में होने वाले नुकशान को बहुत कम किया जा सकता है और इस प्रकार विद्युत सप्लाई में होने वाली कमी को पूरा किया जा सकता; और

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिजली प्रजनन केन्द्र से लूड केन्द्रों में एल० टी० लाइन को हाई वोल्टेज में बदलकर एल० टी० लाइन की लम्बाई कम करने की कोई योजना तैयार की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वोल्टता लाइनों के स्थान पर 11 के० वी० उच्च वोल्टता लाइनें बिछाकर निम्न वोल्टता लाइनों की लम्बाई कम करके तथा अलग-अलग उपभोक्ताओं को छोटे स्टप-डाउन ट्रांसफार्मरों के मध्यम से सीधे ही विद्युत सप्लाई करके सैद्धान्तिक तौर पर केवल उस विशेष सर्किट में ही पारेषण हानियों को कम किया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के परिवर्तन के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश करना होता है और अनुरक्षण की लागतों आदि में वृद्धि होती है।

(ख) जी नहीं।

पैराफीन निकालने के लिए भारतीय तेल निगम का तेल शोध कारखाना और पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० के बीच समझौता

5906. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल हल्का सामान्य पैराफीन न कि भारी सामान्य पैराफीन निकालने के लिए भारतीय तेल निगम तेल शोधक कारखाने और भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सामान्य पैराफीन मिट्टी के तेल से निकाला जाता है और तब सामान्य पैराफीन के बड़े टुकड़ों में अर्थात भारी सामान्य पैराफीन और हल्का सामान्य पैराफीन में खंडित किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो सामान्य पैराफीन, भारी सामान्य पैराफीन की कुल उत्पादन क्षमता क्या है ;

(च) भारी सामान्य पैराफीन की विपणन योग्य मात्रा क्या है ;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी सामान्य पैराफीन की भारी मांग है ; और

(ज) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) हल्के सामान्य पैराफीन निकालने के लिए मिट्टी के तेल की सप्लाई हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई० ओ० सी०) और इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं है। तथापि, आई० पी० सी० एल० लाइनियर एल्काइल बैन्जीन (एल० ए० बी०) का उत्पादन करने के लिए मिट्टी के तेल की सप्लाई आई० ओ० सी० से प्राप्त करती है। एल० ए० बी० के उत्पादन में सामान्य पैराफीन (एन० पी० की आवश्यकता होती है, जो एल० ए० बी० संयंत्र में संसाधन में और पैराफीन के निकालने के पश्चात उत्पादित होता है, शेष हाईड्रो-कार्बन्स को मात्रा को वापिस रिफाइनरी में भेज दिया जाता है।

(ग) जी, हां। तथापि हल्के सामान्य तथा भारी सामान्य पैराफीन (एच० एन० पी० के बीच कोई सीमा नहीं है। ये सापेक्ष शर्तें हैं जो एल० ए० बी० संयंत्र की आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं।

(घ) से (च) एल० ए० बी० संयंत्र की मिट्टी के तेल से सामान्य पैराफीन निकालने की वार्षिक क्षमता लगभग 5 ,000 मी० टन की है। भारी सामान्य पैराफीन की बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा एल० ए० बी० संयंत्र के लिए सामान्य पैराफीन की आवश्यकताओं पर और आई० ओ० सी० से प्राप्त की गई मिट्टी के तेल की किस्म पर निर्भर करती है। जो शोधनशाला में संसाधित किये गये खनिज तेल की किस्म पर निर्भर करती हैं। एल० ए० बी० संयंत्र के लिए निकाली गई सामान्य पैराफिन की मात्रा और वर्ष 1978-79 से बिक्री के लिए उपलब्ध भारी सामान्य पैराफिन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	एल० ए० बी० संयंत्र में प्रयोग के लिए एन० पी०	(माड़ा/मी० टनों में) बिक्री के लिए एच० एन० पी०
1978-79	69 1	3264
1979-80	15389	4133
1980-81	16375	6776
1981-82	(अप्रैल 1981-जनवरी 1982) 22760	4894

(छ) जी, हां।

(ज) पैराफीन मोम का सरणीबद्ध आयात परिमेय है।

वैधाम और पंच में सुपर बिजली घर

5907. **श्री छीतु भाई गामित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के मुख्य मन्त्री ने वैधाम और पंच में प्रस्तावित सुपर बिजली घरों का 50 प्रतिशत हिस्सा गुजरात को देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे वृहत पिट हैड मुपर ताप विद्युत केन्द्रों से क्षेत्र के राज्यों के बीच विद्युत का आबंटन सामान्तयः केन्द्रीय योजना सहायता तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थापित हो, उस राज्य को कुछ अतिरिक्त सहायता दी जाती है। गुजरात के मुख्य मन्त्री को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

आरक्षित तेल का अनुमान

5908. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की तेल सम्भावना के बारे में सरकारी अनुमानों और उद्घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में अगले दो वर्षों में तेल की बाढ़ सी आ जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो आने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित तेल और हाइड्रोकार्बन के बारे में सरकार द्वारा बताये गए अनुमानों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं। तथापि वर्ष 1981-82 के लगभग 16 मि० मी० टन पूर्वानुमानित उत्पादन की तुलना में 1983-84 तक लगभग 26 मि० मी० टन अशोधित तेल का उत्पादन किए जाने का अनुमान है।

(ख) हाइड्रोकार्बन भण्डार प्रमाणित हो गए हैं तथा लगातार भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी आधार पर उनका वर्गीकरण निश्चित किया जा रहा है तथा व्यधनकार्य किया जा रहा है। तथा कारण, भण्डारों में भविष्य में होने वाली और वृद्धि का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वह उन परिणामों पर निर्भर करती है जिनको ऊपर वर्णित प्रयासो से प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक 1-1-1981 की यथा स्थिति को प्रतिप्राप्ति योग्य भण्डारों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

	(मि० मी० टनों में)
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	429.74
आयल इन्डिया लिमिटेड	32.55

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के नांगल एकक का बन्द होना

5909. **श्री दया राम शाक्य** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में संलग्न राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स लि० का नांगल एकक, बिजली की भारी कमी के कारण गत तीन चार महीनों से बन्द पड़ा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके परिणामस्वरुप पांच से छः लाख रुपए तक का घाटा प्रतिदिन हो रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने को फिर शुरु करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उठाए गए हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पावर की कमी के कारण गत 6 महीनों के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के नंगल यूनिट के संयन्त्र जिस अवधि के लिए बन्द रहे वह निम्न प्रकार है :

नंगल पुराना संयंत्र	10.8.81 से 23.11.81 तक
	और
नंगल भारी जल संयंत्र	10.12.81 से 31.12.81
नंगल विस्तार	16.9.81 से 19 9.81 तक

(ख) 19.9.81 से 28.2.82 तक पावर की कमी के कारण 27,400 टन कैल्शियस अमोनियम नाइट्रेट, 5,000 टन यूरिया और 5,091 लाख कि० ग्रा० भारी जल की अनुमानित उत्पादन हानि हुई है जिसका मूल्य 637 लाख रु० है ।

(ग) पंजाब सरकार और बिजली विभाग के साथ मामला उठाया गया था । कम्पनी के अनुसार मार्च, 1982 के प्रारम्भ से पर्याप्त पावर सप्लाई की जा रही हैं और अब उत्पादन में में कोई हानि नहीं है ।

औषधियों रसायनों तथा फार्मास्युटिकलों का आयात

5910. **श्री राजेश पाइलट** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा

आयात की गई औषधियों, रसायनों और फार्मास्युटिकलों के नाम, किस्म तथा मात्रा क्या हैं, और आयात के विकल्प की दिशा में क्या कदम उठाये गए है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शकर) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार पिछले एक वर्ष (1980-81) के दौरान देश में आयात किये गए औषधों) वल्क औषध, तैयार फार्मुलेशन मध्यवर्ती रसायन, घोलक और यांत्रिक गर्भनिरोधी) का मूल्य रु० 113 करोड़ था।

(ख) सरकार ने आवश्यक औषधों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ाने और उसके आयात को सीमित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों के ब्यौरे दिनांक 23.3.1982 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न स० 4685 के उत्तर में दिए जा चुके हैं।

सरकार समय-समय पर आयात नीति की समीक्षा करती है और स्वदेशी उत्पादन/उपलब्धता के रुख को ध्यान में रखने के बाद जब कभी आवश्यक हो आयात को सीमित करने के उपयुक्त परिवर्तन करती है।

मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के रिक्त पद

5911. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम : विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मद्रास के उच्च न्यायालय में इस समय स्थायी तथा अपर न्यायधीशों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं ; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तारीख 25.3.1982 को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के चार पद और अपर न्यायाधीश का एक पद रिक्त था।

(ख) ये पद उनके सामने दी गई तारीख से रिक्त हैं :

क्रम सं०	तारीख
1.	21-1-1981
2.	9-7-1981
3.	8-10-1981
4.	8-12-1981
5.	29-12-1981

(ग) मद्रास उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित प्रस्तावों की राज्य प्राधिकारियों से प्रतीक्षा की जा रही है।

दूरदर्शन पर विज्ञापन

5912. **श्री नवीन रवाड़ी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र द्वारा दूरदर्शन पर विज्ञापनों से प्रतिमाह कितनी राशि प्राप्त की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : चालू वित्तीय वर्ष (फरवरी, 1982 तक) के दौरान दूरदर्शन पर विज्ञापनों से प्रति मास एकत्र हुआ औसतन कुल राजस्व (अनतिम) इस प्रकार है।

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	आंकड़े लाख रुपयों में
1.	बम्बई	30.13
2.	कलकत्ता	12.43
3	दिल्ली	25.77
4.	जलन्दर	9.25
5.	लखनऊ	4.32
6.	मद्रास	12.35
7.	श्री नगर	1.34

विभिन्न औषध एककों में मंजूरी की विभिन्न दरें

5913. **श्री के० मालन्ना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न औषध एककों में मंजूरी की विभिन्न दरें हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संचालित ऐसे एककों के नाम क्या हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्रीय कंपनियों और सरकार के प्रबन्धाधीन एक में कंपनी के नाम निम्नप्रकार हैं :—

इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०

स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०

बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि०

(सरकार के प्रबन्ध में)

सचिवों और संयुक्त सचिवों के टेलीफोन के बिल

5914. **श्री निहाल सिंह : संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान के प्रत्येक मन्त्रालय के सचिवों और संयुक्त सचिवों के टेलीफोन के बिलों की राशि क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय महासमुद्र और वे आफ बंगाल में गैस तेल का भंडार

5915. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने यह संभावना व्यक्त की है कि भारतीय महासमुद्र क्षेत्र और वे आफ बंगाल की समुद्र की तलहटी में गैस और तेल का भारी भंडार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में तेल की खोज कराई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हमें ऐसी जानकारी नहीं है ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बंगाल की खाड़ी में निम्नलिखित अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक व्यधन शुरू किया है, तथा इसके परिणाम नीचे दर्शाये गये हैं:

अपतटीय क्षेत्र		खोज
पांडिचेरी	—	पोटंनोवो संरचना में गैस प्राप्त हुई थी
गोदावरी	—	तेल और गैस
कृष्णा	—	—
अण्डेमान	—	गैस
कावेरी	—	तेल

उनकी व्यापारिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में इतनी शीघ्र मूल्यांकन करना सम्भव हीं है क्योंकि अभी और अन्वेषण तथा व्यधन कार्य किया जायेगा ।

आयल इन्डिया लिमिटेड ने महानदी क्षेत्र में दो कूपों का व्यधन किया है दोनों कूपों में हाइड्रोकार्बनों की उपस्थिति के संकेत मिले थे परन्तु दूसरे कूप के परीक्षण के दौरान उनमें से विरचम जल (कार्मेशन वाटर) का अन्त प्रवाह हुआ था।

इस समय महानदी अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त भू-कम्पीय तथा कूप आंकड़ों की, इस क्षेत्र में भविष्य में अन्वेषण योजनाओं हेतु निर्णय लेने के लिए, पुनः व्याख्या की जा रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में मरने वाले कर्मचारियों की संख्या

5916. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन कोयला खानों में किने कर्मचारी मारे गये ;

(ख) मृतक कर्मचारियों के कितने आश्रितों को अब तक रोजगार दिया गया है और कितने आश्रितों के आवेदन पत्र अभी लंबित पड़े ; और

(ग) क्या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लंबित आवेदनपत्रों को सरकार द्वारा निपटाये जाने की सम्भावना है ;

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मृतकों की संख्याएं निम्न-लिखित हैं :—

1979	—	28
1980	—	47
1981	—	41
1982	—	11 (26-3-1982 तक)

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गस का जलना

5917. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार जलाई जा रही गैस का उपयोग करने की अनुमति देने के लिये कह रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अनुमति दी गई है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में असम सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए० एम० ई० बी०) जो राज्य सरकार की एक निकाय हैं वे ओ० एन० जी० सी० और ओ०

आई० एल से विद्युत सृजन और अपने मोबाइल टर्बाइन यूनिटों में प्रयोग में लाने हेतु अतिरिक्त गैस के लिए कहा है। ओ० जाई० एल० ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है और दिनांक 15-12-1982 से उन्होंने सप्लाई आरम्भ कर दी है।

ए० एस० ई० पी० को वर्तमान सप्लाई के अतिरिक्त, ओ० एन० जी सो० ने ए० एम० ई० बी० के अनुरोध पर 1.7 लाख एस० सी० एम० डी० मात्रा प्रस्तुत की है आर कम्पनी को इस सम्बन्ध में अभी एक औपचारिक संविदा करना है।

असम में अधिक अवधि तक निरन्तर गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ए० एस० ई० बी० को अधिक गैस के वचनबद्धता की संभावना है।

चालू वित्त वर्ष में बिजली के क्षेत्र पर महत्व दिया जाना

5918. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री अनादि चरण दास :

श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त वर्ष 1982-83 में बिजली के क्षेत्र को महत्व दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वर्ष में कोयले और विद्युत के उत्पादन के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है ;

(ग) उपयुक्त वर्ष में क्षेत्र के लिए राज्य वार आबंटन की जाने वाली प्रस्तावित राशि के बारे में ब्योरा क्या है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में उक्त अवधि में किन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव हैं और उनके लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हां।

(ख) 1982-83 की वार्षिक योजना में कोयला और विद्युत क्षेत्रों के लिए किए गए अन्तिम आबंटन निम्नानुसार हैं :—

	(करोड़ रुपये)
कोयला क्षेत्र	877.00
विद्युत क्षेत्र	3894.51

(ग) वार्षिक योजना 1982-83 में विद्युत क्षेत्र का राज्य-वार अनन्तिम आबंटन दिखाने वाला विवरण सलग्न है।

चूंकि कोयला खनन का कार्य राष्ट्रीयकृत कम्पनियों यथा सी० आई० एल०' एस० सी० एल० और एन० एल० सी० द्वारा किया जाता है और ये कम्पनियां उन्हीं राज्यों में कार्य करती

हैं जिनमें कोयला भंडार मुख्य रूप से विद्यमान हैं, अत: कोयला क्षेत्र का राज्य-वार आबंटन बता सकना कठिन है ।

(घ) : वर्ष 1982-83 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 133.0 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। विद्युत उत्पादन के लिए 4354.5 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

विवरण

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	विद्युत क्षेत्र का 1982-83 का अनन्तिम परिव्यय
1. आन्ध्र प्रदेश	173.53
2. असम	90.70
3. बिहार	155.73
4. गुजरात	209.00
5. हरियाणा	102.50
6. हिमाचल प्रदेश	29.92
7. जम्मू व कश्मीर	24.36
8. कर्नाटक	141.81
9. केरल	50.09
10. मध्य प्रदेश	300.00
11. महाराष्ट्र	440.00
12. मणिपुर	4.47
13. मेघालय	9.00
14. नागालैंड	3.12
15. उड़ीसा	84.00
16. पंजाब	189.38
17. राजस्थान	114.03
18. सिक्किम	2.50

राज्य का नाम	(करोड़ रुपये) विद्युत क्षेत्र का 1982-83 का अनन्तिम परिव्यय
19. तमिलनाडु	20.000
20. त्रिपुरा	4.61
21. उत्तर प्रदेश	400.00
22. पश्चिम बंगाल	163.35
उप जोड़ :	2912.10
संघ शासित क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.00
2. अरुणाचल प्रदेश	4.00
3. चण्डीगढ़	2.25
4. दादर और नागर हवेली	0.35
5. दिल्ली	31.40
6. गोआ, दमन और दीव	4.00
7. लक्षद्वीप	0.40
8. मिजोरम	6.00
9. पांडिचेरी	1.75
उप जोड़ :	53.15

पेट्रोलियम के लिए वित्तीय आवंटन

5919. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में पेट्रोलियम के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम, सैक्शन में किन-किन कार्यक्रमों के क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस आवंटन में से विभिन्न राज्यों में कितनी राशि व्यय की जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1982-83 के लिये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुल वित्तीय आवंटन 1938, 86 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम क्षेत्र में योजना व्यय राज्य वार आवंटन नहीं किया जाता है ।

भारत में विदेशी कम्पनियों की शाखाएं

5920. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री ए० सी० दास : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी भारत में शाखाएं हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1981 को इन भारतीय शाखाओ में उनकी कुल कितनी परिसम्पत्तियां थी ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) से (ग) 31-3-1981 तक भारत में विदेशी कम्पनियों की 300 शाखाएं कार्य कर रही थी । इन शाखाओं की 228 की आस्तियों का कुल मूल्य, जिसके लिए तुलन-पत्र उपलब्ध हैं, वह उस वर्ष के लिए 2517.39 करोड़ रु० अनुमानित किया गया था । इत 300 शाखाओं के नाम और उनके अन्य ब्यौरों को, जहां यक कि उनकी पैतृक कम्पनियो के विनिगमन के देश का सम्बन्ध है तथा उनकी आस्तियों आदि के मूल्य को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रकाशिक बुकलेट, "शीर्षक" फेक्टशीटस आन ब्रान्चेज आफ फोरिन कम्पनीज इन इण्डियाएज आन 31-3-1981 "में दिया गया है । इन फेक्टशीटस की प्रतियों को संसद के पुस्तकालय को भेजा गया है और नियमित रूप से भेजा जा रहा है ।

सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना

5921. श्री एन० ई० होरो : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष वार जारी किए गए सी० ओ० सी० लाइसेंस का ब्योरा क्या है तथा ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, उन्हें किन उत्पादों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए जाने से पूर्व तथा उसके बाद के दौरान उनका उत्पादन कितना था,

(ख) क्या सी० ओ० बी० लाइसेंस देने के लिए एक मापदण्ड अधिष्ठापित क्षमता के ध्यान में रखा गया था और यदि हां, तो इसमें विदेशी कम्पनियो को कहां तक लाभ पहुंचेगा, और

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सी० ओ० बी० लाइसेंसों में कुछ संशोधन किए गए थे और क्या ऐसे संशोधन विगत में अपनाये गये आधार के अनुरुप हैं, यदि नहीं, तो नई नीति की तुलना में ऐसी परिवर्तन करने के क्या कारण है, ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्री (पी० शिव शकर) : (क) रसायनों, उर्वरकों और औषधों तथा भेषजों के क्षेत्र मे लगे उपक्रमों को वर्ष 1980 और 1981 के दौरान स्वीकृत सी० ओ० बी० लाइसोंसो के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। सी० ओ० बी० लाइसेंसों की स्वीकृति के बाद उत्पादन के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और वह एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

[प्रथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3782/82]

(ख) न्यूनतम व्यवहार्य आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुये पिछले सर्वोत्तम उत्पादन या अस्थाई क्षमता के आधार पर सी० ओ० बी० लाइसेंसों की मंजूरी दी गई थी । औषध और और भेषज उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को सिर्फ दो सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किए गए थे । इन दो मामलो में स्थापित क्षमता को महत्व नहीं दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1979 से कीटनाशी फार्मुलेशनों के निर्माण में लगी भारतीय गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को उनके सी० ओ० बी० लाइसेंस मे कीटनाशी फार्मुलेशन के स्थान पर दूसरी एवजी की अनुमति दी जाती है। ऐसी दो कम्पनियों को उनके सी० ओ० बी० लाइसेंस में एवजी कीटनाशी फार्मुलेशन की अनुमति दी गई है ।

भाग (क), (ख) और (ग) के लिये पेट्रो रसायनों से सबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मैसर्स मैक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की लाइसेंस क्षमता

5922. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० मैक लेबोरेटरीज प्राइवेट लि० की शुरू के चरण से क्लोरमफिनिकोल का निर्माण करन की कुल लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है—

(ख) यस विगत की खपत के आधार पर वर्तमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अधीन कुल कितनी मात्रा में विभिन्न मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात कर सकते हैं ; और

(ग) यह पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) कम्पनी को बुनि-

यादी स्तर से 25 टन प्रति वर्ष की समग्र क्षमता से क्लोरमफेनीकल पाउडर और क्लोरमफेनीकल फमीटेट के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है। तथापि मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए मध्यवर्ती के आयात की अनुमति दी गई थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

ऊर्जा उत्पादन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का उपयोग

5923. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यार्ड ब्रह्मपुत्र नदी के जल का उपयोग पन बिजली के लिए किया जाए तो इससे भारत की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को बहुत हद तक पूरा किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में नेपाल से समझौता करने का कोई प्रयास किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रयासों का क्या परिणाम निकला है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जल विद्युत शक्यता का तेजी से किए गये पुनर्निर्धारण के अनुसार, ब्रह्मपुत्र घाटी की शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 22 मिलियन किलोवाट हो सकती है : देश की अनुमानित जल विद्युत शक्यता का यह लगभग 30 प्रतिशत है। उमियाम उमत्रू काम्प-लेक्स तथा कोपिली बिजली घर का निर्माण कार्य हाथ में लेकर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का उपयोग करने की शुरूआत कर दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत तथा बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए अन्वेषण कार्य भी हाथ में लिए गए हैं।

(ख) और (ग) चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल में से होकर नहीं गुजरती है, अत: नेपाल के साथ समझौता करने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में खराब टेलीफोन

5924. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 फरवरी, 1982 को और इससे आगे होने वाली भारी वर्षा से दिल्ली संचार को भारी नुकसान पहुचा है ;

(ख) क्या लगभग 5000 टेलीफोन खराब हो गए हैं क्योंकि नमी के प्रवेश से टेलीफोन केबलों को नुकसान पहुंचा है ;

(ग) क्या भारी वर्षा होने से दिल्ली टेलीफोन को काफी हद तक हमेशा नुकशान पहुंचता है ;

(घ) क्या वर्षा होने के परिणामस्वरूप भारी हानि को देखते हुए सरकार भूमिगत केबल बिछाने की योजना बना रही है जिससे भविष्य में इस हानि को रोका जा सके ;

(ङ.) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में ऐसे प्रस्ताव पथ कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) यदि हां, तो इसमें कुल कितना व्यय आने की संभावना है ।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । पहली भारी वर्षा हमेशा कुछ सीमा तक दिल्ली टेलीफोन प्रणाली को प्रभावित करती है । राजधानी में खुदाई एवं निर्माण गतिविधियों के कारण भूमिगत केबलों में होने वाली टूट-फूट शुष्क मौसम के दौरान कोई प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव नहीं डालती । पहली भारी वर्षा के बाद जब वर्षा का पानी रिस रिसकर केबल के अन्दर पहुच जाता है तो केबल में दोष उत्पन्न हो जाता है ।

(घ) दिल्ली टेलीफोनस में भूमिगत केबल प्रणाली में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं । ये कदम इस प्रकार हैं :—

(1) जंक्शन प्राथमिक एवं माध्यमिक केबलों का गैस दाबीकरण

(2) दोषों का शीघ्र पता लगाने हेतु सुविधा देने के लिए केबिनेटों एव पिलरों की स्थापना

(3) केबल नलिकाओं का निर्माण

(4) जहां कहीं केबल निर्धारित गहराई से कम पर स्थित हो वहां भूमिगत केबलों को अर्धनलिकालों से सुरक्षा प्रदान करना

(5) बेहतर कारीगरी सुनिश्चित करने के लिए केबल जोड़ों की तुरन्त जांच

(6) केबल खाइयों को बन्द करने से पूर्व इन्हें अच्छी तरह भरना ताकि अन्य एजेंसियों द्वारा किये गये खुदाई कार्यों से केबल को पहुंची क्षति का भली भांति पता चल सके ।

(7) उन केबल मार्गों पर, जहां अन्य एजेंसियां खुदाई कर रही हो, पता लगाना ताकि टेलीफोन केबल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

(ङ.) उक्त सभी उपायों पर कार्य प्रगति पर है ।

(च) केबल सुरक्षा की परियोजनाएं तथा उनकी कुल लागत के ब्यौरे निम्नानुसार है : –

कार्य की मद	कार्यक्रम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1 दाबीकरण		
(क) जक्शन, प्राथमिक एवं माध्यमिक केबल	2400 कि० मी०	240

(ख) दोषपूर्ण केबलों का प्रतिस्थापन	47 कि० मी०	69
(ग) डक्ट बिछाना	34 कि० मी०	524

राज्य बिजली बोर्डों को अधिकृत उपयोग के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए कहना

5925. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बिजली की घटबढ़ का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इसलिए राज्य बिजली बोर्डों को बिजली के उत्पादन और वितरण में अधिकतम स्तर का उपयोग करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ान के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य बिजली बोर्डों के कार्य में उतना सुधार नहीं आया है। जितनी अपेक्षा की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई पमिपत्र अथवा निदेश जारी किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने राज्य बिजली बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश क्रियान्वित किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनको चालू करने, वर्तमान उत्पादन क्षमता के समुपयोजन, पारेषण और वितरण हानियों आदि को कम करने के सम्बन्ध में. राज्य बिजली बोर्डों के कार्य करण में सुधार की काफी गुंजाइश है।

(ग) और (घ) परियोजना के निर्माण में विलम्ब को न्यूनतम करने, अपनी वित्तीय और प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार करने तथा अपनी टैरिफि के स्वरूप को युक्ति संगत बनाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विशिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी किए गए है। बताए गए माग सिद्धांतों को क्रम-क्रम से तथा दीर्घकालिक आधार पर क्रियान्वित किया जाना है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही हैं।

कटक उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

5926. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक में एक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त प्रस्ताव को वर्ष 1982-83 के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री संत साठे) : (क) और (ख) कटक में एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र पहले से ही है। 10 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के भी 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) ट्रांसमीटर के स्थान का चयन कर लिया गया हैं और उपकरणों को हांसिल करने के लिए आर्डर मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० को दे दिए गए हैं। ट्रांसमोटर उपकरणों के 1982-83 के दौरान प्राप्त हो जाने की उम्मीद हैं।

राज्य बिजली बोर्डों को अधिक बिजली का उत्पादन करने के लिए नकद और वस्तु में सहायता दिया जाना

5927. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को अधिक बिजली के उत्पादन में उनके प्रयासों में नकद और वस्तु में सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मत्रालय ने ऐसी पेशकश कब की थी ;

(ग) किन राज्य सरकारों अथवा राज्य बिजली बोर्डों ने अब तक ऐसी पेशकश स्वीकार की है ; और

(घ) उन राज्य सरकारों अथवा राज्य बिजली बोर्डों को दी जाने वाली सहायता का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित साधन, योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने वाले योजना परिव्ययों के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं। तथापि विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को अपने विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजना में सुधार लाने के लिए तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को सयम पर चालू करने के लिए तकनीकी सहायता केन्द्र सरकार ने प्रदान की की है। कई कृति बलों तथा दलों का गठन किया हैं जो विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को जहां आवश्यक होता हैं सहायता प्रदान कर रहे हैं जो उनकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। यद्यपि परियोजना के क्रियान्वयन का तथा क्षमता का अधिक समुपयोजन करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्यों का है, फिर भी सप्लाईकर्त्ताओं से उपस्करों की समय पर सुपुदर्गी सुनिश्चित करके, महत्वपूर्ण निवेशों और फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करके केन्द्र उन्हें सहायता प्रदान कर रहा है। यह सब सतत आधार पर किया जा रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों/सहायता के प्रति राज्य बिजली बोर्डों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

उड़ीसा में शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला जाना

5928. **श्रीमती जयंती पटनायक** :

श्री लक्ष्मण मालिक : क्या संचार मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ नए शाखा डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में कुल कितने नए शाखा डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजना के लिए सरकार ने कितना धन स्वीकृत किया है ; और

(ग) उड़ीसा के उन गांवों और कस्बों का ब्यौरा क्या है जहां उम वर्ष के दौरान ऐसे शाखा डाकघर और तारघर खोले जाने का प्रस्ताव हैं ;

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों में 1000 नए शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों तथा संयुक्त डाक-घरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण डाकघर खोलने हेतु डाक सर्किलवार लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है वास्तविक लक्ष्य तथा आनुपातिक वित्तीय परिव्यय उड़ीसा सर्किल सहित सभी सर्किलों का आवंटित किया जायेगा।

वर्ष 1982-83 में साठ सार्वजनिक टेलीफोन घर संयुक्त डाक-तार घर खोलने का प्रस्ताव हैं। उपरोक्त कार्य सहित सभी कार्यों के लिए सर्किल के अधिकार में एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा।

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा जहां डाकघर खोले जायेंगे, डाकघर खोलने हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार, वास्तविक लक्ष्यों का आवंटन होने पर सम्बन्धित पोस्टमास्टर द्वारा कार्यन्वित किए जायेंगे।

डाक घरों (संयेक्त डाक-तार घरों) का ब्यौरा उपरोक्त (क(के अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

अनुबन्ध

उड़ीसा (जिलेवार) के उन ग्रामों और कस्बों के नाम जहां नए सार्वजनिक टेलीफोन घर/सयुक्त डाक-तारघर खोल जाएंगे

क्रम सं०	ग्राम का नाम	जिला
1.	गडागुडा	फूलबनी
2.	सुदरा	"

क्रम सं०	गांव का नाम	जिला
3.	कुरतुमगड	,,
4.	कतरीगिआ	,,
5.	गोचपाडा	,,
6.	नुआपाडार	,,
7.	तूतीपाडा	,,
8.	दसमंतापुर	कोरापुट
9.	झालीगुडा	,,
10.	हुकुम्बा	,,
11.	अलमान्डा	,,
12.	गुनेईपाडा	,,
13.	माचादन्डा	,,
14.	पाडवा	,,
15.	सुनकी	,,
16.	काकरीकुम्मा	,,
17.	बन्धु गांव	,,
18.	पोडिआ	,,
19.	सीकापाली	,,
20	वेंकटपलम	,,
21.	कुडुमुल गुम्मा	,,
22.	खोइपुट	,,
23.	मुदुलीपाड़ा	,,
24.	अंतीगांव	,,
25.	हाटीबेडा	,,
26.	नन्दापुर	,,
27.	नुआकोट	,,
28.	मालासाडा	सुन्दररंग
29.	रुगुडा	,,

क्र०स०	गाव का नाम	जिला
30.	खुन्तागांव	,,
31.	टिकायत पाली	,,
32.	सरसारा	,,
33.	जालदीही	,,
34.	बांकी	,,
35.	बिमलगढ़	,,
36.	बामतोल	मयूरगंज
37.	गुलदांगड़ी	,,
38.	बडाटुन्डु	,,
39.	मान्डा	,,
40.	हाटा-बडारा	,,
41.	डांगरीखूटा	,,
42.	पोडागड	,,
43.	कांजीपानी	क्योंकर
44.	गोनासिका	,,
45.	उखुन्डा	,,
46.	भान्डा	,,
47.	नुआकोट	,,
48.	कुसुमी	सम्भलपुर
49.	गोरपोश	,,
20.	कासीबह् ल	,,
51.	मंडोसिल	,,
52.	पारुआभाडी	,,
53.	फासीमल	,,
54.	बारीकपुर बाजार	बालासोर
55.	मानीटरी	,,
56.	चंदनेश्वर	,,
57.	मोतिआसी	,,
58.	बडापुडागडा	कालाहांडी
59.	कामपुर	कटक
60.	सिंधोल	बोलनगीर

1982-83 के दौरान धेनकनाल, पुरी और गंजम के शेष तीन जिलों में कोई नया सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु एककों द्वारा मेनथोल का उत्पादन

5929. **श्री चिन्तामणि जेना :** पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेनथोल का उत्पादन करने वाले लघु एकक मेनथोल की समूची घरेलू मांग को पूरा करने से समर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो लघु एककों और बड़े एककों को जारी किए गए आशय पत्रों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) लघु एककों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देकर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) मेनथोल की मांग को कोई सही अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि मेनथोल की वर्तमान मांग को संगठित और लघु दोनों क्षेत्रों में विद्यमान एककों द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) लघु एककों को आशयपत्र की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि उनको उद्योग निदेशकों के पास पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेनाथोल का निर्माण करने वाले एककों की संख्या की जानकारी नहीं है। अखिल भारतीय मेनाथोल उद्योग (लघु पैमाना) एसोसिएसन के अनुसार लगभग 350 लघु एकक मेनथोल का निर्माण कर रहे हैं जिनकी स्थापित क्षमता 250 मी० टन प्रतिवर्ष है। संगठित क्षेत्र में मेन- थोल का निर्माण करने वाले एकक के ब्योरे निम्नप्रकार हैं :—

	एकक का नाम	क्षमता (मी० टनों में)
1.	मै० कैमफर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०	200
2.	मै० एस० एच० केलकर एण्ड कं०	25
3.	मै० भवना कैमिकल्स लि०	82.5
4.	मै० कलकत्ता कैमिकल्स कं लि०	42
5.	मै० रिचर्डसन हिन्दुस्तान प्राइवेट लि०	147.3
	योग :	496.8

संगठित क्षेत्र में अपरिवर्धित, आशय पत्र रखने वाला कोई एकक नहीं है।

(ग) इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए लघु एककों को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

कम्बलों की सप्लाई में विलम्ब

5930. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सैनिकों के लिए 1,40,0000 कम्बल सप्लाई करने हेतु क्या मैसर्स ई० सिफ्टन एण्ड कम्पनी मिर्जापुर और श ान एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई की निम्नतम: टैंडरों के आधार पर लिए गए थे, और

(ख) क्या यह सच है कि इन दोनों कम्पनियों ने उक्त अनुबन्धों के अनुसार कम्बल सप्लाई नहीं किए थे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मैसर्स ई० सिफ्टन एन्ड कम्पनी लिमिटेड मिर्जापुर और मैसर्स सी० रामन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को स्वीकार्य दरों पर कुल 1,46,546 कम्बल सप्लाई करने हेतु आर्डर दिए गए थे।

(ख) मैसर्स ई० सिफ्टन एण्ड कम्पनी, मिर्जापुर को तारीख 31-12-1981 तक कुल 90,000 कम्बल सप्लाई करने के लिए आर्डर दिया गया था। उसमे से उन्होंने 44,215 कम्बल सप्लाई कर दिए हैं।

मैसर्स सी० रामन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को तारीख 30-9-81 तक बढ़ाई गई सुपुर्दगी अवधि कुल 56,546 कम्बल सप्लाई करने के लिए आर्डर दिया गया था। उसमे से उन्होंने कोई कम्बल सप्लाई नहीं किया है।

घटिया कम्बलों की सप्लाई

5931. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्ण वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई पूर्ति और पुनर्वास विभागों को सप्लाई कर रहा है, उसे 10 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किए गए कम्बल रक्षा विभाग में विभागीय जांच के दौरान घटिया किस्म के पाए गए थे ; और

(ग) घटिया किस्म के कम्बल सप्लाई करने के लिए उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (ख) यद्यपि मैसर्स श्री कृष्ण वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने पहले भी कम्बलों की सप्लाई की थी, परन्तु पिछले तीन वर्षों में उन्हें जो दो ठेके दिए गए थे, उनमें वे दोषी रहे है और उन ठेकों को उनके जोखिम

और लागत पर रद्द किया गया था। 2,33 लाख रुपये की राशि का भुगतान रोक दिया गया था, क्योंकि वर्ष, 1971 में दिए गए दो ठेकों में, जन्होंने घटिया किस्म के कम्बल सप्लाई किए थे।

(ख) जी हां। वर्ष 1971 मे दिए गए दो ठेकों में सप्लाई किए गए कम्बल घटिया किस्म के पाये गए।

(ग) नवम्बर, 1975 में इस फर्म के साथ व्यापारिक लेन-देन पर 3 वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया, परन्तु दिल्ली उच्च न्यायलय के निदेश को ध्यान में रखते हुए, उन आदेशों को रद्द कर दिया गया था। इस समय उक्त दोनों ठेकों के सम्बन्ध में मध्यस्ता सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है।

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति

5932. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इण्डिया लि० कपनी का विज्ञापन संख्या भरती/81-82/8 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी किया गया था और यदि हां, तो इसके 12 विभागों में अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार निपुक्त किये गए;

(ख) क्या यह सच है कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी निरीक्षण (विभागीय) विभाग ने एक भी उम्मीदवार इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाया था यद्यपि ये उम्मीदवार प्रत्येक शर्त को पूरा करते थे और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में विभिन्न श्रेणियों में नितुक्त और पदोन्नति द्वारा रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई प्रक्रिया बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां। इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जुलाई, 1981 में एक विज्ञापन जारी किया था। इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों के पदों के लिए 280 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। पदों की कुछ श्रेणियों के लिए 88 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जा चुका है और दो उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है।

ऐसी आशा है कि बकाया साक्षात्कारों को अप्रैल/मई, 1982 के दौरान पूरा किया जाएगा।

(ख) जी नहीं। निरीक्षण विभाग में पदों के लिए अभी साक्षात्कार किये जाने हैं।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को

भरने के लिए इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड विशेष कदम उठा रहा है। इनमें अन्य तो बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ पूर्व स्नातक इन्जीनियरिंग उम्मीदवारों को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को शामिल करना, केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी करना और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी जांच उन मानकों के अनुसार नहीं की जाती है जो सर्वसाधारण श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किये गए हैं, जहां तक सम्भव हो, उनके लिए पृथक् साक्षात्कारों का आयोजन किया जाये, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती में सहायता देने के उद्देश्य से सम्बन्धित विभिन्न एजेंसियों की आवश्यकताओं के ब्यौरे भेजना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए शीघ्र अति शीघ्र सम्मिलित प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में समय-समय पर इस सम्बन्ध मे जारी किये गए निदेशों का इन्जीयर्स इण्डिया लिमिटेड अनुपालन कर रहा है।

विदेशी सहायता से बिजली एककों की स्थापना

5933. **श्री बो० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय का विचार विदेशी सहायता से बिजली एकक स्थापित करने का है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने केवल उन्हीं विदेशी प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय लिया है जिनमें शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओ के लिए विद्युत उपस्करों की सप्लाई करने के लिए विदेशी/विदेशी कम्पनियों के लिए सरकारी ऋण, सप्लाईकर्ताओ के ऋण तथा वाणिज्यिक ऋणों की सम्भाव्यताओं के बारे में भी संकेत दिया गया है। इन प्रस्तावों पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

पंजाब को एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम लागू करने से छूट

5934. **श्री लहना सिंह तुर** : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों पड़ोसी राज्यों की एक समाज स्थिति को देखते हुए पंजाब में एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम लागू करने से छूट देने पर विचार करेगी जैसा कि जम्मू और काश्मीर के मामले में किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 1(2) में विशिष्ट रूप से प्रबन्धित है कि उक्त अधिनियम का जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रसार नहीं है। जम्मू और

कश्मीर राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों का लागू न होना संवैधानिक विवशता के कारण है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में भारत के किसी अन्य राज्य को इस प्रकार की कोई मुक्ति न कभी दी गई है और नाही वह उपलब्ध है। इसलिये पंजाब राज्य को उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता से मुक्त करने का प्रश्न, जैसा कि प्रश्न में सुझाव दिया है, उत्पन्न नहीं होता है।

पंजाब में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० के यूनिट की स्थापना

5935. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० के सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ एककों की पंजाब में जोकि इस कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है स्थापना किए जाने पर विचार करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : पंजाब में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० का कोई नया यूनिट स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। कम्पनी स्टार्च, डेक्सट्रोज, तरल ग्लूकोज आदि के निर्माण के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. के सहयोग से संगरूर, पजाब में एक संयुक्त क्षेत्रीय यूनिट की स्थापना कर चुकी है।

अस्सी के दशक में दूर संचार की आवश्यकताएं

5936. **श्री भीकू राम जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्सी के दशक में देश की दूर संचार की आवश्यकताएं पूरी करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए दूर संचार प्रणाली का विस्तार उन क्षेत्रों में भी करने के लिए प्रयास किए गए है;

(ग) 25,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों को कब तक एस० टी० डी प्रणाली से जोड़ दिये जाने का विचार है; और

(घ) उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के बारे में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जनसंख्या के आधार पर एस० टी० डी० सुविधाओं की योजना नहीं बनाई जाती फिर भी चालू दशक के दौरान देश के सभी बड़े नगरों/कस्बों में एस० टी० डी० सुविधाओं का उत्तरोत्तर विस्तार किए जाने की सम्भावना है।

(घ) स्थानीय और लम्बी दूरी की स्विचिंग तथा पारेषण प्रणालियों में व्यापक पैमाने

पर विस्तार करने एव सेवा की गुणवत्ती में उत्तरोत्तर सुधार लाने हेतु विचार किया गया है उपग्रह सचार अंकीय स्विचिंग तथा पारेषण जैसी नवीन प्रौद्योगिकी की उत्तरोत्तर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

देश में घनी आवादी वाले अधिकतर स्थानों में पांच किलोमीटर के भीतर टेलीफोन एक्सचेंज से अथवा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन द्वारा टेलीफोन सेवा का विस्तार करने के कार्य को भी एक दीर्घकालीन उद्देश्य के बतौर लिया गया है।

शालीमार बाग, दिल्ली में "डेसू के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

5937. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "डेसू ने शालीमार बाग, दिल्ली में कर्मच रियों के लिए टाईप-I और II के समेकित आवासों का निर्माण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 1982 तक श्रेणीवार कितने मकानों का निर्माण किवा गया और उनका आवंटन किया गया और टाईप-I में कितने मकान आवंटन के लिए खाली पड़े हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1982 तक 240 क्वार्टरों का निर्माण हुआ था तथा वे सभी आबंटित कर दिये गए थे। चूंकि एक ही श्रेणीवार आबटन का प्रश्न नहीं उठता। इनमें से कोई भी क्वार्टर श्रेंण-एक में नहीं था और इसलिए श्रेणी-एक के क्वार्टरों के खाली पड़े होने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर्स योजना और विकास इन्डिया लि० में कार्यरत महाप्रबंधकों की प्रश्न संख्या

5938. **श्री ए० के० राये** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फर्टिलाइजर्स योजना और विकास इण्डिया लि० में कितने महाप्रबन्धक कार्य कर रहे हैं, और 1.1.1982 को उनके निशिचित रूप में क्या उत्तरदायित्व को ब्योरेवार तथ्य दें,

(ख) क्या उन्हें उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप कार्य दिया गया है,

(ग) क्या उन्हें जानकारी है कि फर्टिलाइजर्स योजना और विकास इण्डिया लि० में कार्य के किसी स्पष्ट विभाजन के अभाव में महाप्रबन्धकों के आकस्मिक क्रम वह विकास ने निचले कर्मचारियों में बहुत ही उलझनें और असंतोष पैदा कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) इस समय फर्टिलाइजर

(प्लानिंग एन्ड डेवलोंट) इण्डिया लि० में 7 महाप्रवन्धक है। 1.1.1981 को उनके उत्तर-दायित्व का क्षेत्र निम्न प्रकार था।

(1) महाप्रबंधक (परियोजना) :

नामरुप, हल्दिया, नंगल मेथानोल परियोजना आदि समेत परियोजनाओं की योजना बनाना और उनके सम्पादन का कार्यभार।

(2) महाप्रबंधक इन्जीनियरी) :

डिजाइन, इन्जीनियरी और नामरुप और सिन्दरी से किए जा रहे कार्यों की अधिप्राप्ति समेत इन्जीनियरी का प्रभार।

(3) महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) :

व्यवहार्यता अध्ययन, एन० डी० टी० और तकनीकी सेवाओं का प्रभार।

(4) महाप्रबंधक (उत्प्रेरक) :

उत्प्रेरकों के निर्माण और उनकी बिक्री का प्रभार।

(5) महा प्रबधक (पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय बड़ोदा) :

हजीरा परियोजना और पश्चिमी क्षेत्र में अन्य कार्यो क डिजाइन, इन्जीनियरी अधि-प्राप्ति और परियोजना प्रबध का प्रभार।

(6) महाप्रबंधक (थाल) :

थाल परियोजना क परियोजना प्रबंध का प्रभार।

(7) महाप्रबधक (दिल्ली कार्यालय) :

दिल्ली कार्यालय, सरकारी कार्यालयों, अन्य उर्वरक कम्पनियों और व्यापार विकास से सम्पर्क का प्रभार।

(ख) जी हां।

(ग) दि फर्टिलाइजर (प्लानिंग एन्ड डेवलपमेंट) इन्डिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि महाप्रबंधकों के बीच कार्य विभाजन स्पष्ट है। निचले पदों में असमान और असतोष के बारे में सरकार को विदित नहीं है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

बिजली की कमी वाले राज्य

5939. श्री मूल चन्द्र डागा : ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उनकी बिजली की मांग की तुलना में बिजली की उपलब्धता कम है, उनकी मांग कितनी है और बिजली की उपलब्धता कितनी कम है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्युत की स्थिति बहुत अच्छा है। इस समय देश में ऊर्जा की औसत दैनिक उपलब्धता लगभग 342 मिलियन यूनिट है। इसकी तुलना में आवश्यकता 395 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर, पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक पूर्वी क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा मेघालय को छोड़कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं।

विधि आयोग पर किया गया व्यय

5940. श्री मूल चंद डागा : विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग किस तिथि से स्थापित किया गया था और उसके क्या उद्देश्य थे तथा उस पर अब तक कुल कितना प्रशासनिक और अन्य व्यय किया गया है तथा इसका औसतन वार्षिक व्यय कितना है ; और

(ख) क्या विधि आयोग की स्थापना के पश्चात लोगों को आसानी से, कम खर्च में तथा तेजी से न्याय मिलने लगा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) विधि आयोग का गठन मूल रूप से 5 अगस्त, 1955 को तीन वर्ष के लिए किया गया था और तब से इसका पुनर्गठन समय-समय पर होता रहा है। दसवें विधि आयोग का पुनर्गठन 14 दिसम्बर; 1981 को किया गया था। आयोग के उद्देश्य का उल्लेख उसको सौंपे गए कार्यों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1981-82 के लिए दसवें विधि आयोग पर जो खर्च हुआ है वह लगभग 7,19,090 रुपए है।

(ख) न्याय प्रशासन एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, दोनों से है। प्रथम विधि आयोग ने सरकार को जो अपनी 14वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें न्यायिक प्रशासन में सुधार" की बाबत विभिन्न सिफारिशें की गई थीं। इस रिपोर्ट और पश्चातवर्ती रिपोर्टों की अधिकतर सिफारिशों को जिनका सम्बन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता से है, क्रियान्वित किया जा चुका है। आयोग ने नवम्बर, 1978 में अपनी 77वीं रिपोर्ट " विचारण न्यायलयों में विलम्ब और बकाया मामलों के बारे में" और 10 मई 1978 को अपनी 79वीं रिपोर्ट "उच्च न्यायालयों और अपील न्यायालयों में बिलम्ब और बकाया मामलों के बारे में" सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इन रिपोर्टों को कार्यान्वित करने की बाबत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए हैं जब से विधि आयोग की स्थापना की गई है तब से मामलों को सरल और कम खर्चीला बनाने तथा शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है किन्तु जैसा कि विधि आयोग ने अपनी 79 वीं रिर्पोट में कहा है इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निरन्तर प्रयास करना होगा और जहां अनेक जटिल बातें एक साथ होगी वहां कोई स्थायी समाधान ढूंढ पाना कठिन होगा।

विवरण

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से —

(क) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलो के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए ;

(ख) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे ;

(ग) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए, न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

2. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनमें सुधार के उपायों में सुझाव देना और ऐसे विधानों का भी सुझाव देना जो निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करना ।

3. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

4. अप्रचलित विधियों और अधिनियमों या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

5. विधि और न्यायिक प्रशासन से सम्बन्धित किसी अन्य विषय पर जो उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और उस पर अपने विचार सरकार को बताना ।

प्रचार माध्यम एककों के लिए सलाहकार समितियां

5941. **श्री मूल चंद डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन प्रचार माध्यम एककों की नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था ; और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया था ;

(ख) वर्ष 1980 और 1981 में उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें क्या निर्णय लिए गए हैं क्या इन निर्णयों को लागू किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) इस सलाहकार समिति की बैठकों के लिए वर्ष 1980 और 1981 में प्रतिवर्ष बोर्डिंग लार्जिंग, यात्रा भत्ते आदि सभी प्रकार का कुल कितना खर्चा किया गया ?

सचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति 28 नवम्बर, 1980 को गठित की गई थी। समिति के सदस्य, जिनको उनकी निजी हैसियत में नियुक्त किया जाता है जन-संचार के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हैं।

दिसम्बर, 1981 तक समिति ने 11 बैठकें की हैं जिनमें से दो 1980 में और नौ 1981 में हुई थीं। समिति द्वारा अब तक की गई सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं :

(.) आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देना :

समिति ने यह सिफारिश की है कि आकाशवाणी/दूरदर्शन में कार्यरत सभी स्टाफ आर्टिस्ट जो अनुबंधित कर्मचारी हैं, पेंशन पाने के पात्र सरकारी कर्मचारी होने चाहिए तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, विशेषकर परफार्मिंग आर्टिस्टों के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा किए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के दिनांक 9-3-82 को दिए गए उत्तर में बताए जा चुके हैं।

(2) प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति :

सलाहकार समिति ने यह कहा है कि राष्ट्रीय प्रसारण माध्यम होने के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का ऐसे समाचारों को देने का विशेष उत्तरदायित्व है जो लोगों और शिक्षित करें और उनको मनोरंजन प्रदान करें और यह कि समाचार नीति के अधिक स्पष्ट निरूपण और सामयिक मामयों के कार्यक्रमों के प्रशारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता है। समिति ने आकाशवाणी/दूरदर्शन के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त भी सुझाए हैं।

मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर विचार कर इन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

(3) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करना :

समिति ने प्रेषण और संग्रह दोनों को कवर करते हुए देश में रंगीन दूरदर्शन के योजना बद्ध आधार पर चालू करने की सिफारिश की। समिति ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्कीमों के बारे में विस्तृत सिफारिशें की हैं और यह भी कहा है कि रंगीन दूरदर्शन सेट

उद्योग को अधिकतम देशी तत्वों के साथ मानकीकृत डिजाइन के व्यापक निर्माण के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए।

रंगीन दूरदर्शन चालू करने के प्रस्तावों को मन्त्रालय द्वारा माध्यम सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।

(ग) दिसम्बर, 1981 तक समिति की बैठकों पर हुआ कुल व्यय इस प्रकार है :

1980 — 10,428.00 रुपये

1981 — 61,819.00 रुपये

सरकारी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं की ओर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

5942. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1980 तक जारी किए गए टेलीफोन बिलों से 1 जुलाई, 1980 को 18.26 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जानी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस राशि में से कितनी राशि सरकारी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं की ओर बकाया थी और उसमें से अब तक कितनी राशि वसूल कर ली गई है ; और

(ग) इतनी भारी राशि के बकाया होने के क्या कारण हैं और भविष्य में इतनी बड़ी राशि बिना वसूल किए न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 31 मार्च, 1980 तक जारी किए टेलीफोन बिलों के सम्बन्ध मे 1 जुलाई, 1980 को टेलीफोनों की वसूल की जाने वाली बकाया राशि केवल 18,17 करोड़ रुपये थी।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीफोन उपभोक्ताओं का लेखा अलग से नहीं रखा जाता। उनको निजी टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ समूहित किया जाता है।

31-1-1980 तक जारी किये गये बिलों के सम्बन्ध में निजी उपभोक्ताओं से 1-7-1980 को 15.42 करोड़ रुपये की राशि की वसूली बकाया थी। इसमें से 7·25 करोड़ रुपये की राशि 1-7-1980 से 31-12-1981 के दौरान वसूल कर ली गई थी।

(ग) ऊपर निर्दशित की गई अप्राप्त राशियां कई वर्षों से जारी किये बिलों की संचयी बकाया राशियां निरूपित करती हैं। विभाग एक महीने में 55 से 60 करोड़ रुपये की सीमा तक बिल जारी करता है। यद्यपि 95 प्रतिशत बिल तीन महीनों के अन्दर वसूल कर लिये जाते हैं, तथापि बकाया राशि बिलो पर विवाद, उपभोक्ताओं का सेवाएं प्राप्त करके फरार हो जाना, उपभोक्ताओं की मृत्यु एवं मुकदमेबाजो के मामले आदि जैसे विभिन्न कारणों से लम्बित पड़ी रहती हैं।

बकाया रशियों की वसूली के लिए मौजूदा युक्तियों जैसे गैर अदायगी के लिए कनैक्शन

काट देना, दोषी उपभोक्ताओं से वैयक्तिक सम्पर्क, कानूनी कार्रवाई आदि के सशक्त अनुशरण के अतिरिक्त यूनिटों को उन उपभोक्ताओं से, जो भुगतान करने में निरन्तर चूक करते हैं या अदायगियों में विलम्बकारिता दिखाते हैं, प्रतिभूति जमा वसूल करने के अनुदेश भी जारी किये गये हैं।

न्यूज पेपर्स एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड, पटना

5943. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री न्यूज पेपर एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड पटना के बारे में 2 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय के पास न्यूज पेपर्स पब्लिकेशन्स लिमिटेड से सम्बन्ध विचाराधीन पड़े मामलों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) माननीय सदस्य को दिया गया उत्तर, कम्पनी विधि बोर्ड न्यायपीठ, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के समक्ष विचाराधीन, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 186 के अन्तर्गत श्री द्वारका नाथ झा द्वारा प्रस्तुत याचिका से सम्बन्ध था। उक्त याचिका, जिसकी सुनवाई दिनांक 12-3-1982 को होनी थी, अब वह कम्पनी विधि बोर्ड न्यायपीठ द्वारा 30-3-1982 के लिये स्थगित कर दी गई है, जबकि इसी बीच मैसर्स न्यूज पेपर्स एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड द्वारा उपरोक्त याचिका के सम्बन्ध में सभी कार्यवाहियों को रोकने की प्रार्थना करते हुए 18-2-1982 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कम्पनी कार्य विभाग को यथा जानकारी के अनुसार मैसर्स एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड के सम्बन्ध में जिसमें कम्पनी कार्य विभाग एक पार्टी है कोई मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टि से उत्पन्न नही होता।

टाटा बधुओं द्वारा उर्वरक के क्षेत्र में प्रवेश किया जाना

5944. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा बंधु उर्वरक के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रवेश करने हेतु योजना बना रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या टाटा केमिकल्स ने टाटा फर्टिलाइजर्स लि० नाम से गुजरात के जामनगर जिले में 100 करोड़ रूपये की लागत से एक नई कंपनी बनाने का निर्णय किया है,

(ग) यदि हां, तो क्या टाटा, केमिकल्स ने लगभग दस वर्ष पूर्व मिथापुर में एक बड़ा उर्वरक कम्पलेक्स बनाने का प्रस्ताव भेजा था,

(घ) क्या उन्होंने यह कहा था कि यदि यह परियोजना सफल हो जाती है तो इससे देश को उर्वरकों के आयात में 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी,

(ङ) यदि हां, तो क्या टाटा फर्टिलाइजर्स लि० पहले ही स्थापित हो चूकी है, और

(च) यदि हां, तो इसमें उत्पादन कब शुरू होगा,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मैं० टाटा कैमिकल्स लि० ने मैसर्स टाटा फर्टिलाइजर्स लि० की ओर से गुजरात के जामनगर जिले में फास्फेटिक उर्वरक प्लांट लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन किया है. कम्पनी ने उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित अमोनिया/यूरिया कम्पलैक्स और पंजाब में नैफथा पर आधारित अमोनिया/यूरिया कम्पलैक्स स्थापित करन में रूचि दिखाई है।

(ख) (ङ.) और (च) टाटा फर्टिलाइजर्स लि० के नाम से मैं. टाटा कैमिकल्स लि० की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी गठित की गई है। गुजरात में फास्फेटिक उर्वरक प्लांट लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ निर्णय के लिएं कार्यवाही की जारही है।

(ग) मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० से बर्ष 1967 में मीठापुर, गुजरात में एक बड़े आकार के उर्वरक रसायन कम्पलैक्स लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

छोटे पनविद्युत संयंत्रों के लिए उड़ीसा को सहायता

5945. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में छोटे पनविद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार के प्रयासों में मदद करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कुल कितने छोटे पनविद्युत संयन्त्रों की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ग) स्थापित किए जाने वाले इन प्रस्तावित छोटे पनविद्युत संयंत्रों की समुचित लागत क्या होगी ;

(घ) इन छोटे पनविद्युत संयंत्रों की स्थापना को क्रियान्वित करने हेतु सहायता के रूप में कितनी राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ.) उड़ीसा में प्रस्तावित छोटे पनविद्युत सयंत्रों से उत्पन्न होने वाली बिजली के बारे में ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) मिनी जल विद्युत के विकास को सरकार बहुत महत्व देती है। यह ऐसा कार्य है, जो कि उन संबन्धित राज्यों द्वारा

हाथ में लिया जाना है । जिनमें शक्यता विद्यमान है तथा एक करोड़ रुपये से कम लागत वाली मिनी जल विद्युत स्कीमों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सांविधिक स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है । तथापि ऊर्जा मन्त्रालय ने उड़ीसा सहित राज्यों को इस संबन्ध में उन्हें आवश्यक तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है । राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी सलाह दी गई है कि सिंचाई कार्यों के लिए बनाए जा रहे बांधों/नहरों से छोड़े जाने वाले जल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन के लिए भी व्यवस्था की जाए ।

इस सम्बन्ध में, उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दो मिनी जल विद्युत स्कीमों की व्यवहार्यता रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर लिए जाने तथा योजना आयोग द्वारा इन्हें योजना में शामिल किए जाने के पश्चात् ये स्कीमें कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली जाएगी ।

विवरण

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट अवर)	वर्तमान स्थिति
1. पोत्तेरु लघु जल विद्युत परियोजना	1.5	5.57	43.6	परियोजना रिपोर्ट के० वि० प्रा० तथा के जल आयोग में जांच ली गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं । इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है ।
2. बारगढ़ नहर पर निम्न शीर्ष उत्पादन स्कीम	2 × 4.5	3.32	43.9	जनवरी, 1982 में प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है ।

अखबारी कागज पर उत्पाद-शुल्क समाप्त किए जाने के सम्बध में अभ्यावेदन

5946. **श्री सत्य गोपाल : सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखबारी कागज पर उत्पाद-शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी तथा अन्य समाचार पत्र प्रबन्धों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने अखबारी कागज पर उत्पाद-शुल्क समाप्त किए जाने हेतु कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) अखबारी कागज पर सीमा शुल्क समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वर्ष 1982-83 क बजट प्रस्तावों में, आयातित अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत यथा-मूल्य सीमा शुल्क के स्थान पर 825/-रुपए प्रति टन का विशिष्ट शुल्क लगाया गया है। यह परिवर्तन आयातित अखबारी कागज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के कारण यथा-मूल्य सीमा शुल्क भार में स्वत: वृद्धि को दूर करने के लिए किया गया था।

रिसीवरों द्वारा चलायी जा रही कोयला खानें

5947. **श्री मुकुन्द मडल** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों के आदेशों के अधीन नियुक्त रिसीवरों द्वारा कितनी कोयला खानें चलाई जा रही हैं ;

(ख) भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों और कोयला कम्पनियों द्वारा न्यायालयों के कितने आदेशों को चुनौती दी गई है ;

(ग) पिछले तीन साल के दौरान अवैध खनन के कितने मामले राज्य सरकारों की जानकारी में लाये गये हैं ; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा किया गया है।

विवरण

कुछ कोयला खनन-पट्टाधारी व्यक्तियों ने, कुछ अन्य ऐसे व्यक्तियों ने जो अपने को तथाकथित कोयला खानों में कार्यरत कामगार बताते थे तथा कुछ और ऐसे व्यक्तियों ने जिन्हें विभिन्न अदालतों द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन

अधिनियम, 1976 को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रादेश याचिकाएं दाखिल की गीं। इस अधिनियम द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे अधिनियम के जरिए प्राधिकार प्राप्त न हो, भारत में किसी भी रूप में कोयले का खनन कार्य करने से रोक दिया गया था तथा इस्पात और लोहे के उत्पादन में लगी हुई गैर सरकारी पार्टियों को छोड़कर अन्य सभी गैर-सरकारी पार्टियों को कोयला निकालने अथवा कोयले के खनन के सम्बन्ध में दिये गए सभी पट्टे रद्द कर दिये गए थे। उपर्युक्त व्यक्तियों ने इन प्रादेश याचिकाओं के आधार पर ऐसे अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए कि केन्द्रीय सरकार/कोयला कंपनियां/राज्य सरकारें इन तथाकथित कोयला खानों के काम में कोई हस्तक्षेप न करें।

उच्चतम न्यायालय ने अपने 1'-4-1980 के निर्णयों में लगभग 64 प्रादेश याचिकाओं को खारिज कर दिया और संशोधन अधिनियम, 1976 की वैधता के पक्ष में निर्णय दिया। इन प्रादेश याचिकाओं को खारिज करते समय माननीय न्यायाधीशों ने यह कहा कि अब न्यायालय की ओर से भारत में किसी भी खान से कोयला अथवा कोककर कोयला निकालने के लिए किसी रिसीवर अथवा अन्य अधिकारी की कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी तथा अब भारत के किसी भी न्यायालय को यह अनुमति नहीं है कि वह कोई रिसीवर नियुक्त करें या किसी अन्य विधि से कोयला या कोककर कोयला निकालने की मंजूरी दे।

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर राज्य सरकारों और कोयला कंपनियों ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि अन्तिरिम आदेश रद्द कर दिए जाएं। अकेले ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लिमिटेड ने ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से 37 स्थगन आदेश रद्द करवा लिए हैं। अन्य कोयला कंपनियां भी इस सम्बन्ध से पीछे नहीं है।

संशोधन अधिनियम के द्वारा कोयले के गैर-कानूनी खनन को एक दण्डनीय अपराध बना दिया गया है जिसके लिए 3 वर्ष तक की सजा और रु० 20,000/- तक का जुर्माना हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 11-4-1980 तथा 7-5-1980 के निर्णयों में इस अधिनियम की वैधता को अक्षुण्ण रखा है। इन निर्णयों के बाद कोयले के गैर-कानूनी खनन की शरारत बहुत बड़ी सीमा तक कम हो गई है।

देश की कोयला पट्टी बहुत विशाल है और कुछ लोग कभी-कभी कानून की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तथा कुछ क्षेत्रों में चोरी छिपे कोयले का गैर-कानूनी खनन करते हैं किन्तु यह मामले छुट-पुट ही हैं। कोयला कंपनियों और राज्य सरकारों को यह अनुदेश दे दिये गए हैं कि वे जब कभी अपराधियों का पता चले तो उन्हें सजा दिलवाने के लिए दण्ड और निवारण दोनों प्रकार की कार्रवाई करें। राज्य सरकारों ने भी जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे अपराधियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की व्यवस्थाओं के साथ पठित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करें। राज्य सरकारों की कानून लागू करने वाली एजेंसियां कोयला कंपनियों के सुरक्षा कर्मचारियों के सहयोग से समय-समय पर इस सम्बन्ध में छापे मारती रहती हैं।

पैराफीन मोम का वितरण

5948. श्री टी० एस० नेगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैराफीन पर आधारित उद्योगों आदि को पैराफीन के वितरण तथा परिमिट दिए जाने के लिए सरकार की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सम्बन्धित उद्योगों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण के आधार पर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को पैराफीन मोम का तिमाही आवंटन उनके द्वारा विगत में किये गए उठान, कुल उपलब्धता इत्यादि के आधार पर करती है। पैराफिन मोम (सप्लाई, वितरण तथा मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के अनुसार वितरकों/वास्तविक उपयोग करने वालों के बीच इसका और आगे वितरण करना राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

धुले और सूरत के बीच को-एक्सल तार बिछाना

5949. श्री मानिक राव होडल्या गावित : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुले और सूरत के बीच को-एक्सल तारें बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की मंजूरी प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस परियोजना की प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्रों में से होकर गुजरेगी तथा इससे वे लाभान्वित होंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री यागेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में कुकिंग गैस एजेंसियों का आवंटन

5950. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न नगरों में कितने लोगों को कुकिंग गैस एजेंसियां दी गई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 18 ।

(ख) तेल कंपनियों द्वारा अनुसरण की जा रही नीति/प्रक्रिया के अनुसार, डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर का चयन समाचार-पत्रों में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिये विज्ञापन देकर तथा गुणावगुणों के आधार पर एक विधिवत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाता है ।

राजधानी में टेलीफोन के गलत बिल बनाया जाना

5951. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन कालों के गलत बिल बनाए जाने में सुधार करने के लिए इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली स्थापित करने हेतु कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार को, विशेषकर राजधानी में टेलीफोन कालों के गलत बिल बनाए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणालियों की संस्थापना के लिए किये गए प्रयत्न तकनीकी एव आर्थिक विचारणाओं पर आधारित होते हैं तथा मीटर पर कालें अधिक आने की शिकायतों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) जी हां, स्थानीय कालों के सम्बन्ध में मीटर पर अधिक कालें आने की शिकायतें हमारे पास आती हैं ।

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (फरवरी, 1982 तक) के दौरान मीटर पर कालें अधिक आने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी जा रही है :

वर्ष	जारी बिलों की संख्या	मीटर पर कालें अधिक आने के संबंध में प्राप्त शिकायतें	कालम 3 का कालम 2 प्रतिशत
1980 81	12,17,337	12,627	1.04
1981-82	12,30,742	10,832	0.88

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उपलब्ध अतिरिक्त लाभ

5952. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय के किसी न्यायधीश को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत 3500 रुपए

की उसके निश्चित मासिक वेतन के साथ प्रतिमास कितनी राशि अदा की गई; (एक) महंगाई भत्ता, (दो) सवारी भत्ता, (तीन) अतिरिक्त भत्ता, (चार) होम टाउन यात्रा भत्ता; और

(ख) उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ग्रेच्यूटी, परिवार पेंशन आदि के रूप में क्या-क्या अन्य आर्थिक लाभ उपलब्ध हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विभिन्न शीर्षों के अधीन निम्नलिखित रकमों का संदाय किया जाता है :—

(i) और (iii) **महंगाई भत्ता और अतिरिक्त** :

वित्त मन्त्री ने 15 मार्च, 1982 को लोक सभा में जो वक्तव्य दिया है, उसके अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 1-1-1982 से प्रतिमास 1500 रुपए तदर्थ भत्ता के पात्र होंगे।

(ii) **सवारी भत्ता** :

300 रुपए प्रतिमास परन्तु यह तब जब न्यायाधीश मोटर कार रखे।

(iv) **स्व नगर (होम टाउन) यात्रा भत्ता** :

न्यायाधीश दो वर्ष के एक ब्लाक में एक बार अपनी छुट्टी के दौरान स्वनगर में अपने स्थायी निवास स्थान को जाने के लिए अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है।

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसी पेंशन, कुटुम्ब पेंशन और उपदान अनुज्ञेय है जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में विनिर्दिष्ट हैं। कुटुम्ब पेंशन और उपदान से सम्बन्धित सुसंगत धाराओं के उद्धरण विवरण में दिये गए हैं।

कोई न्यायाधीय किराया मुक्त सज्जायुक्त आवास सुविधा का हकदार है। यदि वह स्वयं सुविधा नहीं लेता है तो वह वेतन के 12/1/2 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता पाने का हकदार है। इस फायदे को आय-कर से छूट प्राप्त है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 200 रु० प्रतिमास सरकार भत्ता पाने का हकदार है।

विवरण

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) से उद्धरण

असाधारण पेंशन

17. केन्द्रीय सिविल सेवा, वर्ग 1 के किसी ऐसे अधिकारी के सम्बन्ध में, जिसने 1937 की पहला अप्रैल को या उसके पश्चात सेवा में प्रवेश किया है और जिसे हिंसा के परिणामस्वरूप क्षति पहुंचती है या जिसकी मृत्यु हो जाती है, असाधारण पेंशन और उपदान दिए जाने के सम्बन्ध में उस समय प्रवृत्त नियम, किसी

न्यायाधीश के सम्बन्ध में, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उन नियमों में क्षति, उपदान और पेंशन की तालिकाओं के प्रति तथा कुटुंब उपदानों और पेंशनों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाता जाएगा कि वे द्वितीय अनुसूची की तालिकाओं के प्रति निर्देश हैं ।

कुटुम्ब पेंशन 17 क (1) जहां कोई न्यायाधीश जिसने प्रथम अनुसूची के भाग 2 या 3 के अधीन उसे संदेय पेंशन लेने का चयन किया है, सेवा निवृत्ति हो जाता है या सेवा निवृत्ति से पहले या उसके पश्चात ऐसी परिस्थितियों में, जिनमे धारा 17 लागू नहीं होती, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कुटुम्ब पेंशन या उपदान, यदि कोई हो, उसकी सेवा के साधारण नियमों के अधीन, यदि वह न्यायाधीश के रूप मे नियुक्त न हुआ हो तो, उसके हकादर व्यक्ति या व्यक्तियों को सदेय होगा और न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा उस कुटुम्ब पेंशन उपदान की गणना करने के प्रयोजनार्थ उसमें की गई सेवा मानी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा के प्रथम वर्ग के अधिकारी के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन प्रदान किए जाने की बाबत ऐसे नियम, अधिसूचनाएं और आदेश जो उस समय प्रवृत्त है, ऐसे न्यायाधीश के सम्बन्ध में. जो 1974 के अक्तूबर के प्रथम दिन को था उसके पश्चात सेवा में है और जिसकी सेवा निवृत्ति से पहले या उसके पश्चात ऐसी परिस्थितियों मे, जिनमे धारा 17 लागू नहीं होती है, मृत्यु हो जाती है, कुटुम्ब पेंशन प्रदान किए जाने के लिए लागू होंगे ।

(3) केन्द्रीय सिविल सेवा के प्रथम वर्ग के अधिकारी को या उसके सम्बन्ध में मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान फायदा प्रदान किए जाने की बाबत ऐसे नियम, अधिसूचनाएं और आदेश, जो उस समय प्रवृत्त हैं (जिनके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए पेंशन की कटौतियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं) ऐसे न्यायाधीश के सम्बन्ध में, जो 1974 के अक्तूबर के प्रथम दिन को या उसके पश्चात सेवा में है और जो ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें धारा 17 लागू नहीं होती है, सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती, मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान फायदा प्रदान किए जाने के लिए या उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होगे, अर्थात :—

(i) उपदान के लिए हकदार होने के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा दो वर्ष छह मास होगी ;

(ii) उपदान की रकम की संगणना न्यायाधीश के रूप में प्रत्येक संपूरित वर्ष की सेवा के लिए बोस दिन के वेतन के आधार पर की जाएगी ; और

(iii) संदेय उपदान की अधिकतम रकम तीस हजार रुपए होगी ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) और (3) में "न्यायाधीश" पद का वही अर्थ है जो उसका धारा 14 में है ।

प्लास्टिक कच्चे माल के एककों की स्थापना

5963. श्री भीकू राम जैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री के विशाल भण्डार को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का 'वचार प्लास्टिक कच्चा माल एकक स्थापित करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के पेट्रो-रसायन एककों को आयातित माल से होने वाली स्पर्धा से बचाने की आवश्यकता है,

(ग) क्या यह भी सच है कि प्लास्टिक के अधिक मूल्यों और सीमित उपलब्धता के कारण खपत में कमी हुई है ; और

(घ) प्लास्टिक उद्योग के समुचित विकास तथा इस उद्योग के लिए मूल कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) कच्ची प्लास्टिक सामग्री के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार किया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) भारत में प्लास्जिक का उपभोग बढ़ रहा है । आयातों से प्लास्टिक के स्वदेशी उत्पादन में कमी तथा फीड स्टाफ की उपलब्धता को पूरा किया जाता है । प्लास्टिक संसाधन उद्योग में अब पर्याप्त मात्रा में लाइसेंस समाप्त कर दिये गए हैं ।

मंत्रालय में अधीन सरकारी उपक्रम

5954. श्री सुभाष यादव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कुल कितने सरकारी उपक्रम हैं तथा उनमें प्रत्येक का वर्ष 1980-81 और 1981 82 के लिए वार्षिक उत्पादन कितना होगा, ।

(ख) कौन कौन से पेट्रो-रसायन उद्योग घाटे में चल रहे है और वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितनी हानि हुई तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने तथा सरकारी उपक्रमों से लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उनके घाटे में चलने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) पेट्रोजियम विभाग सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) तीन पेट्रो-रसायन कम्पनियों में से, इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमि०

और पेट्रोफिल्स कापरेटिव लिमि० लाभ अर्जित कर रहे हैं, जबकि वोंगाई गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमि० के पेट्रो-रसायन यूनिट निर्माणाधीन है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

पेट्रोलियम विभाग

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	वर्ष 1980-81 के दौरान का वार्षिक आउट-टर्न (टर्न-ओवर) (करोड़ रुपयों में) (अस्थायी)
1.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	459.99
2.	हाइड्रोकार्बन इण्डिया लिमिटेड	—
3.	आयल इण्डिया लिमिटेड	30.87
4.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि०	5710.94
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	1578,96
6.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	1?14.00
7.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	560.34
8.	मद्रास रिफाइनरी लि०	604.44
9.	इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	282.22
10.	लुब्रे जोल इण्डिया लिमिटेड	38.19
11.	विको लारी लि०	5.03
12.	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इण्डिया) लि०	29.62
13.	बामर लारी कम्पनी लि०	47.39
14.	इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लिमिटेड	1.91
15.	इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि०	280.74
16.	वोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लि०	आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं
17.	पेट्रोफिल्स को आपरेटिव लि०	28.25
18.	इंजीनियर्स इण्डिया लि०	22.86

वर्ष 1981-82 के सम्बन्ध में इस समय सूचना देना बहुत शीघ्र होगा ।

रसायन और उर्वरक विभाग के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा कुकिंग गैस की एजेंसियों की मजूरी

5955. **श्री सुभाष यादव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने वर्ष 1980-81 और 1982 के दौरान। (31 जनवरी 1982 कुल कितनी इन्डियन कुकिंग गैस की एजेंसियां मंजूर की ;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कुल कितने और किन-किन स्थानों के लिए इन एजेंन्सियों का विज्ञापन दिया गया और प्रत्येक राज्य में वास्तव में कितनी एजेन्सिया आबंटित की गई तथा इस आबंटन का मानदण्ड क्या था, और

(ग) क्या यह सच है कि ये एजेन्सियां केवल धनी लोगों को आबंटित की गई हैं और मध्यम वर्ग के लोगों और बेरोजगार व्यक्तियों की मदद करने का वास्तविक प्रयोजन विफल हो गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान (3) जनवरी, 1982 तक देश में इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा क्रमश: 17,62 और 28 एल० पी० जी० एजेन्सियां आबटित की गई हैं ।

(ख) दिनांक 1-4 81 से 31-1-82 तक विभिन्न/संघ शासित प्रदेशों को आई० ओ० सी० द्वारा विज्ञापित की गई एल० पी० जी० एजेन्सियों की संख्या और उक्त अवधि के दौरान उन राज्यों को आबंटित भी की गई। एजेंसियों की संख्या निम्नलिखित रूप में हैं —

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विज्ञापित एल० पी० जी० एजेंसियों की संख्या	आबंटित एल० पी० जी० एजेंसियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1	—
उत्तर पूर्वी राज्य	3	1
बिहार	16	2
चण्डीगढ़	1	1
गुजरात	11	9
हरियाणा	4	1
हिमाचल प्रदेश	4	1
कर्नाटक	3	3
केरल	2	1

1	2	3
मध्य प्रदेश	11	6
उड़ीसा	6	3
पंजाब	18	7
राजस्थान	18	4
तमिलनाडु	17	2
उत्तर प्रदेश	33	23
पश्चिम बंगाल	11	6
	159	70

उत्पाद उपलब्धता की शर्त पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय एल० पी० जी० एजेंसियों खोली जाती हैं ।

(1) पूर्वानुमानित ग्राहक क्षमता ;

(2) वितरण उपकरण का अधिकतम उपयोग, और

(3) संचालनों की व्यवहार्यता ।

उद्योग के वर्ष—1982-1983 की योजना द्वारा 50,000 से अधिक जन संख्या वाले समस्त जिला मुख्यालयों और कस्बों को शामिल करने की योजना बनाई है ।

(ग) जी, हां पेट्रोलियम उत्पादों की समस्त डीलरशिप/डिस्ट्री ब्यूटरशिप के पिछतर प्रतिशत सामाजिक उद्देश्य श्रेणियों के लिए निर्धारित की गई है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्यमों द्वारा उत्पादित विद्युत जनरेटरों का कोटि-नियन्त्रण

5656. **श्री सुभाष यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्यमों द्वारा उत्पादित विद्युत जनरेटरों के कोटि नियन्त्रण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या जब तक विद्युत जनरेटरों की की किस्म नियन्त्रण नहीं होगी तब तक नये एककों की विद्युत उत्पादन निर्भरता अनिश्चित रहेगी और क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों से मध्य प्रदेश को बड़े पैमाने पर विद्युत सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में कोई तापीय विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का है और उसके लिए कितनी राशि रखी गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में विद्युत उत्पादन उपस्कर के निर्माण में गुणवत्ता नियन्त्रण संबंधी सुधार लाने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। निर्माता संगठनों की गु वत्ता आश्वासन प्रणालियों के अलावा आजकल गुणवत्ता की गारन्टी सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास पर बल दिया जा रहा है जिनके अन्तर्गत विद्युत उत्पादन उपस्करों का निर्माण प्रतिष्ठापन और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उन्हें चालू किया जाना भी शामिल रहता है .

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रतिष्ठापित किए जा रहे कोरबा सुपर विद्युत केन्द्र भी 2100 मेगावाट की चरम प्रतिष्ठापित क्षमता में मध्य प्रदेश को आगटित भाग 610 मेगावाट है। 1110. 2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वैधन में 1260 मेगावाट के विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-I को स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है और निवेश संबन्धी निणय के लिए इस पर कार्यवाही की जा रही है।

मध्य प्रदेश के कोयला निक्षेपों का अन्य राज्यों के विद्युत केन्द्रों के साथ सम्बद्ध होना

5857. श्री सुभाष यादव : : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के कोयला निक्षेपों को अन्य राज्यों के विद्युत केन्द्रों के साथ सम्बन्ध कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तापीय विद्युत केन्द्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या देश में कोयला निक्षेपों का प्रमाणीकरण करने के लिए जानकारी के अभाव में तापीय विद्युत उत्पादन योजनाओं में बाधा पड़ रही है ; और

(ग) क्या भारत सरकार की कोल लिंकेज नीति मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को हो रही कोयले की लगातार कमी के लिए उत्तरदायी है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) मध्य प्रदेश में स्थित वर्तमान खानों से वर्तमान उत्पादन तथा इन खानों और नई खानों का भावी उत्पादन मध्य प्रदेश के तथा अन्य राज्यों के बिजलीघरों से संयोजित कर दिया गया है तथा सयोजक का आधार मांग, उत्पादन, बिजलीघरों को चालू करने का कार्यक्रम तथा परिवहन संबन्धी सुविधाएं है । चूंकि कोयला एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है इसलिए किसी राज्य विशेष में स्थित कोयला भडार उसी राज्य के बिजलीघरो के लिए ही आरक्षित नहीं कर दिए जाते। मध्य प्रदेश भी इस नीति का अपवाद नहीं है।

(ख) जी, नहीं। संयोजन वर्तमान और प्रस्तावित बिजलीघरों की मांग के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की कोयले की मांग भली भांति पूरी की गई है।

अशोधित तेल के आयात के लिए विदेशी के साथ ठेका

5958. **डा० कृपा सिन्धु भाई :**

श्री के० लक्कप्पा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1982 के लिए एक करोड़ पैंतालीस लाख टन अशोधित तेल की अपनी आयात आवश्यकता पूरी करने के लिए सात देशों के साथ करार किए हैं,

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों के साथ अशोधित तेल की कितनी मात्रा के लिये करार किये गए हैं और प्रत्येक मामले में करारों की शर्तें क्या है ; और

(ग) वर्ष के दौरान अशोधित तेल की कुल कितनी आवश्यकता होगी और इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क), (ख) और (ग) वर्ष 1982 के लिए देश में शोधन शालाओं की कुल खनिज तेल की आवश्यकता का अनुमान 35.3 मिलियन मी० टन लगाया गया है जिसमें से लगभग 14.4 मिलियन मी० टन का वर्तमान अनुमानों के अनुसार आयात करना पड़ सकता है। वर्ष 1982 में खनिज तेल के आयात के लिए निम्नलिखित देशों के साथ समझौते किये जा चुके हैं :—

देश का नाम	मात्रा (मिलियन मी० टन)
ईराक	3.5
इरान	3.3
नाइजीरिया	0.5
वेनेजुलएला	0.5
संयुक्त अरब अमीरात	1.0

सऊदी अरब के साथ की गई वर्तमान व्यवस्थाओं से जनवरी 1982 से मई 1982 के के बीच 1.1 मिलियन मी० टन की सप्लाई की व्यवस्था है। इस समय अवधि को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही बातचीत करने की आशा है। सोवियत संघ पहले से ही 0.2 मिलियन मी० टन की सप्लाई कर चुका है और 2.3 मिलियन मी० टन की शेष मात्रा की सप्लाई के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में और ब्योरे देना जनहित में उचित नहीं है।

रांची (बिहार) में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

5959. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची (बिहार) टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : रांची में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रेषक और स्टूडियो उपकरणों के लिए आर्डर देने और स्थान को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है ।

न्यायालय फीस समाप्त करने के बारे में विधि मन्त्रियों के सम्मेलन के लिए प्रस्ताव

5960. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार न्यायालय फीस समाप्त करने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने हेतु राज्यों के विधि मन्त्रियों का कोई सम्मेलन बुलाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) जी हां ।

उत्तर प्रदेश में बागेश्वर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण

5961 . **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बागेश्वर में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए कोई भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त भवन के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ;

(ग) उस पर कितना व्यय होगा और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(घ) क्या वहां विभागीय कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर भी बनाने का विचार हैं ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), से (घ) छोटे टेलीफोन एक्सचेजों के लिए विभागीय इमारत का निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है । तथापि स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

पार्थसारथी समिति का प्रतिवेदन

5963. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शक्ति-प्राप्त समिति द्वारा आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के नियमन के प्रश्न पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या पार्थसारथी समिति का प्रतिवेदन विचार हेतु उच्च शक्ति-प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त : साठे) : (क) से (ग) स्टाफ आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के बारे में पार्थसारथी समिति की सिफारिशों पर एक मन्त्रिमंडलीय समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के 9.3.1982 को दिए गए उत्तर में दिए जा चुके हैं।

रानीखेत और पियोरा गढ़ उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना

5964. श्री हरीश रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय उत्तर प्रदेश के रानीखेत और पियोरागढ़ कस्बों में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज कब तक स्थापित करेगा :

(ख) क्या इस एक्सचेंजों के लिए भवनों के निर्माण के लिए स्थलों का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अभी ये योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीविजन पर फिल्मों का दिखाया जाना

5965. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर रविवार को टेलीविजन पर बहुत पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं और दर्शकगण इन फिल्मों के प्रदर्शन से खुश नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अपनी आयोजन पर पुनर्विचार करने का है ताकि सिनेमा के टिकटों में कालाबाजारी रोकने के लिय टेलीविजन पर नई फिल्में दिखाई जा सकें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) संशोधित नीति के अनुसार, फीचर फिल्मों का चयन निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :—

1. प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार
2. विषयात्मक मूल्य
3. चलचित्रिकी मूल्य

4. मनोरंजन मूल्य

5. निर्माण वर्ष

6. फिल्में दूरदर्शन पर कितनी बार दिखाई गई और किन किन केन्द्रों पर दिखाई गई ।

ग्लेक्सो लि० को जारी किए गए लाइसेंसों का रद्द किया जाना

5966 **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या पेटोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह यह सच है कि सरकार ने ग्लेक्सो लि० को 10 बल्क औषधिय ५ लिए दिए गए तीन लाइसेंसों को उनके गैर क्रियान्वयन के लिए करने का नोटिस दिया हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त कंपनी ने टिप्रल नाम के आयातित इन्टरमीडियेट के साथ बेटामेरासोन का उत्पादन किया था जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य इस आधार पर था कि यह इन्टरमीडियेट कंपनी के अपने उत्पादन में से होगा,

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य विदेशी कंपनियां भी उत्पादन फार्मूला तथा औषधियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में छल साधन कर रही है तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए बल्क औषधियों को काम में ला रही है जिससे औषधियों की अपेक्षा से अधिक लाभ मिलता है जिनके लिए उन्हें लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(घ) क्या ग्लेक्सो के विरुद्ध इस बीच जांच पूरी कर ली गई है और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और क्या जिन उपबन्धों के अन्तर्गत उनको कार्य करने की अनुमति दी गई है और उनके उल्लघंन की रोकथाम के लिए अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबध में ऐसी ही जांच की जायेगी.

पेट्रोलिय, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकतम विदेशी कंपनियों द्वारा उपादित उन फार्मूलेशनों जिन पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है की, संख्या उसके द्वारा उत्पादित मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों की संख्या से काफी कम है ।

(घ) निर्माण की मद से संबन्धित अनुमदन की शर्तों के उल्लघंन का कोई मामला जब कभी सरकार के ध्यान में आता हैं तो उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु मामले के सभी पहलुओं की विस्तार पूर्वक जांच की जाती है । बेटामेथासोन के निर्माण के लिये मै० ग्लेक्सो द्वारा किये गये ट्राइन नामक एक मध्यवर्ती के आयात की जांच की जा रही है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि क्या औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लघंन हुआ है ।

असम द्वारा विद्युत की कमी का सामना करने की संभावना

5967. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम को राज्य के क्षमता के उपयोग सम्बन्धी सराहनीय कार्यकरण के बावजूद वर्ष के अन्त में विद्युत की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि असम राज्य को अपने द्वारा प्राप्त विद्युत सप्लाई के लिये मेघालय को प्रति यूनिट 51 पैसे अदा करने पड़ते हैं जबकि केन्द्रीय उर्जा मन्त्रालय ने 30 पैसे प्रति यूनिट की अधिकतम दर निर्धारित की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त प्रकार के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है और क्या उनका विचार राज्य सरकार को अपनी वर्तमान क्षमता बढ़ाने में इसकी मदद करने का है ताकि राज्य को वर्ष के अन्त में अत्यन्त कठिन स्थिति का मुकाबला न करना पड़े ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विद्युत की प्रत्याशित मांग को ध्यान में रखकर, क्षेत्रीय आधार पर उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करने की आयोजन समय-समय पर की जाती हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि हो जाने पर वहां विद्युत सप्लाई की स्थिति अच्छी हो जाने की आशा है। मेघालय राज्य बिजली बोर्ड ने असम को की गई विद्युत सप्लाइ के लिए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इस मामले पर दो राज्य बिजली बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि दर के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक असम को बिना किसी बाधा के विद्युत [सप्लाई बनाए रखे। दो राज्यों के बीच हुई बात-चीत में टैरिफ के अभी-तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन वाले राज्यों द्वारा जरूरतमन्द राज्यों को बहुत ऊंची दरों विद्युत की सप्लाई

5868. **श्री एन० एच० नन्जे गौडा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत के कुछ राज्यों, जो अपनी आवश्यकता से अधिकृत विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जरूरतमन्द राज्यों की अपने द्वारा सप्लाई की जाने वाली विद्युत की दरें बहुत बढ़ा दी हैं ;

(ख) क्या अतिरिक्त उत्पादन वाले राज्यों ने दर के निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र की अनुमति माँगी है ;

(ग) किन किन राज्यों ने 1981 के दौरान विद्युत के मूल्य बढ़ाये और क्या सरकार का विचार किसी राज्य द्वारा विद्युत की बिक्री के लिये अधिकतम लाभ का निर्धारण करने के लिये कुछ मानदण्ड तय करने का हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरे क्या है तथा क्या राज्यों से इस बारे में केन्द्रीय सलाह मानने को कहा गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विद्युत की अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए टेरिफ की दरें संबन्धित राज्यों द्वारा तय की जाती हैं। इन मामलों में केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल एक सलाहकार की हो सकती है ।

आकाशवाणी में प्रोडक्शन एसिस्टेंटों और प्रोडयूसरों के लिये पदोन्नति के अवसर

5969. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में ऐसे कितने प्रोडक्शन एसिस्टेंट प्रोडयूसर और सीनियर प्रोडयूसर हैं जो इस वर्ष के अन्त तक अपने ग्रेड की अधिकतम सीमा तक पहुंच जायेंगी ;

(ख) उसकी पदोन्नति के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें शीघ्र अगला ग्रेड देने का है ताकि वे अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा में न बने रहें ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं और भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों में कब तक परिवर्तन किये जायेंगे, और

(ङ.) क्या सरकार कार्यक्रमों में संबंधित एक नया संवर्ग बनायंगी और यदि हां, तो क्या सभी श्रेणियों में पदोन्नतियों को इस संवर्ग के बनाये जाने तक बन्द कर देने का भी विचार है ताकि सभी श्रेणियां समान रूप से लाभान्वित हो सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) उन सीनियर प्रोड्यूसरों, प्रोड्यूसरों और प्रोडक्शन सहायकों, जो 1982 में अपने शुल्क मानों के अधिकतम तक पहुंच जायेंगे, की संख्या के सम्बन्धों में सूचना एकत्र कर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) सीनियर प्रोड्यूसरों के पदों को प्रोड्यूसरों में से चयन द्वारा 100 प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर भरा जाता है।

प्रोड्यूसरों के पदों को स्टाफ आर्टिस्टों को सभी श्रेणियों से 100 प्रतिशत सीमित चयन के पद स्पोकन वर्ड, कार्यक्रम, ड्राम, संगीत इत्यादि जैसी विभिन्न विधाओं में है। निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले स्टाफ आर्टिस्ट इन पदों के लिए पात्र है ।

प्रोडक्शन सहायता के पद कम्पीस्टों, टेप-लायब्रेरियनों जनरल असिस्टेंटों, इत्यादि की निचली श्रेणियों कर्मचारियों की बड़ी श्रेणियों में से सीमित चयन द्वारा आन्तरिक रूप से भी भरे जाते हैं।

(ग) से (ङ.) किसी व्यक्ति को उसके वेतनमान के अधिकतम पर पहुचने से पहले पदोन्नति करना सदा सम्भव नहीं है ।

पदोन्नति के अवसर रिक्तियों पर निर्भर करते हैं जो सेवानिवृतियों, नये पदों की उपलब्धता, इत्यादि पर निर्भर करती है।

परेशानी को कम करने के लिए. प्रोड्यूसरों के ग्रेड में, 900-1400 रुपए के शुल्क मान में सीनियर प्रोड्यूसरों के 23 पद 1981 में सृजित किए गए है ?

इन श्रेणियों के पदोन्नति के अवसरों में अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के 9-'-1932 को दिए गए उत्तर में सूचित दिए गए निर्णय को कार्यान्वयन से और सुधार होने की सम्भावना है।

स्टाफ आर्टिस्टों के लिये पदोन्नति के अवसर

5910. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिटों की वर्तमान संख्या ग्रेडवार कितनी हैं,

(ख) उनकी सेवायें नियमित करने के बाद उनकी पदोन्नति के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं, और

(ग) क्या उच्च ग्रेडों में कुछ नये पद बनाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना विवरण में दे गयी है।

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों के सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित होने के बाद पदोन्नति के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	श्रेणी	शुल्कमान	वर्तमान
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	मुख्य प्रोडयूसर	1300-1700 रुपये	5
(2)	उप मुख्य प्रोडयूसर	1100-1600 रुपये	8
(3)	प्रोडयूसर/प्रोडयूसर (सेलेक्शन ग्रेड 700--1300 रुपये)	650-1200 रुपये	180
(4)	सम्पादक	650-1200 रुपये	25

1	2	3	4
(5)	सहायक सम्पादक (न्यूज)	650-1200 रुपये	185
	(रिपोर्टिंग)	550-900 रुपये	
(6)	उप सम्पादक	525-750 रुपये	39
(7)	उद्घोषक/कम्पीयर		
	(जूनियर स्केल)	525-750 रुपये	
	(सीनियरी स्केल)	550-900 रुपये	790
	(सेलेक्शन ग्रेड)	650-1200 रुपये	
(8)	प्रोडक्शन सहायक	425-750 रुपये	320
(9)	जनरल असिस्टैंट/कापीस्ट		
	(जूनियर स्केल)	260-400 रुपये	
	टेप लायब्रेरियन/ कापीस्ट		
	(सीनियरी स्केल)	330-560 रुपये	199
	केयर टेकर (वादक)	330-560 रुपये	
(10)	समाचार वाचक-व		
	अनुवादक (जूनियर स्केल)	6500-1200	
(11)	समाचार वाचक		205
	(सानियर स्केल)	1100-1600 रुपये	
(12)	अनुवादक व- उद्घोषक		
	(भारतीय भाषाएं)	650-1200	63
	(विदेशी भाषाएं)	700-1300	
(13)	वादक		
	(अपग्रेडिड)	380-640	
	(जूनियर स्केल)	425-750	778
	(सीनियर स्केल)	550-900	
	(सलेक्शन ग्रेड)	650-1200	
(14)	संगीतकार :		
	(जूनियर स्केल)	550-900 रुपये	

1	2	3	4
	(सीनियर स्केल)	650-1200 रुपये	95
	(सलेक्शन ग्रेड)	1100-1600 रुपये	
(15)	ड्रामा ध्वनि		
	(जूनियर स्केल)	320-560 रुपये	
	(सीनियर स्केल)	425-700 रुपये	52
	(सलेक्शन ग्रेड)	550-900 रुपये	
(16)	विज्ञान अधिकारी	700-1300 रुपये	6
(17)	पर्यवेक्षक (विदेशी भाषा)	1100-1600 रुपये	5
(18)	मानीटर		
	(विदेशी भाषा)	700-1300 रुपये	
	(भारतीय भाषा)	470-750 रुपये	29
(19)	अनुवादक	650-1200 रुपये	12
(20)	असाईनमेंट		
	(विदेशी भाषाएं)	455-540 रुपये	4
		कुल :	3,000

छठी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण पर खर्च की जाने वाली राशि

5971. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या : ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण पर कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है ; और

(ख) योजना आबंटन के अंग के रूप में केरल के लिए कितनी राशि रखी गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में समग्र देश के लिए, ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रमों सहित, ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1821-83 करोड़ रुपयों के परिव्यय की व्यवस्था है ।

(ख) केरल के लिए आबंटन की राशि 18.92 करोड़ रुपये है ।

पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स

5972. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में भारत में इस समय कितने पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) छठी योजना के दौरान इनके विकास और विस्तार के लिए कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) केन्द्रीय सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी इन्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) ने गुजरात में बड़ौदा में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना की है। इस उद्योग समूह में एक एरोमेटिक्स संयन्त्र और एक ओलीफिन्स संयंत्र और डाउनस्ट्रीम यूनिटें शामिल हैं। बोंगाई गांव रिफाइनरी एण्डपेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (बी० आर एन्ड पी०एल०) नामक एकदूसरे पेट्रो-रसायन उद्योग समूह का निर्माण असम में बोंगाई गाव के स्थान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तगत किया जा रहा है। इस उद्योग समूह में पर एक जाइलीन यूनिट, एक डी० एम० टी० यूनिट और एक पालिएस्टर स्टेप्पिल फाइवर यूनिट शामिल हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में आई० पो० सी० एल० और बी० आर० पी० एल० (पेट्रो-रसायन यूनिट) की प्रायोजनाओं के लिए क्रमश: 160.13 करोड़ रुपये और 166.56 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नये तेल शोधक कारखानों द्वारा उत्पादन

5973. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने तेल शोधक कारखाने हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में कारखानेवार उत्पादन कितना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्तमान में देश में बारह शोधन शालाएं हैं।

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान शोधनशाला-वार थ्रूपुट के ब्यौरे नीचे दिए गए है :

(मिलियन मी०टनों में)

क्रम संख्या	शोधनशाला का नाम	1979-80 (वास्तविक)	1980-81 (वास्तविक)	1981-82 (अनुमानित)
1.	भारत पेट्रोलियम, कारपोरेशन लिमिटेड (बम्बई)	4.82	4.90	4.91

क्रम संख्या	शोधनशाला का नाम	1979-80 (वास्तविक)	1980-81 (वास्तविक)	1981-82 (अनुमानित)
2.	वोगाई गांव रिफाइनरी एन्ड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड (वोंगाई गांव)	0.19	0.05	0.45
3.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, कोचीन	2.87	2.91	3.13
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बम्बई)	3.13	3.11	3.47
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (विभाग)	1.10	1.32	1.16
6.	इन्डियन आयल कारपोरेशन लि०, बरौनी	2.29	0.51	3.02
7.	—वही— दिग्बोई	0.41	0.50	0.50
8.	—वही— गोहाटी	0.65	0.64	0.71
9.	—वही— हल्दिया	2.49	2.31	2.26
10.	—वही— कोयाली	6.71	6.98	6.99
11.	—वही— मथुरा	—	—	0.62*
12.	मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, मद्रास	2.82	3.61	2.78
	योग :	27.48	25.84	30.03

*केवल जनवरी, 1982 से

भारत में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या

5974. श्री ए० नीलालो हिथादसन नाडार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र है ; और राज्यवार इसका ब्योरा क्या है ; और

(ख) इनके संचालन पर कितनी राशि खर्च की गई और उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) 1.4.1981 से 31.1.82 तक की 10 महीने की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों का प्रचालन व्यय 1,24,34,500 रु० था । इसी अवधि में इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों से 99,02,900 रु० का राजस्व प्राप्त हुआ ।

विवरण

15.3.1982 को लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्यवार सूची

क्रम सं०	सर्किल का नाम	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1.	आन्ध्रप्रदेश	3061
2.	विहार	1662
3.	गुजरात (गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली' दीव, दमन सहित)	536
4.	जम्मू और कश्मीर	166
5.	कर्नाटक	1050
6.	केरल (केरल माहे एवं मिनिकाय लक्षद्वीप अमीनदीव द्वीप समूह सहित)	208
7.	मध्य प्रदेश	1138
8.	महाराष्ट्र (महाराष्ट्र और गोवा सहित)	688
9.	उत्तर-पूर्वी (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित)	433
10.	उत्तर-पश्चिमी (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाव और चन्डीगढ़ सहित)	942
11.	उड़ीसा	508
12.	राजस्थान	676
13.	तमिलनाडु (तमिलनाडू और पांडिचेरी सहित)	1654
14.	उत्तर प्रदेश	2327
15.	पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	629
13.	दिल्ली	—

बम्बई गैस कम्पनी

5975. डा० बसन्त कुमार पंडित :क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई गैस कम्पनी लिमिटेड, महाराष्ट्र सरकार के कहने पर कपड़ा मिलों के लिए प्राकृतिक गैस और मिथेन समृद्ध गैस वितरित करने के लिए अपनी 550 किलोमीटर गैस पाइप लाइन को बदलने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर अब तक कितनी प्रगति हुई है और उस पर क्या निर्णय हुआ है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस समय बम्बई गैस कम्पनी केन्द्रीय क्षेत्र में होने के कारण वायु प्रदूषण बहुत फैलाती है ; और

(घ) क्या सरकार बाम्बे हाई और अन्य गैस संसाधनों से प्राकृतिक गैस वितरित करने के लिए बम्बई गैस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) :(क) से (घ) कार्यकारी दल, जो 1977 में महाराष्ट्र में अपतटीय गैस की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था, ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की कि महाराष्ट्र सरकार को घरेलू उपभोक्ताओं और 45 टैक्सटाइल मिलों, जो दल की रिपोर्ट में सूचीबद्ध है, जिसमें टैक्सटाइल मिलों द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के प्रयोजन के लिए गैस के स्थान पर एल० एस० एच० एस० का मिश्रण और ईंधन तेल के प्रयोग करने का प्रश्न शामिल हैं के लिए अपतटीय गैस की सप्लाई पाइपलाइनों के माध्यम से व्यवस्था हो के प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न मामलों का अध्ययन करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने तदनुसार, सितम्बर 1978 में अपेक्षित अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया। अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी प्राप्त नहीं की गई है, और इस सम्बन्ध में आगामी कार्रवाई रिपोर्ट के प्राप्त होने पर की जायेगी।

कुछ बड़े नगरों में नई टेलीफोन, ट्रंक आटोमेटिक और टेलेक्स एक्सचेंज

5976. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई (न्यू बाम्बे सहित), मद्रास, कलकत्ता दिल्ली और अहमदाबाद के नगरों में वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कितनी नई (एक) टैलीफोन एक्सचेंज, (दो) ट्रंक आटोमेटिक और (तीन) टेलेक्स एक्सचेंज चालू किए जायेंगे ;

(ख) बम्बई (न्यू बाम्बे सहित), मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और अहमदाबाद के नगरों की सभी एक्सचेंजों में टेलीफोन प्रयोक्ताओं की कुछ प्रतीक्षा सूची क्या है ; और

(ग) वर्ष 1992 और 1983 के दौरान उनमें से कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) 28-2-1982 को प्रतिक्षा सूची निम्नानुसार है :-

बम्बई (न्यू बम्बई सहित)	—	1,53,741
मद्रास		20,583
कलकत्ता		26,461
दिल्ली	—	86,973
अहमदाबाद	—	20,644

(ग) प्रतीक्ष सूची के निपटान पर परिमाण 1982 और 1983 के दौरान जोड़े जाने वाले नए एक्सचेंज की क्षमता तथा मौजूदा अतिरिक्त क्षमता पर निर्भर करेगा।

विवरण

1982 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजटी ए एक्स टेलेक्स

शहर का नाम	नये टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	नये ट्रंक एक्सचेंजों की संख्या	नये टेलेक्स एक्सचेंजों की संख्या
बम्बई (न्यू बम्बई सहित)	4	—	2
मद्रास	—	—	—
कलकत्ता	4	—	2
दिल्ली	2	—	—
अहमदाबाद	1	—	—

1983 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एगसचेंज टी० ए० एक्सटेलेक्स

बम्बई (न्यू बम्बई सहित)	10	1	1
मद्रास	2	1	1
कलकत्ता	2	1	—
दिल्ली	5	1	1
अहमदाबाद	—	—	—

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड और राष्ट्रीय टैरिफ

5977. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश को बिजली उत्पादन का एक यूनिट मानते हुए बिजली वितरण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की योजना बनाई है ;

(ख) बिजली ऊर्जा की अन्तर्राज्यीय दरों में राज्यवार असंतुलन को दूर करने और इनमें समानता लाने के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने बिजली को फालतू उत्पादन करने वाले राज्यों से ऊर्जा खरीदने के लिए एक उपयुक्त राष्ट्रीय टैरिफ बनाने के लिए राज्य सरकारों के सभी ऊर्जा मन्त्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है; और

(घ) छठी योजना के बाकी वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य की ऊर्जा की आवश्यकतायें क्या हैं और बिजली की कमी वाले कौन-कौन से राज्य हैं जिन्हें अन्तर्राज्यीय बिजली के उधार लेने की जरूरत है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यद्यपि सरकार ने एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का सृजन करने की प्रक्रिया विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों आदि के साथ विचार-विमर्श करके तैयार की जाती है। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से इस मामले में अपनी अपनी सुविचारित राय भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत के अन्तर्राज्जीय आदान-प्रदान पर लागू होने वाली टैरिफ के ढाचे के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार के किस्म की है। देश में विद्युत की माँग और सप्लाई को 1985 तक बराबर कर देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) छठी योजना के वर्ष 1984-85 के दौरान ऊर्जा की राज्यवार उपलब्धता तथा आवश्यकता दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1984-85 तक ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता/आवश्यकता/कमी अथवा अधिशेष दिखाने वाला विवरण

राज्य का नाम	ऊर्जा की उपलब्धता मिलियन यूनिट	ऊर्जा की आवश्यकता मिलियन यूनिट	अधिशेष (कमी मिलियन यूनिट
1. आन्ध्र प्रदेश	13232	11557	1675
2. असम	1160	1478	182
3. बिहार	5822	5489	333
4. गुजरात	14826	14696	130
5. हरियाणा	5858	6343	—485
6. हिमाचल प्रदेश	1224	823	401
7. कर्नाटक	9829	13262	—3433
8. केरल	5594	5539	55

1	2	3	4
9. मध्य प्रदेश	12246	12227	19
10. महाराष्ट्र	26418	26923	—505
11. मणिपुर	240	78	162
12. मेघालय	319	169	150
13. उड़ीसा	5895	5818	—?
14. पंजाब	9738	10315	—577
15. राजस्थान	6696	8590	—1894
16. तमिलनाडु	12204	15150	—2946
17. उत्तर प्रदेश	21264	22638	—1374
18. पश्चिम बंगाल	10966	8561	—2405
19. जम्मू और कश्मीर	1068	1728	—620

निर्वाचन आयोग और गृह मन्त्रालय के बीच परामर्श

5978. **प्रो० मधु दण्डवते** क्या :विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के लोक सभा के गत साधारण निर्वाचनों से पहले साधारण निर्वाचनों के लिए पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों के प्रबन्ध के बारे में निर्वाचन आयोग और गृह मंत्रालय आयोग और गृह मन्त्रालय क अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के बीच परामर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय किए गए -

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) वर्ष 1980 में हुए लोक सभा के गत साधारण निर्वाचनों से पहले और निर्वाचन आयोग और गृह मन्त्रालय के बीच मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के उस प्रश्न के संदर्भ में परामर्श किया गया था जो उसने संपूर्ण देश में एक ही दिन में निर्वाचन कराने के लिए भेजा था । व्यावहारिक कठिनाइयों और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सम्पूर्ण देश में किसी एक दिन एक दिवसीय मतदान कराना असभव समझा और उसने तब यह विनिश्चय किया कि अधिक से अधिक दो दिन में मतदान कराया जाए और इन दो दिनों के बीच केवल दो दिन का अन्तर होना चाहिए तथा मतदान की ये दोनों तारीखें सभी जगहों के लिए एक ही हों ।

उड़ीसा में बोलनगीर जिले में विभागेतर शाखा के पोस्टमास्टरों और सब-पोस्टमास्टरों को मकान किराया सत्ता

5979. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सर्किल/बोलनगीर डिवीजन में विभागेतर शाखा पोस्टमास्टर और विभागेतर सब पोस्टमास्टर कोई मकान किराया प्राप्त नहीं कर रहे है जिसके वे हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक इसमें वंचित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें मकान किराया भत्ता कितनी जल्दी अदा कर दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सेवा की शर्त के रूप में विभागेतर शाखा पोस्टमास्टरों तथा विभागेतर उप पोस्टमास्टरों को डाकघर चलाने के लिए उचित आवास प्रदान करना होता है । अत: उड़ीसा के बोलनगीर डिवीजन में विभागेतर शाखा पोस्टमास्टरों और विभागेतर उप पोस्टमास्टों को डाकघर चलाने के लिए आवास किराये पर लेने के लिए कोई आवास भत्ता नहीं दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश के डाकघरों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में इन्स्पैक्टर

5980. **श्री राम लाल राही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान भारतीय डाक तार विभाग के उत्तर प्रदेश सर्किल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, अलग-अलग कितने उम्मीदवार शामिल हुए और उनमें से कितने उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया और उन्हें डाकघरों के इंस्पक्टर के पद पर नियुक्त किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : डाकघर निरीक्षकों के संवर्ग में पदोन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1980 81	60	7
1981·82	124	11

1980-81 में आयोजित की गई परीक्षा में 9 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के उत्तीर्ण होने वाले प्रत्यार्थियों को नियुक्त कर दिया गया है । दिसम्बर, 1981 में आयोजित 1981-82 की परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है ।

आयात प्रतिस्थापन के निर्माण में लगे हुए औद्योगिक एककों को कोयले की सप्लाई

5981. **श्री राम लाल राही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान गैर-सरकारी औद्योगिक एककों को दिये गये कोयले की सप्लाई की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार कोयले की सप्लाई के मामले में ऐसे बहुत से औद्योगिक एककों, जो आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का निर्माण करके विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं की उपेक्षा कर रही है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि चालू उत्पादिता वर्ष के दौरान निर्यात करने वाले एककों और अन्य औद्योगिक एककों, जो विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं और उसकी बचत कर रहे हैं, को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई किया जाये ताकि वे उत्पादन में वृद्धि कर सकें और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गैर सरकारी औद्योगिक एककों को कोयले सप्लाई के सम्बन्ध में अलग से कोई विवरण नहीं रखा जाता । परन्तु यह सही है कि उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई में 1980-81 और 1981-82 दोनों वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । वर्ष 1980-81 में 105.58 मिलियन टन कोयले का प्रेषक हुआ जबकि 1979-80 में99.57 मिलियन टन का प्रेषक हुआ था । इसी प्रकार अप्रैल-फरवरी, 1981-82 के दौरान 106.89 मिलियन टन कोयले का प्रेषक किया गया जबकि 1980-81 में इसी अवधि में 95.14 मिलियन टन प्रेषक रहा था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक कोयला पहुंचाने की दृष्टि से कोयला कम्पनियों रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं । रेलवे वैगनों द्वारा कोयले के प्रेषक और कोयले के उत्पादन इन दोनों बातों पर उच्चतम स्तर पर "औद्योगिक आधार भूत सुविधाओं सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलय समिति" निगरानी रख रही है । कोयला कम्पनियां रेल द्वारा प्रेषक में जितनी कमी रह जाती है उतना कोयला सड़क से ले जाने के लिए भी देती रहती हैं तथा कुछ निर्दिष्ट खानों से बिना किसी प्रबन्ध के भी कोयले की बिक्री कर रही हैं । अच्छे ग्रेड के कोयले को उपभोक्ताओं को देने की क्रियाविधि अभी हाल ही में कोल इन्डिया लि० ने कुछ और उदार बना दी है ।

उत्तर प्रदेश में गैस एजेंसियों के लिए विज्ञापन

5982. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी गैस एजेंसियों के लिये विज्ञापन जारी किये गये थे और जिला श्रेणी तथा स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक एजेंसी की श्रेणी क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में गैस एजेंसी देने के लिये कब इन्टरव्यू लिये गये थे और आवेदकों का इन्टरव्यू लेने के लिए नियुक्त किये अधिकारियों का अर्हताओं सहित ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक जिले में आवेदकों को किन तेल कम्पनियों ने ये गैस एजेंसियां आबंटित की है ;

(घ) केलेंडर वर्ष 1980, 1981 और 1982 (1 मार्च, 1982) तक के दौरान अब तक कितनी गैस एजेंसियां मंजूर की गई ;

(ङ) मंजूरी के लिये विचाराधीन गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) उपरोक्त इन्टरव्यू में चयन के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ड.) ऐसा सूचित किया गया है कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 की अपनी योजनाओं में उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत, इन्डियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने 85 एल० पी० जी० एजेंसियां विज्ञापित की हैं। 79 एजेंसियों के लिए साक्षात्कार पहले से ही लिए जा चुके हैं। 23 एल० पी० जी० एजेंसियों विज्ञापित की हैं 79 एजेंसियों के लिए साक्षात्कार पहले से ही लिए जा चुके हैं

डीलरों का चयन करने के लिए कुछ चयन समितियों स्थापित किया गया। "सर्वसाधारण श्रेणी की एजेंसियों की चयन समिति में सम्बन्धित तेल कम्पनी के एक प्रतिनिधि सहित तेल कम्पनियों के तीन प्रतिनिधि होते हैं. सामाजिक उद्देश्य श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली एजेंसियों के लिए चयन समिति में, इनके अतिरिक्त, एक सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल होता है। स्थान, श्रेणियों, साक्षात्कारों की तिथि और चयन समितियों के सदस्यों के नाम के सम्बन्ध में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(च) चयन समिति उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी व्यापार करने की योग्यता विक्रय-कला, वित्त व्यवस्था करने की क्षमता ओप सुविधाओं को प्रदान करने की योग्यता, पूर्ण समय डीलर के रुप में कार्य करना, सामान्य मूल्यांकन, व्यक्तित्व और पाठ्येतर गतिविधियों के आधार पर करती है।

शाहदरा स्थित प्रति विहार में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन नआवेदन-पत्र

5983. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा एक्सचेंज क्षेत्र में स्थित प्रति विहार मे टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बहुत से आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो इन आवेदकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ग) प्रति विहार में अब तक कितने टेलीभोन कनक्शन दिये गये हैं ?

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, इस क्षेत्र मे लगभग 80 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) 1982-83 के दौरान शाहदरा क्षेत्र में 1200 लाइनों वाला स्ट्रोजर एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) फिलहाल प्रति बिहार क्षेत्र में 19 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य और अन्य राज्यों में हुई प्रगति

5984. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें शत प्रतिशत विद्युतीकृत किया गया है ;

(ख) विद्युतीकरण के मामले में अन्य राज्यों में प्रगति क्या है ;

(ग) क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है जब कोई भी गांव बिजली के बिना नही होगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हरियाणा, पजाब और केरल ने अपने अपने शत प्रतिशत गावों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(ख) अन्य राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध मे प्रगति विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) : देश के कुल 5.76 लाख गांवों में से 2.79 लाख गांवों को अक्तूबर, 1981 तक विद्युतीकृत किया जा चुका है, जो कि 48.5 प्रतिशत बैठते हैं। राज्यों की संदर्शी योजना में देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण पर्याप्त साधनों से 1994-95 तक कर दिये जाने का प्रावधान है। देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण यथाशीघ्र करने के लिए प्रधानमन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

विवरण

हरियाणा, पंजाब और केरल को छोड़कर अन्य राज्यों में विद्युतीकृत गांवों के सम्बन्ध में 31 अक्तूबर, 1981 तक का प्रगति को दिखाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य	गावों की कुल संख्या	31.10.81 तक विद्युतीकृत किए गए गांव	विद्युतीकृत किए गए गांवों की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	27221	18006	66.1
2.	असम	21995	5913	26.9
3.	बिहार	67566	22499	33.3
4.	गुजरात	18275	12921	70.7
5.	हिमाचल प्रदेश	16916	10606	62.7
6.	कर्नाटक	26826	17233	64.1
7.	जम्मू कश्मीर	6503	5059	77.8

1	2	3	4	5
8.	मध्य प्रदेश	70883	26740	37.7
9.	महाराष्ट्र	35778	28143	78.7
10.	मणिपुर	1949	334	17.1
11.	मेघालय	4583	765	16.7
12.	नागालैंड	460	408	42.5
13.	उड़ीसा	46992	18892	40.2
14.	राजस्थान	33305	15440	46.4
15.	सिक्किम	405	67	15.5
16.	तमिलनाडु	15735	15589	99.1
17.	त्रिपुरा	4707	1030	21.8
18.	उत्तर प्रदेश	112561	42780	38.0
19.	पश्चिम बंगाल	38074	25295	39.9

संचार व्यवस्था बढ़ाने के लिए चुने गए जिले

5985. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग ने संचार व्यवस्था बढ़ाने के लिए जनवरी, 1981 में देश के 18 जिलों को चुना था और यदि हां, तो या इनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) इन जिलों में संचार व्यवस्था बढ़ाने के लिए अब तक इस विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बाडोर जिले के बारे में इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त जिलों में विभाग द्वारा यह कार्यक्रम कब तक लागू किया जायेगा और इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां । चुने हुए जिले नियमानुसार हैं :

1. आगरा
2. अल्लेपी
10. कोरापुट
11. कृष्णा

3. बारभेड़	12. मथुरा
4. बैलगांव	13. मेहसाणा
5. भोपाल/सिहोर	14. मुर्शिदाबाद
6. जलपाईगुड़ी	15. नदियाड
7. कटिहार/पुर्णिया	16. उत्तर लखोमपुर
8. कोहिमा/काकोकचुंग/टिनसंग	17. संगरूर
9. कोलाबा	18. साउथ अरकोट एवं पांडिचेरी

(ख) अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया हैं।

(ग) कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। प्रक्षिप्त लागत लगभग 140 करोड़ रुपये है तथा इसका प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 26 पत्थर काटने वाले श्रमिकों की बहाली

5987. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 हरिजन श्रमिकों, जिन्हें पत्थर-तराश के न्यायाधिकरण के रूपमें लगभग दस वर्ष पूर्व अपनी नौकरी गवानी पड़ी थी, को एक श्रमिक न्यायाधिकरण के अनुसार बहाल किया जाना था और उन्हें बहाल करने की बजाय भारत कोकिक कोल लिमिटेड ने अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और न्यायाधिकरण पंचाट के अनुसार प्रभावित हरिजन श्रमिकों को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विकल महाजन) : (क) और (ख) : औद्योगिक न्यायालय, धनबाद ने एक अवार्ड दिनांक 14-8-1980 के द्वारा नुडखुरकी कोलियरी के एक ठेकेदार के 26 "पत्थर काटने वालों" को दुबारा बहाल किए जाने का आदेश दिया था। "अवार्ड का कार्यान्वियन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बीच हुए द्विपक्षीय समझोते द्वारा किया गया था। समझौते के अनुसार, सम्बन्धित व्यक्तियों को दो बैचों में 21-4-1981 और 9-5-1981 को रोजगार दिया गया था। यह रोजगार यूनियन के स्थानीय ब्रांच सचिव और ग्राम पंचायत के मुखिया के सत्यापन और शिनाख्त पर दिया गया था। दो मामलों में सत्यापन और शिनाख्त खण्ड विकास अधिकारी, धनबाद ने की थी।

परन्तु बाद में यह आरोप लगाया गया कि यह व्यक्ति छदमवेशी थे। समुचित जांच के बाद उन सभी को नौकरी से निकाल दिया गया।

26 दावेदारों के दावों को जांच उप-आयुक्त ने एक "मजिस्ट्रेट द्वारा कराई थी और भा० का० को० लि० ने उन्हें काम दे दिया था। उनमें से सभी ने 1-2-1982 से अपना कार्यभार सम्भाल लिया है।

प्रेस-परिषद का पुनर्गठन

5988. श्री राम विलास पासवान :
श्री जी० एम० बनातवाला :
प्रो० मधु दंडवते :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक प्रेस- परिषद का पुनर्गठन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ,

(ग) यदि उसका पुनर्गठन किया गया है, तो उसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रेस-परिषद का कब तक पुनर्गठन किए जाने की सम्भावना हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे)(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिषद के नये सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं। इनमें से प्रोफेसर अजीत कुमार मेहता त्यागपत्र दे चुके हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1. श्री अरूण शौरी
2. श्री एस० के० बोस
3. श्री ओ० पी० शाह
4. श्री विनोद मिश्र
5. श्री एस० रामस्वामी "चो"
6. श्री डी० एस० सोढ़ी
7. श्री एस० विस्वम्
8. श्री ए० राघवन्
9. श्री आर०रंगराजन्
10. श्री एन० के० त्रिखा
11. श्री रणजीत राय चौधरी
12. श्री शरद द्विवेदी

13. श्री विजय पी० नायक
14. श्री नरेन्द्र तिवारी
15. श्री सी० आई० ईरानी
16. श्री हरभजन सिंह
17. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा
18. श्री राज मोहन गांधी
19. श्री अतुर सगंतांनी
20 श्री धनश्याम पंकज
21. प्रो० ऊषा एच० मेहता
22. श्री रणजोत महन्ती
23. प्रो० उमाशंकर जोशी
24. श्री एच० के० एल० भगत
25. श्री एडुआर्डो फैलीरो
26 प्रो० अजीत कुमार मेहता (त्याग पत्र दे चुके है)
27. डा० रफीक जकारिया
28. श्री पीलू मोदी

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्याज की कम दर पर ऋण देने सम्बन्धी कनाडा की पेशकश

5989. श्री एस०एम० कृष्ण : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने, देश में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज की कुल जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुछ प्रारम्भिक कार्य किया है और वे उन्हें चालू करने के इच्छुक भी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कनाडा के विशेषज्ञों ने कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुछ प्रारम्भिक कार्य किया है और वे उन्हें चालू करने के इच्छुक भी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केनेडियन अन्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी (सी० आई० डी० ए०) से प्राप्त हुई सहायता के अन्तर्गत कनाडा के विशेषज्ञ, वर्ष, 1981 के दौरान हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-एक) के अन्वेषण कार्य में समबद्ध थे। कनाडा ने 1981 में एक जल विद्युत परियोजना निर्धारण

मिशन भी भेजा था। अपनी रिपोर्ट में मिशन ने सूचित किया है कि चमेरा परियोजना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम है तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि कनाडा को चमेरा परियोजना के विकास में सहायता देनी चाहिए। तथापि, प्रस्तावित सहायता की विस्तृत शर्तें कनाडा ने अभी तक सूचित नहीं की हैं।

(ग) कनाडा से सहायता सम्बन्धी विस्तृत शर्तें प्राप्त हो जाने के बाद ही इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

इन्दिरा गोदी से दवाओं की चोरी

5990. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस प्रकार के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि करोड़ों रुपये मूल्य की एक मूल दवा क्लोरोक्वीन फास्फेट की इन्दिरा गोदी से चोरी कर ली गई थी और उसे दिल्ली में बेच दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां, सरकार को ऐसे प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) और (ग) : चूंकि क्लोरोक्वीन फास्फेट एक सरणीकृत औषध है, इसलिए सरणीकृत यानि दि स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०(सी० पी० सी०) के साथ बातचीत की गई। उन्होंने सरकार को सूचित किया है कि विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा उनको रु० 20, 60 लाख (सी० आई० एफ०) मूल्य के 285 ड्रम (10.875 मी० टन) क्लोरो क्वीन फास्फेट की कम सप्लाई की थी। सरकार ने बम्बई बन्दरगाह न्यास और सीमाशुल्क अधिकारियों को इस मामले की जांच करने को कहा है। जांच करने के बाद बम्बई बन्दरगाह न्यास ने महाराष्ट्र राज्य पुलिस को उसकी रिपोर्ट भेजते हुए उनसे सम्यक जांच करने के बारे में अनुरोध किया है

दूर संचार के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग

5991. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्रीमती मोहसिना किदवई :

श्री० चिंतामणि जेना : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने के सम्बन्ध में फ्रांस सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सन्दर्भ में छठी योजना के दौरान इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में कोई बातचीत चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित एक्सचेंज किस किस्म का होगा और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, ।

(ख) फ्रांस की सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज विनिर्माण यूनिट के लिए प्रस्ताव पेश किया है ।

(ग) इस प्रस्ताव में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचोजों की अंकीय किस्म पर विचार किया गया है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

नगरों में रसोई गैस की एजेंसियां

5992. श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन नगरों में रसोई- गैस की एजेंन्सियां विद्यमान हैं और प्रत्येक नगर में दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक कितने-कितने कनेक्शन दिए गए थे ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के रसोई गैस कनेक्शन सम्बन्धी आवेदनों पर ध्यान देने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) तरली कृत पेट्रोलियम गैस की डिस्ट्रीब्यूटर शिपों/उप डिस्ट्री ब्यूटरशिपों की राज्यवार संख्या तथा खाना पकाने की गैस (एल० पी०जी०) के पंजीकृत उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । जब तक विशेष राज्य/ राज्यों को अभिपुष्टि न की गयी हो, देश में सभी शहरों के नाम तथा उन्हें दिए गए कनेक्शनों की संख्या इकट्ठा करने तथा संकलित करने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा यह विचारे गए उद्देश्य के अनुरुप न होगा ।

(ख) जी , नहीं ;

विवरण

राज्य	दिनांक 1-1-1982 की यथा स्थिति को डिस्ट्रीब्यूटर शिपों/उपडिस्ट्री ब्यूटरशिपों की संख्या	दिनांक 30-9-1981 की यथास्थिति के अनुसार, एल० पी० जी० उपभोक्ताओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	96	2,78,523
बिहार	34	1,19,013

1	2	3
गुजरात	123	3,80,551
हरियाणा	18	62,988
हिमाचल प्रदेश	3	8,769
जम्मू और कश्मीर	19	21,460
कर्नाटक	71	1,92,897
केरल	22	68,823
मध्य प्रदेश	55	1,94,075
महाराष्ट्र	311	10,50,252
उड़ीसा	21	43,469
पंजाब	14	59,944
राजस्थान	14	58,084
तमिलनाडु	74)	
पांडुचेरी	2)	2,91,883
उत्तर प्रदेश	72	3,10,893
पश्चिम बंगाल	93	2,03,960
चण्डीगढ़	6	28,548
गोवा, दमन और दिमू	14	15'224
दिल्ली	89	3,57,635
उत्तर पूर्वी राज्य*	18	44,757
योग	1169	37,91,748

*असम, मणीपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, तथा अरुणाचल प्रदेश सम्मिलित हैं।

उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल के डिपु

5993. श्री अर्जुन सिंह सेठी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के अन्त में विद्यमान उड़ीसा राज्य में पेट्रोल और डीजल डिपुओं की कुल संख्या से सम्बन्धित ब्योरा क्या है;

(ख) ऐसी कौन-कौन सी फर्में अथवा व्यक्ति हैं, जिनके नाम में पन्द्रह से अधिक तथा पच्चीस से कम ऐसे डिपु हैं और जिनके पास पच्चीस से भी अधिक ऐसे डिपु हैं, वे कौन-कौन हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उस राज्य में शिक्षित युवकों, विकलांगों के सम्बन्धियों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के निर्बल वर्गों से सम्बन्धित लोगों के लिए कुछ छोटा आवंटित किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दिनांक 31-12-1981 की यथा स्थिति को उड़ीसा राज्य में एम० एस०/एच० एस० डी० आउट लेटों की कुल संख्या 246 थी।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटर शिपों को प्रदान करने की शिकायत नीति में निम्नलिखित के लिये आरक्षण की व्यवस्था है :

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति;

(2) बेरोजगार स्नातक;

(3) बेरोजगार इन्जीनियर स्नातक;

(4) शारीरिक रूप से अपंग/युद्ध में अपंग हुये रक्षा कार्मिक तथा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों की विधवाएं;

(5) उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता/ उड़ीसा सहित सभी-सभी राज्यों में स्वतन्त्रता सैनानी।

मध्य प्रदेश को बिजली उत्पादन के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव

5994. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को बिजली के अतिरिक्त उत्पादन के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) नर्मदा घाटी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था।

इस परियोजना के लिए राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना से राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए भी 75 करोड़ रुपए का प्रावधान उपलब्ध है। यह प्रावधान पर्याप्त समझा गया है।

क्योंकि नर्वदा घाटी की परियोजनाओं में विस्तृत अन्वेषण कार्य पूरे होने में कुछ समय लगेगा। जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दिये जाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

मध्य प्रदेश के विश्रामपुर जिले में विद्युत परियोजना

5995. श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री बी० आर० नहाटा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में सरगुजा जिले के विश्रामपुर में 420 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली घर की स्थापना के प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि विश्रामपुर के पास पाया जाने वाला कोयला "हाई ग्रेड" का है तथा यह कोयला रेलवे और पश्चिम भारत के उपभोक्ताओं के लिए आरक्षित है;

(ख) क्या "वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड" ने यह सूचना दी है कि विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त कोयला इस क्षेत्र में उपलब्ध है;

(ग) क्या "वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड" के चेयरमैन ने सरकार को यह सूचित किया है कि एक वर्ष के भीतर-भीतर इस क्षेत्र में 1500 लाख टन कोयले के निक्षेप पाए जाने की सम्भावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के ये निक्षेप मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर ताप बिजलीघर के लिए आरक्षित होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विश्रामपुर में 2×210 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना के लिए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुए प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि विश्रामपुर ताप विद्युत क्षेत्र में उपलब्ध विद्युत ग्रेड के कोयले के भण्डार इतने पर्याप्त नहीं हैं कि ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना का औचित्य हो। तथापि, आस-पास के क्षेत्र में कोयले के भण्डारों की खोज-व्यापक रूप से चल रही है तथा यदि यह साबित हो जाता है कि उपयुक्त और पर्याप्त मात्रा में कोयले के भण्डार हैं तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों का लगाया जाना

5996. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की ऐसी कोई व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 400 के० वी० क्षमता तक की लाइनों के लगाने का काम विभागीय स्तर पर किया जाता है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों को लगाने पर कम लागत आती है;

(ग) यदि मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों को लगाने पर कम लागत आती है, तो क्या

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का लाइनें लगाने का काम मध्य प्रदेश बिद्युत बोर्ड को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या वेस्ट्रन जोन में स्थापित की जाने वाली सुपर ताप बिजलीघरों से सम्बन्धित ट्रांसमिशन योजनाओं को "वेस्ट्रन जोन पावर ग्रिड" के सदस्य राज्यों के परामर्श से तैयार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 400 के० वी० पारेषण लाइनों के टाकरों की गढ़ाई की तथा लाइनों के निर्माण की सुविधा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के पास है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 400 के० वी० लाइनों की प्रतिष्ठापना का कार्य मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, हां।

बिजली की कमी के कारण बिहार में फैक्ट्रयों का बन्द होना

5997. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 के दौरान बिजली की कमी के कारण बिहार की बहुत-सी फैक्ट्रियों में बिल्कुल काम नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को बिजली की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रमम महाजन) : (क) से (ग) बिहार विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। अप्रैल, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता 2315 मिलियन यूनिट थी। इसकी तुलना में ऊर्जा की आवश्यकता 3675 मिलियन यूनिट थी। यह कमी 37 प्रतिशत है। राज्य ने कोई विद्युत कटौती अभिसूचित नहीं की है। तथापि, विद्युत सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए लोड शेडिंग का सहारा लिया जाता है जो राज्य में विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उत्पादन में हानि होने के कारणों में से विद्युत की कमी हमेशा ही एक रही है। तथापि, यह कहना सही नहीं है कि वर्ष 1981-82 के दौरान बिहार में कई फैक्ट्रियां कतई नहीं चलीं। बिहार में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य में विद्युत की उपलब्धता और विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हो।

विदेशी औषध कंपनियों का प्रभुत्व

5998. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बहु-राष्ट्रिक औषध कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के औषध उद्योग में कितनी-कितनी स्वदेशी और विदेशी पूंजी लगी हुई है और सम्बन्धित औषध कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) औषध उद्योग पर से उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय औषध उद्योग में स्वदेशी और विदेशी पूंजी निवेश के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि औषध नीति, 1978 के कार्यान्वियन के बाद विदेशी कंपनियों की संख्या 31 से घटकर 24 रह गई है। 24 विदेशी कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। विदेशी कंपनियों की संख्या में और कमी आयेगी जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेशों को पूर्णतया कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत उनकी विदेशी साम्य पुंजी को कम करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार विदेशी औषध कंपनियों के कार्यकलापों को सरणीकृत करने के लिये औषध नीति के अंग के रूप में सरकार द्वारा उठाये गए कदम नीचे दर्शाये गए है :—

(1) विदेशी कंपनियां सिर्फ बुनियादी स्तर से उच्च प्रौद्योगिकी निहित वल्क औषधों और उनके मध्यवर्तियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस पाने के लिए योग्य है।

(2) कोई भी विदेशी औषध कंपनी बुनियादी स्तर के उच्च प्रौद्योगिकी वाले वल्क औषधों के निर्माण से असम्बद्ध औषध फार्मुलेशनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए योग्य नहीं है।

(3) उन वल्क औषधों की सूची तैयार की गई है जो (क) सरकारी क्षेत्र, (ख) भारतीय क्षेत्र और (ग) सभी क्षेत्रों के खाते हैं। विदेशी औषध कंपनियों पर सिर्फ श्रेणी (ग) के औषधों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिये विचार किया जाता है और फिर भी अन्य बातों के समान होने पर भी सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र और अन्त में विदेशी क्षेत्र को अग्रता क्रम में रखा जाएगा।

(4) सभी राज्य औषध नियंत्रकों अनुदेश जारी किये गए हैं कि विदेशी कंपनियों को कोई नया ऋण लाइसेंस नहीं दिया जाये। विद्यमान ऋण लाइसेंस पर आधारित विदेशी कंपनियों के लाभ को अनुबंध-I कार्यकलाप नहीं बल्कि नितांत व्यापारिक कार्यकलाप माना जाएगा।

(5) विदेशी कंपनियों घरेलू उपचारों के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस के लिए योग्य नहीं होगी।

(6) विदेशी कंपनियों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होगा।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1.	अबोट लैब (इं) प्रा० लि० बम्बई।
2.	बरो वैलकम एण्ड कं० (इं) लि०, बम्बई।
3.	मे एण्ड बेकर (इं) लि० बम्बई।
4.	स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेन्च (इं) लि० बगलोर।
5.	रोश प्रोडक्टस लि०, बम्बई।
6.	पार्क डेविस (इं) लि० बम्बई।
7.	ग्लैक्सो लैब (इं) लि०, बम्बई।
8.	जानसस एन्ड जानसन आफ (इं) लि० बम्बई।
9.	फाइजर लि० बम्बई।
10.	वायथ लैब, बम्बई।
11.	सीबा गायगी आफ इन्डिया लि०, बम्बई।
12.	ई० मर्क (इं) प्रा० लि०, बम्बई।
13.	मर्क शार्प एण्ड डोइमें आफ इण्डिया लि०, बम्बई।
14.	सैन्डोज (इं) लि०, बम्बई।
15.	रिचार्डसन हिन्दुस्तान लि०, बम्बई।
16.	सीनामाइड इण्डिया लि०, बम्बई।
17.	दि बूट्स कं० (इं) लि०, बम्बई।
18.	बायर (इं) लि०, बम्बई।
19.	अल्कली एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता।
20.	हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई।
22.	हिफेन्स (इं) लि०, बम्बई।
23.	आर्गेनान (इं) लि०, कलकत्ता।
24.	यूनी सैन्कीयो लि०, हैदराबाद।

श्री फिराक गोरखपुरी के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना

5999. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्दू के प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार श्री फिराक गोरखपुरी का मार्च के प्रथम सप्ताह में निधन हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अभी तक सरकार द्वारा इस महान व्यक्ति के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

6000. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन के लिए अपने अपने नाम दर्ज कराए हैं और अपेक्षित धनराशि जमा कराई है तथा पांच वर्षों से, चार वर्षों से और तीन वर्षों से कितने-कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : पिछले 5 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत आवेदनों की संख्या 6706 है।

लंबित प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा इस प्रकार है :—

पिछले 5 वर्षों से	34
पिछले 4 वर्षों से	44
पिछले 3 वर्षों से	899

मोहन ओर्टमन एण्ड हर्वस्ट

6001. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमटेड, मोहन ओर्टमन एण्ड हर्बस्ट के बारे में 18 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) प्योर ड्रिंक्स कम्पनी लिमिटेड, और (दो) मोहन ओर्टमन एण्ड हर्बस्ट, जो अब मोहन मशीनरीज है, की बहियों की जांच के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हां श्रीमान जी।

(ख) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निरीक्षण ने, प्रथम दृष्टि में, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 4 और धारा 418 के साथ पठित धारा 211 के उपबन्धों के

पालन न करने, कम्पनी द्वारा निदेशक के सम्बन्धी को ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत करने और कतिपय कम्पनियों से देय ऋणों को वापिस नहीं लेने को प्रकट किया है। इस मामले पर कम्पनी से आवश्यक उत्तर प्राप्त करने के पश्चात विभाग में आगे कार्यवाही की जायेगी।

मैसर्स मोहन आर्टमन एण्ड लिमिटेड (उपरान्त मोहन मशीन्स लिमिटेड में परिवर्तित) के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट की परीक्षा से, कम्पनी द्वारा सदस्यों के रजिस्टर को अपर्याप्त रूप से रखने के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम की धारा 150 के उलंघन की प्रकट किया गया था। इस मामले पर भी कम्पनी से पत्राचार किया जा रहा है।

कच्चे तेल के मूल्यों में कमी

6002. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के दिनों में तेल की अत्याधिक भरभार हो गयी है और कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट आई है तथा इसका प्रभाव पेट्रोलियम उत्पादों के स्थानीय मूल्य में दिखाई दे रहा है, जो तीन से दस प्रतिशत प्रति डालर कम हो गए हैं ; और

(ख) क्या भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भी, विशेषरूप से अधिक स्थानीय उत्पादन को देखते हुए इसी प्रकार की कमी होने की प्रवृति की कोई सम्भावना है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कुछ अधिशेष उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट समाचार-पत्रों में छपी थी और यह भी कहा गया कि इस सम्बन्ध में ओपक ने हाल ही में कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने का निर्णय भी लिया है। यद्यपि कच्चे तेल के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय स्पाट बाजार में कुछ कम हुए बताये गये हैं, ईरान के अतिरिक्त किसी अन्य देश ने कच्चे तेल के सरकारी विक्रय मूल्यांको हाल ही में कम नहीं किया है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का चालू हालत में न होना

6003. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ टेलीफोन एक्सचेंज वर्षों से चालू हालत में नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। केवल अग्रवाल मंडी स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को छोड़कर, जो कि अगस्त, 81 से जनवरी, 82 तक बन्द रहा।

(ख) अग्रवाल मंडी के कार्य-प्रभारी कनिष्ठ इन्जीनियर तथा लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया है । जांच पड़ताल की जा रही है तथा इस हेतु जिम्मेवार कर्मचारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

डाक और तार विभाग में अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण

6004. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक और तार विभाग में कुछ निर्धारित कालान्तर के बाद सर्कल प्रमुखों तथा अन्य श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण करने की पद्धति अपना रखी है ;

(ख) यदि हां, तो बारी-बारी से स्थानान्तरण करने के लिए तैनाती की निर्धारित अवधि क्या है तथा देश में दूर संचार और डाक के ऐसे कौन-कौन से सर्कल हैं जहां इस पद्धति को कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से मामले है, जिनमें सर्कल प्रमुख निर्धारित अवधि से अधिक समय तक तैनात रहे हैं और प्रत्येक मामले से सम्बन्धित कारण क्या है तथा सम्बान्धत सर्कल-प्रमुखों के नाम क्या-क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) एवं (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश के लिए डाक सलाहकार समिति

6005. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित डाक सलाहकार समिति का गठन हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस तारीख को हुआ था और इसके वर्तमान सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका गठन किस तारीख तक कर लिए जाने की सम्भावना है तथा विलम्ब के क्या कारण है और गत समिति ने किस तारीख को काम करना बन्द कर दिया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) विभिन्न हितों के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं । पुनर्गठन हेतु मामले पर कार्रवाई की जा रही है । पिछली समिति का कार्यकाल 31-12-80 को समाप्त हो गया है ।

स्वारघाट और बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के मध्य टेलीफोन सम्बन्ध

6006. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में स्वरघाट और बिलासपुर के मध्य टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां तो इस अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उपर्युक्त टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किस तिथि तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्वरघाट और बिलासपुर के बीच एक रेडियो प्रणाली की योजना बनाई गई है और छठी योजना अवधि के दौरान इसके चालू किए जाने की संभावना है।

पी० टी० सी० सी० के पास ऊर्जा समान्तर (पावर पेरेलिज्म के कारण निपटान के लिए लम्बित पड़े मामले

6007. **प्रो नारायण चन्द पराशर** क्या : **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परेषण समन्वय समिति (पावर ट्रांसमीशन कारेडीनेशन कमेटी) के पास ऊर्जा समांतर के कारण निपटान के लिए 1-11-81 से लम्बित पड़े मामलों की संख्या कितनी है तथा समिति के पास 1-3-82 तक इनको किन किन तारीखों को भेजा गया ;

(ख) इस प्रकार कौन-कौन से मामले इस बीच समिति द्वारा निपटा दिए गए हैं और किन किन तारीखों को ये निपटाए गए थ ;

(ग) कौन कौन से मामले अभी निपटाने हेतु लम्बित पड़े हुए हैं और किन तारीखों तक इनका निपटान किए जाने की संभावना है ; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या दूर संचार के त्वरित विकास के लिये सरकार का विचार इनको शीघ्रता से निपटाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख), (ग) और (घ) भेजे गए निपटान किए गए और लम्बित पड़े मामलों के विवरण तथा बिलम्ब के कारण विवरण में दिए गए हैं। सभी मामलों के निपटान की संभावित तारीख बताना संभव नहीं है क्योंकि पी० टी० सी० सी० की प्रक्रिया के अन्तर्गत बहुत से प्रचालों जैसे बिजली, दूर संचार लाइन की संस्थिति, मृदा अवरधिकता, प्रेरित वाल्टेट की संगणना करना, एल० एफ० परीक्षण आदि की संवीक्षा शामिल है। तथापि भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि तकनीकी तौर पर संभव हो तो इन मामलों को शीघ्रता से निपटान दिया जाए। शीघ्र निपटान करने के उद्देश्य से पी० टी० सी० सी० की आवधि बैठकें राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं तथा प्रगति की निगरानी रखी जाती है।

विवरण

1-11-81 से 1-2-82 तक पी० टी० सी० सी० को भेजे गए तथा 1-11-81 को लम्बित पड़े मामले

क्रम सं०	संदर्भित लाइन का विवरण	भेजने की तारीख
1.	बंगलौर-अनन्तपुर कोएक्सियल केबिल	29-6-79
2.	हासपंट-बल्लेरी-काप्पल कोएक्सियल केबिल	16-9 80
3.	होसनगर-अलीगोरीभौरी दूरसंचार लाइन	26-5-81
4.	सिरुगुप्पा-सिन्धनूर एन० सी० जी० लाइन	24-10-81
5.	बंगलौर टेलीफोन्स की स्थानीय केबिल प्रणाली	26-9-81
6.	अलवाये-थांडपुजे कोएक्सियल	3-9-80
7.	राजमुन्दरी-टांडेपल्लीगुडम कोएक्सियल केबिल	2-1-81
8.	कुरनल-आनथपुर कोएक्सियल केबिल	5-5-79
9.	झुखाला-बिलासपुर	23-7-81
10	भटिंडा-फिरोजपुर कोएक्सियल	25-3-81
11.	सतना माइक्रोवेव-सतना यल्टीप्लेक्स कोएक्सियल केबिल	29-5-81
12.	नीलकंठपुरम के लिए एल० डी० पी० टी०	1-2-82
13.	रांची-पटराटु नान एक्सर्जेच टेलकम लाइन	5-2-79
14.	नागपुर-संभलपुर कोएक्सियल केबिल	18-9-81
15.	जम्मू-पठानकोट एन० सी० जे० लाइन	8-2-77
16.	गोसानी एल० डी० पी० टी०	11-10-79
17.	बंगलौर-अरसीकेरे-सी०-8 पेयर	2-9-81
18.	बीजापुर-बागवेड़ी	14-10-81
19.	बगलकांट-इरागट्टी-जामःखांडी एन०सी०जे० लाइन	31:12-81
20	तिरथाहाल्ली-टुडुर के लिए बंक्शन लाइन	1-3-82
21.	कालीकट-त्रिचुर	12-8-81
22.	कालोकट-पालघ.ट	1-10-81
23	थानम थोड़े एरिया केस	6-8-81
24.	अलवाये-पारुर केरियर केबिल मार्ग	23-1-82
25.	रतलाम जीरा दूरसंचार लाइन	7-12-81
26.	गुंडूर-तिरुपति (आराई) दूरसंचार लाइन	28-1-82

1	2	3
27.	नालागढ़-पार्टर स्थानीय कक्नेशन	27-8-81
28.	घुमरमिन-बिलासपुर	17.11.81
29.	तरन तारन-पठानकोठ कोएक्सियल	23-5-80
30.	अमृतसर-वाघा	28-9-81
31.	चण्डीगढ़-रोपड़-नवांशहर	16-9-81
32.	पटियाला-लुधियाना कोएक्सियल	5-10-81
33.	हिसार-कुरुक्षेत्र कीएक्सियल	15-10-81
34.	कारलाभुण्डा एल० डी० पी० टी०	1-3-80
35.	छत्रपुरा आई० आर० ई० लाइन	26-11-81
36.	जाधूपुर एल० डी० पी० टी०	1-3-82
37.	मध्य खण्ड एल० डी० पी० टी०	13-11-81
38.	अरकोनम-रेनुटुंटे दूरसंचार लाइन	20-1-82
39.	विरुद्धनगर-अरुप्पुकोटे कोएक्सियल केबिल	20-1-82
40.	नागपत्तनम-करुकुल केबिल केरियर मार्ग	11-1-82
41.	कारइकुडी-दिवाकोत्लाई ,, ,,	11-1-82
42.	तिरुचिनगुडु-सांकागिरी ,, ,,	11-1-82
43.	अरकोनम-जालरपेट	6-2-82
44.	बरेली-चदौसी सी-8 लाइन	28-11-81
45.	आगरा-ग्वालियर-झांसी-ललितपुर-सागर कोएक्स केबिल	14-4-81
46.	खड़गपुर-बालीचक एन० सी० जे० लाइन	29-7-77
47.	बेहरामपुर (प० बंगाल) सैंथिया एन० सी० जे० लाइन	6-6-78
48.	कांडी-बेहरामपुर (प० बंगाल) ,, ,,	12-11-76
49.	सूरी-बोलपुर ,, ,,	1-3-78
50.	रायगंज ग्वालुरहाट दूरसंचार लाइन	4-1-82

1.11.81 से 1.3.82 की अवधि में पी० टी० सी० सी० द्वारा निपटान किए गये मामलों का विवरण

क्रम सख्या	संदर्भक लाइन का विवरण	मामला भेजने की तारीख	पी० टी० सी० सी० द्वारा निपटान की तारीख
1.	बंगलौर—अनन्तपुर कोएक्सियल केबिल	29.6.79	19.2.82
2.	हासपेट—बल्लैमी—कोप्पल कोएक्सियल केबिल	16.9.80	12.11.81
3.	हांसनगर—अलीकीरी मौरी दूरसंचार लाइन	26.5.81	17.12.81
4.	सिरुगुप्पा—सिन्दनूर एन० सी० जी० लाइन	24.10.81	3.2.82
5.	बंगलौर टेलीफोनस की स्थानीय केबिन प्रणाली	26.9.81	19.11.81
6.	अलवाये—थमुमेणे कोएक्सियल	3.9.80	18.3.82
7.	राजमुन्दरी—टोडेमल्लीगुडम कोएक्सियल केबिल	2.1.8	17.11.81
8.	कुरनूल—आनधपुर कोएक्सियल केबिल	5.5.79	31.12.81
9.	भखाला—बिलासपुर	23.7.81	10.12.81
10.	भटिंडा—फिरोजपुर कोएक्सियल	25.1.81	16.1.82
11.	सतना माइक्रोवेव—सतना मल्टीप्लेक्स कोएक्सियल केबिल	29.5.81	19.11.81
12.	नीलकंठपूरम के लिए एल० डी० पी० टी०	1.2.82	16.3.82
13.	रांची—पटरटू नान एक्जर्सेज टेलकम लाइन	5.2.79	17.2.82
14.	नागपुर—संभालपुर कोएक्सियल केबिल	18.9.81	22-1.82 4-2-82
15.	जम्मू—पठानकोठ एन० सी० जे० लाइन	8.[illegible].77	15.2.82
16.	गोसानी एल० डी० पी० टी०	11 10.79	16.1.82

पी० टी० सी० सी० को भेजे गए पर 1.2.82 को लम्बित पड़े मामले तथा विलम्ब के कारण

क्रम सं	संदर्भित लाईन का विवरण	मामला भेजने की तारीख	कारण
1.	बंगलौर—आर सिकेरे-सी-8 पेपर	2 9.81	विद्युत बोर्ड क पास विद्युत विवरण के लिए लंबित है।
2.	बिजापुर—बागेवाड़ी	14.10 81	विद्युत बोर्ड के पास विद्युत विवरण के लिए लंबित हैं।
3.	बायल कोट—इरागट्टी—जमा—खांडीएन.सी.जी. लाईन	31.12.81	दूरसंचार विवरण प्राप्त होने हैं।
4.	त्रियाहिल्ली—टूडुर के लिए जंक्शन लाईन	1.3.82	संगणना अभी नहीं हुई है।
5.	कालीकट—त्रिचूर	12.3.81	संगणना अभी नहीं हुई है।
6,	कालीकट—पालघाट	1.10.81	
7.	धानम धोड़े एरिया केश	6.8.81	विद्युत बोर्ड के पास विद्युत विवरण के लिए लबित है।
8.	अलवाय—परुर कैरियर केबुल रुट	23.1.82	विद्युत बोर्ड के पास विद्युत विवरण के लिए लंबित हैं।
9.	रतलाम—जैरा दूर संचार लाईन	7.12.81	संगणना अभी नहीं हुई है।
10.	गुडुर—त्रिरुपति (आर०/दूर संचार लाईन	28.1.81	विद्युत बोर्ड के पास विद्युत विवरण के लिए लबित हैं।
11.	नालागढ़—पटेर स्थानीय कनेक्शन	27.8.81	परीक्षा होने हैं।
12.	घूमारमिन—बिलासपुर	17.11.81	विद्युत बोर्ड के पास विद्युत बोर्ड के पास विवरण लबित है
13.	तरनतारन—पठानकोट कोएक्सियल केबल	23.5.80	संशोधित गणना की जा रही है।
14.	अमृतसर—बाघा	28.8.81	

1	2	3	4
15.	चण्डीगढ़—रोपड़—नवा शहर	16.9.81	परियोजना क्षेत्र से मानचित्र प्राप्त नही हुआ है।
16.	पटियाला—लुधियाना कोएक्सियल	5.10.81	
17.	हिसार—कुरुक्षेत्र कोएक्सियल	15.10.80	
18.	कारलामुण्डा एल० डी० पी० टी०	23.1.80	विद्युत बोर्ड के पास विद्युत विवरण के लिए लंबित है।
19.	छत्रपुर आई० आर० ई० लाईन	26.11.81	—वही
20.	जाधुपुर एल० डी० पी० टी०	18.31.81	— वही
21.	मध्य खण्ड एल० डी० पी० टी०	13.11:81	—वही
22.	अरकोणम—रेनुगुन्टा दूरसंचार लाईन	20.1.81	
23.	विरुध नगर—अरुप्पु—कोटाइ कोएक्सियल केबिल	20.1.82	
24.	नागपत्तनम--कारुक्कल केबिल वाहक मार्ग	11.1.82	—वही
25.	काराईकुण्डा—दिशकुल्लाई "	11.1.82	
26.	तिरचेनगूडडू—संकागिरी	11.1.82	
27.	अरकाणम—जालरपेट	6·2.82	
28.	वरेली—चोन्दसी सी-8 लाईन	28.11.80	विस्तृत मान चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं।
29.	आगरा-ग्वालियर-झांसी-ललितपुर-सागर कोएक्सियल केबिल	14.11.81	—वही

1	2	3	4
30.	खड़कपुर—बालिचक एन० सी० जे० लाईन	29.977	विद्युत प्राधिकारियों के पास संयुक्त निरिक्षण के लिये लम्बित है
31.	बेहरामपुर (पश्चिम बंगाल) सैन्थिया एन० सी० जे० लाईन	6.6.78	—वही
33.	कान्डी—बेहरामपुर (पश्चिम बंगाल)	12.11.76	—वही
33.	सूरी—बोलपुर	1.3.78	जारी होनी है ।
34.	रायगंज—बालोरहाट दूरसंचार लाईन	4.1.8	विस्तृत मानचित्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

लक्ष्मीनगर और शकरपुर क्षेत्र में त्वरित डाक सेवा और (क्यू० एम० एस०) और हरे लेटर बाक्स लगाया जाना

6008 **श्री तारिक अनवर** : क्या संचार मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी नगर और शकरपुर क्षेत्र में उसी दिन डाक वितरण सेवा हेतु कोई (त्वरित डाक सेवा (क्यू० एम० एस०) लेटप बाक्स और कोई स्थानीय हरे लेटर बाक्स अभी तक नहीं लगाए गए हैं और

(ख) यदि हां, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

सचार राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां ।

(ख) यमुना पार इलाके में चार क्यू एम एस पत्र पेटियां पहले से ही उपलब्ध हैं । ये पत्र पेटियां गांधीनगर, शाहदरा, कृष्ण नगर तथा पूर्वी दिल्ली सार्टिंग कार्यालय (दिलशाद गार्डन) दिल्ली-110032 में स्थापित हैं । पूर्वी दिल्ली सर्टिंग कार्यालय (दलशाद गार्डन)दिल्ली-110932 में एक हरी पत्र पेटी भी लगाई गई है । लक्ष्मीनगर तथा शकरपुर के निवासी अपने पत्र डालने के लिए इन पत्रपेटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा वे इन्द्र प्रस्थ मुख्य डाकघर की हरी पत्र पेटी का उपयोग भी अपने पत्र डालने के लिए कर सकते हैं जो कि उनकी बस्तियों के बिल्कुल करीब है । इस सुविधा का अन्य इलाकों में विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जालंधर छावनी में कोयले का ढेर

6009. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1981 से जालंधर छावनी में कोयले का ढेर लगाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि साफ्ट कोक की 2.5 रेकें प्रति मास इस ढेर पर लाई जानी थी जबकि वस्तुत: केवल एक रेक लाई गई है जिससे गंभीर कमी पैदा हो रही है ; और

(ग) इस प्रकार की गंभीर कमी से पैदा हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोल इन्डिया लि० साफ्ट कोक के वितरण के लिए दिसम्बर, 1980 से जलन्धर में एक टाल चला रहा है । प्रारम्भ में प्रस्ताव यह था कि इस डम्प के लिए रेल से प्रतिमाह 2.50 रेक कोयला पहुंचाया जाए किन्तु वास्तविक व्यवहार में एक रेक से कुछ अधिक कोयला ही प्रति माह पहुंचा । इस टाल तक जून, 1981-जनवरी, 1982 तक पहुचने वाले कोयले की वास्तविक मात्रा 16,500 टन थी । कोल इन्डिया लि० झरिया कोयला क्षेत्र से जलन्धर स्थित टाल तक अधिक साफ्ट कोक पहुंचाने की दृष्टि से रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है । साफ्ट कोक की वृद्धि में अत्यधिक कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

माइक्रोवेव टावर्स के माध्यम से दूरदर्शन पुन: प्रसारण सुविधाएं

6010. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मन्त्रलय ने इन्दौर में अपनी माइक्रोवेव टावर्स के जरिए टी० वी० पुन: प्रसारण सुविधाओं की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह पुन: प्रसारण केन्द्र कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वंसत साठे) : (क) और (ख) अगले 20 वर्ष में चार चरणों में देश में दूरदर्शन के विस्तार की भावीयोजना के अन्तर्गत डाक-तार माइक्रो वेवलिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए 49 स्थानों में से एक स्थान इन्दौर चुना गया है। इन्दौर पहले चरण (1980-85 में हैं। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और) इसके लिए आवश्यक उपकरण हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

(ग) रिले केन्द्र को शुरु करने का समय ट्रांसमीटर, आदि जैसे आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय दूर संचार प्रणाली के लिए इनसाट की सेवाएं

6011. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राष्ट्रपति दूर संचार प्रणाली हेतु "इनसाट" का उपयोग करने हेतु कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1982 के मध्य तक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट-आई०ए०) के प्रक्षिप्त हो जाने पर 28 केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, शिलांग जयपुर, लखनऊ, जालंधर, पटना भुवनेश्वर, हैदराबाद, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, श्रीनगर, जोधपुर, भुज, पंजिप, मिनी काय, गंगटोक, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल अगरतला, पोर्टब्लेयर, कार निकोबार, लेह, ऐजवाल एवं कावरत्ती को उपग्रह के माध्यम से अंतर्देशीय संचार सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अन्तर्गत परिवहनीय भू केन्द्र भी रखने का प्रस्ताव है। जिसका उपयोग आपातकालीन संचार प्रदान करने के लिए किया जा सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश में करनाल में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

6012. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुरनोल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) "इनसैट" के माध्यम से

दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की स्कीम के अन्तर्गत, सातवीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुर्नूल में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

संचार मन्त्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेल

6013. **श्री मोखा भाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेल है ; यदि हां, तो इस सेल का कार्यकरण क्या है ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेल ने डाक और तार विभाग के सर्किल जिलों में स्थल पर जाकर रजिस्टरों का कोई निरिक्षण कार्य करना शुरु किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सेल द्वारा अब तक इस तरह के निरीक्षण शुरू न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेल के लिए कितने मंजूर शुदा कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है ; और

(ड.) क्या यह सच है कि इस सेल में नियुक्त किए गए जन संपर्क अधिकारी को हाल ही में विभाग द्वारा वापस बुला लिया गया है ?

संचार मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां। डाक-तार निदेशालय में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल है। इसका मुख्य कार्य सम्पर्क अधिकारी के प्रभावी रूप सेकार्य करने में उनकी सहायता करना है। मुख्य मन्त्रालय में ऐसा कोई सेल अलग से गठित नहीं किया गया है। तथापि मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामलों में समन्वय बनाने के लिए एक सम्पर्क अधिकारी नामित किया गया है जिसकी सहायता मन्त्रालय में एक सहायक द्वारा की जाती है।

(ख) एवं (ग) : जी हां। विभाग के कुछ सर्किलों/जिलों के रोस्टरों का निरीक्षण अनुसेचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यों का निपटान करने वाले अधिकारियों द्वारा किया गया था।

(घ) इस समय कर्मचारियों के कार्यभारों में आन्तरिक समायोजन करके काम चलाया जा रहा है।

(ड.) जी नहीं।

संचार मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जन सम्पर्क अधिकारी

6014. **श्री मोखा भाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-

जातियों के कर्मचारियों के हितों की देखभाल करने के लिए अपने सर्किलों/ जिलों के लिए जन-सम्पर्क अधिकारियों के पद मंजूर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार कितने जनसम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक सर्किलों/जिलों में जनसम्पर्क अधिकारी अभी तक नामजद नहीं किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ.) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड में जनसम्पर्क अधिकारी अनुसूचित जातियो/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों में से नियुक्त किए गए हैं ; और

(च) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों में से जन-सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। हालांकि आवकारियों को सर्किल/जिलों कार्यालयों में सम्पर्क अधिकारी के बतौर कार्य करने के लिए नामित किया जाता है।

(ग) और (घ) 60 यूनिटों से सूचना प्राप्त हो गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है। कि सम्पर्क अधिकारियों को नामित कर दिया गया है शेष यूनिटों से सूचना प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(च) जी नहीं ।

जनजाति उपयोजना का बिकास

6015. **श्री भोखा भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अलग-अलग पड़े क्षेत्र सरकार प्रचार माध्यम, दूरदर्शन, आकाशवाणी और सिनेमा जैसी आधुनिक सुविधाओं से बहुत दूर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को जनजाति-उपयोजना के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोई नियतन किया गया है ; और

(ग) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्यों का जनजाति उपयोजना के बिकास में भागीदार नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री संत साठे) : (क) से (ग) सिनेमा राज्य विषय है। राज्यों की योजना राशि का आवंटन सूचनाऔर प्रसारण मन्त्रालय द्वारा नहीं किया

जाता। तथापि, देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं तथा अन्य माध्यम एककों के विस्तार के लिए विकास योजनाएं तैयार करते समय आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। स्वीकृत छठी योजना में अन्य प्रस्तावों के साथ साथ, नये आकाशवाणी केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने, अनेक स्थानों पर मौजूदा रेडियो ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने और अन्य माध्यम एककों की गतिविधियों का विस्तार करने के प्रस्ताव हैं जिनसे आदिवासी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

टेलीफोन उपकरणों के लिए फ्रांस का प्रस्ताव

6016. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फ्रांस द्वारा प्रस्तावित टेलीफोन के उपकरण न केवल पुराने हैं अपितु इस क्षेत्र में नवीनतम उपकरणों की तुलना में अधिक महंगे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसकी आसान शर्तों पर ऋणों की शर्तें भी ज्यादा आकर्षक नहीं हैं क्योंकि सरकार के पास अन्य स्रोतों से भी इस प्रकार के प्रस्ताव आए हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व सरकार अन्य प्रस्तावों पर विचार करेंगी ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि केवल नवीनतम प्रौद्योगिकी स्वीकृत की जाए ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) सरकार को अंकीय इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर के प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु फ्रांस सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सभी सम्बन्धित आवश्यक पहलों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

"चाइना स्टील्स ए मार्च" शीर्षक से समाचार

6017. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च 1982 के "इकोनामिक टाइम्स" में "चाइना स्टील्स ए मार्च" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या भारत उन आधा दर्जन कम्पनियों को मुश्किल से आकर्षित कर सका है जिनमें से केवल एक ही कम्पनी अब तक अन्वेषण कार्य के लिए चुनी गई है ;

(ग) क्या इस बीच चीन ने, 40 कम्पनियों को इस माह के अन्त तक ब्लाकों की विशेष संख्या हेतु उनकी बोली लगाने की घोषणा करने हेतु आमंत्रित किया है और देश को इस वर्ष के अन्त तक इन बोलियों पर अन्तिम निर्णय लेना है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो चीन की तुलना में भारत द्वारा विलम्ब से निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां

(ख) जी हां।

(ग) सरकार के पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है ; तथापि समाचार पत्र रिपोर्टों से इकठ्ठी की गयी सूचना से पता चलता है कि चीन अभी भी कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है जिन्हें कि विदेशी तेल कम्पनियों के साथ अन्वेषण संविदाओं को अन्तिम रूप देने से पहले सुलझाना होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा विकास के सम्बन्ध में 800 रिपोर्टों को टाल दिया जाना

6018. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अग्रणी कर विशेषज्ञ श्री एन० ए० पालकीवाला ने बम्बई में केन्द्रीय बजट के सम्बन्ध में हाल ही में हुई वार्ता में टिप्पणी की थी कि टालने की प्रवृत्ति से अधिकारियों ने ऊर्जा विकास में विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में लगभग 800 रिपोर्टों को ताक में उठाकर रख दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पणी पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) श्री एन० ए० पालकीवाल द्वारा दिया गया ऐसा कोई वक्तव्य इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केलीफोर्निया के चेवरोन ओवर सीज कारपोरेशन के साथ तेल की खोज हेतु समझौता

6019. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च 1982 के "इकोनोमिक्स टाइम्स" में "आयल एक्सप्लोरेशन डील विद चेवरोन में बी साइन्ड नेक्सट ी क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या केलीफोर्निया का चेवरोन ओवरसीज कारपोरेशन भारत सरकार के साथ तेल की खोज हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, यदि हां, तो कब और उसकी शर्तें क्या हैं,

(ग) क्या कुछ एकीकृत तेल कम्पनियां, जो अब तक सरकार के प्रस्तावों के प्रति निरुत्साही रही हैं, अब आकर्षित हो रही हैं ; यदि हां, तो इन कम्पनियों के क्या नाम है और और उनकी खोज के क्षेत्र कौन से हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) सौराष्ट्र अपतटीय ब्लाक 11 के लिए हाईड्रोकार्बन्स के अन्वेषण और उपयोग के

लिए शैवरान के साथ 26 मार्च, 1982 को करार किया गया है। ठेके की मुख्य बातें और शर्तें निम्न प्रकार है :

(1) शैवरान सम्पूर्ण खोज कार्य का जोखिम वहन करेगा और अगर कोई व्यापारिक खोज न हुई तो सम्पूर्ण लागत शैवरॉन वहन करेगा।

(2) अन्वेषण के लिए दी गई अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जो दो चरणों में विभक्त है। प्रथम चरण तीन वर्षों का और द्वितीय वैकल्पिक चरण दो वर्षों का है।

(3) शैवरॉन 3 वर्षों के प्रथम अन्वेषी चरण में भूकम्पीय सर्वेक्षण का 5000 लाइन किलोमीटर वाला न्यूनतम कार्य कार्यक्रम करेगा और 3 कूपों की खुदाई करेगा जिसमें 29 मि० अमरीकी डालर का न्यूनतम व्यय निहित है। अगर अन्वेषण को दूसरे चरण के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है अन्य दो कूपों जिसमें 18 मि० अमरीकी डालर का न्यूनतम व्यय निहित है, की खुदाई की जायेगी। न्यूनतम वित्तीय व्यय बैंक से गारंटी के एक अपरिवर्तनीय पत्र द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

(4) ठेके के अन्तर्गत लगभग 18,500 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र है परन्तु तीन वर्षो के अन्त में अगर शैवरॉन द्वारा द्वितीय वैकल्पिक चरण लिया जाता है केवल शैवरॉन द्वारा क्षेत्र का 50 प्रतिशत रखा जा सकता है और शेष सरकार को वापिस किया जा सकता ह और शेष सरकार को वापिस किया जायेगा।

(5) अगर अन्वेषण चरण के दौरान कोई हाइड्रोकार्बन्स नहीं मिलते हैं तो करार समाप्त हो जायेगा और क्षेत्र सरकार को वापिस दिया जायगा। अगर हाइड्रोकार्बन्स मिल जात है, शैवरॉन ठेके किए जाने की तिथि से 22 वर्षों की अवधि के लिए (अन्वेषण अवधि को शामिल करके) केवल उत्पादन करने वाले और उत्पादन करन योग्य क्षेत्र धारण करने के पात्र है।

(6) पेट्रोलियम कार्य संचालनों के लिए प्रयोग की गई निर्धारित परिसम्पत्तियों का शीर्ष ऐसी परिसम्पतियों के प्रथम वार प्रयोग किए जाने पर तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग को दिया जायेगा, और ऐसी चल परिसम्पतियां भी जो पेट्रोलियम संचालनों के लिए स्थायी रूप से आवश्यक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को दी जायेंगी।

सभी आंकड़े जो भी हो शीर्ष जो ब्लाक में एकत्र किए गए है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के होंगे।

(7) तेल एवं प्राकृतिक गैम आयोग करार में हाइड्रोकावर्न्स की प्राप्ति की वाणिज्यकयता स्थापित हो जाने के पश्चात अन्वेषण लागत के लिए अदायगी करने के बिना 50 प्रतिशत तक कार्यसंचालन व्याज ले सकता है।

(8) प्रारम्भ से ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग संचालनों के प्रबन्ध से घनिष्ठ सम्बद्ध रहेगा और शैवरॉन द्वारा सरकार/तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सहमति के बिना कोई मुख्य निर्णय नहीं कर सकता हैं, तथापि अन्वेशी अवधि में जब सम्पूर्ण निवेश इसके द्वारा किए जायेंगे, शैवरॉन को अन्वेशी संचालनों आदि के स्थल चुनने जैसे संचालनों में स्वतन्त्रता होगी, परन्तु

स्वीकृत कार्य कार्यक्रमों के अन्दर होंगे ।

(9) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग किसी भी समय वाणिज्यक उत्पादन के शुरू होने से 5 वर्षों की कमी की अवधि के बाद अथवा ठेकेदार द्वारा अपनी लागत प्राप्त हो जाने तक इन दोनों में से जो भी बाद में हो, कार्य अधिग्रहण कर सकता है ।

(10) शेवरॉन, इनके उप ठेकेदार और कर्मचारी सभी वित्तीय विधान के अधीन होंगे और भारत में केन्द्रीय राजकीय अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाये जाने वाले सभी शुल्क और प्रभार अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे । तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप, पेट्रोलियम संचालनों के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक आयातित माल और कच्चा माल सीमा शुल्क से मुक्त होंगे ।

(11) कुल उत्पादित और सुरक्षित तेल को दो भागों में बांटा जायेगा जो कास्ट आयल और प्राफिट आयल के नाम से माना जायेगा । कास्ट आयल कच्चे तेल का वह भाग है जिसका मूल्य उचित बाजार मूल्य पर निर्धारित होता है और जो वर्ष में प्राप्त लागत के तुल्य होता है । कुल तेल जो कास्ट आयल द्वारा कम किया गया हो उसे प्राफिट आयल माना जाता है ।

(12) शेवरॉन का प्राफिट तेल भाग क्रमबद्ध घटने वाले मान पर होगा (शेष तेल ओ० एन० जी० सी०/सरकार का होगा) जो कि अन्वेषण और विकास लागत के गुणांक के रूप में संचयी शुद्ध नगदी-प्रवाह पर निर्भर करेगा । एक बार खोज हो जाने और इसकी वाणिज्यता स्थापित हो जाने पर और जब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कार्य संचालन ब्याज का 50 प्रतिशत ले लेता है शेवरॉन का प्राफिट आयल में भाग आयकर के पश्चात निम्न प्रकार होगा :

अन्वेषण और विकास लागत के गुणांक के रूप में संचयी शुद्ध नगदी-प्रवाह	शेवरॉन का प्राफिट आयल का भाग (प्रतिशतता) आयकर का शुद्ध
1. तक और 1 गुणांक शामिल करके	20.00
2. 1 से अधिक और तक और 1.5 गुणांक शामिल करके	18.75
3. 1.5 से अधिक और तक और 2 गुणांक शामिल करके	17.50
4. 2 से अधिक और तक और 2.5 गुणांक शामिल करके	15.00
5. 2.5 से अधिक और तक 3 गुणांक शामिल करके	12.50
6. 3 गुणांक से अधिक	10.00

(13) सम्पूर्ण कास्ट आयल सरकार की खरीद के लिए उपलब्ध होगा । शेवरॉन ने मान लिया है कि भारत को कच्चे तेल में आत्म-निर्भर हो जाने तक इसके प्राफिट आयल का भाग पूर्ण रूप से सरकार को बेचा जायेगा ।

(14) सभी सम्बद्ध गैस बिना किसी शुल्क के सरकार को होगी। अगर असम्बद्ध गैस पाई जाती है, विकास का समय और इसको प्रयोग में लाना सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा और इसकी प्राप्ति के बाद एक अलग करार के लिए बातचीत की जायेगी।

(15) शैवरॉन और इसकी कम्पनियां तकनीकी सहायता देंगी और हाईड्रोकार्बन्स अन्वेषण उत्पादन, शोधन, पेट्रो-रसायनों के निर्माण आदि के क्षेत्रों में एक अलग रायल्टी लाइसेंस अथवा अन्य करार, जो अधिक अनुकूल उपभोक्ता आधार पर होगा, के माध्यम से तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायेगा।

(ग) ये तभी ज्ञात होगा जब दूसरे दौरे के लिए बोलियां आमंत्रित की जायेंगी।

कच्चे तेल का आयात

6020. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या भारत इस वर्ष अधिकांशत: परम्परागत सप्लाईकर्त्ताओं से 145 लाख टन कच्चे तेल का आयात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सोवियत यूनियन द्वारा प्रस्तावित शर्तों और परम्परागत सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित शर्तों में क्या अन्तर है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1982 के लिए आयतित अशोधित तेल की अनुमानित आवश्यकता 14.4 मि० मी० टन है जो कि प्रधानत: परम्परागत सप्लायरों से प्राप्त किया जायेगा।

(ख) वर्ष 1982 में सोवियत संघ से सप्लाई के सम्बन्ध में परस्पर बातचीत प्रगति पर है।

फिल्म निर्माण हेतु ऋण

6021. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्मों के नाम क्या हैं जिनके निर्माण के लिए गत वर्ष ऋण दिया गया था और प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) उपरोक्त फिल्मों में से प्रत्येक के मामले में ऋण की कितनी राशि बकाया है और कब से ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही गई है और इस बीच कितनी राशि वसूल की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एक विवरण जिसमें उन फिल्मों जिनके निर्माण के लिए 1981 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० द्वारा ऋण दिए गए

के नाम तथा ऋण की राशि दी हुई है सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) उक्त 12 फिल्मों के लिए प्रदान किए गए ऋणों में से, निम्नलिखित राशियां है :

(1) "यहीं से शहर को देखो—"1,54,208.00 रुपये

(2) "कनफयूजन एट दि बस स्टाप"—29,405.81 रुपये

(3) "हिन्दुस्तान हमारा"—50,000 रुपये

ये ऋण एक वर्ष से कम समय से बकाया हैं।

(ग) ऋण आम तौर पर पहली किश्त के रिलीज होने के दो वर्ष के बाद या फिल्म के हो जाने के 30वें दिन से, इनमें से जो भी पहले, वसूली के लिए डयू हो जाते हैं। [क्योंकि ये ऋण एक वर्ष से जो भी पहले हो, वसूली के लिए ड्यू हो जाते हैं। क्योंकि ये ऋण एक वर्ष से कम समय से बकाया हैं, अत: वसूली के लिए कोई विशेष कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	आवेदक	फिल्म का नाम और भाषा।	मंजूर की गई राशि
1	2	3	4
1.	दिलीप धवन	"कोलम्बस जिन्दा है" (हिन्दी)	4,00,000 रुपये
2.	प्रकाश अरोड़ा	"ग्रास लीड रीड एन्ड फिब क्राफट" (अंग्रेजी में वृत्त चित्र) (अंग्रेजी)	1,00,000 रुपये
3.	विक्टर बनर्जी	"प्रोडक्शन नं० 1" (अंग्रेजी)	2,50,000 रुपये
4.	परवेज फिल्म्स	"साल्" (हिन्दी)	5,50,000 रुपये
5.	आर० के० मुनीर	"यहीं से शहर को देखो "(हिन्दी)	4,67,000 रुपये
6.	भारत चित्र	"कन्फयूजन एट दि बस स्टाप "(हिन्दी में वृत्त चित्र)	45,500 रुपये
7.	मेसर्स चलचित्र	"एकती जीवन" (बंगला)	4,50,000 रुपये

1	2	3	4
8.	वासिल-उल-हक	"(हेल्प योरसेल्फ" (अंग्रेजी में वृत्तचित्र)	24,600 रुपये
9.	आनन्द वाही	"अपनत्व" (हिन्दी में वृत्तचित्र)	98,000 रुपये
10.	अली सरवर जाफरी	"हिन्दुस्तान हमारा" (हिन्दी में वृत्तचित्र)	1,00,000 रुपये
11.	कुमारी आशा दत्ता	—दि तलिसमां" (हिन्दी)	3,50,000 रुपये
12.	एम० एम० श्री वास्तव	,,त्रिकोण का चौथा कोण" (हिन्दी)	4,50,000 रुपये

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में पाए गए कोयले का उपयोग

6022. **श्री बी० आर० नाहटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में किन-किन श्रेणियों की और कितनी मात्रा में कोयला उपलब्ध है और इस समय इस कोयले का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरगुजा जिले में बढिया और घटिया दोनों किस्मों के अकोकर कोयले का उत्पानन किया जाता है। कोयले का उपभोग रेलवे के अलावा, इस्पात, बिजलीघर, सीमेन्ट, कपड़ा मिलें और अन्य लघु स्तरीय उद्योग करते हैं। सरगुजा जिले की खानों में पहली फरवरी 1982 की रिपोर्टोंके अनुसार कोयले का खान मुहाना स्टाक 11.55 लाख टन था।

सरगुजा में उपलब्ध कोयले का सर्वेक्षण

6023. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरगुजा जिले में उपलब्ध कोयले का, इसकी मात्रा, इसकी किस्म और वह अवधि जबसे इसके उपलब्ध होने की संभावना है, के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले की ये कोयला खानें किन्हीं तापीय विद्युत परियोजनाओं से सम्बद्ध रही है और क्या उनका बीरसिंहपुर कोयला बिजली परियोजना से सम्बद्ध किए जाने की कोई मांग है और इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरगुजा जिले के कोयला क्षेत्रों में कोयले की मात्रा और किस्म स्थापित करने की दृष्टि से कोयले का समन्वेषण कार्य केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लिमिटेड तथा भूतत्व और खनन निदेशालय (मध्य प्रदेश) की सहायता से शुरू किया गया है।

(ख) सरगुजा जिले की खानों से इस समय कोयला महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड और गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की खानों को सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के साबरमती बिजलीघर को भी कोयला सप्लाई किया जाता है सरगुजा के कोयले को बीरसिंहपुर से संयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बीरसिंहपुर के 2 × 210 मे० वा० सेटों के लिए मोहागपुर एरिया की कोयला खानों से पहले ही संयोजन कर दिया गया है।

प्राकृतिक गैस की खोज

6024. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक गैस की खोज के कितने संसाधन हैं और कुल संसाधनों की तुलना में कितने प्रतिशत उत्पादन होता है ;

(ख) कौन से संसाधनों का अभी विकास किया जाना है और अगले पांच वर्षों में प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ग) खोज पर तथा प्राकृतिक गैस के संसाधनों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और अगले पांच वर्षों में संसाधनों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखकर कि औद्योगिक और घरेलू कार्यों के लिए प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्थान है, सरकार प्राकृतिक गैस की देख-रेख के लिए पृथक निगम बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दिनांक 1-1-1981 की यथा स्थिति को प्राकृतिक गैस के प्रमाणित तथा निर्दिष्ट प्रतिलब्ध बकाया भण्डार लगभग 411 अरब घन मीटर के थे। वर्ष 1981 के दौरान उत्पादन 3479 मि० घन मीटर का था जो कि उपर वर्णित बकाया प्रतिलब्ध भन्डारों का लगभग 0.85 प्रतिशत था।

(ख) प्राकृतिक गैस समब्द्ध और असम्बद्धगैस के रुप में पाई जाती है। प्राकृतिक गैसका उत्पादन नये तेल क्षेत्रो की खोज,गैस तेल अनुपात आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर होता है है। अतः इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। छठी पच वर्षीय योजना के अन्त में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1984-85 में लगभग 6949.10 मि० घन मी० टन होने का अनुमान है।

(ग) चूंकि केवल गैस भन्डारों की खोज और विकास के लिए अन्वेषण अलग से नहीं किये जाते है, केवल गैस के अन्वेषण पर हुए व्यय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ)प्राकृतिक गैस के लिए केवल अन्वेषण नहीं किए जाते हैं। आने और दोनों तेल एवं प्राकृति गैस आयोग और आयल इन्डिया लि० के पास इस सम्बन्ध में आवश्यक विशेष जानकारी है। इस समय, प्राकृतिक गैस के लिए प्रबन्ध करने के लिए अलग निगम को स्थापना करने की आवश्तकता नहीं है ।

राजस्थान के सिरोही जिले के गावों को टेलीफोन कनेक्शन

602. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सिरोही जिले के मदार टेलीफोन कनेक्शन के लिए जावल, मालगांव, दौताराय और नीमाज गावों के आवेदकों ने मांग नोटिस के अनुसार आवश्यक धन-राशि जमा करा दी है ;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें टेलीफोन कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें जल्दी से टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) इन पांच स्टेशनों को टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर तथा लाइन स्टोर की कमी के कारण टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके।

(ग) जी हां कनेक्शनों को 1982-83 के दौरान प्रदान किये जाने की संभावना है।

राजस्थान में बिजली का संकट

602. **श्री विरदाराम फुलवारिया** :

श्री जयनारायण रोत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है इस वर्ष राजस्थान में बिजली की कमी के कारण उद्योगों को बिजली की सप्लाई में शत-प्रतिशत कटौती की गई है ;

(ख) क्या किसानों के नलकूपों को बिजली की सप्लाई में 60 से 70 प्रतिशत कटौती की गई है ? और

(ग) यदि हां तो सरकार ने राजस्थान में बिजली के संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जनवरी से मार्च, 1982 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में उद्योगों पर विद्युत कटौती 50 से 100 प्रतिशत तक अलग-अलग थी।

(ख) कृषि उपभोक्ताओं को, 1 से 4 मार्च, 1982 तक की अवधि को छोड़कर जब प्रतिदिन 14 घंटे विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई गई थी, जनवरी से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौदान 5 से 6 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की गई।

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से, जनवरी से मार्च (22 तारीख तक) 1982 की अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान

को 59.93 मिलियन यूनिट तक की सहायता दी गई। राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार, राजस्थान परमाणु विद्युत संयन्त्र की दोनों यूनिटों के पुनः चालु होने के पश्चात ही हो सकेगा। ये यूनिटें इस समय बन्दी में है।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

6027. **श्री विरदाराम फुलवारिया :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1981-82 में राज्यवार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये हैं ;

(ख) 31 मार्च 1982 के पश्चात टेलीफोन कनेक्शनों आवेदन प्रतिक्षा सूची में रह जाने की सम्भावना है ; और

(ग) प्रत्येक जिले में टेलीफोन की वर्तमान मांग कब तक पूर्णरुप से पूरी कर दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) सूचना सलग्न विवरण में दी गईहै।

(ख) 31 मार्च 1982 तक प्रतीक्षा-सूची में लगभग 15200 आवेदन हो जाने की सम्भावना है।

क्र० सं०	जिले का नाम	1981-82 में (24-3-82 प्रदान किए गएटेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1.	उदयपुर	656
2.	अजमेर	318
3.	डूंगरपुर	35
4.	बासवाड़ा	30
5.	चित्तौड़गढ़	67
6.	भीलवाड़ा	78
7.	पाली	195
8.	सिरोही	91
9.	जैलोर	82
10.	जयपुर	315
11.	श्री गंगानगर	825
12.	बीकानेर	159

1	2	3
13.	चूरू	63
14.	नागोर	248
15.	जोपुधर	402
16.	जैसलपुर	28
17.	बाड़मेर	136
18.	झूलावाड़	26
18.	कोटा	51
20.	सवाईमाधोपुर	104
21.	टोक	99
22	बदी	21
23.	झुनझुन	82
24.	सकरी	169
52.	अल्बर	257
26.	भरतपुर	76

शिवकासी को एस० टी० डी० सुविधायें

6028. **श्री एन० सुन्दर राजन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि "मिनी जापान" के नाम से लोकप्रिय शिवकासी नगर को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो शिवकासी को एस० टी डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) छठी योजना में शिवकासी एक्सचेंज के स्वचलीकरण तथा वहां एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

पंजाब में कुटीर उद्योगों को पैराफीन मोम

6029. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कुटीर उद्योगों के लिए "पैराफीन मोम" के कोटे में वृद्धि करने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पैराफीन मोम का आंबट किसी विशेष वर्ष में मोम की कुल उपलब्धता तथा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के विगत वर्ष के उठान कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाता है। यह पाया गया था कि पंजाब राज्य ने आबंटित की गयी मात्रा का पूरा उठान नहीं किया था उसके आबटन को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

बिहार में कोयला वाशरी परियोजनायें

6030. **श्री गदाधर साहा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चालू कोयला वाशरी परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या तथा वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं की निर्धारित क्षमता और स्वीकृत लागत कितनी है ; और

(ग) परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरा तथा चालू न होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क), (ख) और (ग) कोल इन्डिया लि० की निम्नलिखित पांच वाशरियां इस समय बिहार में निर्माण के विभिन्न चरणों में है :

नाम और स्थिति	क्षमता (कच्चा कोयला मि० ट०)	स्वीकृत लागत करोड़	शुरु करने की मूल तारीख	शुरु करने की प्रत्याशित तारीख	विलम्ब
1. मोनीडीह जिला धनबाद	2.00	16.39	मार्च, 79	मई, 82	3/1/4 वर्ष
2-बरोरा-I जिला धनवाद	0.48	3.00	नवम्बर, 78	अप्रैल, 82	2/1/2 वर्ष
3-महुदा जिला धनवाद	0.63	4.14	फरवरी, 79	जुलाई, 83	4/1/3 वर्ष
4-राजरप्पा पुराना राम रामबढ़ जिला हजारी बाग	3.00	25.77	फरवरी, 82	मार्च, 83	1 वर्ष

1	2	3	4	5	6
5-केडला जिला हजारीलाग	2.60	32.2 '3	जुलाई, 83	अक्टूबर, 84	16 महीने

भूमिका नक मिलना, मुख्य ठेकेदार और उपठेकेदारों के बीच समन्त्रय का अभाव, विदेशी सहयोग कर्ताओं से ड्राइंगों के मिलने में विलम्ब, आदि वह मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से इन वाशरी परियोजना के निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

विद्युत सप्लाई किये गये पम्प सैटों की संख्या

6031. **श्री चतुर्भुज :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने पम्प सैटों को विद्युत सप्लाई की गयी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्यों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों (1978-81) में 4,30,792 पम्प सैट अर्जित किए गए थे।

गुजरात के कुछ शहरों में टेलीफोन लाइन बिछाना

6032. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मेहसाना डिवीजन के माणसा टेलीफोन एक्सचेन्ज से अहमदाबाद, कलोल बीजापुर और मेहसाना को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन बिछाने की योजनाओं को किस तारीख को स्वीकृति दी गई थी ; और

(ख) अब तक कार्य शुरू न करने के क्या कारण है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कलोल और महसाना के साथ अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक सहधुरीय केबल योजना मार्च, 1980 में मजूर की गई थी। मेसा और बीजापुर ओपन वायर लाइनों द्वारा पहले से ही कलोल के साथ जुड़े हुए हैं। इन लाइनों का दर्जा बढ़ाने तथा इनकी पुनः अभियांत्रिकी पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सहधुरीय केबल परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा चालू योजना के दौरान इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है।

मेहसाना में टेलीफोन एक्सचेंजों भवन का निर्माण

6033. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के मेहसाना डिवीजन में मेहसाना टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए किस तारीख को मंजूरी दी गई थी और अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस एक्सचेंज को ध्यान में रखकर इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखकर कि मेहसाना जिला मुख्यालय है, और जिले की जनसंख्या 25 लाख है, और प्रत्येक तहसील से इस शहर को बहुत से टेलीफोन किए जाते हैं, यह भवन कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मेहसाना एक्सचेंज के लिए भवन की मंजूरी अभी नहीं दी गई है।

(ख) 3000 लाइनों वाले एक आयातित डब्बायुक्त इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है जिसके मुख्य उपस्कर हेतु भवन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) एक्सचेंज के सहायक उपस्कर एवं स्टाफ के लिए आवश्यक एक छोटे भवन की 1982 83 के दौरान पूरे किये जाने की सम्भावना है शर्ते कि उपस्कर प्राप्त हो जाएं।

गुजरात के मेहसाना डिवीजन में नए टेलीफोन कनैक्शन

6034. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेहसाना टेलीफोन डिवीजन में मेहसाना, कलोल कड़ी, बीजापुर, उनीझा, सिधपुर, विशनगर और पाटन टेलीफोन एक्सचेंजों से कितने नए टेलफोन कनैक्शनों की मांग है ;

(ख) कितने टेलीफोन कनैक्शन अब तक दिए गए हैं और कितने अभी दिए जाने हैं, शेष टेलीफोन कनैक्शन कब दिए जाएंगे ; और

(ग) उन टेलीफोन एक्सचेंज के नाम क्या हैं जिनके विस्तार की मंजूरी दे दी गई है और यह विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा-?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फिलहाल लंबित मांग का अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है:

एक्सचेन्ज	लंबित मांग
1. मेहसाना	313
2. कलोल	193
3. कड़ी	55
4. बीजापुर	51
5. दूबा	278

1	2
6. सिधपुर	25
7. बिशनगर	65
8. पाटन	170

(ख) चालू वर्ष के दौरान मेहसाना डिवीजन के उपरोक्त एक्सचेंजों में 20-2-82 तक 490 नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए गए। मार्च 1982 के दौरान 100 नए कनैक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है। उपरोक्त एक्सचेंजों में शेष मांग को, इन एक्सचेन्जों का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने के पश्चात, 1984-85 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	एक्सचेंज	सज्जित क्षमता	1982-83 के दौरान प्रस्तावित विस्तार
1.	कारादा (एम ए एक्स-111)	50 लाइनें	50 लाइनें
2.	कलोल (एम ए एक्स 11)	900 ,,	100 ,,
3.	कुकरवाड़ा (एम ए एक्स 11)	200 ,,	100 ,,
4.	पाटन (एम ए एक्स 11)	1200 ,,	200 ,,
5.	बीजापुर (सी बी एम)	360 ,,	120 ,,
6	मेहसाना (एम ए एक्स-11)	2000 ,,	200 ,,
7.	बिशनगर (एम ए एम-11)	800 ,,	100 ,,
8.	ऊंझा (एम ए एक्स 11)	1500 ,,	100 ,,

विकलांगो को सार्वजनिक टेलीफोन

6035. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) मेहसाना, पाटन, सिधपुर. बिशनगर, उनीझा, बीजापुर, कड़ी और कलोल में कितने विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन दिए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र छोटे शहरों में होने के कारण इदसे बहुत कम टेलीफोन किए जाते हैं और इन व्यक्तियों को इनसे आमदनी कम और

किराया और कालों के प्रभार का खर्च अधिक है जिसके परिणाम स्वरुप इन्हें आमदनी के बजाय अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है ; और

(ग) क्या उक्त बातों को ध्यान में रखकर उन्हें किराया देने से छूट नी जाएगी और यदि नहीं, तो कोई और ऐसा विकल्प ढूंढ़ा जायेगा जिससे इन विकलांग व्यक्तियों को घाटा न हो और क्या उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जिन विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन दिए गए हैं उनकी संख्या निम्नानुसार है :

मेहसाना	—	6
पाटन	..	1
सिधपुर	—	1
बिशनगर	—	1
उन्झा		4
बीजापुर		3
कड़ी		2
कलोल		1

(ख) और (ग) सार्वजनिक टेलीफोन किराये पर लेने वाले विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित छूट दी जाती है:

(i) सार्वजनिक टेलीफोन का कोई किराया नहीं लिया जाता ;

(ii) डाक तार विभाग बूथ और कैश चेस्ट निःशुल्क प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है ; और

(iii) की गई प्रत्येक काल पर किरायेदार 20 पैसे प्रोत्साहन राशि के बतौर पाता है।

तथापि किरायेदार को, डाक तार विभाग के साथ करार करने से पूर्व, क्षेत्र की राजस्व संभावना का मूल्यांकन करना होता है जिसमें सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित किया जाना है, जिसकी शर्त में कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह गारन्टी राजस्व है ; देश में समूचे तौर पर इस योजना की प्रणाली पर विचार कर यह पाया गया कि ये सार्वजनिक टेलीफोन किरायेदारों के लिए लाभप्रद हैं। फिर भी कुछ सार्वजनिक टेलीफोन बन्द कर देने पड़े क्योंकि कम से कम गारन्टी राजस्व उपलब्ध नहीं कराई गई।

कांकेर (मध्य प्रदेश) टेलीफोन सेवा

6036. **श्री अरबिन्द नेताम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांकेर (मध्य प्रदेश) से जगदलपुर (मध्य प्रदेश) की ट्रंक काल 3-4 दिन पहले बुक कराने पर भी नहीं मिलती;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में इन स्टेशनों से जितनी कांल बुक हुई और ये काल किस तारीख को बुक हुई और ये कितने समय में मिली और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान स्थिति पर गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को बुक काल समय पर मिल सकें;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) कांकेर से जगदलपुर के लिए प्रतिदिन ओसतन 12 कालें होती है और लगभग एक घंटे के भीतर उन्हें मिला दिया जाता है ।

(ग) ट्रंक कालों में असाधारण विलम्ब नही होता है । यदि कांकेर से जगदलपुर के लिए सीधा ट्रंक सर्किट नहीं मिलता है तो ट्रंक कालें मिलाने के लिए धमतरी एवं रायपुर के मार्ग से वैकल्पिक रूट उपलब्ध है ।

(घ) एवं (ङ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

एक्सप्रेस डिलीवरी प्रणाली का पुन: आरम्भ किया जाना

6037. **श्री डी० एम० ए० शिव प्रकाशम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार डाक विभाग में एक्सप्रेस डिलीवरी प्रणाली फिर शुरू किये जाने पर विचार करेंगी क्योंकि जनता को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : डाक विभाग में तुरन्त वितरण प्रणाली को पून: चालू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा किया गया कार्य

6038. **श्री एस० डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा केलेंडर वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 में किये गए कार्य का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित ग्राम विद्युतीकरण के अन्तर्गत, कैलेण्डर वर्ष 1977 से 1981 के दौरान विभिन्न राज्यों में 58,743 गावों का विद्युतीकरण किया गया तथा 5,57,968 पम्पसेट अंजित किये गए । कैलेण्डरों वर्ष 1977,1978,1979, 1980 और 1981 के दौनान ग्रामों के विद्युतीकरण में और पम्प सैटों के उर्जन में हुई प्रगति का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 के दौरान ग्रामों के विद्युतीकरण तथा पम्पसेटों के उर्जन में राज्यवार प्रगति को दिखाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्यों का नाम	विद्युतीकरण गांव					ऊर्जित पम्पसैट				
		1977	1978	1979	1980	1981	1977	1978	1979	1980	1981
1.	आन्ध्र प्रदेश	478	685	487	986	822	7956	7899	6356	16468	19857
2.	असम	198	179	950	963	979	22	14	515	145	79
3.	बिहार	1166	529	403	1276	1051	3238	1231	763	2068	4505
4.	गुजरात	462	388	303	530	792	4400	4634	4276	6626	14130
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	8461	8316	7822	7636	8213
6.	हिमाचल प्रदेश	316	301	582	490	1104	61	123	45	77	138
7.	जम्मू एवं कश्मीर	824	576	192	140	251	—	79	—	153	6
8.	कर्नाटक	320	377	270	318	338	3157	3832	2337	4087	12739
9.	केरल	23	7	—	—	—	1970	1991	1254	1885	7886
10.	मध्य प्रदेश	1547	1255	933	2013	4295	10196	11430	9402	13254	31054
11.	महाराष्ट्र	431	589	555	891	867	8866	11445	8556	19291	17643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	मणिपुर	—	—	29	7	21	—	—	—	—	—
13.	मेघालय	97	87	48	109	162	38	01	—	—	—
14.	नागालैण्ड	22	32	5	25	16	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	1324	700	633	1747	1042	550	621	1238	2318	2598
16.	पंजाब	179	2	—	—	—	10044	11765	18237	13955	6039
17.	राजस्थान	1010	1193	1010	696	749	8381	11945	11904	12988	1088
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	78	10	—	—	28	12561	8035	9855	9224	14 72
20.	त्रिपुरा	04	96	99	116	179	7	23	16	16	141
21.	उत्तर प्रदेश	1260	1209	724	1680	2677	3268	4453	3904	9619	23105
22.	पश्चिम बंगाल	786	1880	1012	750	1587	2371	1457	886	1452	464
	जोड़	10716	10095	8235	12737	16960	86257	89294	87368	121262	173787

श्रीलंका से आये विस्थापितों को बसाने के लिए सहायता

6039. **श्री एन० डेनिस** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पिछले तीन ललैण्डर वर्षों के दौरान श्रीलंका से आए विस्थापितों को बसाने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। सहायता वित्तीय वर्ष के अनुसार दी जाती है न कि कलैण्डर वर्ष के अनुसार।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्न हैं :-

	1978-79	1979-80	19 0-81
		(रुपये लाखों में)	
(1) ऋण	592.68	534.67	489.005
(2) अनुदान	90.72	59.81	68.660
(3) सामान्य शेयर	36.00	15.54	0.440
(4) प्रत्यक्ष व्यय	22.21	10.61	7.950
योग :	741.61	620.63	566.055

बर्मा से आये विस्थापितों को वित्तीय सहायता

5040. **श्री एन० डेनिस** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बर्मा से आए विस्थापितों को मद्रास सिटी के व्यसरपाड़ी क्षेत्र में बसाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) उन विस्थापितों को धन के वितरण में होने वाली अनियमितताओं को दूर करने के लिये उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह वित्तीय सहायता किन शर्तों पर उपलब्ध कराई गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। मद्रास शहर के व्यसरपाड़ी क्षेत्र में बर्मा प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार को अब तक 120.01 लाख रु० की राशि दी है।

(ख) ऋण सहायता के उपयोग में दुरुपयोग और अनियमितताओं को दूर करने की दृष्टि से योजना का कार्यान्वयन मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है और

बर्मा प्रत्यावासियों की सहमति से समस्त राशि उक्त प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई है। तमिलनाडु गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड और तमिलनाडु हरिजन आवास और विकास निगम के संपूर्ण देख-रेख में मकानों का निर्माण स्वयं बर्मा प्रत्यावासियों द्वारा किया जाना है। इन सगठनों द्वारा उपयुक्त दरों पर पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित भवन निर्माण सामग्री; यथा ईंटें, सीमेंट और स्टील खरीद करके प्रत्यावासियों को उनके मकानों के निर्माण के लिए दिए जाएगा। प्रत्यावासियों को शेष राशि मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा तमिलनाडु गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड और तमिलनाडु हरिजन आवास और विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।

(ग) वित्तीय सहायता निम्न शर्तों के अन्तर्गत दी जाती है :—

(1) प्रत्येक परिवार 6,000 रुपये की ऋण सहायता पाने का पात्र होगा।

(2) 3600 रुपये मकान के निर्माण के लिए दिये जाएंगे और शेष 2400 रुपये का उपयोग राज्य सरकार द्वारा भूमि की लागत और विकास प्रभार के लिए किया जाएगा। किन्तु राज्य सरकार, जोकि 6,000 रुपये की कुल सीमा के अन्तर्गत समायोजन कर सकती है, ने निर्णय किया हैं कि 6,000 रुपये की कुल राशि का उपयोग मकानों के निर्माण के लिए ही किया जाएगा।

(3) ऋण की अवधि 25 वर्ष है जिसमें मूलधन की अदायगी पर 3 वर्ष की मोहलत शामिल है.

(4) ब्याज की दर वही होगी, जो समय-समय पर वित्त मत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) ऋण केवल उन प्रत्यावासियों को ही स्वीकार्य होगा जो आवासीय सहायता पाने के पात्र हैं और जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा में सहायता के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं।

(6) प्रत्यावासियों को ऋण बाण्ड और बन्धक विलेख भरने होंगे।

(7) प्रत्यावासियों को समस्त ऋण राशि मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण को सौंपने के लिए अपनी सहमति देनी होगी।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए विपणन केन्द्र

6041. **श्री एन० डेनिस :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए मद्रास शहर में तथा अन्य स्थानों पर विपणन केन्द्रों की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ही विपणन-केन्द्रों की श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए भी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु सरकार ने चेंगलपट्टु, नार्थ अर्कोट, साउथ अर्कोट, थंजावुर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई, रामानाथपुरम, तिरुनलवेली, कोयाम्बतूर तथा कन्याकुमारी जिलों में बर्मा प्रत्यावासियों को 515 विपणन खोखे/स्टाल दिए हैं। इसके अलावा इन प्रत्यावासियों द्वारा मद्रास में बीच के किनारे पर तथा तिरुचिरापल्ली में टेप्पाकुलम के पश्चिमी किनारे पर अतिक्रमण की गई भूमि पर बनाई गई कुछ दुकानें भी नियमित कर दी गई हैं।

(ग) श्रीलंका प्रत्यावासियों को भी इसी प्रकार के 29 विपणन खोखे/स्टाल दिये गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मथुरा तेल शोधन कारखाने के अधिकारियों का विवरण

6042. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधन कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या, नाम पते पदनाम और शैक्षिक योग्यताएं क्या-क्या हैं ;

(ख) उनमें से ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें इस तेल शोधन कारखाने के ठेकेदारों द्वारा अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (पी० शिव शंकर) : (क) 6 अधिकारियों के अतिरिक्त. मथुरा शोधनशाला में 357 श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने अधिकारिक रिकार्डों में मथुरा जिले को अपने स्थायी पते के रूप में दिया है। यह श्रमिक मथुरा रोजगार कार्यालय द्वारा प्रवर्तित किये गये थे। अधिकारियों तथा श्रमिकों के सम्बन्ध में ब्यौरे विवरण पत्र "क" तथा "ख" में दिये गये है।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी० 3783/82]

(ख) 122

टेलीफोन सलाहकार समिति में तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि

6043. **श्री डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने टेलीफोन सलाहकार समिति में काम करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का मनोनयन किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) तमिलनाडु सरकार ने समिति की सेवा के लिए अपने प्रतिनिधि न चुनने के लिए क्या कारण बताए हैं ; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई० टी० आई० इलाहाबाद से क्रैंक शाफ्ट और टाइप राइटरों की चोरी

6044. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1982 में भारतीय टेलीफोन इन्डस्ट्री, इलाहाबाद से क्रैंक शाफ्ट और टाइपराइटर चुराए गए थे ;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो वहां से उक्त प्रत्येक वस्तु की चोरी किस-किस तारीख को हुई ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) तक इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के कार्यालय से एक टाइपराइटर के गुम हो जाने की रिपोर्ट 31 जनवरी, 1982 को की गई थी। इसी एकक में 3.2.1982 को टाटा बस के एक क्रैंक शाफ्ट की, जिसे मरम्मत के लिए बस से निकाला गया था, चोरी की रिपोर्ट भी सूचित की गई थी। यह जानने के लिए कि कार्यालय स्थान की बदली के दौरान, उपयुक्त टाइपराइटर की चोरी हुई है अथवा उसे गलत जगह रख दिया गया है, विभागीय स्तर पर जांच हो रही है। जहां तक क्रैंक शाफ्ट की चोरी का सम्बन्ध है, दिनांक 4.2.1982 को पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दे दी गई है। पुलिस ने जांच कार्य आरम्भ कर दिया है। यह जानने के लिए कि इस मामले में कारखाने का कोई कर्मचारी तो जिम्मेवार नहीं है, विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं।

पदोन्नति के लिए डाक-तार विभाग में परीक्षाएं

6045. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 से 1981 के वर्षों के दौरान पदोन्नतियों के लिए डाक-तार विभाग ने 1/3 एल० एस० जी० के लिए परीक्षाएं आयोजित की ;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कितनी परीक्षाएं आयोजित की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि इस सब के बावजूद इन वर्षों के दौरान कोई भी पदोन्नति नहीं की गई ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां।

(ख) अब तक चार परीक्षाएं आयोजित की गई हैं जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	परीक्षा आयोजन की तारीख	1/3 कोटा के अन्तर्गत रिक्तियों का वर्ष
1.	30-11-75	1975
2.	13- 6-76	1976
3.	10-12-78	1977-78 (संयुक्त)
4.	15-2-81	1979-80 (संयुक्त)

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यूज पेपर्स और पब्लिकेशंस लि० पटना

6046. **श्री भोगेन्द्र झा : सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूज पेपर्स एण्ड पब्लिकेशंस लि०, पटना के प्रबन्धकों ने यह आरोप लगाएं हैं कि उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के मामलों मे बिहार सरकार अनुचित हस्तक्षेप कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में भारतीय प्रेस परिषद को प्राप्त एक शिकायत पर उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

कोयले की बिक्री में भ्रष्टाचार

6047. **श्री आर० प्रधानी :**

श्री अनादि चरण दास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के कुछ भागों में कोयले की बिक्री मे हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले की बिक्री मे चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) उक्त मामले में सतर्कता बरतने के लिए कोयला कम्पनियों को जारी निदेशों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जब कभी भ्रष्टाचार के मामले सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) कोयले की बिक्री में भ्रष्टाचार से निपटने और चोरियां बन्द करने के लिए किए गए उपायों में से कुछ नीचे दिये गए हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे नाजुक क्षेत्रों और पदों से पदधारियों को उपयुक्त अन्तराल पर बारी बारी से तबादला किया करें।

(2) कोयला स्टाकों का कोयला कम्पनियों तथा कोल इन्डिया लि० के अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से सत्यापन किया जा रहा है।

(3) कम्पनियों के सतर्कता संगठनों को और भी मजबूत किया गया है।

(4) कोयला कम्पनियों के सतर्कता संगठनों तथा कोयला विभाग द्वारा भी अचानक निरीक्षण किए जाते हैं।

(6) जिन स्थानों पर नियमित आधार पर कोयले के स्टाक रखे जाते हैं वहां चार दिवारी बनाई जा रही है।

सुन्दर गढ़ जिले में कार्बन शेल निकालने के लिए प्राइवेट पार्टियों को अनुमति दिया जाना

6048. **श्री चित्त महाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या कोयला विभाग ने उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया है कि उडीसा में सुन्दरगढ़ जिले में कोयला वाले क्षेत्रों से कार्बन शेल निकालने के लिए प्राइवेट पार्टियों से उड़ीसा सरकार की स्वीकृति शीघ्र वापिस ले ली जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और उस पर उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने कुछ पार्टियों को जिला सुन्दरगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र में फायरवले निकालने के लिए मिश्रित पट्टे दिये थे। फायरवले निकालते समय उन्होंने ऊपरी मलबे के तौर पर कार्बोनशियस शेल भी निकाल लिया जो कि अवर्गीकृत कोयला है। आस-पास के क्षेत्रों के लोग कार्बोनुशियस शेल को उठा न ले जाएं, पट्टाधारियों को कुछ कीमत देकर उसे उठा ले जाने की अनुमति दे दी।

कोयला विभाग ने राज्य सरकार का ध्यान तारा प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य नामक मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 7-5-1980 की ओर दिलाया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 67) की वैधता को अक्षुण्ण रखा है। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों को कोयले के खनन से रोक दिया गया हैं जिन्हें अधिनियम ने प्राधिकृत न किया हो तथा उन सभी व्यक्तियों के कोयले के खनन अथवा कोयला निकालने के सभी खनन पट्टे रद्द कर दिए हैं जिन्हें अधिनियम ने प्राधिकृत न किया हो। न्यायालय ने फायर बले के मिश्रित खान पट्टा धारियों को यह अनुमति दे दी कि वह फायरवले का खनन तभी तक और उसी सीमा तक करें

जब तक कि कोयले का खनन न होने लगे। वह कोयला निकालने अथवा किसी अन्य तरह से उसके खनन का काम बिलकुल न करें। जैसे ही वह कोयले की पर्त पर पहुंचे वैसे ही वह खनन कार्य तुरन्त बन्द कर दें अन्यथा उन्हें कोयले के गैरकानूनी खनन के अपराध में, भारतीय दण्ड संहिता की व्यवस्थाओं के साथ पठित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 19 3 की धारा 30(2) के अधीन दंडित किया जा सकता है। राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया था कि वे सभी जिला प्राधिकारियों को इस आशय के अनुदेश तुरन्त जारी करें कि जहां कहीं फायरबले के लिए पट्टे जारी किए जाए वहां इस बात को अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे पट्टाधारी कोयला अथवा कार्बोनेशियस शेल का खनन बिलकुल न करें। राज्य सरकार से यह अनुरोध भी किया गया था कि वह लाइसेंसों में यह शर्त भी लगादे कि लाइसेंसधारी फायरबले का खनन करते समय जब कभी कार्बोनेशियस शेल अथवा कोयले की पर्त पर पहुंचे तो अपना खनन कार्य तुरन्त ही बन्द कर दे।

तदनुसार राज्य सरकार ने जिला सुन्दरगढ के गोपालपुर क्षेत्र में कार्बोनेशियस शेल को ले जाने के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी।

दक्षिण में उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना

6049. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने पर विचार करेगी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों से इस बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि केरल, कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें क्रमशः त्रिवेन्द्रम, हुबली-धार- वाड़ और मुदरे में स्थापित की जाएं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश में गुन्टूर, कर्नाटक में बेलगाम, केरल में कालीकट, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और कुड्डालोर स्थानों पर न्यायपीठों की स्थापना के लिए विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से अभ्यावेदन अर मांग पत्र प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की बाबत वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :--

(1) राज्य सरकार ने त्रिवेंद्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था। कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए उन्हें जुलाई, 1973 में पत्र लिखा गया था। राज्य सरकार ने जून 1978 में सूचित किया कि वह उस विषय पर अभी भी विचार कर रही है। उसके बाद

उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) कर्नाटक सरकार को 15 सितम्बर, 1981 को एक पत्र भेजा गया है जिसमें उससे कतिपय जानकारी भेजने के लिए कहा गया है।

(iii) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

खम्भात की खाड़ी में भूकम्प सम्बन्धी सर्वेक्षण

6050. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों की खोज करने के लिए खम्भात की खाड़ी में भूकम्प सम्बन्धी सर्वेक्षण कराने का है ;

(ख) क्या विद्यमान क्षेत्रों का दोहन करने का भी विचार है ;

(ग) क्या छिद्रण द्वारा तेल के कुओं को खोलने के लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, वर्तमान में नहीं।

(ग) और (घ) जब भू-कम्पीय सर्वेक्षण कर लिये जायेंगे, आंकड़े तैयार कर लिये जायेंगे तथा प्रतिपादित कर लिये जायेंगे, इस क्षेत्र में अनुकूल संरचनाओं के व्यधन की योजना तैयार की जायेगी।

विश्व बैंक के दल का इन्द्रावती परियोजना का दौरा

6051. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के किसी दल ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इन्द्रावती परियोजना का हाल ही में दौरा किया था ; और

(ख) क्या वे इस परियोजना के लिये 160 करोड़ रुपये मंजूर करने पर सहमत हो गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) जी, हां। बैंक की सहायता हेतु परियोजना का पूर्व मूल्यांकन करने के सिलसिले में विश्व बैंक के दल ने 31 जनवरी 1982 से फरवरी, 1982 तक अपर इन्द्रावती परियोजना का दौरा किया था। इस परियोजना के लिए बैंक की सहायता के रूप में दी जाने वाली कोई राशि उन्होंने नहीं बतायी है क्योंकि बैंक द्वारा परियोजना का अन्तिम रूप में मूल्यांकन किया जाना है।

रावी, ब्यास और सतलुज के पानी से राज्यों का हिस्सा

6052. श्री दौलत राम सारण :
श्री राम बिलास पासवान :
श्री चिरंजी लाल शर्मा :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री के० ए० राजन : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी, ब्यास और सतलुज नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के पानी तथा उनसे उत्पन्न बिजली में प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा है ;

(ख) क्या उक्त नदियों तथा उनकी सहायक नदियों पर बनी सभी जल परियोजनाओं में भी राज्यों का हिस्सा भी उसी अनुपात में है जो उनके पानी तथा उनसे उत्पन्न बिजली में है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिन पर हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा पंजाब के अन्तर्राज्यीय विवाद है और उनका ब्यौरा क्या है तथा ये विवाद कब से चल रहे हैं ;

(घ) इन विवादों को हल करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उन्हें हल करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और इन विवादों के कब तक हल होने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या विवादों को हल करने में हो रहे विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है और उनसे होने वाले लाभों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1959 में, राजस्थान और भूतपूर्व पंजाब राज्यों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, सतलुज नदी की भाखड़ा नंगल परियोजना के जल और विद्युत के लाभों का बंटवारा इनके बीच क्रमश: 15.22 : 84.78 के अनुपात में किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात, संयुक्त पंजाब का भाग उत्तराधिकारी राज्यों के बीच निम्न प्रकार से पुन: आबटित किया गया है :—

	जल	विद्युत (तदर्थ)
पंजाब	भाखड़ा नंगल परियोजना की रिपोर्ट	54.5 प्रतिशत
हरियाणा	में दर्शाए गए क्षेत्रों और क्षमता के अनुपात	39.5 प्रतिशत
संघ शासित चंडीगढ़	के अनुसार	3.5 प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश		2.5 प्रतिशत

रावी ब्यास के अधिशेष जल की सप्लाई का पुन: आबंटन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच 31 दिसम्बर, 1981 को हुए समझौते के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :—

पंजाब	4.22 एम० ए० एफ०
हरियाणा	3.5० एम० ए० एफ०
राजस्थान	8.60 एम० ए० एफ०
दिल्ली जल सप्लाई के लिए प्रारक्षित मात्रा	0.20 एम० ए० एफ०
जम्मू और कश्मीर	0·65 एम० ए० एफ० (नियत)

जोड़ : 17·17

व्यास परियोजना से उत्पन्न होने वाली विद्युत को तदर्थ आधार पर निम्नानुसार बांटा जा रहा है :—

	यूनिट 1 (व्यास सतलुज लिंक परियोजना)		यूनिट 2 (व्यास बांध)
हिमाचल प्रदेश	15 मेगावाट		
पंजाब	48%		24.9%
हरियाणा	32%	शेष का	16.6%
राजस्थान	20%		58.5 प्रतिशत

थीन बांध, अपर बारी दोआब नहर चरण-2, आनन्दपुर साहिब और मुकेरियां जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत के बंटवारे के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय विवाद वाली परियोजनाओं के नाम यह हैं ; प्रस्तावित थीन बांध परियोजना और शाहपुर कंडी बराज परियोजना। बताया गया है कि पंजाब सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के साथ जनवरी, 1979 में समझौता किया है। थीन बांध की बिजली के सम्बन्ध में राजस्थान और हरियाणा के दावों से सम्बन्धित विवाद को सुलझाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ङ) अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने में होने वाले विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है और परियोजन से होने वाले लाभ अस्थगित होने की सभावना है।

फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा प्रदूषण के कारण क्षति

6053. **श्री जायनल आबेदिन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री एस० सी० बनर्जी चीफ इन्सपेक्टर आफ स्मोक नुइसेंस

बोर्ड, द्वारा कलकत्ता में वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में हुई विचार गोष्ठी में दी गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि मालदा के आम के बगीचे और मुर्शिदाबाद का रेशम उद्योग फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन से प्रभावित होंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण विभाग में ऊर्जा मन्त्रालय को वायु प्रदूषण की जांच हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) विद्युत केन्द्र से होने वाले वायु प्रदूषण को सम्भावित न्यूनतम स्तर तक रखने के लिए परियोजना प्राधिकारी 190 मीटर ऊंची चिमिनियों का निर्माण कर रहे हैं तथा 99.5 प्रतिशत की कार्यक्षमता वाले इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटरों की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं। यह स्तर अनुज्ञेय सीमाओं के अन्तर्गत होगा ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में कर्मचारियों के परिश्रमिक में असमानता

6054. **श्री के० ए० राजन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के अक्तूबर, 1981 के बुलेटिन की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि निजी क्षेत्र में बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 20,7 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि शेष अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक में केवल 11,5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता में कमी करने हेतु कोई कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) हां, श्रीमन जी ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के वर्तमान उपबन्ध, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियो को सहायक कम्पनियों (प्रबन्ध निदेशकों और पूर्ण कालिक निदेशकों) से संबंधित प्रबन्धकीय कार्मिको के विनियमन के साथ केवल सम्बद्ध हैं । ये निगमित क्षेत्र में कुल कर्मचारियों को संख्या का बहुत नगण्य अनुपात का निर्धारण करते हैं । इस समय कम्पनी अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है जिससे गैर सरकारी क्षेत्र में अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक को विनियमित किया जाए । यह प्रश्न कि क्या कम्पनी अधिनियम को उसके अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों ने देय पारिश्रमिक हेतु (प्रबन्ध निदेशकों और पूर्ण कालिक निदेशकों से अलग) तथा कम्पनी अधिनियम की परिधि के अन्दर भी आय की सीमाओं के माध्यम से संशोधन किया जाना चाहिए, अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बारी बारी से।

प्रो० रुपचन्द पाल (हुगली) : इसमें एक अत्यन्त गम्भीर बात छिपी है···

अध्यक्ष महोदय : आप उसके लिए नोटिस दे, ताकि मैं इस पर कार्यवाही कर सकूं।

प्रो० रुप चन्द पाल : जी हां, परन्तु एक माननीय सदस्य ने किसी अन्य सदस्य के सी० आई० ए० और अन्य के साथ सम्बन्ध होने की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मुझे नोटिस दिया है? आपने मुझे केवल जानकारी दी है। आपको मुझे नोटिस अवश्य देना चाहिए ताकि इसे सभा में लिया जा सके।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता) : श्रीमान मैंने आपको नोटिस दिया है तथा 'सन्डे' की प्रति आपके समक्ष रख दी है जिसमें एक सदस्य ने लिखा है कि···*

अध्यक्ष महोदय : ये वस्तुएं हमारे पास है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? हमें विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करनी है। आज हम उसे शुरू कर रहे हैं। आप उसमें यह प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसे मैंने आज प्रातः ही देखा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मुझे देखने दें। मैं इसे सहसा ही स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक गम्भीर आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : गंभीर हो अथवा न हो लेकिन हमें इसे अत्यन्त गम्भीरता से लेना है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने 'सन्टे' की प्रति प्रस्तुत कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इस समय इसे नहीं ले सकता। आप इस बारे में दबाव क्यों डाल रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप 28 मार्च के 'सन्डे' की प्रति देखे।

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम 353 के अधीन नियमित नोटिस देना चाहिए था और तब इस उस पर विचार करेंगे। आप इस बारे में इतने उत्तेजित क्यों हैं?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है हम इस पर ध्यान देंगे। सभी मामले मयत्वपूर्ण है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : भारतीय सम्पादकों की गिल्ड ने एक संकल्प पारित किया है। इसे पहले ही सरकार के पास भेजा जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रेस की स्वतन्त्रता को खतरा है अनुच्छेद 19 का उल्लघंन हुआ है। भयादोहन किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। और उसके परिणामस्वरूप दिल्ली में पोस्टर लगाये गये है।

अध्यक्ष महोदय : कानून अपना समय लेगा। कानून को जनता का ध्यान रखने दें।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे जनता की स्वतन्त्रता को खतरा है।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता तथा जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय है कि कानून को इस मामले पर भी ध्यान देना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : स्थगन प्रस्ताव यह है ...

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नही है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस बारे में अपना मत व्यक्त क्यों नहीं करते जिससे वास्तव में सरकार पर दबाव पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा यही कहना है, सरकार को इन बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। सरकार को इन्हें नोट करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें दिदेश दीजिये कि वे ध्यान रखें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं यह मामला इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पत्रों की स्वतन्त्रया खतरे में है। मंत्री महोदय सभा में हैं। वह एक वक्तव्य दे सकते हैं। इस विशेष सकल्प पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप कहीं चले जाएं, कनाट प्लेस में चले जाएं, आपको इण्डिया टूडे के खिलाफ पोस्टर लगे मिल जाएंगे। मन्त्री जी बैठे हुए है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री टाईटलर को अनुमति दी है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : प्रो० दण्डवते तथा श्री हरिकेश बहादुर ने अभी समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की बात कही है। लन्दन में 'फेस्टीवल आफ इण्डिया'' के बारे

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में समाचारों को बिगाड़ कर छापे जाने बारे में मैंने नियम 377 के अधीन नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत ले सकते हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : नहीं, श्रीमान मैं इसे पृथक से उठाना चाहता हूं। मुझे नही पता आपने इसकी अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप इसे मांगों के अन्तर्गत उठा सकते हैं। कुछ बात करनी होती है। श्री टाईटलर, आप अनावश्यक रूप से कर रहे हैं कि मैंने अनुमति नहीं दी।

श्री जगदीश टाईटलर : श्रीमान मैं इसे नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई बातें नियमानुसार आती है। तो मैं अनुमति देता हूं। यह मेरे स्वविवेक पर निर्भर हैं। मैंने आपको अनुमति दी है। मैं आपको रोक नहीं रहा। आप ऐसा कर सकते हैं। नियमानुसार आप ऐसा कर सकते हैं तथा कोई भी आपको रोक नहीं रहा है।

अब श्री तिवारी।

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : जब सभा समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता पर चर्चा कर रही है इसे प्रेस की भावनाओं के इरादों को भी जानना चाहिए। 'इण्डियन एक्सप्रेस' इस सभा को बदनाम कर रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते इसमें भावनाओं की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात नहीं कर रहे। मैं समझता हूं उन्होंने कोई अपनी बात कही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभी बातों का नोटिस नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शिव शंकर सभा पटल पर रखें।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

पारादीप फास्टफेटिक उवरक परियोजना और पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मै पारादीप फास्फेटिक उर्वरक परियोजना और पारादीप फास्फेट लिमिटेड के बारे में स्वेत पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रख रहा हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3766/81]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नेवेली लिंगनाइट कारपोरेशन लि० नेवेली का वर्ष 980-81 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) नेलेली लिगनाइट कारपोरेशद लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3767/82]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

श्री बंसीलाल (भिवानी) : मैं टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड उद्योग मंत्रालय—औद्योगिक विकास विभाग) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 20 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 33 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत रखता हूं ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मिला था शहीदे आजम भगत सिंह की प्रतिमा को खंडित करने की कुचेष्टा के मामले में जिससे सारा राष्ट्र को क्षोभ है ·

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नियम 377 के अधीन अनुमति दी है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप एक मिनट सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : सुनने का कोई सवाल नहीं है मैंने अलाऊ कर दिया । भगत सिंह सारे देश के लिए सर्वोपरि है । उसके आगे तो सब का सर झुकता है । अगर कोई आंख उठाता है उसके बुत की तरफ भी तो वह तो बहुत जलील काम है । उसको आप लाइये करेंगे ।

जबकि मैंने आपको अनुमति दी है, तब आप ऐसा क्यों करते है ? आप व्यर्थ समय क्यों नष्ट करते है ?

श्री मुकन्द मंडल (मथुरापुर) मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। कल हमने इसी पर चर्चा की थी। मुझे कुछ रचनात्मक कार्य करना है। मैं कुछ आर्थिक समस्याओं पर सभा में चर्चा करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे आकर मिले। इस तरह नहीं। श्री चन्द्रपाल शैलानी ध्यानाकर्षण।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रपाल शैलानी उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त गम्भीर बात है। अभी उस दिन भी मैंने इस बात की चर्चा की थी। समन्वित कार्यवाही करने के लिए मैंने प्रेस से निवेदन किया था इस बुराई शुरू से ही समाप्त करने के लिए मैं प्रेस से निवेदन करता हूं। यह तो सारे देश के लिये खतरनाक मसला है। करिये शेजावलकर जी। रेडियों ने इसको किया लेकिन प्रेस ने इस बात को उतना नहीं उठाया जितना कि होना चाहिये था। मैं उनसे भी कहता हूं कि वह भी इस बात को उतना ही उठायें जोर से।

यह अत्यन्त गम्भीर मामला है इस पर मैं युद्ध स्तर पर कार्यवाही करना चाहूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) प्रेस काफी उत्तरदायी है परन्तु सरकार प्रेस को उतनी गम्भीरता से नहीं लेती।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे सहयोगी है, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है। ध्यानाकर्षण श्री एन० के० शेजवलकर।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नकली दवाइयां बनाने वाले एक गिरोह का पता लगाना

श्री एन० के० शेजावलकर (ग्वालियर): मैं स्वास्थ्यत था परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"पूर्वी दिल्ली पुलिस द्वारा 24 मार्च, 1982 को नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह के पकड़े जाने का समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :

यह सूचना मिलने पर कि कुछ व्यक्ति अफीम और नकली दवाईयों की बिक्री और उन्हें बनाने के काम में लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने उन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए 24 मार्च 1982 को जाल बिछाया और श्री नेमी सरन गुप्ता नामक व्यक्ति को 3 किलोग्राम अफीम और 4000 मैंड्रक्स लेबलों वाली गोलियां ले जाते हुए पकड़ा .

2. श्री नेमी सरन गुप्ता से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला है कि उसके पिता श्री जगदीश प्रसाद और गांधी नगर के शान्ति मोहल्ला का श्री किशन मिल करके स्वापक(नार्को-टिक) दवाइयों की तस्करी करते हैं और श्री किशन के मकान में फैक्ट्री भी चला रहे हैं जहां पर मिलावटी औषधियां तैयार करके स्टोर की जा रही हैं।

3. जब पुलिस ने श्री किशन के मकान पर छापा मारा तो चार व्यक्तियों नामत: सर्वश्री रामकिशन, प्रदीप कुमार, आशा राम और सुधीर कुमार को उस फैक्ट्री में काम करते हुए पाया। पुलिस ने यह बताया कि उन्होंने "एक इलेक्ट्रिक मशीन पकड़ी है जिसे गोलियां तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये गोलियां उस डाई की सहायता से बनाई जाती थीं जिसकी एक ओर स्पासमिन्डन और दूसरी ओर इन्डन लिखा हुआ था जो कम्पनी का नाम था; 30 प्रिंटिंग ब्लाक डाइयां जिन पर विभिन्न दवाइयों के नाम, उनके इस्तेमाल की विधि/निर्देश, शेड्यूल एच औषधि की सांविधिक चेतावनी, विष, भारत में निर्मित आदि अंकित थे ; 22 रबड़ की मोहरें जिन पर औषधियों के निर्माण का वर्ष और उनकी समाप्ति की तारीख, बैच संख्या मूल्य आदि दिये हुए थे ; विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों की लोकप्रिय दवाइयों के 30 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के लेबल; लगभग 10 लाख गोलियां, दो लाख भरे हुए कैप्सूल ; 50 हजार से भी अधिक खाली कैप्सूल, कच्ची सामग्री, खाली और भरे हुए डिब्बे आदि" भी पकड़े हैं।

4. पुलिस ने अफीम अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत अफीम बरामद होने और खतरनाक औषधि अधिनियम के अन्तर्गत मैंड्रेक्स बरामद होने के बारे में सीलमपुर पुलिस स्टेशन, दिल्ली में मामले दर्ज किए हैं। भारतीय दंड संहिता, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा खतरनाक औषध अधिनियम के अन्तर्गत औषधियों, दवाइयों, प्रिंटिंग ब्लाकों आदि के बरामद होने के बारे में एक मामला कृष्ण नगर पुलिस स्टेशन, दिल्ली में भी दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में आगे और जांच पड़ताल की जा रही है।

5. यह बताया गया है कि अपराधियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि ये नकली दवाइयां दिल्ली में चार पार्टियों को, हरियाणा और पंजाब में एक-एक पार्टी को, उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों को सप्लाई की जा रही थी। दिल्ली औषध नियंत्रण संगठन के अधिकारियों ने दिल्ली की चार में संदिग्ध पार्टियों के परिसरों पर छापा मारा है और यह पता चला है कि चार में से एक पार्टी तो थी ही नहीं। इन तीन पार्टियों से बहुत सी औषधियों के नमूने एकत्र किए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन परिसरों से जो औषधियां पकड़ी हैं उनके नमूने एकत्र करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली औषध नियन्त्रण प्राधिकारी के अनुसार इन निर्माताओं के पास औषधि निर्माण के लाइसेंस नहीं थे।

6. औषध नियंत्रण (भारत) ने दिल्ली से बाहर की पार्टियों के नाम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पजाब के औषध नियंत्रकों को सूचित करते हुए उन्हें इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने की सलाह दी है।

7. नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री का कार्य हम सभी के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। जैसा कि माननीय सदस्य-महोदय जानते हैं कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोरी-छिपे किया जाता है और इसे समाज-विरोधी और भ्रष्ट व्यक्ति करते हैं जिन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम जो औषधियों के आयात, निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है और यह मुख्यता एक ऐसा कानून है जिसके अन्तर्गत, औषधि निर्माताओं के कार्यकलापों की मानीटरिंग की जाती क और उन पर नियन्त्रण रखा जाता है। स्वदेशी औषधियों के निर्माण और बिक्री पर नियत्रण सम्बन्धित राज्य औषधि नियन्त्रण संगठनों द्वारा रखा जाता है और नकली दवाइयों की, समस्या से उन्हीं को और पुलिस को निपटाना होता है।

8. नकली दवाइयों का पता लगाने और बिक्री की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण संगठन में एक आसूचना सेल है। कुछ राज्यों में आसूचना एवं कानूनी सेल पहले ही खोले जा चुके हैं। अन्य राज्यों को ऐसे सेल स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि वे इस बुराई का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला कर सके।

9. नकली दवाएं बनाने और बिक्री के काम में लगे व्यक्तियों को सख्त सजा देने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियय को संशोधित करने का भी सरकार का इरादा हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे अपराधी नहीं है, कातिल भी हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मन्त्री महोदय ने बताया क्या है ? खोदा पहाड़, निकको चुहिया।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : क्या इस बात का पता नहीं लगा कि यह कारखाना कब से चल रहा है ?

श्री एन० के० शेजवलकर : इस महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में आपकी तथा मन्त्रियों सहित सभी की उत्सुकता को अनुभव किया है। वास्तव में अनुभव किया है। वास्तव में आपने कहा है कि इस प्रकार की कायवाहियां करना हत्या करना है। ये हत्या से कम नहीं है। और ये घातक कार्यवाहियां जारी हैं। मन्त्री महोदय मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है। अब कैबिनेट मन्त्री महोदय भी आ गये हैं। यह बहुत अच्छा हुआ।

वक्तव्य से भी पता चलता है कि उत्तरदायित्व को दूसरी ओर डालने की चेष्टा की गई है। पृष्ठ 3 के अन्त में कहा गया है :—

> 'स्वदेशी औषधियों के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण संबन्धित राज्यों औषधि नियंत्रण संगठनों द्वारा रखा जाता है और नकली दवाइयों की समस्या से उन्हीं की ओर से पुलिस को निपटना होता है"

यह सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है कि ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त किया जाये। नि:सन्देह दिल्ली पुलिस कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। परन्तु जब मैं यह कहता हूं बहुत समय से अधिनियम के बनने के समय से ही, इस प्रकार की कार्यवाहियां जारी हैं। 1980 में हमारे सदस्य श्री नहाटा ने सभा में प्रदन पूछा था। उन्होंनें पूछा :

(क) राज्यवार, पिछले तीन बर्ष में नकली दवाइयों के कितने मामले पकड़े गये ; और

(ख) नकली दवाइयों का निर्माण करने तथा उनकी सप्लाई करने वाले कितने मामलों में कार्यवाही की गई तथा दंड दिया गया ?

हो सकता है मैं गलत हूं किन्तु मैं समझता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही। की गई कार्यवाही के बारे में 12 बातें बताई गई हैं। वही प्रश्न माननीय श्री शामन्ना ने अप्रैल, 1981 में पूछा था। उनको शब्दश: वही उत्तर दिया गया जो कि 1980 में दिया गया था। केवल इतना ही अन्तर था कि 1980 में संख्यायें रोमन में थी जबकि 1981 में अरबी में। परन्तु, ठीक वही बात दोहराई गई। यदि मुझे याद है तो 4-5 कानपुर के मामलों का पता लगा था जिनमें रोगियों को नकली ग्लूकोज दिया गया था तथा उन्हें अस्पताल में कष्ट उठाना पड़ा मामलों का क्या। उन बना ? हर समय-फरवरी में भी-मन्त्री ने सभा में बताया था कि सख्त कार्यवाही की जायेगी कल भी उन्होंने घोषणा की है कि कम से कम सजा 5 वर्ष होगी और जुर्माना 10,000 रुपये होगा। लेकिन अब तक क्या किया गया है ? मैं जानना चाहता हूंकि लोगों पर कितने अब तक मुकद्मे चलाये गये और कानपुर के मामले का क्या बना ? मैं जानना कि आपने क्याकिया हूं चाहता। आपने कितने मामलों की सुनवायी की और कितने मामलों को अन्तिम रूप दिया गया।

सभी हाल में चिकित्सा संस्थान में ही···

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सभा इसमें रुचि ले··· यह एक गम्भीर मामला है पर चारों ओर गप्पें मारी जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि सभा इस ओर ध्यान दे। कृपया शांति रखिए। यदि आप बात करना चाहते हैं तो बाहर जाइये और बात कीजिये।

श्री० एन० के० शेजवलकर : यह तो घातक ग्लुकोज के संरक्षण देता है। अखिल भारतीय चिकित्सक संस्थान में फफूंदी वाला ग्लुकोज सप्लायी किया गया था। आप जानते हैं कि एक नाजुक समय में जबकि रोगी मृत्यु शय्या पर होता है उसी समय ग्लुकोज जैसी औषधियां रोगी को दी जाती है। लेकिन फफूंदी वाला ग्लुकोज सप्लाई किया गया। पता चला कि लेबल 6 दिसम्बर का था उसे 21 दिसम्बर को स्टोर को सप्लाई किया गया और 26 दिसम्बर के उपचार के लिये लिया गया। अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। डाक्टरों को अस्पताल में इस आशय का इश्तहार लगाना पड़ता है कि वहां एक घातक ग्लूकोज है। यदि ऐसा हो रहा तो क्या कार्यवाही की जा रही है ? मैं कैसे कह सकता हूं कि सरकार मामले पर गम्भीर से विचार कर रही है ? फरवरी में सभा को दिए गये उत्तर में मन्त्री ने कहा कि स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद ने कुछ सिफारिशें की हैं हम आज भी नहीं जानते कि सिफारिशें क्या हैं। उत्तर जो दिया गया है वह केवल औपचारिक ही है इससे केवल उतनी ही बात का पता चलता है जो कि

समाचार पत्रों में छपी थी। उन्होंने फरवरी में कहा कि सी० सी० एच० ने कुछ सिफारिशें की हैं उन सिफारिशोंके कार्यान्वित करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? यदि ये इस बारे सच-मुच चिंतित हैं तो उन्हें सभा को विश्वास में लेना चाहिए। वे रिपोर्ट को सभा-पटल पर क्यों नहीं रखते? इस पर यहां चर्चा होने दीजिए ताकि सदस्य कुछ उपयोगी सुझाव दे सकें। उदाहरण के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

उन्होंने कहा कि गोली बनाने वाली बिजली की मशीन वहां पायी गयी? अन्य चीजों के बारे में क्या स्थिति है? उन्हें पहले सबस्टेंस बनाना पड़ता है फिर कंटेनर, कोपसूल तथा डपेली का नाम छापने के लिए टीन का फोयल बनाना पड़ता है। वह मशीनरी कहां से आयी? क्या वे इन मशीनों के बनाने वाली कम्पनी पर किसी किस्म की रोक लगा सकते? वे इस कम्पनी का पता नहीं लगा सकते?

एक व्यक्ति को अफीम ले जाते हुए पकड़ा गया पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके बिना तथा अन्य लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं। मैंने प्रेस अखबार समाचार में पढ़ा है। उसके पिता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, यद्यपि उसका पुत्र कहता है कि उसके पिता तथा उसके भागीदार बनावटी दवाईया बना रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वह कहीं भाग गया है या उसे किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। वे कहते हैं कि औषध नियंत्रक ने दिल्ली से बाहर की पत्तियों के नाम पंजाब तथा हरियाणा के औषध नियंत्रकों को भेज दिए हैं जैसे कि वे पुलिस का इन्तजार ही कर रहे हों। पुलिस वहां तुरन्त क्यों नहीं गयी?

मैंने डोसन कम्पनी, जिसने घातक ग्लूकोज सप्लाई किया था, के मामले का जिक्र किया है। इसे अभी तक काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है। यह अब भी अस्पतालों क ग्लूकोज सप्लाई कर रही है, उनका कर्तव्य था कि वे शीघ्र वहां जाकर फल जब्त करते तथा उन लोगों को गिरफ्तार करते उनकी मुख्य सप्लाई सरकारी अस्पतालों से होती हैं यहां ये सब बातें हो रही हैं। आज हममें से कई अस्पतालों से दवाईयां नहीं लेते हम बाहर से औषधियां लेना पसन्द करते हैं क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करता कि अस्पताल से सप्लाई की गयी औषधियां असली हैं। मुख्य अपराध अस्पतालों में ही होते हैं। इन घातक गतिविधियों से वे सब अस्पताल सम्बद्ध हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि आपको इस बारे में सच- मुच चिंतित होना चाहिए।

एक महानुभाव श्री ज्ञान को जो उनके अनुसार सूचना देने वाला है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, वह सूचना देने वाला है। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें एक मुख-बीर चाहिए। मुखबिर किस लिए? साक्ष्म लेने के लिए साक्ष्म किस लिए? नकली दवाईयों को रोकने के लिए एक बड़ा तन्त्र होने के बावजूद भी, साक्ष्म लेने के लिए उन्हें मुखबिर चाहिए। इसके लिए उन्हें मुखबिर क्यों चाहिए? क्योंकि साक्ष्म के बिना दोषियो को सजा नहीं दी जा सकती। जब आपने वहां पड़ी टनों औषधियों को जब्त किया तो क्या वह पर्याप्त साक्ष्य नही है?

अतः मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने मामले वायर किए गए हैं। उनके क्या

परिणाम निकले ? किन पार्टियों को ये औषधियां सप्लाई की गयी ? कानपुर तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को ग्लूकोज की मामलों में क्या कार्यवाही की गयी ? मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की मार्गदर्शी सम्बन्धी सिफारिशों को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

कानून के संशोधन की स्थिति क्या है ? ये सब बातें स्पष्ट की जानी चाहिए। विद्यमान कानून में यदि आप सख्त इसे सख्त सजा भी रखें, चाहे आप मृत्युदंड की व्यवस्था कर दें; उससे समस्या का कोई भी समाधान नहीं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। कठिनाई यह है जब तक···

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों से लेकर कानपुर तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ग्लूकोज दुर्घटना तक के अनेक प्रश्न उठाये है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों की मुख्य बातों तथा जून 1981 में हुई इसकी बैठक के बारे में सूचना देना चाहता हूं: ये है :

1. राज्य को परिषद की जनवरी तथा अक्तूबर 1978 में हुई बैठकों की सिफारिशों के अनुसार औषध नियन्त्रण संगठन को पुनर्गठित करने तथा मजबूत करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए, अर्थात (क) तकनीकी दृष्टि से योग्य तथा अनुभवी पूर्णकालिक नियन्त्रकों की नियुक्ति करनी चाहिए (ख) आभर्तिक वेतनों पर पर्याप्त संख्या में औषध निरिक्षकों तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए (ग) सभी प्रकार की औषधियो की परीक्षा करने योग्य एक सुसंगठित औषध परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए (घ) एक कानूनी एवं आसूचना विभाग बनना चाहिए जि के पास बनावटी औषधियों के निर्माण तथा विक्रय का पता लगाने के लिए और कानूनी कार्यवाही करने के लिए पूरी व्यवस्था है।

2. उपर्युक्त समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3. जिन राज्यों को खाद्यान्न तथा औषध प्रयोगशालयें स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता मिली है उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि पर्याप्त कर्मचारियों तथा धनराशि उपलब्ध हो जाने पर ये प्रयोगशालायें काम करना शुरू कर दें।

4. राज्य सरकारों को अधिक मात्रा में नकली दवाईयों की बिक्री रोकने की दृष्टि से नये औषध एककों को लाइसेंस देने के लिए सख्त नियन्त्रण रखना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल पर्याप्त सुविधा तथा समर्थन वाले एककों को ही लाइसेंस दिए जायें।

5. राज्यों के विशेषकर अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नकली औषधियों को निर्माण तथा विक्रय के विरुद्ध तेज अभियान लाना चाहिए। इन कार्यो में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाने चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रायल ने राज्य सरकारों को लिखा था तथा केन्द्रीय स्वास्थय पषिद के प्रस्ताव कें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया था। राज्य सकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 8 अक्टूबर, 1974 को केन्द्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही के समबन्ध में प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि महाराष्ट्र,गुजरात तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक को छोड़कर जिन्होंने औषध नियन्त्रण मशीनरी को सुचारु रूप से चलाने के लिए उचित कदम उठाये हैं और औषध परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की हैं शेष राज्यों को भी केन्द्रीय चिकित्सका परिषद की सिफारिशों के अनुसार औषधि नियंत्रणव्यवस्था को सुचारु रूप देने के लिए कार्यवाही करनी है।

मैंने स्वयं भी लिख दिया है और मेरे मंत्रालय ने भी इन शेष व्यय राज्यों को याद दिला दिया है,

माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरा इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर बहुत औचारिक है। मुझे खेद है कि ये मेरे उत्तर का अर्थ नहीं समझ सके जिसे सभा ने अभीं अभी सुना है। ये कानपुर दुर्घटना तथा उस अस्पताल में हुई 20 बच्चों की मृत्यु, जो 1970 तथा 1971 के बीच ग्लूकोज के इन्जेक्शन के कारण हुई के बारे में जानना चाहते थे। औषधि के निर्माता पर मुकदमा दायर किया गयाथा और मामला अभी भी न्यायालय निर्णयाधीन है (व्यवधान) वह अब भी न्यायालय में निर्णयाधीन है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) उसे फांसी लगा दी जानी चाहिये थी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) क्या अपराधी जेल के अन्दर है या बाहर ?

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरा नन्द : यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : हम जाना चाहते हैं कि क्या वह दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर है।

श्री राम बिलास पासवान : आपने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियय के अन्तर्गत क्यों गिरफतार नही किया ? आपकी जिम्मेदारी क्या है (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : इन बच्चों का हत्यारा जेल में है या जेल के बाहर हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री एन० के० शेंभबलकर : मन्त्री जी इतना बता दें कि यह केस फाइल कब किया ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आप क्या कर रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस के हर एक सैक्शन की इस बात में सहमति है कि ऐसे हत्यारों

को पकड़ा जाए। और लटकाया जाए और डटरेन्ट पनिशमेंट दिया जाए। आप तो बहुत एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : इसी कारण हम सभा में एक संसोधन विधेयक ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि डेटरेन्ट एक्शन जो है, वह ऐसा होना चाहिए जो वाकई में डेटरेन्ट हो। एक आदमी कत्ल करता है, तो उसको फांसी लग जाती है चाहे उसने दुश्मनी से उस को मारा हो लेकिन यह जो हजारों मांओं और बच्चों और पता नहीं किस-किस को मारता है और कहां-कहां मारा है, उसको सिर्फ पांच साल की सजा होती है। इसको जरा आप सोचिए और मैं जानता हू कि आप गभीरता से इसमें लगे हुए हैं लेकिन इस पर और सोचिए। यह इनडाइरेक्ट मर्डर है। जो ऐसी दवाईयों को बेचता है और जो उन में डील करता है, वह सब सत्यानाश करता है और इसके बारे में आप सोचिए। बिल की जो बात है, वह तो आएगी लेकिन इस पर आप सोचिए। जहां तक ताल्लुख है कोर्ट को उसमें हम कुछ नहीं कर सकते यह पहले ही अदालत में है।

(व्यवधान)

अध्यक्षमहोदय : वह बात उनके नोटिस में ला दी गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब ठीक है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि कोर्ट में कब पेश किया ?

श्री राम विलास पासवान : महोदय आप पीठासीन हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपकी बात आ गई अब आप बैठिए ···(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : पेश कब किया यह बता दें।

श्री बी० शंकरानन्द : इस मामले में मैं आपकी तथा सभा की चिंता में भागीदार हूं। हम सभा में इस प्रकार के अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं ये लोग समाज के अहित में अपराध कर रहे हैं वे हमदर्दी के पात्र नहीं हैं और मैं सभा के इस विचार से सहमत हूं कि हमें इसे रोकने के लिए कुछ उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए सभा आपके साथ है।

श्री जगदीश टाइटलर : जब तक अधिनियम में संसोधन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आप अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता तो दिया, अब मैं और क्या कहूं।

श्री चन्द्र जीत यादव (आजमगढ़) : मन्त्री महोदय हिचकिचा क्यों रहे हैं ? वे कम से कम यह तो कह सकते हैं कि यह एक अच्छा सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए ।

(व्यवधान)

चन्द्र जीत यादव : महोदय, ऐसे मामलों में उन्हें उसका प्रयोग करना चाहिए । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मिनिस्टर साहब यह बता दें कि पेश कब किया था और चालान कब हुआ । (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : यह तो मिली भगत होती है डाक्टरों की और दूसरे लोगों की ।···(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैंने सदस्यों की बात सुनी है और मैं इस मामले में सभा की भावना से अवगत हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : तब आप क्या करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को इस अतिश्योक्ति पूर्ण टिप्पणी के सम्बन्ध में कि अस्पतालों में और उनके उपचार में किसी को विश्वास नहीं है और यह सभा (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : इसको आप क्यों लेते हैं । आप इस सवाल को लीजिए कि हाउस यह चाहता है कि नेशनल से क्यूरिटी एक्ट में इनको पकड़िए । ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा । बागड़ी जी अंग्रेजी में बोले हैं, फिर भी आप नहीं समझे ।

श्री मनीराम बागड़ी : ये इस बात को पकड़े बैठे हैं कि अस्पताल की क्यों निन्दा की है । आप उस बात को छोड़ दो ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे चर्चा की कार्यवाही चलाने दीजिए । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए । जो उन्होंने उठाया है, उसका भी जवाब दीजिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : इस सभा ने रोगियों की भीड़ और अस्पतालों की वर्तमान अवस्था के विषय में कई बार चर्चा की है । इससे पता चलता है कि लोग हमारे अस्पतालों में विश्वास रखते हैं और वे अस्पतालों में बड़ी संख्या में जाते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : सवाल आपकी दवाइयों का है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ···(व्यवधान)···

श्री बी० शंकरानन्द : हमें नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । वे तो कह रहे हैं । उनको कहने ही नहीं देते । एक

मेम्बर कहता है। ग्लूकोज सम्बन्धी कुछ मामले हुए हैं। अब वे दूसरी बात पर आ गए हैं। उन्होंने भारतीय आयुविज्ञान संस्थान के विषय में कुछ नहीं कहा है। मैंने ग्लूकोज के विषय में विशेष रूप से पूछा है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या कर रहे हैं। वे दवाइयों की बात कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : हमारे अस्पताल के उपचार और डाक्टरों की खींचा तानी करना ठीक नहीं है वे दिन रात काम कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। कृपया ऐसी कोई बात मत कीजिए ताकि उनका मनोबल न गिरे।

अध्यक्ष महोदय : हम दवाओं की बात कर रहे हैं। अब आप सुनिये ना।

श्री बी० शंकरानन्द : अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान के विषय में मेरी सूचना यह है कि 610 बोतलों के ग्लूकोज के उस विशिष्ट समूह में से जो संस्थान को सप्लाई किया गया था, 606 बोतलों का प्रयोग बिना किसी कुप्रभाव के किया गया था। मैं अपनी जानकारी सभा को दे रहा हूं। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं।

श्री चन्द्र जीत यादव : नकारात्मक। क्या उसका कोई लाभदायक·····

श्री बी शंकरानन्द : उसके नमूने ले लिए गए हैं और दिल्ली भेषज नियंत्रण प्राधिकरण इसकी जांच कर रहा है।

श्री राम विलास पासवान : यह जो सारा मामला उठाया गया है, यह अखबार में आया है। डाक्टर इसको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह किसी का बचाव नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : यह मामला दिल्ली भेषज नियंत्रण प्राधिकरण के विचाराधीन है। मुझे उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है जब भी मुझे रिपोर्ट मिलेगी, मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें और देर नहीं करनी चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलोरो (मारमागाओ) : जब आपने यह कहा यह केवल कानून बनाने का प्रश्न नहीं, परन्तु यह कानून को क्रियान्वित करने का प्रश्न है तब आपने वास्तव में सभा का ध्यान समस्या के मूल प्रश्न की ओर दिलाया। यह राजनीतिक इच्छा, प्रशासनिक इच्छा और न्यायिक इच्छा का प्रश्न है :

मेरे माननीय साथी ने माननीय मन्त्री से एक प्रश्न पूछा था मुझे उनकी सद्भावना और उनकी सभी सद्भावनाओं पर विश्वास है उनसे पूछा गया था। कितने मुकदमे दायर किए गए

थे और अभियोग का परिणाम क्या रहा ? सम्भवत: उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे। मैं अभी आंकड़े देता हूं।

वर्तमान उपबन्धों में नकली दवा बनाने वाले को न्यूनतम एक वर्ष का कारावास और अधिकतम दस वर्ष का कारावास की व्यवस्था होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को तीन वर्ष से अधिक के करावास की सजा नहीं दी गई है। वास्तव में प्राय: अपराधी ठहराए गए व्यक्ति को न्यायालय के उठने तक कारावास की सजा दी जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, । जैसा कि आपने उनके लिए ठीक ही कहा था कि वे मौत के व्यापारी होते हैं—कि उन लोगों को यही सम्मान दिया गया है. कि उन्हें न्यायालय उठने तक न्यायालय की शोभा बढ़ाने के लिए रोक लिया जाता है। यह वास्तव में राजनीतिक इच्छक प्रशासनिक इच्छा और न्यायिक इच्छा का प्रश्न है।

मैंने मन्त्री महोदय को बधाई दी है मैं उनको पुन: बधाई देता हूं, क्योंकि अभी दिसम्बर, 1981 में मन्त्री जी ने सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा था, जो इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के पांच महत्व पूर्ण निर्णयों पर बल दिया गया था। इसे सभा-पटल पर रखे ज न की मांग के पीछे बात यह है :

(1) पर्याप्त संख्या में भेषज निरीक्षकों की नियुक्ति ;

(2) दवाओं के नमूनों की जांच करने के लिए सुव्यवस्थित विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं की स्थापना ;

(3) नकली दवाओं का पता लगाने के लिए एक आसूचना और विधि स्कंध की स्थापना और उपभोक्ता समूह, चिकित्सीय पेशे, विधि, पेशे और जनता के सदस्यों के साथ गहरा सम्पर्क बनाये रखा जाना।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 1981 के इस पत्र के बाद, राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा उठाए गए कदम क्या थे। क्योंकि जो कुछ उन्होंने उल्लेख किया था था वह इस पत्र से पहले का था। अब इस पत्र के बाद क्या कार्यवाही की गई है ? इससे पता लगेगा कि प्रशासनिक इच्छा और राजनीतिक इच्छा कितनी है या कितनी नहीं है।

इस सभा में, बार-बार हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उस ढंग की ओर ध्यान दिलाया है जिससे उन्होंने अपने उत्पादों को जो प्राय: घटिया किस्म के और खतरनाक थे, इस देश में धड़ाधड़ भेजा है। हम निरन्तर और कड़ाई से दवाओं के इस साम्राज्यवाद का अन्त करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिना किसी आरक्षण के स्वदेशी भेषज उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। बिना आरक्षण के से मेरा अभिप्राय यह है कि मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि लघु उद्योगों का एक अत्यल्प प्रतिशत है जो वास्तव में कुटीर उद्योग है और जो शाहदरा जैसे कुछ क्षेत्र में एक लाख रुपये के निवेश से चल रही है और

जहां पर खुले आम नकली दवाएं बनाई जा रही हैं जिनसे मौतें हो रही है। प्राय: ये कोई असर नहीं करती है। माननीय मन्त्री के उत्तर से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उन दवाओं की वास्तव में चिन्ता नहीं है जो लोगों को मार देती है। यदि कोई दवा बिलकुल असर नहीं करती है तो स्पष्ट है कि वह भी बराबर ही खतरनाक है क्योंकि एक व्यक्ति जो सरकारी अस्पतालों या के० स० स्वा० से० यो० के अस्पताल से दवा लेता रहता है ये वे संगठन है जो प्राय: इन दवाओं को खरीद करते हैं जो प्रभावहीन होती हैं। कोई भी आदमी इन दवाओं को लेता रहता है, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कहीं पर बढ़िया दवाएं अत्यल्प हैं। जो दवा बेलते हैं। वे कोई लाभ नहीं करती हैं। अस्पतालों में ये दवाएं मिलती हैं वे इसे बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और भारी मात्रा में उपभोग के कारण यह बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी अस्पतालों की नीति औषधि गुण के स्तर का ख्याल किए बिना सबसे कम मूल्य की निविदा स्वीकार करने की है। किस्मको भी इसका मापदंड माना जाना चाहिए क्योंकि सबसे सस्ती दवा लेना ही पर्याप्त नहीं है, सबसे सस्ती दवा को किस्म के न्यूनतम स्तर और प्रभावी प्रयोग के अनुरुप होना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि सरकार निगरानी करे। मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। परन्तु मैं चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों में क्रय समितियों पर नजर रखी जाए। हम सन्देहास्पद प्रतिष्ठा वाली कुछ ऐसी कम्पनियों को जानते है जो अपने उत्पादों को खरीदने और उनकी दवाओं की सिफारिश करने के लिए साड़ियां, रेफ्रीजरेटर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटते हैं और सभी प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं। क्या सरकार इन क्रय समितियों पर नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि दवाएं आपेक्षित स्तर के अनुरूप हों।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार पकड़े गए व्यक्तियों के विषय में और जिनके विरुद्ध इतने मजबूत हैं, क्या कार्यवाही करनी चाहिए और उसे देश की कीमत पर और लोगों की जिन्दगी और स्वतंत्रता को खतरे में डालने की कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी और हमें वास्तव में यह स्पष्ट करेगी कि उसका वायदा क्या है और उसका पालन करने में तथा कुछ निश्चयात्यक और ठोस कार्यवाही करने में उसकी कितनी रुचि है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने उन लोगों के बारे में जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे चलाए गए और उनकी सजा और प्राय: थोड़ी सजा देने के बाद उन्हें छोड़ देने के विषय में तथ्य और आंकड़े दिए। इससे सरकार के द्वारा सभा में एक संशोधन विधेयक लाने के विचार और धारणा को वास्तव में बल मिला है। इसके साथ-साथ मैं सभा के समक्ष लाये जाने वाले विधेयक की प्रमुख बातों का भी उल्लेख करूंगा। विधेयक की प्रमुख बातों में से एक है कि हम अधिनियम में "नकली दवाओं" की परिभाषा जोड़ने जा रहे हैं, जो इस समय अधिनियम में नहीं है। दूसरा संशोधन यह है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य के लिये हानिकारक या प्रभावहीन समझी जाने वाली दवाओं के आयात, निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाने के लिए अधिकार प्राप्त करना चाहती है। यह सब करने की मंशा सरकार की है।

एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमुख बात दंड की योजना है, जिसे युक्ति युक्त आधार पर संशोधित किया जा रहा है। गम्भीर अपराध करने वालों के लिए न्यूनतम और अधिकतम दंड की जा रही है कम से कम दंड तीन वर्ष कारावास और अधिकतम पांच वर्ष कारावास की व्यवस्था की गई।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : परन्तु हम संसद ससस्यों द्वारा व्यक्ति किए गए विचारों से अवगत है और उन पर विधेयक पर चर्चा करते समय विचार किया जाएगा।

श्री मनीराम बागड़ी : बिस्मिल्ला ही गलत है इनकी।

श्री राम विलास पासवान : नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्तर्गत आप उनको सजा क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ बन्दोबस्त तो होना चाहिए। आप सभा की राय लें और तदनुसार कार्यवाही करें।

श्री बी० शंकरानन्द : सभा ही विधेयक को पारित करेगी, सरकार नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा की यही सिफारिश है किसी अपवाद को छोड़कर बताइए क्या कोई माननीय सदस्य इस पर आपत्ति कर रहा है ? पूरी सभा चाहती है आप कड़ाई से काम लें।

श्री बी० शंकरानन्द : हम एक निवारक दंड की व्यवस्था करना चाहते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, आपकी बात सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए।

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी (सीतापुर) : नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अभी तक विरोधी दल मानते नहीं थे। आज इसको मान रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कहां लेकर चल पड़ी हैं।

श्री बी० शकरानन्द : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार के रवैये का सभा के सभी वर्गों ने समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : इससे आपके हाथ मजबूत होने हैं।

श्री बी० शकरानन्द : एक अन्य प्रमुख बात यह है कि अधिनियम में कतिपय दण्डनीय अपराधों के लिए संक्षिप्त मुकदमों चलाने पर तीन वर्ष से अधिक सजा देने का उपबन्ध किया जा रहा है। हम अधिनियम में संक्षिप्त मुकदमें के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। संशोधन कारी विधेयक की ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसे मैं सभा में प्रस्तुत करूंगा।

एक अन्य बात जो माननीय सदस्य ने पूछी थी वह कानपुर केस के बारे में थी। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। अतः इस पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। उन्होंने इस मामले को कब न्यायालय में कब दायर किया था ? कम से कम यह तो हमें पता लगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : जहां तक कानपुर मामले का सम्बन्ध है आपने चालान न्यायालय में दायर किया था ?

श्री बी० शंकरानन्द मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय जैसा कि आपने कहा है हमें कभी भी कृत्रिम दवाईयों के निर्माण तथा बिक्री जैसे जघन्य अपराध की अत्यन्त कड़ी भर्त्सना करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं मिलेंगे । आपने ठीक ही कहा है कि हत्यारे स्वतन्त्र हैं और उनके प्रति कोई दया नहीं दिखायी जानी चाहिये ।

कोई भी प्रश्न पूछने से पहले मुझे यह भी कहना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इस घोटाले को खोज निकालने के लिये बहुत अधिक श्रेय के काबिल है । यह घोटाला वर्तमान समय का सबसे बड़ा घोटाला है । परन्तु वहां पर मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जो उत्तर आज स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है उससे स्वास्थ्य मन्त्री को कोई श्रेय नहीं मिलता । इससे गृह मन्त्री जेल सिंह को बहुत अधिक श्रेय मिल सकता है । परन्तु जहां तक स्वास्थ्य मन्त्री का सम्बन्ध है यह ऐसा है कि आदमी शर्म से गर्दन झुका लेता है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि दिल्ली पुलिस बहुत ही सक्रिय थी । परन्तु यह औषधि नियन्त्रण प्रशासन क्या कर रहा था ?

मैंने इस व्यक्तव्य को ध्यान पुर्वक पढ़ा है कि दिल्ली में यह औषधि नियन्त्रण प्रशासन क्या कर रहा है मुझे केवल उनकी दो बातें ऐसी मिली हैं जिनके लिए उनको श्रेय दिया जा सकता है । इस व्यक्तव्य के पृष्ठ तीन पर हमें बताया गया है कि :—

> "जहां तक दिल्ली औषध नियन्त्रण संगठन का सम्बन्ध है वे पुलिस द्वारा जो औषधियां पकड़ी गयी है उनकी जांच के लिए उनके नमूने एकत्र करने के लिए कदम उठा रहे हैं ।"

यह एक कार्य है, एक महान कार्य जो कि इस औषधि नियन्त्रण तन्त्र के खुफिया विभाग ने किया है ।

दूसरा जो बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, जिसकी प्रशंसा में मैं उनके समुख नतमस्तमक हूं वह यह है कि इन औषधि नियन्त्रकों ने उन फर्मों के नाम दिल्ली से बाहर अर्थात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तथा पंजाब के औषधि नियन्त्रकों को सूचित कर दिये हैं । इससे इस औषधि नियन्त्रक प्रशासन जो कि दिल्ली में ही है, निराशाजनक कार्यों का पता चलता है ।

वर्तमान मामले में औषधि नियन्त्रण प्रशासन के खुफिया विभाग ने कार्य नहीं किया । हमें बताया गया है कि औषधि नियन्त्रण संगठन में दिल्ली प्रशासन की एक खुफिया शैल है जो बनावटी औषधियों का पता लगाने तथा इसकी बिक्री की समस्या को सुलझाने के लिए है ।

परन्तु यह कारखाना जो अब पकड़ा गया है बड़े लम्बे समय से चल रहा होगा ।

श्री बी० शंकमानन्द : आपको कैसे मालूम है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : इसने बड़े पैमाने के क्रिया कलापों को देखिये । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा यह रुख अपनाया जा रहा है । खोजे गये इस घोटाले के वृद्ध आकार को देखिए । उन्होंने स्वयं ही कहा है कि 10 लाख गोलियां पायी गई है, 2 लाख भरे हुए केपसूल तथा 50 हजार से ज्यादा खाली केपसूल, कच्चा, रबड की मोटरें तथा मशीनें और बहुत से विभिन्न प्रकार के लेबल आदि पकड़े गये हैं ।

खुफिया विभाग इतने समय से क्या करता रहा ?

अब किसी न किसी तरीके से किसी मुखबीर के माध्यम से, दिल्ली पुलिस को सूचना मिली । यह पहले ही बताया जा चुका कि उन्होंने इस सूचना के आधार पर कार्यवाही की है । मुश्किल से एक या एक से ज्यादा गिरफ्तारी की गयी होगी । यह कारखाना चल कैसे रहा था ? उनको बिजली कौन दे रहा था ? इस सारे समय क्या होता रहा ? खुफिया विभाग क्या कर रहा था ?

माननीय सदस्य श्री एन० के० शेज वलकर ने पहले ही यह प्रश्न पूछा था । परन्तु इसका उत्तर टाल दिया गया ।

मैं सरकार से पूछता हूं कि वह सदन को यह बतायें कि खुफिया विभाग सैल ने पुलिस की सहायता से कितने छापे मारे ? खुफिया सैल के कार्य के परिणाम स्वरुप वर्ष 1-80 तथा 1981 में कितने छापे मारे गये, कितने मुकदमे चलाये गये ? कितने क्षेत्रों को सिद्ध किया गया ? जिन मामलों में दोष सिद्ध किये जा चुके हैं उनका प्रतिशत क्या है ?

अभी अभी माननीय मन्त्री ने कहा है कि अदालत के द्वारा इन अपराधियों या हत्यारों को दिया जाने वाला साधारण दण्ड राज्य सरकारों के कार्यों में बाधक होता है ।

परन्तु, जैसा कि हमें मालूम है, अदालत को जैसा मामला उसके सामने पेश किया गया होता है उसी के अनुसार चलना होता है । यह अधिकतर अभियोजन की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है । यदि अभियोजन में मामले के सम्बन्ध में हरेक बात को गम्भीरता से प्रस्तुत नहीं किया जाता तो अदालत अपने आप इस पर विचार नहीं कर सकती । न्यायालय तो साक्ष्यों के अनुसार, मामले की गम्भीरता के अनुसार आंकड़ों तथा अदालत में मुकदमा चलाये जाने के तरीके के अनुसार चलता है ।

अत: मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यदि अदालत द्वारा कठोर दण्ड नहीं दिये जा रहे तो क्या सरकार द्वारा ऐसा मुकदमा चलाये जाने के तरीके की पुनरीक्षा की गयी है ? मुकदमे लम्बे समय तक चलते रहते है और बीच के समय तक चलते रहते हैं और बीच के समय के कारखाने चलते रहते हैं तथा कृत्रिम दवाईयों का उत्पादन चलता रहता है । आज कभी हमें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया कि जिस कारखाने को पकड़ा गया है उसका क्या हुआ । मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि कितने मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया । यह अधिनियम केवल बनातवाला तथा अन्यों के लिए ही बनाया गया । मुझे मालूम है कि यह केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं । इस अधिनियम

का बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार को इन हत्यारों से, जो कि जैसा कि हमने कहा है अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, एक उचित ढंग से निबटने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

बहुत से राज्यों में औषधि नियन्त्रण प्रशासन में यह गुप्तचर सैल नहीं है। माननीय मन्त्री को इस सभा के माध्यम में पूरे देश को यह बताना चाहिए कि वे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें गुप्त चर सैल नहीं है और उन राज्यो में गुप्तचर सैलों की स्थापना करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्य श्री फेलीरो ने इस बात की ओर ठीक ही ध्यान दिलाया है कि यह राजनैतिक इच्छा तथा अधिनियम को लागू करने का प्रश्न है। औषधि नियन्त्रण मशीनरी को तुरन्त सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता है। निरीक्षक प्रावधान है। ये निरीक्षक की फार्मा योग्यता प्राप्त होने चाहिये। औषधि नियन्त्रक के लिए क्या अर्हतायें निश्चित गयी है? उत्तर प्रदेश ने औषधि नियन्त्रक एक भा० पु० सेवा का अधिकारी होता है। मध्य प्रदेश मे औषधि नियन्त्रक एक भा० पु० से० अधिकारी होता है। जब दवाईयो से अनभिज्ञ तथा दवाई बनाने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ व्यक्ति प्रशासन का कर्णधार हो तो कृत्रिम दवाईयों के निर्माण तथा बिक्री के व्यापार के फूलने फलने के अलावा और क्या हो सकता है?

औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यों की परीक्षण प्रयोगशालायें होती हैं और फिर सन्दर्भ प्रयोगशालाय होती हैं। हमारे यहां दो प्रकार की प्रयोगशालायें हैं :— राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालायें तथा सन्दर्भ प्रयोगशालायें जो ऐसी संस्थायें होती हैं जिसके सम्मुख अपील की जा सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब ये प्रयोगशालायें किसी औषधि विशेष के ननूने का परीक्षण करते हैं तो इनके निष्कर्षों में बहुत अधिक अन्तर होता है। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का केन्द्रीय सन्दर्भ प्रयोगशालाओ के निष्कर्षों में बहुत अधिक अन्तर होता है। लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक अन्तर होता है।

इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है? बहुत सी कमियां हैं जिनका फायदा ये मुफ्त हत्यारे तथा कृत्रिम दवाइयों के निर्माता उठा रहे हैं। सरकार ने इस विशेष बात पर क्या गम्भीर ध्यान दिया है?

हमें बताया गया है और हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है—यह मेरा आरोप है कि अधिकारी इन कृत्रिम औषधियों की बिक्री को सहारा देने वाला रुख अपनाते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मामले में यह पहले ही कहा जा चुका है, एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि तीनबार ऐसा हुआ है कि जो ग्लूकोज मरीजों को दिया जा रहा था उसमें फफूद पायी गयी और बार-बार इस बात का पता चला कि यह एक ही फर्म डोसन द्वारा दिया जा रहा है जिनका नाम दिया गया है। इस फर्म को संरक्षण देने वाला रुख क्यों अपनाया जा रहा है? यह सत्य है या नहीं कि बहुत से अस्पताल अपने लिए ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं? यह सत्य है या नहीं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ग्लूकोज बनाने की पर्याप्त सुविधायें हैं। फिर क्या यह सत्य है कि नहीं है कि यह संस्था जान बूझकर इस फर्म विशेष को संरक्षण देने के लिए अपना ग्लूकोज नहीं बना

रही ? उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ फर्मों से कृत्रिम तथा घटिया किस्म की दवाइयां खरीद रही है । क्या मुझे 'ग्रोवर्स' के मामले का उल्लेख करने की आवश्यकता है ? क्या सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी तथा इन विशेष बातों पर अपना मस्तिष्क लगायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब खत्म कीजिए ।

श्री जी एम० बनातवाला : महोदय आपकी इच्छानुसार अब मैं समाप्त कर दूंगा । मामला ऐसा है कि मैंने जो विभिन्न मुद्दे उठाए हैं उन पर गम्भीर रुप से विचार किये जाने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देगी तथा देश के स्वास्थ्य तथा शान्ति के लिए गुप्तचर सैल के आलस्य को समाप्त करेगी ।

धन्यवाद ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) ; क्या वह दोबारा इतना लम्बा भाषण देंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने कृत्रिम दवाइयों का ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क तथा आकारों का, अपने सिर पर रखी हुई टोपी का भी, संदर्भ दिया है । यदि उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ी गई दवाइयों के नमूने लेने की प्रक्रिया की जानकारी होती तो शायद वे इतनी अन्याय पूर्ण टिप्पणी न करते । मैं तो उनकी टिप्पणियों की उपेक्षा करता हूं क्योंकि उन्हें वास्तविकता की जानकारी नहीं है ।

इस मामले में पुलिस ने परिसर की सामग्री जब्त कर ली है । वहां कुछ नहीं बचा औषध नियन्त्रक को छोड़कर—और यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं का नमूना लेना चाहता है, तो उसे न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है ; अन्यथा नमूना नहीं लिया जा सकता । यह माननीय सदस्य की जानकारी के लिए है इसीलिए मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य के पास केवल टोपी है, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है..... (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : जो प्रश्न मैं उठा रहा था वह यह है कि जो कार्य खुफिया विभाग को करना चाहिए था, वह दिल्ली पुलिस ने किया । मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय में जिनके पास एक टोपी तक नहीं है, मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों को समझने की कोई शक्ति नहीं है ।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण उद्धृत करुंगा । जब एक मामले पर न्यायालय में तर्क-वितर्क हो रहा था, तब वह वकील, जो मुकद्दमा चला रहा था या बचाव कर रहा था, जो भी स्थिति हो चिल्ला रहा था, मेज थपथपा रहा था तथा अपने तर्क देते हुए जमीन पर पैर मार रहा था तथा जब दूसरी ओर का वकील उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसने बिना कोई शोर मचाए मेज पर हाथ मारना, जमीन पर पैर मारना, तथा अपने हाथ बजाना शुरू कर दिया । न्यायाधीश ने पूछा," आप क्या कर रहे हैं ?.....(व्यवधान) महोदय, उन्होंने मुझ पर बहुत अनुचित आरोप लगाया और इसीलिए मैं यह कहने का अधिकारी हूं । जब उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य

मन्त्री को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए, तो मुझे इस तरह से जबाब देना पड़ा। वकील ने यह कहा था कि यह मेरे उत्तर का पहला भाग है। अब मैं अपने मामले पर बहस करुंगा।' तथा तब उसने अपने मामले पर बहस शुरु की। ..... (व्यवधान)। माननीय सदस्य को बोलने से पहले तथ्यों की सही जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किन-किन राज्यों की औषध संस्थाओं में गुप्त-चर-चक्षु विधिक कक्ष है। महोदय वे राज्य हैं गुजरात, केरल, जिनसे माननीय सदस्य अत्यधिक सम्बन्धित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली।

निश्चय ही इन राज्यों की अपनी संस्थाएं पूर्ण रूप से सज्जित नहीं है। वे राज्य जो कि पूर्णत: सज्जित तथा जहां कार्य सुचारु रूप से चल रही है वे हैं—गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु। (व्यवधान) जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ ऐसे राज्य है जहां अपेक्षित योग्यता प्राप्त औषध नियंत्रक नहीं है। मैं उन राज्यों को पहले ही लिख चुका हूँ कि वे पूर्णत: योग्यता प्राप्त औषध नियत्रक रखे। में यह सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं।

अब, महोदय, माननीय सदस्य ने ब्यौरा पूछा है उन सभी राज्यों को, जहां अपेक्षित योग्यता प्राप्त औषध नियंत्रक नहीं है, यह लिख दिया है कि वे अपेक्षित योग्यता प्राप्त औषध नियंत्रक रखे (व्यवधान) मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं पहले ही मुख्य मन्त्रियों से कह चुका हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) मैं गुजरात के अपने सहयोगी को बता दूं कि गुजरात में जांच करने की सुविधा है तथा वहां विधिक एवं गुप्तचर कक्ष भी हैं। (व्यवधान) महोदय, संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा संरक्षण दिये जाने के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत अनुचित टीका टिप्पणी की थी। मैं आपको बता दूं कि जहां तक अखिल भारतीय आयु-विज्ञान संस्थान का सम्बन्ध है, यदि इस बात में कोई सच्चाई है तो, मैं निश्चय ही उन व्यक्तियों के विरुद्ध कदम उठाऊंगा तथा कार्यवाही करुंगा जो कि इसके लिए उत्तरदायी पाये जायेंगे.

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

अभी-अभी माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कहा है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) उसी एक व्यक्ति से तीन बार ग्लूकोज खरीदा गया।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि औषधियों की कमी हो जाती है तो वे नियमों के अनुसार खरीदी जाती हैं (व्यवधान) माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि इकट्ठी बड़ी मात्रा में औषधियां डी० जी० एस० एण्ड० डी के माध्यम से रसायन मन्त्रालय द्वारा खरीदी जाती हैं। मैं उन्हें नहीं बनाता। जहां कहीं भी इसकी कमी होती है, यदि उन्हें आवश्यकता होती है तो अस्पतालों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जब कभी इन औषधियों की आवश्यकता होती है, अस्पताल समितियां ही इन औषधियों को खरीदती हैं।

सभापति महोदय—अब नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार होगा। श्री भीखाभाई।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में खनिजों की खोज के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता

श्री भीखा भाई (बांसबाड़ा) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसमें भी कुछ एक इलाके जो इसके दक्षिण में गुजरात के साथ है, विशेषकर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले और भी अधिक पिछड़े हुए हैं। ये प्रदेश मुख्यतः जन-जाति के लोगों के हैं। हमारी सरकार की यह नीति रही है कि पिछड़े हुए प्रदेशों का विशेष रूप से विकास किया जाए। इसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है यदि ये प्रदेश विशेषकर गरीब, जनजाति, पिछड़े हुए लोगों के हों। अभी हाल ही में भी भारत सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में इस बात का एलान किया है।

राजस्थान के इन जिलों में विशेषकर डूंगरपुर के इलाकों में कई खनिज भरे पड़े हैं। अभी तक इन खनिज पदार्थों का पूरा न तो सरकार को पता चला है और न ही इस प्रदेश के कोई प्रभावित सर्वे हुआ है। अतः मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि इन इलाकों को खनिज की खोज करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरु करना चाहिए। प्रदेश की सरकार भी इस ओर कार्य कर रही है। पर यह यथेष्ठ नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास न तो पूरी धन की व्यवस्था है और न ही अन्य आवश्यक साधन। इस दिशा में अगर आवश्यक समझा जाए तो विदेशी सहयोग भी लिया जा सकता है एक बार खनिजों का सर्वे होने के बाद उनका वहीं पर कारखानों द्वारा उपयोग यहां के मूलनिवासियों की कायापलट कर देगा। यही नहीं इन खनिजों में बहुत से खनिज तो ऐसे भी हैं जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी।

अतः मेरा स्टील एवं माइंस मन्त्री जी से विशेष अनुरोध है कि वे इस दिशा में शीघ्र कार्यक्रम शुरु करें एवं सदन को एक वक्तव्य दें। (इति)

(दो) उत्तर प्रदेश के खेरी लखीमपुर क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास के लिए बैंकों आदि से वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी : सभापति जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके विशेष कर मेरे संसद क्षेत्र खीरी-लखीमपुर के इलाके वैसे ही पिछड़े हुए हैं, उस पर पिछड़े कुछ वर्षों से सूखा एवं अभी हाल ही में पड़ी ओला-वृद्धि ने तो गरीब किसानों की कमर तोड़ दी है। इस बारे राज्य सरकार के द्वारा की जा रही सहायता काफी नहीं होगी क्योंकि उसके पास सीमित साधन हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार अपने विशेष कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत

कुछ विशेष उपाय नही करती है इस इलाके के लोगों का निर्वाह बड़ा मुश्किल होता जा रहा हैं।

यहां कुछ एक छोटे-मोटे उद्योग धन्धे भी और पनप सकते है । इसमें विशेष योगदान राष्ट्रीयकृत बैंकों का हो सकता है। क्योकि कच्चा माल उपलब्ध होते हुए भी लोग धन के अभाव में अपने छोटे मोटे धंधे स्थापित करने में असमर्थ हैं। इस लिये मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि यहां की जनता की कठिनाइयों का ध्यान में रखते हुए बैंकों से उनको ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक मात्रा में लोगों को छोटे-मोटे धंधों विशेष धन की व्यवस्था कराये।

इस प्रदेश में गन्ने की मुख्य खेती होती है और सरकार सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में चीनी-मिलों को लगा सकती है। इस ओर विशेष धन वित्त निगमों से प्राप्त हो सकता है। सरकार को इन निगमों से विशे आग्रह करना चाहिये कि वे इन क्षेत्रों में धन-साधन उपलब्ध कराने से न कतरायें। ऐसा इस प्रदेश की जनता के विकास के लिये नितान्त आवश्यक है।

(तीन) राजस्थान नहर परियोजना के लिए सीमेंट और कोयले की आपूर्ति

श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के लिए कोयला और सीमेन्ट की लगातार चार वर्षों से पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने के कारण प्रति वर्ष स्वीकृत राशि व्यय नहीं की जा रही है। जिसके कारण राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और नहर के निर्माण में विलम्ब होता जा रहा है। जिससे नहर के निर्माण में बढ़ती हुई मंहगाई के कारण अधिक व्यय होता है और रेगिस्तान का क्षेत्र सिंचित होने से वंचित रहता है। सन 1981-82 में परियोजना के तहत 52 किलोमीटर लाइनिंग कार्य का प्रस्ताव था, किन्तु कोयले और सीमेन्ट की कमी के चलते जववरी, 1982 तक मात्र 9.68 कि० मी० में ही लाइनिंग कार्य हो पाया है है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित लक्ष्य को संशोधित कर इस वर्ष 30 किलोमीटर में ही लाइनिंग का कार्य कराने का निश्चय किया गया है। जो लक्ष्य भी सीमेन्ट व कोयले की कमी के कारण प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

परियोजना को वर्ष सन् 1981-82 में 79 हजार मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता थी जब कि जनवरी, 1982 तक मात्र 38 हजार 452 मीट्रिक टन कोयला ही सुलभ हो सका। इसी प्रकार वर्ष सन् 1981-82 में सीमेन्ट की कुल 80 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकावले मार्च, 1982 तक 31 हजार 445 मीट्रिक टन सीमेन्ट मिल पाई। कोयले व सीमेन्ट की कमी के कारण नहर की प्रगति धीमी होने के बारे में केन्द्र सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है परन्तु केन्द्र सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहीं है।

अत: केन्द्र सरकार का इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसकी मांग है कि प्रतिवर्ष पर्याप्त आवश्यक मात्रा में कोयला व सीमेन्ट की व्यवस्था की जावे ताकि लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति हो सके और राजस्थान नहर परियोजना का कार्य छठी पचवर्षीय योजना काल में सम्पूर्ण किया जा सके।

(चार) दक्षिण पूर्व रेल के पंसकुरा हल्दिया खण्ड पर रेल सुविधाओं में सुधार करने की मांग

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : दक्षिण पूर्वी रेलवे के पंसकुरा हल्दिया खंड के आसपास रहने वाले लोगों के लिये पर्याप्त रेलवे सुविधायें नहीं हैं तथा वे इस लाइन की रेलवे प्रणाली में शीघ्र सुधार की मांग कर रहे हैं ।

लोगों ने रेलवे लाइन बनाने के लिए अपनी भूमि दी तथा लाइन बनाई भी गई । लेकिन उस स्थान के लोग रेलवे लाइन का पूरा उपयोग करने से वंचित हैं ।

किसी रेलवे लाइन विशेष की आर्थिक व्यवहार्यता का हिसाब भाड़े और किराए दोनों दृष्टियों से लगाया जाना चाहिए । रेलवे प्राधिकरण इस लाइन से बहुत अधिक राशि अर्जित कर रहा है तथा जब यात्रियों की सुख सुविधाओं का प्रश्न उठाया जाता हैं तो उत्तर मिलता है कि यात्री यातायात के सम्बन्ध में यह लाइन आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है । लेकिन यात्री उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं । जबकि वहां पर्याप्त गाड़ियों की आवश्यकता हैं, स्टेशनों के बनाने तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता है ?

स्टेशन दूर स्थानों पर बने हुए हैं जहां कि सड़क की व्यवस्था भी नहीं है । मिदनापुर जिला परिषद तथा हल्दिया विकास प्राधिकरण ने स्टेशनों के साथ जोड़ने तथा निकटतम बस मार्ग को जोड़ने के लिए सड़के बनाने के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए हैं । हल्दिया विकास प्राधिकरण तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने उक्त लाइन पर यात्री यातायात तथा यात्रियों की सुख-सुविधाओं में सुधार करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को बहुत से सुझाव दिए है । लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है । हल्दिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां उद्योगों का विकास हो रहा है । अत: वहां यात्रियों को रोज काम पर ले जाने तथा वापसि उनके घर छोड़ने के लिए पर्याप्त और नियमित रेल व्यवस्वा होनी चाहिए । लेकिन वहां ऐसी कोई प्रणाली नहीं तथा लोगों को अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए हर रोज बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसकुरा हल्दिया खंड के विकास के लिए शीघ्र हर संभव उपाय करे ।

मैं यह मांग भी करता हूं कि वहां यात्रियों के लाभ के लिए तथा हल्दिया के औद्योगिक विकास के लिए शीघ्र ही निम्नलिखित कदम उठाए जाएं —

(1) सुटाहटा तथा केलोमल स्टेशनों को जो बहुत पहले बनाये गये थे शीघ्र चालू किया जाए ।

(2) दुर्गाचक (तामलुक हल्दिया बस लाइन के निकट) महिषादल (गियोनखली बस लाइन के निकट) तथा तामलुक मनिकतला (पंसकुरा बस लाइन के निकट) फ्लैग स्टेशनों को एक के बाद शीघ्र ही चालू किया जाए ।

(3) इस खण्ड में शीघ्र ही दो नई गाड़ियां चल ई जाए। जो कि सुबह हावड़ा के लिये आरम्भ हो तथा शाम हल्दिया वापिस पहुंचे।

(4) शीघ्र ही दूसरी रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिए।

(5) इस खड को उपनगरीय क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

(6) तामलुक स्टेशन से पान के पत्तों की टोकरियों की बुकिंग आरम्भ की जानी चाहिए।

(पांच) पिलानी राजस्थान में शहीद भगत सिंह की मूर्ति के कथित विकृत किए जाने की जांच कराने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत शहीद-ए आजम भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है, उसको अपमानित किया, स्वतन्त्रता भारत में उसको खंडित किया, उसके बारे में दुःख के साथ अपना बयान पढ़ रहा हूं।

शहीद-ए आजम की प्रतिमा पिलानी जिला चुरु के चौराहे पर लगी हुई थी, 24.282 की रात्रि में उनका हाथ खंडित किया गया, कान खंडित किया गया, पैर खंडित किया गया और गले में फांसी डालकर घसीटा गया, जिससे स्वाभाविक था कि आम जनता में रोष होता। पिलानी की जनता ने इसके लिए संघर्ष समिति बनाई और पर्चा दर्ज करवा कर शहीद भगत सिंह स्मारक समिति पिलानी ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ऐसे असामाजिक तत्व जो देश में पूंजीवाद का सहारा लेकर राष्ट्र के सबसे बड़े शहीद का अपमान करके राष्ट्रीयता का अपमान किया, को सजा दिलवाने की मांग की परन्तु इस साजिश में जो शहीद ए-आजम भगत सिंह की मूर्ति वहां से उठाकर भारत के किसी बड़े उद्योगपति का बुत लगाना चाहते हैं। के असर के नीचे आकर जांच नहीं की और की तो गलत की, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला।

मैं सदन के माध्यम से गृह मन्त्री जी से चाहूंगा कि तुरन्त सी० बी० आई० द्वारा जांच करवायें मुजरिमों को गिरफ्तार करें और प्रतिमा को खंडित करने वालों को और इस साजिश में शामिल लोगों को सख्त सजा दें और प्रतिमा को उस वक्त तक ढांक दिया जाये जब तक कि नयी प्रतिमा शहीद-ए आजम भगत सिंह की लगाई नहीं जाती।

अंग्रेजों ने शहीद-ए- आजम को सजा शहादत के रूप में दी जो देश की आजादी की कीमत थी। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग भी है जो प्रतिमा का अपमान करके भारत मां का अपमान करते है।

समूचा सदन अपना रोष और खेद इस अमानवीय घटना पर प्रकट करता है, ऐसा मैं मानता हूं।

यह उसकी तस्वीर है जो प्रतिमा को अपमानित किया गया हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि श्री भीष्म नारायण सिंह और सारे सदन को इस

पर अपना रोष प्रकट करना चाहिए। शहीद भगत सिंह की कोई मामूली बात नहीं है। शहीदे आजम भगत सिंह का अपमान समूचे राष्ट्र का अपमान है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्रीभीष्म नारायण सिंह) : इसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। मैं गृह मंत्री जी के ध्यान में इसको लाऊंगा।

(छः) मद्रास में माल और यात्रियों की बुकिंग करने के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा चालू की गई गैर-सरकारी एजेंसी प्रथा को समाप्त किये जाने की आवश्यकता।

श्री डो० एस० ए० शिव प्रकाशन (तिरुनेलवेली) : भारत की जहाजरानी निगम के पास 35 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी है तथा 21.95 करोड़ रुपये की जारी पूंजी है। यह पूर्णतः केन्द्रीय सरकार की संस्था है। यह निगम माल ढोने वाले जहाज तथा यात्री जहाज़ दोनों ही चलाता है। निगम की माल के ढोने तथा माल उतारने तथा यात्रियों की बुकिंग करने के लिए कलकत्ता तथा बम्बई में कोई कमीशन एजेंसी नहीं है। लेकिन मद्रास में इस काम के लिए उनकी एक एजेंसी है। जो राजस्व जहाजरानी निगम को प्राप्त होना चाहिए था वह मद्रास की कमीशन एजेंसी को चला जाता है। जहाजरानी निगम मद्रास से एम० वी० चिदम्बरम यात्री जहाज चलाता है तथा इस जहाज में इस कमीशन एजेंसी की एक नामजद संस्था कैन्टीन चला रही है। वे इस कैन्टीन से बहुत लाभ कमा कर रहे हैं। उन यात्रियों की आरक्षण टिकटों में जो इस कमीशन के माध्यम से सिंगापुर तथा अण्डमान की यात्रा करते है, बहुत-सी कमियां तथा त्रुटियां हैं।

अधिकारियों की यह धारणा गलत है कि मद्रास बन्दरगाह रास्ते में पड़ने वाला बंदरगाह है। यह न केवल गलत है बल्कि यह तमिलनाड का अपमान भी है। उदाहरण के लिए एम० वी० चिदम्बरम मद्रास से सिंगापुर जाता है तथा सिंगापुर से मद्रास वापिस आता है। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि मद्रास बंदरगाह रास्ते में पड़ने वाला बंदरगाह नहीं है। बम्बई और कलकत्ता की भांति यह भी राष्ट्रीय बंदरगाह है।

मेरी मांग है कि सरकार को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए—

मद्रास में किसी निजी गैर-सरकारी व्यक्ति को एजेंसी देने की प्रणाली बन्द क्यों नहीं जाननी चाहिए। चूंकि अन्य बंदरगाहों पर गेर-सरकारी एजेंसी नहीं है।

क्या भारतीय जहाजरानी निगम के लिए यह काम स्वयं करना असम्भव है ?

क्या गैर-सरकारी कमीशन एजेंसी भारतीय जहाजरानी निगम से अधिक सक्षम और प्रतिभाशाली है ?

क्या गैर-सरकारी एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने के लिए जहाजरानी निगम की नौक रशाही कोई हस्तक्षेप कर रही है ?

लोगों के हित के लिए तथा जहाजरानी निगम के हित के लिए भी केन्द्रीय सरकार को

जहाजरानी निगम को मद्रास में इस गैर-सरकारी एजेंसी प्रणाली को शीघ्र समाप्त करने के लिए निर्देश देने चाहिए।

(सात) उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद इटावा, आगरा और मैनपुरी जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य।

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और इटावा जनपद में दिनांक 24-3-1982 को भीषण उपलवृष्टि हुई। करीब ऐतिहासिक एक-एक किलो से अधिक वजन के ओले गिरे।

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : मेरे जिले में तो ढाई किलो वजन का ओला गिरा।

श्री छोटे सिंह यादव : करीब 800 ग्रामों के 15 करोड़ से अधिक रुपये की फसल बर्बाद हुई। सैकड़ों पशु तथा हजारों पक्षी मरे। विशुनगढ़ निवासी मिट्ठूलाल शाक्य को उक्त उपल-वृष्टि देखते ही दिल का दौरा पड़ गया और वे घटनास्थल पर ही मर गये। इतनी भीषण उपलवृष्टि एक शतक में इस क्षेत्र में कभी नहीं हुई थी। फलस्वरूप लोगों के पास खाने-पीने का कुछ शेष नहीं बचा है। तमाम लोग घर छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। लेकिन सबसे खेद एवं आश्चर्य की बात है कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई राहत कार्य नहीं आरम्भ हुआ है। यही स्थिति पड़ोसी जनपद मैनपुरी और आगरा की है।

उक्त इलाके की गरीब एवं भुक्तभोगी किसान एवं गरीब जनता ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करके उनकी लगान, सिंचाई, सहकारिता, राजस्व तथा बिजली के बिलों की माफी तथा उस क्षेत्र में उचित दर की दुकानें खोलने, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत काम शुरू किए जाने, अनुदान का भुगतान चैकों द्वारा वितरण किये जाने, बच्चों की स्कूल फीस आदि की माफी की मांग की है।

अतएव सदन के माध्यम से सरकार से साग्रह निवेदन है कि उक्त क्षेत्रों के गरीब किसानों एवं पीड़ित लोगों की सुविधा एवं राहत कार्य अविलम्ब शुरू करने की व्यवस्था की जाये।

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें

विदेश मंत्रालय

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : अब यह सदन विदेश मंत्रालय के बारे में और आगे बातचीत करेगा।

श्री माधव राव सिंधिया अपना भाषण फिर शुरू करेंगे।

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, कल मैंने यह कहा था कि सारे

संसार की स्थिति कितनी अस्त-व्यस्त चली रही है हम एक ऐसे विश्व में जिसका दृष्टिकोण अस्पष्ट है और जहां राष्ट्रीयता की भूतपूर्व उपनिवेशों में झूठे नेतृत्व की आड़ लेकर भीषण संघर्ष में बन्द कर दिया गया है। जो कुछ मैंने कल कहा था मैं आज उसका कुछ सार बता रहा रहा हूं ताकि मैं अपनी आज की बात से उसे जोड़ सकूं। मैंने यह कहा था कि इस नाजुक अन्तर-र्राष्ट्रीय स्थिति में, सोवियत रूस ने हमारे साथ अपनी मित्रता को कायम रखा हुआ है। लेकिन अमरीकी दृष्टिकोण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, यह न केवल पाकिस्तान को पुन: शस्त्र सप्लाई करने के कारण बल्कि तारापुर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्य अनेकों मामलों मे उनकी कार्यवाई से भी प्रकट होता है। मैंने यह भी बताया था अमरीका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है परन्तु विडम्बना यह है कि विश्व के सबसे बड़े साम्यवादी देश के साथ वह अपने सम्बन्धों को तो बढ़ा रहा है लेकिन दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के साथ सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं कर रहा है और अमरीकी भूमिका का ज्वलंत उदाहरण हम एल सेल्वाडोर, निकारगुआ, ग्वाटेमाला तथा दक्षिण अफ्रीका में देख सकते हैं। मैंने कल यह कहकर समाप्त किया था कि किसी भी देश का कोई देश स्थाई मित्र नहीं है, बल्कि स्थाई चीज उनके अपने-अपने हित हैं। परन्तु स्थाई हितों में भी कम से कम कुछ हद तक अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का ध्यान तो रखा ही जाता है, यदि इसका ध्यान न रखा जाये तो उस देश की विश्वसनीयता में गिरावट आती चली जाती है जैसा कि अमरीका के साथ हो रहा है।

महोदय, अमरीका में भी इस बात के स्पष्ट उदाहरण मिल रहे हैं कि उनकी ही जनता संसार में उनकी कार्यवाही की निन्दा कर रही है। चीन के साथ अमरीका के सम्बन्धों के कारण ताइवान भारी परेशानी में पड़ गया है। वास्तव में एक वरिष्ठ राजनीतिक प्रवक्ता मि० एलेक्जैन्डर बोबिन ने अमरीका-चीन के सम्बन्धों के बारे में यह कहा है जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :—

> "यह ऐसे सम्बन्ध हैं जिनमें आपसी विश्वास जैसी कोई चीज नहीं है या हम यह भी कह सकते हैं कि विश्वास बिल्कुल न के बराबर है। वे अब एक दूसरे को पहले से कहीं ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इतिहास बीते हुए समय या वर्तमान का ही नहीं होता बल्कि भविष्य का भी होता है और जिसे आज हम सफलता समझ रहे हैं कल वह भारी असफलता में भी बदल सकती है।..."

इसके विपरीत, सोवियत रूस और चीन के सोवियत रूस द्वारा सीमा सम्बन्धी कर्त्ता के लिये पहल किये जाने पर अपने विवादों को सुलझाने के प्रयास स्पष्ट नजर आ रहे हैं और आर्थिक सहयोग में चीनी के प्रयास भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे है। खुमैनी के पश्चात् ईरान भी एक ऐसी स्थिति में हो जायेगा। जिसके बारे मे निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता और जिसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते है। क्या व्हाइट हाउस में बैठे हुये विदेश-नीति निर्माता उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नही करा सकते जहां वे शांति, स्थिरता और प्रगति को हमारे प्रयासों में हमारे बीच और अधिक निकट के सम्बन्ध बनाने में सहायक हो सकें। तो वहां की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की नाजुकता अमरीकी पैंतरेबाजी को एकदम उलटा कर सकती है। यदि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ कोई नेता सत्ता में आ जाए क्या वाशिंगटन को

सैनिक तानाशाही के अपने पूर्ववर्ती सम्बन्धों में किसी प्रकार के उलट-फेर की सम्भावना नहीं नजर आती। अमरीका की पाकिस्तान सम्बन्धी नीतियां न केवल इस क्षेत्र के देशों के लिए भीषण खतरा पैदा कर रही है बल्कि स्वय अमरीका के लिए भी खतरनाक होगी और भविष्य में संसार के इस भाग में उसका विश्वास उठ जायेगा। इसलिए यही उचित समय है कि वह अपनी नीतियो के बारे में पुनः विचार करें।

भारत का हित इसी में है कि पाकिस्तान मजबूत और स्थाई रहे। पाकिस्तान की समाप्ति का आशय उस मध्यस्थ राज्य का हटना होगा जो हमारे और संसार के सबसे अशांत क्षेत्र के बीच है। इसका आशय है कि उस अत्यन्त नाजुक क्षेत्रों के साथ हमारी सीमायें मिल जायेंगी जिनमें महाशक्तियों की गहराई तक घूसपैठ है। चाणक्य ने कहा है कि संयुक्त सीमायें सदैव ही कभी न कभी संघर्षों को जन्म देती हैं। इसके बावजूद हम भारत में एक लड़ाई लड़ रहे और वह लड़ाई गरीबी के विरुद्ध है। अपनी प्रधान मत्री के नेतृत्व में हम निश्चय ही इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। हम खेतों में काम करने वाले किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को अच्छा वेतन देने का निश्चय कर चुके हैं। आर्थिक रूप से गिरे हुए और सामाजिक अन्याय से पीड़ित सर्वहारा वर्ग की दशा सुधारने का भी हमने निश्चय कर लिया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष का इस युद्ध पर क्या आर्थिक परिणाम निकलेगा। इस धर्मयुद्ध के परिणाम पर जो हमने निर्धनता एवं आर्थिक कठिनाइयो के विरुद्ध छेड़ा हुआ है क्या प्रभाव पड़ेगा? यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध न केवल हमारे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत की मूल भावना के विरुद्ध है जो गांधी और नेहरू के समय से भारतीय नीति का भूल आधार रहा है बल्कि यह हमारे अपने हितों के विरुद्ध भी है। इस बात को पाकिस्तान के जागरूक नागरिक भली-भांति समझते हैं। क्या हम इस बात को भूल सकते हैं कि हम दोनों मूलतः एक ही उप-महाद्वीप के अंग हैं? क्या हम इस बात को भी भूल सकते हैं कि किन्हीं परिस्थितियों में हमारे परिवार अलग-अलग बंट गये थे? क्या इस बात को भूल सकते हैं कि पाकिस्तान के नागरिक हमारे भाई थे/हैं और हमेशा रहेंगे? और भाई के रूप में हम अपनी-अपनी सार्वभौमिकता का सदा सम्मान करेंगे।

क्या हम इन दो सार्वभौम और महादेशों के लोगों के आपसी सम्बन्धों को भुला सकते हैं? मुझे विश्वास हैं कि इन दोनों देशों के लोगों के बीच जो मैत्री और भाईचारा है, वह हमेशा कायम रहेगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सोची-समझी चाल है कि वे मुट्ठी-भर लोग जो पाकिस्तान के आम लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन भाईचारे और मैत्री की भावनाओं को जान-बूझकर दबाते हैं। यही एक स्पष्टीकरण है जो पाकिस्तानी शासन कट्टर-प्रतिक्रिया रवैये के लिए किया जा सकता हैं। शान्तिपूर्ण सम्बन्ध पाकिस्तानी सैनिक तानाशाही के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा 1951 से ही भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित युद्धवर्जन संधि प्रस्ताव का बार-बार विरोध क्यों किया जाता?

मैं श्री जवाहर लाल नेहरू का जो हमारी विदेश-नीति के सर्वोच्च प्रवर्तक हैं और जिनका प्रभाव आज भी विदेश-नीति पर हैं, उदाहरण देता हूं। उन्होंने 14 अगस्त, 1951 को संसद में कहा था:

'',यदि मैं यह कहूं कि हमारे प्रयास धार्मिकता अथवा शांति वाद पर प्रधारित नहीं हैं। यह प्रयास ठोस तथ्यों पर और तथ्यों को साही तौर पर महसूस करने पर आधारित हैं। चूंकि हम युद्ध से दूर रहना चाहते हैं, हमने पाकिस्तान से युद्ध-धर्म को सभा की येश कश की थी जिसे पाकिस्तान ने पूरी तरह से मंजूर नहीं किया और न ही वह इस पर पूरी तरह से राजी था और अभी कुछ दिन पहले भी यही पेशकश फिर की गयी थी लेकिन इन्होंने इसे नहीं माना।''

1951 से ही हमारे युद्ध वर्जन प्रस्तावों को बार-बार रद्द किया जा रहा है और यहां तक कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति जिया ने कहा था कि यह प्रस्ताव इस रुप में हमारे अनुकूल नही है। इसके बाद कुछ महीने के बाद एकाएक हमें एक युद्ध वर्जन प्रस्ताव मिला, जिससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान ने इस पर पुन: विचार करने के बाद ऐसा किया और साथ ही अमरीका से शस्त्रों की सप्लाई के अपने सौदे कोबारे में दिये वक्तव्यों के बाद एक व्यंग्य केरूप में भी ऐसा प्रस्ताव भेजा है और जब भारत ने इसका अनुकुल उत्तर भेजा तो इस्लामाबाद के वार्ता का दूसरा दोर शुरु होने से ठीक पहले ही पाकिस्कान के प्रतिनिधि ने अन्तर्राष्ट्रीय मानव अर्ध आयोग में एक अत्यन्त मूर्खतापूर्ण बयान किया भगत साहब यहां बैठे हैं जिन्होंने मुर्खता पूर्ण बयान को सुना था भारतीय राजदूत ने शुरू कार्य को आगे बढ़ाकर पीछे हटने की संज्ञा दी है। जब भारत मे इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने अनजान बन गये। यह वह देश है जिसने गांधी और नेहरू जैसे महम पुरुषों के नेतृत्व में अपने लोगों के बलिदान द्वारा उपनिदेशवाद के चगुल से छूटकर स्वतन्त्रता प्राप्त की है। यह वह देश के जितने न केवल अपने देश की हर बात को सारे संसार को स्वतन्त्रता सघर्ष में आग्रणी रहा है। यह वह देश है जहां के नवयुवकों एवं नवयुवतियों में स्वतन्त्रता की वेदी पर हंसते हंसते अपना जीवन न्योछावर कर दिया। भला ऐसे देश का उन देशों से क्या मुकाबला जो फिलीस्तीन और नामिबिया में अन्याय तथा अत्याचार के खेल खेल रहे हैं। जब तक फिलस्तीनीयों को उनकी मातृ भूमि वापस नहीं मिल जाती ओर नामिबिकिया को उनकी स्वतन्त्रता नहीं दे दी जाती तब तक कोई भी स्वतन्त्र देश अपने आप को स्वतन्त्र नहीं समझ सकता, जब तक सारे संसार से इस अन्याय का खत्मा नहीं हो जाता तब तक हमारी स्वतन्त्रता सही अर्थों में पूर्ण स्वतन्त्रता नही कहलायेगी। हमारी सरकार और हमारे देशवासियों की येही भावनायें हैं और इसके बावजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल हमारी तुलना अत्याचारियों से कर रहा है, जबकि सार संसार इस बात को अच्छी तरह जानता है हमने हमेशा ही सताये हुये का साथ दिया है। हम मैत्री भावना को समझते हैं और भारतीयों एवं पाकिस्तानियों के दिलों में है चाहे सैनिक तानाशाहों ने दोनों देशों के लोगों पर दो-दो युद्ध क्यों न थोप लिए हों···(व्यवधान)

जी नहीं प्रो० एम० रंगा सैनिक तानाशाहों ने लोगों पर दो युद्ध थोपे हैं हम पर थोपी गई इन पर लड़ाइयों के बावजूद हमने मित्रता बनाये रखने की कोशिश की है क्योंकि हम इस बात को समझते हैं।

परन्तु पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा पाकिस्तान के लोगों के प्रति हमारी भावनाओं

का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये पाकिस्तान के वर्तमान शासकों को इसे हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। शत्रुता के समान ही खुशामद की नीति से भी आक्रमण बढ़ता है और जितनी ही इसमें सफलता मिलती जाती है उतनी ही वह और अधिक होता जाता है। हमारे दोनों राष्ट्रों के लोगों के लिए सचमुच वह बहुत बुरा दिन होगा जबकि यह विनाशकारी आग इस उपमहाद्वीप में भड़केगी, यदि कुछ सैनिकों को सफलता प्राप्त हो भी जाती है तो भी अन्ततः यह उन्हींलोगों की विजय होगी जो हमारे दोनों महान राष्ट्रों की प्रगति को प्रारम्भ में नष्ट कर देना चाहते हैं।

राष्ट्रपति जिया प्रघटनः तीन विशब्दों में कार्य कर रहे हैं। जब वह सोवियत विस्तारवाद की बात करते हैं और भारत के साथ सौहार्द पूर्ण सम्बन्धों की इच्छा प्रकट करते हैं तो वह अमरीकी आकाओं के उद्देश्यों को पूरा करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सैनिक सहायता मिलती रहे, नई वह कश्मीर के बारे में बात करते हैं और भारतीय आक्रमण का शोर मचाते हैं तो वह पाकिस्तान के लोगों को गुरुराह कहते हैं, और जब वह इस सम्भावना से इन्कार करते हैं कि पाकिस्तान को हम अपनी स्वेच्छा से अमरीकी अड्डे के रुप में इस्तेमाल किये जाने की सुविधा देने से इन्कार कर रहे हैं तो वह भारत के साथ मित्रता दिखाने की चाल चल रहे हैं। आप तीन अलग-अलग दिशाओं में एक साथ किस प्रकार चल सकते हैं और फिर भी अपनी स्थिरता बनाये रख सकते हैं? वह एक ही समय में एक बात कहते हैं और फिर उसका खण्डन भी करते हैं और पुनः दूसरी बात कहने की कोशिश करते हैं।

"युद्ध-वर्जन सधियों का एक अजीब इतिहास है। सन् 1920 के दशक अन्तिम वर्षों में ब्रामंड-के लोग पंधि असफल रही। मोलाटोर तिहै-ट्राप संधि पर इसके हस्ताक्षर किये जाने के दो वर्षों के भीतर ही हिटलर ने भंग कर दी। रूसियों ने 1945 में जापान पर हमला करके मोल मोलतेव तो मत्सु का पैक्ट को तोड़ दिया था, 1954 में भारत और चीन के बीच पचशील समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के कुछ समय बाद से ही चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों के बारे में नुक्ताचीनी करना शुरू कर दिया था। 1950 में चीन रूस के बीच हुए परस्पर सुरक्षा के पैक्ट का भी यही परिणाम हुआ। इतिहास ने लिखा दिया कि, जैसा श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने कल कहा था, "अधिकतर मामले में, किसी भी पैक्ट का समय बिताने के लिए छद्मावरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता।" मुझे आशा है कि इस मामले में भी ऐसा नहीं है। जैसा कि डोरोथी थाम्पसन ने लिखा है "अनाक्रमण सधियों के साथ समस्या यह है कि वे केवल युद्ध से बचने के लिए की जाती हैं न कि शांति कायम रखने के लिए।" दूसरे संदर्भ में, मैत्री संधी अधिक संगत और महत्वपूर्ण है, जिस पर हमारी माननीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समय-समय पर बार-बार जोर दिया है. इसमें रचनात्मक तत्व अधिक है, इसका विस्तार बहुत व्यापक है, इससे सक्रिय सहयोग और स्थायी सद्भाव बनाने का विस्तृत क्षेत्र सामने आएगा और उद्देश्य भारतीय कूट नीति का होना चाहिए। मित्रता दोनों ओर से संभव है। दो देशों की जनता के बीच मित्रता होनी चाहिए और है भी लेकिन यदि पाकिस्तान सरकार के इरादे भारत के प्रति वास्तव में सही हैं तो स्वतन्त्र रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होना चाहिए। दोनों देशो के बीच व्यापार बढ़ना चाहिए ताकि दोनों लाभ उठायें

और अधिक खुली सीमा होनी चाहिए ताकि भाई-भाई मिल सकें। ऐसा हो जाने से स्वत: संदेह का स्थान विश्वास ले लेगा और दोनों प्रभुत्व सम्पन्न देशों के बीच के पारस्परिक संबंध फिर से जुड़ जाएंगे।

उत्तर में हमारे पड़ोसी चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए हमारी प्रधान मन्त्री ने एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह कुछ वर्ष पहले जो पहल की थी उससे अब बातचीत का दौर शुरु हो गया है मैं तो यही कहूंगा कि विश्व के इन दोनों विशाल देशों के परस्पर सहयोग तथा मैत्री से न केवल हम दोनों को लाभ होगा बल्कि अन्य अर्ध विकसित और विकासशील देशो को भी लाभ होगा।

नेपाल और भारत के गहरे सांस्कृतिक और ऐतहासिक सम्बन्ध है, लेकिन दोनों के सम्बन्ध हमेशा कुछ अधिक नाजुक हैं हम अपने पुराने सम्बन्धों का आदर करते हैं और हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। नेपाल हमारे दोस्ती के हाथ को बिना किसी सन्देह के पकड़ लें और और दोनों राष्ट्रों की प्रगाढ़ मैत्री बनी रहे। भारत की प्रोद्योगिक प्रगति से नदियों के पानी को इस्तेमाल करके दोनों देशों को लाभ होगा। दोनों देशों को जो आर्थिक लाभ होंगे उनके बारे में सोचकर कुछ संकोच सा होता है। हमें चाहिए कि उचित वातावरण बनाने के लिए अटूट विश्वास पैदा करने के उपाय करने चाहिए। नदी जल समझोतों और बातचीत को शीघ्र करने के लिए पक्के इरादे से प्रमाण किए जाएं क्यों इनमें विलम्ब से दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। शान्ति क्षेत्र के बारे में मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय विदेश मन्त्री ने कहा है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं उस दिन की कामना करता हूं जब यह गम्भीर विचार ठोस रूप में हमारे सामने आयेगा और हमारे बीच मित्रता की जो सधि है उसका और विस्तार होगा वह और गहरी होगी। प्रतिकूल हित के लोगों ने संदेह का जो जाल बना रखा है उसे कुशल राजनीतिज्ञ की तरह हटाकर दोनों को मिल प्रगति और विकास का नया युग शुरु करना चाहिए और मिल कर आगे बढ़ना चाहिए।

बंगलादेश के सन्दर्भ में हमारे माननीय विदेश मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि यह बंगलादेश का आंतरिक मामला है हम तो यही आशा कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं जो विकासशील देशों में अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बगलादेश के मामलों में तकनीकी दृष्टि से हम स्वयं ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक पर कार्य आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन हम मिलकर विकास करने में विश्वास रखते हैं और इसलिए हम बंगलादेश से इस सम्बन्ध में सहयोग की आशा करते हैं

मैं उत्तर-दक्षिण के सम्बन्धों के बारे में अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे श्री भी चक्रवर्ती ने इस बारे में कहा है और दिसम्बर 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर हुई चर्चा में मैंने नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और उत्तर-दक्षिण -2की वार्ता के बारे मे विस्तार से चर्चा की थी। हमारी प्रधानमन्त्री की पहल पर दक्षिण की जो वार्ता हुई वह उचित दिशा में उठाया गया कदम है। भारत दक्षिणी देशों को तकनीकी सहयोग और ओपेक देश तेल तथा वित्तीय सहायता दे सकते हैं। अफ्रीकी देशों की टेकनालोजी की आवश्यकता है। यह कहना पर्याप्त है कि जब तक

अन्तर-निर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित परस्पर सहयोग की भावना से प्रेरित नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कायम नहीं होती तब तक में जो तनाव विरोध और राजनीतिक झगड़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए खतरा बने हुए हैं उनका स्थायी दल नहीं हो सकता। लेकिन इस सम्बन्ध में दक्षिणी देशों को स्वतः पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप के देशों से भी घनिष्ट आर्थिक सम्बन्ध बनाने चाहिए और ए० एस० ई० ए० एन० देशों से भी आर्थिक संबन्ध बनाने चाहिए। हमारी माननीया प्रधान मन्त्री ने जो हाल ही में इन देशों का दौरा किया। और पहले दौरे किये और अरब देशों के दौरों पर जाने वाली हैं, जिनका हम समर्थन करते आ रहे हैं, उन्होंने यह कदम सही दिशा में उठाये हैं जिससे एक दूसरे की स्थिति को अच्छी तरह समझा जा सकेगा।

विश्व की स्थिति बड़ी तनाव पूर्ण है हम एक चौराहे पर खड़े हुए हैं इस दुनिया में मनुष्य ही ऐसा प्राणि है जो अपना भविष्य बदल सकता है। क्या वह सभी के आर्थिक विकास के लिए शान्ति तथा स्थिरता के वातावरण में कोई कदम उठायेगा या वह लड़खडा कर अपने सम्पूर्ण नाश के बढ़ते हुए गड्ढे में पीछे लुढ़क जाएगा ? यह प्रश्न हमारे सबके सामने है और इस प्रश्न को हम ही हल कर सकते हैं। भारत की स्थिति विशिष्ट है। जैसाकि महान कवि इकबाल ने कहा है, सभ्यताएं और सल्तनतें आई और चली गई लेकिन भारतीय विचारधारा और सभ्यता विद्यमान है और सदा रहेगी।

हमारी विचारधाराएं, हमारे सिद्धान्तों की अमिटछाप हमेशा हमारी विदेशी नीति पर रहनी चाहिए हमारी भारी क्षमताओं की शान्ति की खोज में लगाया जा रहा है। कुछ घातक ताकतें काप कर रही हैं, कुछ विदेशियों के वह वे से जिनका एक मात्र उद्देश्य किसी भी तरह से भारत में आतंक और अस्थिरता बनाना है और राष्ट्रीय एकता की जीती-जागती प्रतीक हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व को कमजोर बना कर देश की प्रगति में बाधा डालना है। लेकिन इन ताकतों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में हम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए दृढ़ सकल्प है। जहां अधिक लाभ के लिए, बलिदान की भावनाओं के स्थान पर नीच विचारधारा आ जाती है, जहां सकारात्मकता का स्थान नकारात्मकता ले लेती है ; उनके विपरीत हमारा उद्देश्य निर्माण करना है नष्ट करना नहीं।

हमारी मातृभूमि ने स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जवाहर लाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और सुभाष चन्द्र बोस जैसी महान विभूतियों को जन्म दिया। वे उन हीरों की तरह हैं जो भारत की नैतिक और सांस्कृतिक विरासत रूपी हार में चमकते हैं। इन्हीं रत्नों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां नए और पुराने के बीच प्राचीन इतिहास और आधुनिक तकनीकी प्रगति के बीच पूर्ण संश्लेषण जहां युवक और युवतियां सारभूत प्रगति की ओर कदम बढ़ायेंगे, लेकिन वे ऐसा हमारी महान संस्कृति तथा बिचारधारा के स्थिर आधार पर ऐसा करेंगे, ऐसा भारत जो प्रकाशपुंज की तरह चमकेगा और भटकती नौकाओं को आशा की किरण दिखाएगा, जो अब भौतिक प्रगति के बजाय, दुःख और सताप के तूफानी समुद्र में भारत तड़फड़ाता हुआ सा लगता है। यह भारत की इस पीढ़ी के लिए है कि इन महान लोगों की

आशाओं के अनुरूप बनें और कल के भारत को उनके सपनों का भारत बनायें जो अस्थिरता की स्थिति में भी प्रगति का प्रतीक बना रहे, ऐसा भारत जो निरन्तर, बिना अबाध गति से शांति की मशाल लिए चलता रहे, और जिस उद्देश्य को हमबुद्ध के समय से अब तक जिये और मरे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री दौलत सिंह जदेजा : (जामनगर) : श्रीमान, मैं विदेश मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए अध्याय सात के बारे में और विशेषकर दक्षिणी और सेन्ट्रल अमरीकन देशों के बारेऔर कैरेबियन देशों में कहना चाहता हूं। जब 1968 में हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा ने कम से कम इस प्रमुख दक्षिण अमरीकी देशों का प्रथम ऐतहासिक सरकारी दौरा किया तभी से उस सुदूर क्षेत्र में भारत की छवि मुखरित हो गयी है। इसके साथ-साथ भारत तथा लेटिन अमरीका और कैरेबियन देशों के बहुराष्ट्रीय राष्ट्र संघ की फोरमों-अंकटाज, टी० सी० डी० सी० और कानफरेंस आपसी लोज, में एक साथ मिलकर काम करने से भी दक्षिण अमरीकी देशों को ऐसे अवसर मिले हैं कि वे कई ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर, जो 'उत्तर' तथा 'दक्षिण' के देशों को विभाजित करते हैं' भारत के उचित रवैये के बारे में कह पाये हैं और उन्होंने भारत की आर्थिक और टेकनालाजिकल क्षमता का मूल्यांकन किया है।

इन अनुकूल परिस्थितियों में यह उचित ही है कि हमारे विदेश मन्त्री श्री पी० वी नरसिंह राव ने जून 1980 में पहली बार भारत लेटिन अमरीकी देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए लेटिन अमरीकी से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की व्यवस्था की। इस बैठक में लेटिन अमरीकी देशों ने व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को और मजबूत बनाने की गम्भीर इच्छा व्यक्त थी ताकि हमारे दोनों के हित और हमारे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य को परस्पर लाभ हेतु पूरा करने के लिए व्यापारिक विनिमय, पूंजी निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे कार्य मिलकर किए जाएं।

1981 में भारत-लेटिन अमरीकी सम्बन्ध बहुत सुदृढ़ हुए हैं। इससे पहले कभी भी लेटिन अमरीका के दो राष्ट्रीय नेताओं ने एक ही वर्ष के भीतर भारत का दौरा नहीं किया था। हमारे गणतन्त्र दिवस पर महामहीम मैक्सिको के राष्ट्रपति और बाद में नवम्बर में महामहिम वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जिक्र कर रहा हूं। दोनों नेताओं ने अपनी वार्त्ताओं में भारत के साथ उनके द्विपक्षीय सम्बन्धों को और विविध तथा मजबूत बनाने और परस्पर सहयोग करने पर बहुत बल दिया। समान हित के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर इन दोनों नेताओं के और भारत के विचारों में समानता थी।

इन दौरों के दौरान हमारे विदेश मन्त्री और हमारी सरकार के अन्य मन्त्रियों ने द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा थी। भारत ने मेक्सिको तथा वेनेजुएला के साथ परस्पर लाभकारी और अर्थपूर्ण द्विपक्षीय समझौते किये हैं। इन दौरों के दौरान भारत तथा इन दोनों देशों ने ऐसे अवसरों तथा क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया गया जिनमें भारत तथा इन देशों के बीच और सहयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त भारत ने दो लैटिन अमरीकी देशों के साथ दो महत्वपूर्ण व्यापार समझौते भी किये-एक ग्वाटेमाला के साथ और दूसरा अर्जेनटीना के साथ।

हमारे वित्त मन्त्री, तत्कालीन वाणिज्य, इस्पात एवं खान मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की पिछले वर्ष जुलाई के अन्त में अर्जेनटीना और ब्राजील की यात्रा तथा उन देशों के साथ उनकी बातचीत ने इन दो प्रमुख लैटिन अमरीकी देशों में साथ अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस क्षेत्र के साथ अर्थपूर्ण सम्बन्ध रखने एवं सहयोग के महत्व को महसूस करते हुये हमारी सरकार ने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया, लैटिन अमरीका में भारतीय मिशनों के प्रमुखों का एक सम्मेलन अक्तूबर में हुआ जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मन्त्री ने की थी तथा जुलाई में श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में उस क्षेत्र के भारतीय वाणिज्य प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया गया था ये दोनों बैठकें, उस क्षेत्र के देशों के साथ और निकट सहयोग करने के लिए मार्ग बनाने की दिशा में एक सही कदम है। भविष्य में इस प्रकार की आवधिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए बल्कि ऐसा करना नितान्त आवश्यक है।

अन्य महत्वपूर्ण अवसरों, जैसे फरवरी 1981 में नई दिल्ली में हुआ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन तथा हाल ही में इस वर्ष फरवरी में हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विकासशील देशों के बीच विचार परामर्श से एक बार फिर विभिन्न लैटिन अमरीकी देशों के नेतागण एवं उच्च पदाधिकारी भारत आये और हमारे नेताओं एवं अधिकारियों के साथ हुई उनकी बातचीत उस क्षेत्र के देशों के साथ तालमेल एवं सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों में बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई हैं।

इनसे भी अधिक, "उत्तर" और "दक्षिण" के नेताओं के साथ प्रतिबन्धित शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारी प्रधान मन्त्री की कान्कुन और मैक्सिको यात्रा से तथा उन्होंने सम्मेलन में और सम्मेलन के बाहर प्रेस और दूसरे माध्यमों के समक्ष जो विचार प्रस्तुत किए उन से लैटिन अमरीका और कैरिबीयन में भारत की छवि निखरी है।

मुझे विश्वास है कि लैटिन अमरीका के साथ सम्बन्धों को बढाने तथा उन देशों की ओर अधिक ध्यान देने में इन वर्षों के दौरान हमारी सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहक एवं सतत प्रयासों की प्रशंसा करने में यह सम्मानीय सभा मेरा साथ देगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें लैटिन अमरीका और कैरिबीयन के देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए हमारी सरकार द्वारा दिखाई गई अत्यधिक दिलचस्पी के बावजूद, उस क्षेत्र के देशों की ओर अधिक संकल्पनात्मक तथा उनसे सम्बद्ध होने का दृष्टिकोण अपनाया जाना नितान्त आवश्यक है। यह मेरा सुविचारित मत है कि लैटिन अमरीका के प्रमुख देशों, जैसे मैक्सिको, वेन्जुएला, क्यूबा, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरु, चिल्ली तथा कोलम्बिया के प्रति तो कम से कम ऐसा दृष्टिकोण अपनाना ही होगा।

परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि उस क्षेत्र के दूसरे देश कम महत्व रखते हैं। दूसरी

ओर, क्योंकि लैटिन अमरीका के ये प्रमुख देश लगातार स्वाधीनता प्राप्त करते जा रहे हैं और उन्होंने पहले भी भारत के साथ अपने सम्बन्धों को बढ़ाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की थी, उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिये जो सभी अन्य नवोदित राष्ट्रों को हमसे मिल रहा है।

इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लैटिन अमरीका तथा केरिबीयन देश मे समानता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान दशक की भू- राजनैतिक एवं आर्थिक मान्यताओं के अनुसार हमें पहले से भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में इसके लिए लैटिन अमरीका और केरिबीयन देशों के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन करना होगा।

वर्तमान घटना चक्र, जिसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र शेष विश्व से निरन्तर जुड़ता जा रहा है और स्वंय इस क्षेत्र में हो रहे भारी परिवर्तनों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यदि हम आज इस विशाल महाद्वीप की उपेक्षा करें तो कल यदि हम इसे समझ न पायें तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

मुझे इस सम्मानीय सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह सुदूर एवं किसी समय शान्त क्षेत्र किस प्रकार शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्याओं का विशाल समुद्र बन गया था।

मध्य अमरीका की संवेदनात्मक घटनाओं और उस क्षेत्र में हुए भारी नर संहार हमारी सरकार और उसे जनता के लिये बड़े खेद का विषय होना चाहिये जिसने सदैव ही विश्व शान्ति में अटूट विश्वास एवं संकल्प प्रदर्शित किया है।

स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु तथा विश्व के दूसरे समान विचारों वाले नेताओं के सतत एवं दूरगामी प्रयासों के कारण आज भारी सख्या में विकासशील देश गुट-निरपेक्ष नीति को अपनी विदेश नीति के लिए एक अनन्य युक्ति दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार करते हैं।

अत: यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जबकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन मूलत: गत दशकों में एक अफ्रीकी-एशियाई आन्दोलन था, परन्तु, इस समय लैटिन अमरीकी और केरिबीयन के 21 देशों ने या तो इस आन्दोलन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है या उन्होंने प्रेक्षक के लिए आवेदन किया है। दक्षिण अमरीकी उप महाद्वीप में पाराग्वे के अलावा सभी दूसरे देश सदस्य या प्रेक्षक हैं।

अत: हमारा कर्तव्य है कि हम गुट-निपेक्ष आन्दोलन के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर लैटिन अमरीका के देशों की सहमति से आवश्यक कदम उठायें ताकि मध्य अमरीका के संकट का समाप्त कर वहां शान्ति स्थापित की जा सके, इससे पूर्व कि यह संकट विश्व शान्ति के लिए एक खतरा बन जाये।

इसके लिए, प्रमुख लैटिन अमरीकी देशों के साथ भारत को सभी स्तरों पर अत्यधिक सम्बन्ध रखने की आवश्यकता है, जो विश्व शान्ति के बारे में हमारे लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। और चिन्ता व्यक्त करते है तथा एक नई अन्तर राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे है।

प्रमुख लैटिन अमरीकी देशों की विदेश नीति की एक विशेषता है कि अब ये अपने परम्परागत सहभागियों को छोड़कर स्वयं आर्थिक सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं तथा विश्व के मामलों पर स्वतन्त्र भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ये देश विभिन्न किस्म के प्रयोग कर रहे हैं जिनसे उनके परस्पर सहयोग की प्रक्रिया में तेजी आयेगी। परस्पर निकट सहयोग के विचार से न केवल उन्हें लाभ हो रहा है बल्कि यह विचार विकासशील विश्व में अन्यत्र इसी प्रकार के सामूहिक प्रयासों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

इस क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति की एक वास्तविकता यह है कि महाप्रक्रियों की भूमिका अगले दशकों में कम हो जाएगी, इस रुख का प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करता है। दूसरी वास्तविकता यह है कि आने वाले दशकों में लैटिन अमरीका की प्रमुख शक्तियां अधिक भूमिका अदा करेंगी।

इसलिए, इन विकासशील लैटिन अमरीकी देशों के साथ हमें और मिलकर काम करना चाहिए, जो न केवल स्वयं अपनी जिम्मेदारियों से अवगत हैं बल्कि विश्व के समान विचारों वाले विकासशील देशों के साथ निकट सहयोग के लिए उत्सुक हैं।

बदलती हुई इन वास्तविकताओं से यह सुझाव मिलता है कि भारत को लैटिन अमरीकी देशों के साथ और अधिक सम्बद्ध स्थापित करने चाहिये।

भारत लैटिन अमरीका और केरिबीयन देशों की और अधिक उपेक्षा नहीं कर सकता। इन देशों के हित हमसे मिलते हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इन हितों को पता लगाना ही काफी नहीं है। इन समान हितों को पूरा करने की भी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत लैटिन अमरीकी सम्बन्धों में प्राथमिक महत्व के मामले कई प्रकार से मुख्य मुद्दे हैं जिनसे हम दोनों को ही विश्व के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों के साथ निबटना होता है। गैर सरकार निवेश की शर्तें, व्यापार, टैरिफ प्राथमिकताएं, वस्तु आपूर्ति एवं मूल्य, महासागर उनके संसाधन एवं सुरक्षा तथा उत्तरी एवं दक्षिणी देशों तथा दक्षिण के देशों के बीच प्रौद्योगिकी का अन्तरण जैसी समस्याएं इनमें शामिल हैं।

इस समय ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो भारत और लैटिन अमरीका के समान हितों का अभिनिर्धारण करें तथा उन्हें धनी एवं विकासशील देशों के बीच सम्बन्धों में बढ़ती हुई जटिलता के संदर्भ में दूसरा रूप प्रदान करें।

आज विश्व के सामने आ रही गम्भीर राजनैतिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु हमारी समान दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुये, इस क्षेत्रों के राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करने के तरीके निकालने होंगे। इस प्रयास में, इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों की भूमिका भी कम महत्व नहीं रखती। लैटिन अमरीका और केरिबीयन में स्थित हमारे मिशनों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें वहां अधिक सुविधाये मुहैया करने के पूरे प्रयास किये जाने चाहिये। भारत सरकार को चाहिये कि वह समय-समय पर भारतीय नेताओं एवं संसहविदों तथा अधिकारियों को उन देशों में जाने की व्यवस्था करे ताकि वे अपने समकक्ष नेताओं/अधिकारियों के साथमिल सकें और द्विपक्षीय एवं अन्तर- राष्ट्रीय सम्बन्धों के विभिन्न महत्वपूर्ण

विषय पर विचारों का विनिमय कर सकें। इस वर्ष के दौरान हमारे भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल को क्यूबा यात्रा के उत्तर में इक्वाडोर, ब्राजील और कोलम्बिया से संसदीय प्रतिनिधि मण्डल भारत आये।

भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच प्रौद्योगिकी अन्तरण को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, हमारी सरकार को वैज्ञानिक सहचारियों के विनिमय के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिते ताकि इन देशों के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अनुसन्धान एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखी जा सके। भारत और लैटिन अमरीका के बीच वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं विभिन्न आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन एवं उस पर निगरानी रखना दोनों के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता करने एवं परस्पर विनिमय में भी सहायक होगा।

जबकि सभी लैटिन अमरीकी देशों में भारत की बहुत ऊंची साख है, तथापि खराब संचार व्यवस्था और हमारे सांझे उद्देश्यों एवं समन्वयन की भावनाओं को सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के पर्याप्त साधनों के अभाव में, एक दूसरे की समस्याओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के मार्ग में कुछ अड़चने आती हैं।

शिक्षा संस्थाएं, प्रचार माध्यम एवं भारत की साधारण जनता लैटिन अमरीका और केरिबीयन देशों की ओर कम ध्यान देते हैं। हम में से बहुतों को इन क्षेत्रों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। लैटिन अमरीका को सही ढंग से यदि समझा जाए तो उससे हमारे देश द्वारा इस क्षेत्र की ओर जो कम ध्यान दिया जा रहा है। उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रों के बीच राजनैतिक आर्थिक और राजनैयिक सम्बन्ध साधारणतः जटिल समस्याओं से सम्बन्धित होते हैं। तथापि, इन समस्याओं के पीछे विशेष की बजाय सामान्य परोक्ष सम्बन्ध होते हैं, युक्ति संगत की बजाय भावनात्मक, और निश्चिय रूप से वे दिन-प्रतिदिन की समस्याओं या मसलों से सम्बन्धित नहीं होते। अप्रत्यक्ष सम्बन्ध बढ़ाने के लिए वहां के इतिहास, संस्कृति, राजनीति तथा जनता को समझने के लिए संकल्पनात्मक एवं गम्भीर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं।

भारत और लैटिन अमरीका के बीच संस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी विनिमय से इस प्रकार के ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान रूप में ये विनिमय लगभग महत्व हीन है और इसी से भारत और इन क्षेत्रों के देशों के बीच सम्बद्ध प्रतिक्रिया के अभाव का पता चलता है। इन देशों के साथ सांस्कृतिक समझौतों द्वारा हमने जो व्यवस्था की है वह न केवल अस्त-व्यस्त है। अपितु, उसका क्षेत्र बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, जहां तक मुझे याद है, कुछ करार उदाहरणः ऐसा प्रतीत होता है कि मैक्सिको के साथ हुये कुछ करारों का नवीनीकरण नहीं किया गया। आगे से हमारी चल रही सांस्कृतिक सन्धियों का नवीनीकरण करने तथा अन्य लैटिन अमरीकी देशों के साथ इसी प्रकार के करारों को अभिनिर्धारित एवं सम्पन्न करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

यद्यपि यह मामला हमारे शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय से अधिक सम्बन्धित है, तथापि मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि लेटिन अमरीका सम्बन्धी अध्ययन के लिए एक "सेन्टर आव एक्सेलेंस" स्थापित करना अत्यावश्यक है जिसके बारे में हमारी सरकार ने लगभग एक दशक पहले घोषणा की थी। इस तरह का प्रयास अति आवश्यक है क्योंकि ऐसे ही प्रयत्न के माध्यम से हमारे शिक्षित लोगों में अपनी समझ-बूझ तथा मूल्यवान संम्पर्कों को विकसित और विस्तृत किया जा सकता है तथा इसके लिए मार्ग-निर्देशन दिया जा सकता है।

संक्षेप में, लैटिन अमरीका के देशों के साथ अपने सम्बन्धों को विकसित करने के लिए कर्मठ और उत्साही दृष्टिकोण अपनाने का समय आ गया है।

उस क्षेत्र के देशों के प्रति हमारा दृष्टिकोण अब इस आधार तथा विश्वास पर आधारित नहीं रहना चाहिए कि ये देश हमारी अन्तर्राष्ट्रीय अन्तःक्रियाओं के संदर्भ में केवल सीमान्त महत्व के हैं। इसके विपरीत, विश्व मच पर इन देशों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती जा रही, और व ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी मित्रता और सहयोग आज के विश्व के संदर्भ में अधिक मूल्यवान है।

विश्व में शान्ति स्थापित करना और अपने लोगों को निर्धनता से छुटकारा दिलाना हमारा एक ऐसा लक्ष्य है जो कि विश्व के अन्य देशों के साथ-साथ हमें भी प्राप्त करने हैं जिनमें लैटिन अमरीका तथा कैरिबियन देश भी शामिल है और विशेष स्थान रखे हैं और अब सर्वाधिक पहले से नहीं ज्यादा हम यह समझते हैं कि पृथक रहकर इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः हमेंअपने आपसी हितों को आगे बढ़ाने तथा लैटिन अमरीका और केरिबियन के देशों से परिपक्व साझेदारी स्थापित करने की अत्यधिक जरूरत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, विदेश मन्त्रालय की 19 1-82 की वार्षिक रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट अच्छे रंग में छापी गई है। इसका आकार भी बढ़ा दिया गया है इसके भीतर कुछ फोटो भी बहुत सुन्दर हैं। सामग्री के बारे में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, भारत के विदेश सम्बन्ध, इनकी एक अच्छी समीक्षा इस रिपोर्ट में पेश की गई है। मैं आगे भी इस रिपोर्ट का उल्लेख करुंगा। लेकिन यहां मैं एक वाक्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रिपोर्ट के पंद्रहवें अध्याय में जो अध्याय प्रशासन और संगठन से सम्बन्ध रखता है, एक वाक्य बड़ा मजेदार है वह वाक्य इस प्रकार है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री पी० वी० नरसिंह राव विदेश मन्त्री बने रहे।

मैं नहीं समझता कि रिपोर्ट में यह लिखने की क्या आवश्यकता थी ?

एक माननीय सदस्य : कुछ खतरा रहा होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मंत्रालय को यह आशंका थी कि श्री नरसिंह राव हटने वाले हैं या बाहर अफवाहें फैल रही थीं कि उनको हटाया जाने वाला है तब इसका उल्लेख किया जाता, यह बात मेरी समझ में आ सकती है अन्यथा प्रशासन और संगठन में इस का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मन्त्रालय में मन्त्री का परिवर्तन होता तो इसका उल्लेख

किया जा सकता था। लेकिन जो मन्त्री बने रहे उनके बारे में इस तरह से उल्लेख न करते तो ठीक रहता। मुझे खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने जब मन्त्रियों का परिवर्तन किया तो उसमें ··

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह उनके लिखे का ढंग है। यह वे अंग्रेजी में भी लिखते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्ति सचिव और संयुक्त सचिव हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसा नहीं होना चाहिए था।

मैं इस बात पर संतोष प्रकट कर रहा था कि जो परिवर्तन मन्त्रिमंडल में हुआ उसमें विदेश मन्त्रालय को छुआ गया। ऐसा करके अच्छा किया गया। विदेश नीति के निर्धारण और संचालन के बारे में हमारे मतभेद है और उन मयभेदों को हम बड़ी प्रामाणिकता के साथ और सबल शब्दों में सदन में रखेंगे, देश के सामने भी रखेंगे लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री नरसिंह राव जिस तरह से पिछले दो सालों से विदेश मन्त्रालय को चला रहे हैं उसके लिए वह हम सबकी बधाई के पात्र हैं, उसके उनकी प्रशंसा होनी चाहिये। यह प्रशंसा करने का तब और भी ज्यादा औचित्य है जब और मन्त्रालयों को हम बहुत बुरा हाल देखते हैं। मैं किन मन्त्रालयों की ओर इशारा कर रहा हूं इस समय मैं उसमें नहीं जाऊंगा।

श्री माधवराव सिंधिया : यह आप पहले कह देते तो हम तालियां नहीं बजाते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इन्हें अपनी तालियां भूतल भी प्रभाव से वापस ले लेने दीजिए।

1430 (उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अगर वह बैठे होते तो मैं शायद तारीफ नहीं करता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जलते हुए सवालों की चर्चा में बाद में करूंगा। में पहले कुछ छोटे प्रश्न उठाना चाहता हूं।

इस समय लंदन में हम फैस्टीवल आफ इन्डिया मना रहे हैं। नौ महीने तक यह महोत्सव चलेगा। इस महोत्सव पर हम जितना रुपया खर्च कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा खर्च करने जा रहे हैं उसको करना जरूरी था या नहीं था इस सवाल पर देश में मतभेद हैं। ब्रिटेन भी महोत्सव में योगदान देगा। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है। ब्रिटेन के लोगों को भारत के बारे में अधिक जानकारी देना इसे भी उपयुक्त नहीं मानता। ब्रिटेन से हमारे कभी घनिष्ट और कभी कटुतापूर्ण संबंध रहे हैं। उसके साम्राज्य के हम एक अंग रहे हैं। उनका अन्तर्बहिा हमें मालूम है। भारत की ऐसी कोई बात नहीं जिससे ब्रिटेन अपरिचित हो। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या यह जरूरी था कि महोत्सव का प्रारम्भ 23 मार्च से किया जाता ? 3 मार्च को अंग्रेजों ने सरदार भगत सिंह को, राजगुरु की और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया था। मैं नहीं जानता किसने यह तिथि तय की ? असावधानी हो गई। 23 मार्च से उत्सव को प्रारम्भ नहीं करना चाहिए था। यह हमारे लिए भावनाओं का

सवाल है। जिन्होंने भगतसिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया उसी इंग्लैंड की राजधानी में जाकर फांसी वाले दिन हम महोत्सव का आयोजन करें, यह कोई भावनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छी बात नहीं हुई। उत्सव के सम्बन्ध में एक छोटा उल्लेख में और भी करना चाहता हूं। दिल्ली में उसकी देखभाल कौन कर रहा है; मैं जानता हूं कि विदेश मन्त्रालय उससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में निर्मल कुमार सिंह की मृत्यु हुई है उससे मुझे धक्का लगा है। वह उत्सव की संचालन समिति की देखरेख की जिम्मेदारी निभा रहे थे। 4, दिन पहले उनको हटा दिया गया, वह विदेश मन्त्रालय में काम करते थे, एक अच्छे अफसर थे, बाद में शिक्षा मन्त्रालय के साथ जोड़े गये क्योंकि शिक्षा मन्त्रालय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के दायित्वों का भी निर्वाह करता है। क्यों ऐसा हुआ यह मैं नहीं जानता।

दूसरी बात...

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव : माननीय वाजपेयी जी, अभी अभी पता चला है कि 22 मार्च को हुआ था उद्घाटन उत्सव का 23 मार्च को नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यहां 23 मार्च को खबर छपी थी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारे गांव में 25 को भी नहीं छपी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : उत्सव का परिणाम लटका हुआ था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इसका खुलासा इसलिए कर रहा हूं ताकि फिर इस पर कोई टीका टिप्पणी न हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक और छोटा मामला उठाना चाहता हूं। दिल्ली में जब साउथ-साउथ डायलाग का आयोजन हुआ उस समय एक थर्ड वर्ल्ड अवार्ड, तृतीय विश्व पुरस्कार, तनजानिया के राष्ट्रपति, श्री नायरेरे को पेश किया गया था। उसके ऊपर भी बड़ा विवाद हो रहा है। एक साप्ताहिक ने तो यहां तक लिखा है, मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

> "यहां पिछले सप्ताह के भव्य समारोह में डा० जुलियस नायरेरे को तथाकथित तृतीय विश्व (अविकसित देश) पुरस्कार लन्दन से संचालित एक गुप्त दल द्वारा की गई सुविचारित धोखाधड़ी सिद्ध हो चुकी है।
>
> "स्पष्ट है कि तृतीय विश्व (अविकसित देश) पुरस्कार को पाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति तांजानिया के नेता और श्रीमती इन्दिरा गांधी से जिन्होंने तृतीय विश्व (अविकसित देश) संस्था की ओर से पुरस्कार दिया, को बनाया गया है साअथ कनाक कम से कम इसकी आंशिक जिम्मेदारी और उसके परिणामों से बच नहीं सकता।"

प्रो० एन० जी० रंगा : अफ्रीकन विश्व में डा० नायरेरे एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपत्ति डा० नायरेरे को पुरस्कार देने पर नहीं है लेकिन

इस संस्था की कड़ी आलोचना हुई है। मैं चाहता हूं कि विदेश मन्त्री पता करें कि क्या यह आलोचना ठीक है अथवा नहीं।

श्री एन० जी० रंगा : यह गैर जिम्मेदारी आलोचना है। आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : यदि आलोचना इतनी गैर जिम्मेदारी होती तो मैं उस पर ध्यान न देता।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : सभापति जी, इस देश की विदेश नीति के प्रश्न पर देश में एक आम सहमति रही है। हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मे कैसे हों सचमुच में इसका निर्णय जब हम अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे तब निश्चित हुआ था। यह आप सहमति बनी रहे इसका प्रयत्न जरूरी है। मैंने प्रारम्भ में शिवेदन किया कि विदेश नीति के कुछ पहलुओं से हमारा मतभेद है हम उसकी आलोचना भी करते हैं, कई प्रसंगों पर। लेकिन मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कहता जो इस बात से प्रसन्न होगी कि भारत सोवियत शिविर में शामिल हो जाय, लेकिन बाकी का सारा देश यह चाहेगा कि हम शक्ति गुटों से अलग स्वतन्त्र विदेश नीति का अवलम्बन करें, ऐसी नीति का जो विश्व नीति के हित में हो, जो उपनिवेशवाद के अवशेषों को समाप्त करने के पक्ष में आवाज उठायें, जो रंग भेद के विरुद्ध लड़ने वालों के साथ कधा जोड़कर खड़ी रहे और जो दुनिया में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की रचना में योगदान दें। इन प्रश्नों पर देश में आम मतक्य है, और इसलिए विदेश नीति के संचालक एक ऐसे दायित्व से बन्धे हुए हैं, जो व्यक्ति और दल की सीमाओं को लांघ कर न केवल राष्ट्र के भूत और वर्तमान को बांधता है, मगर भविष्य के के लिए भी एक जिम्मेदारी सौंपता है।

कोई इनसे इन्कार नहीं कर सकता कि पहले कुछ समय से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ी है और तनाव-शोथिल्य की प्रक्रिया को गहरी ठेस लगी है। इसके लिए दोनो महाशक्तियों का रवैया जिम्मेदार है। अमरीका तेल की अपनी आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए हिन्द महासागर में पहले से अड्डे बना रहा है, अपने बल को बढ़ा रहा है। ईरान में जो राष्ट्रीय क्रान्ति हुई मैं उसका इसलिए स्वागत करता हूं कि वह क्रान्ति इस महाशक्ति के खिलाफ थी। ईरान अमरीका के चंगुल से निकल आया, इसका स्वगत किया जाना चाहिए। लेकिन इससे अमरीका में जरूर चिन्ता पैदा हुई होगी।

उसके बाद अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के प्रवेश से तनाव और बढ़ा है। रिपोर्ट में ठीक कहा गया है कि विश्व-तनाव का मुख्य केन्द्र यूरोप से हटकर एशिया में आ गया है। इस बात का डर है कि कहीं स्थिति और न बिगड़ जाए। हमारी सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। विकास के लिए हमें शान्ति की आवश्यकता है। हम अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित देखना चाहेंगे। इसलिए मुझे इस बात पर खेद है कि इस तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया को जो धक्का लगा है, उसको कम करने के लिए या जिन घट नाओं की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति निरन्तर बिगड़ती की जा रही है, उन गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमने कोई कूटनीतिक पहल नहीं की।

केवल इतना ही कहना काफी नहीं है कि रूस की सेनाएं अफगानिस्तान में निमन्त्रण पर गई थीं। किसके निमन्त्रण पर गई थी ? और अगर निमन्त्रण मिले भी, तो जिसे निमन्त्रण मिले, क्या उसका जाना जरूरी होता है ? और अगर निमन्त्रण पर गई थी, तो अब वापस चली जाएं आप अतिथि बनकर आए थे, अब मालिक बनकर बैठने का प्रयत्न मत कीजिए। मगर रूस एक महाशक्ति है और महाशक्तियों को अधिकार है कि मनमानी करें। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि "जिसकी लाठी उसी की भैंस" चल रही है। अमरीका लैटिन अमरीका में एल संटवाडोर और दूसरे देशों में क्या कर रहा है? हमें उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। मैं इस मत का नही हूं कि हम एक महाशक्ति की आलोचना करें और दूसरी को छोड़ दें। हस्तक्षेप को नापने का एक गज होना चाहिए।

मगर में सोवियत संघ से अधिक आशाएं करता हूं। इसलिए सोवियत संघ का आचरण मुझे ज्यादा पीड़ा पहुंचाता है। मैं रिपोर्ट के एक पैराग्राफ को उद्धृत करना चाहूंगा :—

> "इसी तरह अफगानिस्तान के मामले में भी भारत शुरू से ही यह कहता आया है कि विदेशी सैनिकों की वापसी, हर प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की समाप्ति तथा अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखन्डता और उसके गुट-निरपेक्ष दर्जे को अक्षुण्ण बनाए रखने के आधार पर सम्बद्ध पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से इस समस्या का राजनीतिज्ञ समाधान खोजा जाना चाहिए।

मैं इससे शत प्रतिशत सहमत हूं लेकिन प्रश्न यह है कि यह समाधान कौन खोजेगा। उस समाधान को खोजने में हमारी कोई भूमिका होगी या नहीं होगी ? सोवियत संघ हमारा मित्र है, उससे हम कोई बात मित्रता के ढंग से कह सकते हैं। क्या अफगानिस्तान की समस्या को राजनीतिक हल निकालने के लिए कोई ऐसा फार्मूला ढूंढ़ना असम्भव है जिससे अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप भी समाप्त हो जाए और सोवियत संघ की सेनाओं को वहां रहने के लिए कोई औचित्य भी न मिले ? मैं मानता हूं हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। अगर पाकिस्तान गारिल्ला सैनिकों को शस्त्र दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है और वे जाकर अफगानिस्तान की सीमा में गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाना चाहिए। क्या गुट निरपेक्ष आन्दोलन इस सम्बन्ध में केवल भावनाओं का स्पष्टीकरण करके चुप बैठा रहेगा ? क्या इस समस्या को हल करने के लिए हम कोई कूटनीतिक पहल नहीं कर सकते हैं ? क्या प्रधान मन्त्री अपने व्यापक प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकती हैं ? आज अफगानिस्तान में रूस की सेनायें हैं इसलिए अमरीका को बहाना मिल गया है मैं "बहाना" कह रहा हूं क्योंकि पहले भी पाकिस्तान को हथियार दिए जा चुके हैं। लेकिन अब उन्हें एक नया बहाना मिल गया है कि पाकिस्तान फ्रन्ट लाइन पर स्थित है और उसकी मदद करना जरूरी है। पहले वे हमें आश्वासन देते थे कि पाकिस्तान को दिये जाने वाले हथियार भारत के खिलाफ काम में नहीं आयेंगे लेकिन इस बार वे यह भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। पुराना अनुभव साक्षी है, यह हथियार अफगानिस्तान के खिलाफ काम में नहीं आयेंगे, पाकिस्तान का सोवियत संघ के साथ दो-दो हाथ करने का सवाल पैदा नहीं होता इसलिए यह हथियार भारत के खिलाफ ही प्रयुक्त होंगे इसमें कोई सन्देह नही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि लड़ाई का खतरा हमारे दरवाजे खटखटा रहा है। हम अपनी तैयारी रखें लेकिन देश में युद्ध का

श्री राम गोपाल रेड्डी : अच्छी हिन्दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कूटनीति का मामला है।

बाद में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर बातचीत करने का फैसला कर लिया गया लेकिन जब तक पाकिस्तान ने ह्यूमन-राइट्स-कमीशन में काश्मीर का मामला उठाया तो हमने बड़ी तेजी से, तय कर दिया कि विदेश सचिव इस्लामाबाद नहीं जायेंगे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को ह्यूमन-राइट्स-कमीशन में काश्मीर का सवाल यूनाइटेड-नेशन्स में और अन्य जगहों पर उठाता रहा है। वह एक कर्मकाण्ड है, जो वह करते रहे हैं। कभी हम ने उसका नोटिस लिया है और उसका नोटिस नहीं लिया है। श्री भगत बाद में बोलने वाले हैं···

श्री एच० के० एल० भगत : (पूर्व दिल्ली) आपने अन्दाजा लगा लिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आप भगत की बात नहीं कर रहा हूं, यहां कई भगत बैठे हुए हैं। वे प्रकाश डालेंगे, मगर मैंने जो एक्सचेंजेज हुए हैं, उनको देखा है और मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि हमने ओवटरिएक्ट किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय दें तो यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पाकिस्तान ने जो पहले उल्लेख किया है, मैं मानता हूं कि वह गलत है यह मामला ह्यूमन-राइट्स कमीशन में नहीं आना चाहिए था लेकिन यह मामला हमने यह कहकर नहीं उठाया कि काश्मीर के बारे में यह मामला ह्यूमन-राइट्स-कमीशन में क्यों लाया गया। शिमला समझौते में यह हमने मान लिया है कि दोनों देशों का अपना स्टैंड है, वे कायम रहेंगे अपनी-अपनी पोजीशन मेटेन की जायेगी, मैं नहीं जानता हूं कि यह क्यों माना गया। मुझे तो अफसोस है कि शिमला समझौते के समय हमने काश्मीर के मामले को हमेशा के लिए तय करने पर जोर क्यों नहीं दिया ? आप कह सकते हैं कि यह बात पुरानी हो गई।

लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को वहां काश्मीर का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था पाकिस्तान ने जो कहा है, वह मैं उद्धृत करना चाहता हूं।

"जम्मू और काश्मीर के विवाद को भी इसी प्रकार शिमला समझोते के अनुसार निपटाया जाना चाहिए···"

श्री माधवराव सिंधिया : उन्होंने यह किस संदर्भ में कहा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इसको छोड़िए जो हुआ वह गलत है। मुझे अफसोस है, श्री माधवराव सिंधिया जी, आपने इसको पढ़ा नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने बिल्कुल पढ़ हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं-नामिबिया की बात, पेलस्टीन की बात-बाद में कही गयी।

श्री माधवराव सिंधिया : मेन-रिजोल्यूशन जिसमें यह डिसकशन हुआ है, वह कौन सा ? किस हैडिंग में किस रिजोल्यूशन के अन्तर्गत डिसकशन हुआ है मैं आपको व्यवधान नहीं पहुचाना चाहता। मुझे खेद है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सैल्फ डिटरमिनेशन की चर्चा की गई है। पाकिस्तान का यह स्टैंड है कि काश्मीर को सैल्फ डिटरमिनेशन का अधिकार नहीं मिला है। यूनाइटेड नेशन्स में पाकिस्तान ने कहा है, आप उससे मतभेद रख सकते हैं। आप अपना मतभेद प्रबल शब्दों में प्रकट कर सकते हैं।मगर श्रीभगत ने जो जवाब दिया-मैं उद्धृत कर रहा हूं।

> "निश्चय ही पाकिस्तान का शिष्टमंडल यह विश्वास नहीं करता कि आत्म-निर्णय और आत्म अभिव्यक्ति के अधिकारी मार्शल ला प्रशासन के अधीन सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है।"

यहां तक जाना जरूरी नहीं था। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई, बात बिगड़ गयी, मेरा निवेदन है हम फिर से उस बात को शुरू करें। केवल पाकिस्तान के साथ ही नही, नेपाल के साथ, बंगला देश के साथ, श्री लंका के साथ, केवल सुरक्षा के मामले पर नहीं, सहयोग के मामले पर भी।

मुझे प्रसन्नता है—प्रधान मन्त्री जी ने दोस्ती की सन्धि का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यह पहले भी रखा जा सकता था, हमें उसे दोहराना चाहिए। हिन्दुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का बुरा चाहता है। आज जो पोलिटीकल सिचुएशन पैदा हो गई है, उसके लिए अविश्वास को दूर करना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी अपना रवैया बलदना होगा। जब जनता सरकार थी उस समय भी हुए इस्लामिक सम्मलन में जैनरल जिया ने पैलस्टाइन के साथ काश्मीर के मामले को जोड़ा था हमने विरोथ किया था। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं काश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान से बातचीत करने में संकोच क्यों होना चाहिए ? हमने शिमला समझौते में माना है-फाइनल -सेटिलमेन्ट आफ जम्मू एण्ड काश्मीर अभी बाकी है मैं उसे दोराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने उस समय भी विरोध किया था। आप पाकिस्तान से कहें की काश्मीर पर बात कीजिए यह ठीक है कि काश्मीर पर बात होगी तो एक ही बात होगी, पाकिस्तान काश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा जमाये बैठा है, उसको खाली करें। इससे बात बिगड़ेगी तो बिगड़े···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कुछ उधर से कह रहे हैं, हम कुछ इधर से कह रहे हैं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : ये देर से कहना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देर से नहीं कहना चाहते हैं, यह आप नहीं कर रहे हैं। कहिए, हम काश्मीर पर बात करने को तैयार हैं।

मैं जब पाकिस्तान गया था तब भी एक बार यह चर्चा चली थी कि काश्मीर का सवाल अभी बाकी है, आप तारीख तय कर दीजिए। मैंने कहा-तारीख क्यों आज ही बात कर लीजिए कहने लगे-तैयारी करना जरूरी है मैंने कहा-हमारी तैयारी है, बात कीजिए।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिज) : यह आप की पार्टी का स्टैण्ड है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरी पार्टी में पाकिस्तान के सवाल पर कोई मतभेद नहीं है। ऐसा लगता है आपने किसी समाचार पत्र के सम्पादकीय लेख को पढ़ा हुआ है। यह ठीक है,अलग-अलग सदस्य बोलते हैं, उनके बात रखने का ढंग अलग-अलग होता है, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। काश्मीर के सवाल पर समझौता नहीं हो सकता।

भुट्टो सहाब शिमला आये थे। उन्होंने क्या कहा था—यह विदेश मन्त्री को मालूम है और "भूत" के नाते मुझे भी कुछ जानकारी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी को वह आश्वासन दे गये थे, लेकिन पाकिस्तान जाकर वह उस आश्वासन से पलट गये। हम काश्मीर का मामला तय करने को तैयार हैं, मगर में ऐसा नहीं समझता कि पाकिस्तान लड़ाई से काश्मीर ले सकता है। वह लड़ाई से पहले काश्मीर नहीं ले सका और अब भी नहीं ले सकता। 1971 को लड़ाई लड़ी थी तो उन्हें बंगल देश स्वीकार करना पड़ा। अब अगर पाकिस्तान लड़ाई करेगा तो फिर बाद में लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान इस रूप में बचा हुआ नहीं रहेगा। मगर हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हमारे सीमित आर्थिक साधन युद्ध की ओर झोंके जांय यह देश के लिए, देश की गरीब जनता के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत का सूत्र फिर से ढूंढ़ना चाहिए, बातचीत आरम्भ करनी चाहिए।

चीन के साथ हमारी चर्चा चल रही है, उसमें थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है। सीमा का एक प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस रिपोर्ट में कहा गया है "केन्द्र बिन्दु है।" हम चीन के सामने फिर अपने प्रस्ताव को दोहरायें कि पेकेज सेटिलोन्ट पर उन्हें जोर देने को आवश्यकता नहीं है, पहले हम उत्तरी सीमा पर समझौता कर सकते है लद्दाख के बारे में आगे बातचीत हो सकती है। लेकिन बातचीत करते हुए भी यह भावना प्रकट नहीं होने देनी चाहिए कि हम पैर पीट रहे हैं। बार-बार पीकिंग से तिथियों के सुझाव आ रहे है, हम उन्हें जवाब देने में देर कर रहे है यह ठीक नहीं है चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया चलनी चाहिए। अन्य पड़ोसी देशों के बारे में भी मैंने कहा। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम बराबरी के दर्जे पर और सम सहयोग के आधार पर उनके साथ बातचीत करें। भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखता हुआ, किस तरह से मंत्री सम्बन्ध बढ़ा सकता है, यह हमारी विदेश नीति की कसौटी है।

पाकिस्तान की बात मेरी समझ में आती है। लेकिन बंगलादेश में सैनिक शासन आ गया है। पिछले दिनों जियाउर्रहमान की हम और अधिक मदद कर सकते थे। मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं। बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर्रहमान जब दिल्ली आये थे तो वे निराश होकर गये। यह पिछले दो सालों की कहानी है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है? श्री लंका की सरकार को भी शिकायत है। छोटा-सा देश मारीशिस भी यह अनुभव करने लगा है कि भारत के साथ जो बात पहले थी, वह अब नहीं है।

हम शक्ति में बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, जनसंख्या में बड़े हैं। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का जो छोटे छोटे हैं संवेदनशील होना, भावुक होना स्वाभाविक है। उनमें विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी हमारी है।

हमने साउथ, साउथ सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें हमने नेपाल को बुलाया नहीं। वह सम्मेलन बुलाने की जरूरत क्या थी ? कानकुन के सम्मेलन से कुछ नहीं निकला। 77 का ग्रुप युनाइटेड नेशस में पहले से बना है। 127 केन्ट्रीज उसमें शामिल है। 27 देशों को एक इन्फार्मल ग्रुप युनाइटेड नेशंस में है। 44 देशों को दिल्ली में आने की तकलीफ देने की क्या जरूरत थी ? कई देश उसमें छूट गये, वे नाराज है।

श्री माधव राव सिंधिया : बातचीत होना बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो चलाइये बातचीत।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पहले नेपाल को न बुलाने का फैसला हुआ था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वाजपेयी जी न जो कहा है उससे फर्क पड़ता है। एक सूची तैयार की गयी थी जिसमें अमुक अमुक देश थे, बाकी देश नहीं थे। यह एक स्टेटमेंट है। दूसरा यह कहना कि फलां-फलां देश को न बुलाने का फैसला हुआ था। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : में आपका संशोधन मान लेता हूं। नेपाल में यह भावना पैदा नहीं हुई कि उसकी उपेक्षा की जा रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसी बात नहीं थी। मैंने नोट कर लिया है। मैं आपको बताऊंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने 14 देश बुलाये, ग्रुप77 में 127 देश हैं। हम सबको नहीं बुला सकते थे, कुछ को छोड़ना जरूरी था। लेकिन इसमें से निकला क्या ? हमने अनावश्यक रूप से कुछ लोगों को दूर कर दिया किन्तु प्राप्त हमने कुछ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका में इस समय जो शासन है, उस शासन से हमें ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। यह शासन जिस इंडस्ट्रियल मिलिट्री काम्पलेक्स को रिप्रेजेन्ट करता है। उसकी विश्व को देखने की जोदृष्टि है उसके साथ हमारा मेल नहीं बैठ सकता है। इस दुनिया पर कोई शक्ति या महा शक्ति छा जाय इसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अमरीका एक लोकतंत्रवादी देश है। वहां कांग्रेस है, अलग दल हैं, स्वतंत्र प्रेस है, पब्लिक ओपिनियन जैसी चीज है और हमें अमेरिका की जनता से सीधी बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए रेगिन साहब के दो साल बाकी हैं। कांग्रेस यहां भी है, वहां भी है।

एक माननीय सदस्य : वहां आई नही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां 'आई' नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि महा-शक्तियां जो चाहती हैं वह करती हैं। इजराइल ने गोलन हाइट्स को निगल लिया। क्या प्रस्ताव पास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ? क्या अकरीका की मनमानी को लेटिन अमरीका में रोकने की कोई दिशा नहीं है ? क्या अफगानिस्तान से रूस की सेनाओं को निकालने का कोई ढग नहीं है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप बता दीजिए-उदाहरणार्थ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं-नहीं, हमें पहल करनी चाहिए । यूनाइटेड- नेशन्स, नॉन एलायन्डमूवमेंट में और रीजनल स्तर पर··· (व्यवधान)

श्री वी० पी० नरसिंह राव : ये तो मैंने नोट कर लिया है, इनके तो मैं जवाब दूंगा, अलावा और कुछ हो तो बताइए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने नोट कर लिया है तो ठीक है मेरी गाड़ी आगे चलने दीजिए, आप ब्रेक क्यों लगा रहे हैं ?

श्री पी० वी नरसिंह राव : मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूं, कोई और तरीका पूछ रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विदेश मन्त्री को कहूंगा कि वे सदन को विश्वास में लें ।

ईरान-ईराक की जो युद्ध चल रहा है, उसे समाप्त कराने के लिए कुछ गुट निरपेक्ष देशों ने पहल की थी, उसमें सफलता क्यों नहीं मिली ?

अफगानिस्तान का मामला उलझा हुआ है, मैं मानता हूं । यह मामला महा-शक्ति से जुड़ा हुआ है, मगर ईरान दोनों गुट निरपेक्ष देश हैं और पड़ोसी देश हैं । हमारे आर्थिक संबंध उनके साथ निटस्थ हैं । मगर मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं यहां बैठा हूं इसलिए मुझे ऐसा लगता है और विदेश मन्त्री "श्रम एवं जयते" के आधार पर परिश्रम कर रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं गुट निरपेक्ष देशों का पहल में कमी है । क्या इसका कारण यह है कि गुट-निरपेक्ष देशों की महा-शक्तियों पर निर्भरता बढ़ रही है ?

इस मामले में भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है । हम हथियारों के लिए एक महा-शक्ति पर निर्भर हैं और आर्थिक क्षेत्र में कर्जे के लिए एक दूसरी महा-शक्ति पर निर्भर हैं । गुट-निरपेक्षता पर अगर चला जा सकता है तो स्वावलंबन के आधार पर ही चला जा सकता है ।

आज स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय कि हम अमरीका की आलोचना करने से संकोच करते हैं और सोवियत रूस की तारीफ करने में हिचकिचाने लगे हैं । अभी "आर्म्स-लिमिटेशन" के सवाल पर सोवियत रूस ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए । रीगन एडमिनिस्ट्रेशन से साफ कहना चाहिए, लेकिन हमने नहीं कहा, चुप रहे, देखा जाएगा । सऊदी अरबिया ने एक इनिशियेटिव किया था । सीरिया हमारा मित्र है । रूस और सीरिया के बहुत गहरे सम्बन्ध हैं । सीरिया गहीं गया, इसलिए वह सम्मेलन नहीं हुआ । आखिर अरब देशों का इलाका उनको वापिस मिलना चाहिए । एक अलग पेलस्टीन राज्य की स्थापना होनी चाहिए । लेकिन गोलन-हाइटस को निगल कर बैठ गए ।

मगर मेरा निवेदन यह है कि हम ईरान और इराक के मामले में पहल कर सकते हैं ।

एक और भी गुत्थी जो उलझी हुई है- कंपूचिया की। विदेश मन्त्री गए थे, वे वहाँ की प्रतिक्रिया से सदन को अवगत कराएंगे। कंपूचिया से वियतनाम की सेनाओं को हटाना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि पोलपाट की सरकार वापिस आए, लेकिन हमारी स्थिति क्या हो गई है। जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, हम उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए। मगर क्या हम आब्जर्वर के नाते नहीं जा सकते थे? यह ठीक है कि उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हैंग सेमरिन की सरकार को मान्यता नहीं दी गई थी, हम उसको मान्यता दे चुके हैं मान्यता देने के सवाल पर मतभेद रहा है, लेकिन आब्जर्वर के नाते वहां जाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए था।

वियतनाम और आसियान के बढ़ते हुए मतभेदों को कम करने में और विश्व के उस भूखंड में महाशक्तियों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से इस या उस देश को एक या दूसरी महाशक्ति के पीछे लगने के लिए मजबूर होने से रोकने में हमारी कोई भूमिका होगी या नहीं? यह ठीक है कि हमें किसी ने मीडिएटर नहीं बनाया। लेकिन हमारी कोई तो भूमिका हो सकती है।

कम्पुचिया के बारे में एक और बात मैं कहना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री ने दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि थाइलैंड की सेनाएं···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उसका कंट्रेडिक्शन किया जा चुका है। आप दोहराना चाहते हैं तो दोहरा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन कंट्रेडिक्शन करने में देर हुई है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जब हमारे ध्यान में बात लाई गई तभी हमने कंट्रेडिक्ट कर दिया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कब लाई गई? थाईलैंड की सरकार ने एक आफिशल स्टेटमेंट किया था···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : फौरन बाद कंट्रेडिक्शन किया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मन्त्री ने कहा था या नहीं कहा था?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : गलत रिपोर्ट है। आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा कि क्या कंट्रेडिक्शन हुआ था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि नामिबिया की आजादी के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं उनको तेज करने की जरूरत है। बड़ी शक्तियों का उदाहरण मैंने दिया है कि वे चाहें जब दखल देती हैं। साउथ अफ्रीका भी जो चाहे कर रहा है कब तक नामिबिया के लोग स्वाधीन होने के अपने अधिकार से वंचित रहेंगे? हमें बड़े पैमाने पर उनकी सहायता

करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि हम सहायता कर रहे हैं। लेकिन अंगोला की मुक्ति के संघर्ष में हमने जैसा योगदान दिया था क्या उतने बड़े पैमाने पर नामिबिया की मुक्ति में हिस्सा बंटाने का वक्त नहीं आ गया है?

एक बात का और उल्लेख मैं करना चाहता हूं। हम शस्त्रों की होड़ नहीं चाहते। हम दुनिया में शस्त्रों की दौड़ को निरुत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में परिवर्तन और विदेश नीति के त्रुटिपूर्ण संचालन के कारण हम खुद इस दौड़ में पड़ गये हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार और देश को एटामिक वैपंज के बारे में एक बार अपना दिमाग बना लेना चाहिए। क्या हम न्युक्लियर आप्शन रखना चाहते हैं? अगर रखना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के एक्सप्लोशन का विरोध करने के जो हमारे तेवर है वे उतने तेज नहीं रह सकते।

श्री एच० के० एल० भगत : आपकी राय क्या है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अपनी राय बताने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरी राय पूछी जाएगी तो मैं बताऊंगा। आपको नहीं बताऊंगा। भगत के साथ मैं दिल्ली के बारे में बात करने के लिए तैयार हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : घबराते क्यों हैं? इतना बड़ा है, जवाब देने को तैयार नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपने मित्र, श्री भगत से चुनाव क्षेत्र के स्तर पर वार्तालाप करने को तैयार हूं। मुझे याद है नेहरू जी ने एक बार कहा था कि भारत कभी अणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेगा। बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री आए। उन्होंने मुझे याद है क्या कहा, उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कभी नहीं करूंगा लेकिन मैं कह सकता हूं कि अभी नहीं करुंगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अणु विस्फोट करके सारी दुनिया में एक धमाका कर दिया। हम उनका स्वागत करने वालों में थे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपने मोरार जी देसाई को छोड़ दिया है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप फिर चर्चा में भाग ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लाल बहादुर शास्त्री से आ रहे हैं, आपने मोरारजी देसाई को छोड़ दिया है, मैं आपको स्मरण कराने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उनकी स्मरण शक्ति को ताजा करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे हर बात स्मरण है। कोई जरूरत नहीं है मेरी याददाश्त को ताजा करने की। मगर केवल पाकिस्तान नहीं, इजराइल, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमरीका के अन्य देश भी न्यूक्लीयर क्लब में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम एक

फैसला कर सकते है कि अगर पाकिस्तान ने अणु विस्फोट किया तो हां सारी स्थिति पर पुन-विचार करना पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने लिए यह रास्ता खुला रखना चाहते हैं तो हम इस बात को न भूलें कि दूसरे देशों को उस खुले रास्ते का लाभ उठाने से हम नहीं रोक सकते। मैं मानता हूं इस सवाल पर एक राष्ट्रीय कर्तव्य की आवश्यकता होगी। क्या यह पार्टी का सवाल है ?

जहां तक न्यूक्लीयर टैक्नालाजी का सवाल है हमें उसका विकास करना है, निर्माण के काम में उसका उपयोग करना है। लेकिन आज जब दुनिया विश्व युद्ध के करार पर खड़ी है, जहां महाशक्तियों के स्वार्थ आपस में टकरा रहे हैं, जब दुनिया की कमाई का बड़ा भाग हथियारों पर खर्च हो रहा है और मानवता रोटी के लिए, दवा के लिये, मकान के लिए बिलख रही है तो भारत का आह्वाहन क्या है ? यह ठीक है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय तकाजों और राष्ट्रीय हितों में मेल बैठाना पड़ेगा। मगर दोनों में कोई ऐसा अन्तर विरोध नहीं है कि मेल नहीं बैठाया जा सकता मगर एक बात का ध्यान रखना होगा, विदेश नीति का संचालन घरेलू परिस्थितियों से जोड़ने के लोभ का संवरण करना बहुत आवश्यक है।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय खतरे की बात, अन्तर्राष्ट्रीय खतरा है, मगर उसको जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहने में कहीं यह भावना तो काम नहीं कर रही है कि देश की जनता अपने अधिकार के लिये न लड़े, देश पर खतरा है सब एक झण्डे के नीचे आ जाओ, प्रधान मन्त्री के हाथ मजबूत करो। प्रधान मन्त्री के हाथ किसने कमजोर किये हैं ? प्रधान मन्त्री के हाथों को और कितनी शक्ति चाहिए ? जहां तक राष्ट्र की रक्षा का सवाल है 86 करोड़ देशवासी एक साथ हैं। लेकिन हम अपना घर ठीक नहीं रख पा रहे हैं। जो आम सहमति विदेश नीति पर पैदा हुई थी उसे मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, उसे ताकत नहीं पहुंचा पा रहे है। थोड़ा सा मतभेद होता है, आलोचना होती है तो नीयत पर शक किया जाता है। बोली नहीं ; विरोध प्रकट न करो, देश खतरे में है।

प्रधान मन्त्री का जब बाहर स्वागत होता है तो हमको भी प्रसन्नता होती है यह न सोचिए कि हमको ईर्ष्या होती है। मगर एक बात न भूलिये कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का इसलिये स्वागत होता है कि वह भारत की प्रधान मन्त्री हैं एक महिला के नाते वह बड़ी चतुर हैं, बड़ी योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी छोटे से देश की प्रधान मन्त्री होती तो यह शिकायत नहीं होती।

गृह मंत्रालय तथा संसद कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : यह दुर्भाग्य है कि दी गई शुभकामना है। आप वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। देश को पीछे रखकर और रचनात्मक आलोचना को भी, जिस भावना से आलोचना की जाती है, उसको ग्रहण करने से इन्कार करके हम विदेश नीति जैसे नाजुक मसले पर जो एक नेशनल कसेन्शस है और जिसे मैं समझता हूं कि मजबूत करने की जरूरत है, उसे मजबूत करने का काम नहीं कर रहे

हैं। आखिर आपके दल में भी ऐसे लोग हैं जो उस कन्सेन्शस को तोड़ना चाहते हैं। विरोध पक्ष में भी ऐसे लोग हैं हम उनसे भी अपरिचित नहीं हैं। मगर जो देश में समझदार लोग हैं उनके ऊपर यह दायित्व है कि वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल को प्राथमिकता देते हुए भी अन्य प्रश्न जो जुड़े हुए हैं उन पर एक आप सहमति बने। गृह मन्त्रालय की मांग पर बोलते हुए भी मैंने आम सहमति की बात की थी, माननीय नरसिंह राव यहां मौजूद थे। हमे इस देश में लोकतन्त्र चलाना है। इसलिए मुझे हथियारों पर जरूरत से ज्यादा खर्चा करने में संकोच होता हैं। गरीबी से लोगों में असन्तोष पैदा होता है। एक फौजी शासन उस असन्तोष को बन्दूक से दबा सकता है, हम नही दबा सकते। इसलिए हमारे लिए शान्ति की आवश्यकता सर्वोपरि है यह ठीक है कि हम अपनी सीमाओं पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन कूटनीति लड़ाई को टालने का सबसे प्रभावी औजार है। जब लड़ाई थोंप दी जायेगी तब तो हमको उसका सामना करना होगा, मगर क्या हम लड़ाई टाल सकते हैं, क्या इस भू खण्ड में नया वातावरण पैदा कर सकते हैं, क्या विश्वास की टूटी हुई कड़ियां जोड़ सकते हैं, क्या हम महाशक्तियों के चगुल से इस भू-खण्ड को बचा सकतें हैं? यह चुनौतियां हैं। जिनका हमें सामना करना है विदेश मन्त्री इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आने वाला कल उत्तर देगा कि हम इन चुनौतियां का उत्तर दे पाते हैं या नही दे पाते हैं।

धन्यवाद।

श्री बी०आर० भगत (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री ने दयालुता तथा उदारता से मुझे 1 फरवरी से 12 मार्च तक जानेवा से हुए मानव अधिकार आयोग के 38 वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय मण्डल का नेता बनाकर भेजा था। महोदय, जब मैं वहां गया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि श्री आगा हिलाली ने पहले ही दिन मुझसे मिलकर अनन्य मध्यान्ह भोज के लिए आमन्त्रित किया। मैंने कहा "ठीक है, हम यहां छह सप्ताह ठहरेंगे और कुछ समय के बाद मिल लेंगे।" प्रथम सप्ताह के दौरान लगभग प्रतिदिन उन्होंने मुझे मध्यान्ह भोज के लिए निमन्त्रण दिया क्योंकि वह मुझसे कुछ जरुरी पर चर्चा करना चाहते थे। अत: 10 ता० को, अर्थात् मामलों सत्र प्रारम्भ होने के दसवें दिन 1300 बजे से कुछ ही मिनट पहले, जब प्रात: काल का सत्र समाप्त होने वाला था, मेरे शिष्ट मण्डल स्थान पर आए और मुझसे कहा कि, 'मैंने पता कर लिया है कि आज आप मध्यान्ह भोज के लिए उपलब्ध हैं क्या आप मेरे साथ मेरी कार में चलेंगे, हम एक रेस्तरां चलेंगे और वहां बातचीत कर लेंगे' मैं 'इन्कार' नहीं कर सका। अत: हम वहां गए और वह मुझे एक रेस्तरां ले गए। उन्होंने मुझ से दो घटे तक बातें की जिनमें उन्होंने भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में बहुत नाजूक मामलों पर चर्चा से भी अधिक समयकी। कूटनीति की भाषा में इस तरह की बैठक किसी खास प्रयोजन के लिए की जाती है। यह कोई शिष्टाचारवश बुलाई गई बैठक नहीं थी मैंने इसे सहज ढंग से लिया कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें वह मेरे माध्यम से दिल्ली, अर्थात यहां सूचित करना चाहते हैं और ऐसा वह पाकिस्तान के राज्यध्यक्ष की स्पष्ट इच्छा से कर रहे हैं। जब मध्यान्ह भोज समाप्त होने वाला था, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। बैठक के दौरान मैं अधिक नहीं बोला, लगभग 99% वार्तालाप उन्हीं की ओर से हुआ। लेकिन मध्यान्ह भोज के अन्त में अर्थात डेढ़ घंटे के बाद मैंने उनसे एक साधारण

सा प्रश्न पूछा जो किसी बात से सम्बन्धित नहीं था क्योंकि वह मानव अधिकार आयोग की कार्य-सूची में संख्या 1, अर्थात् "कार्य का संगठन" पर चर्चा की गई थी तो पाकिस्तानी शिष्ट मण्डल ने कहा कि मद संख्या 9 पर पृथक रूप से चर्चा की जाए। मद संख्या 9 लोगों के स्व-निर्णय से संबंधित थी। यह मैं अपने माननीय सहयोगी, श्री वाजपेयी की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने फिलस्तीनियों और नामिबिया की ओर से एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन यह मद कार्यसूची में थी। यह मद, उपनिवेशी शासन, विदेशी शासन और विदेशी कब्जे के अधीन लोगों को स्व-निर्णय करने के बारे में है। ये तीन विषय थे जो मद संख्या 9 के अधीन आते थे और कश्मीर का मसला इन शीर्षकों के अधीन उठाया जाता है। स्पष्टतया, जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह फिलीस्तीन और नामिबिया की स्थिति से संबंध स्थापित करता है। पाकिस्तान इसमद पर पृथक रुप से चर्चा चाहता था। इस मद पर, मद संख्या 4 अथवा कुछ अन्य मदों जो सामान्यतया प्रजातिवाद को समाप्त करने, अधिकृत अरब क्षेत्र नामिबिया तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित हैं, के साथ चर्चा की जाती है। पाकिस्तान ने चाहा कि मद संख्या 9 पर पृथक रूप से चर्चा की जाए और उसे स्वीकार कर लिया गया क्योंकि जब कोई शिष्ट मण्डल ऐसी कोई मांग करता है। तो उसकी मांग को सम्मान दिया जात है, औरे इसलिए इस वर्षइस मद पर पृथक रूप से चर्चा की गई। मैंने उनसे पूछा कि वह इस मद संख्या 9 पर पृथक से चर्चा क्यों चाहते हैं। यह मेरा प्रश्न था। उन्होंने उत्तर दिया "मैं इस मद के अधीन कोई भी द्विपक्षीय मसला नहीं उठाना चाहता ; मैंने पृथक से चर्चा की मांग इसलिए की है क्योंकि मैं केवल अफगानिस्तान पर तथा पाकिस्तान में मौजूद 2/1/2 मिलियन शरणार्थियों के प्रश्न पर चर्चा करना चाहता हूं। यह हमारे लिए जीवन-मरण का प्रश्न है।" पाकिस्तान मद संख्या 9 के अधीन प्रतिवर्ष कश्मीर का मसला उठाता रहा था, क्योंकि, निस्संदेह मद संख्या 9 के अधीन द्विपक्षीय मसला केवल कश्मीर का ही हो सकता है, और जिसे पाकिस्तान द्वारा इस मंच पर इसी मद के अधीन उठाया गया था। अब मेरे माननीय मित्र, श्री वाजपेयी ने मेरे उत्तर को उद्धृत किया और कहा कि मैंने जरूरत से ज्यादा बात कही और उसने क्षति पहुंचाई है; यहां तक कि पाकिस्तान के राजदूत ने बंगलौर में अपने भाषण में कहा हैं कि मेरा मार्शल-ला का हवाला देना एक आन्तरिक मामला है। वे सारा दोष मुझे दे रहे हैं और कहते हैं कि भारत-पाकिस्तान वार्ता को मेरे कारण ही स्थगित कर दिया गया है। वास्तव में, मुझे इस घटना चक्र का खलनायक बनाया गया है। पाकिस्तान समाचार पत्रों ने यह भी कहा है कि प्रधान मन्त्री का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैंने जानबूझ कर इस प्रकार की कार्यवाही की है जिससे वार्ता स्थगित हुई है। पाकिस्तान समाचार पत्रों पर नियंत्रण है ; वे जो कुछ भी लिखते अथवा कहते हैं वह वहां की सरकार की विचारधारा को दर्शाता है। यहां के समाचार पत्रों की स्थिति भिन्न हैं। यहां समाचार पत्र स्वतन्त्र हैं और वे इसके बारे में जो कुछ भी महसूस करते हैं, लिख सकते है। अन्तर आत्मा ही उनकी मार्ग-दर्शक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मैं चाहत हूं कि सभा इस प्रश्न के एक या दो पहलुओं के बारे में जाने।

प्रथमत:, मैंने पाकिस्तान के प्रतिनिधि, श्री आगाशाही से कोई आश्वासन नहीं मांगा;

और सामान्यतया आप किसी प्रभुसत्ता देश के प्रतिनिधि से कोई आश्वासन नहीं मांगते। यह एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया था ; वास्तव में, उन्होंने स्वेच्छा से कहा था, यह उनका अपना वक्तव्य था, यह उनका स्वेच्छा से दिया गया वक्तव्य था, कि वह मानव अधिकार आयोग में इस बार कश्मीर के मसले को नहीं उठाएंगे। हम दोनों के बीच हुई लम्बी चर्चा की पृष्ठभूमि में उन्होंने मित्रता पर बल दिया, उन्होंने अत्यधिक संतोष व्यक्त किया कि दिल्ली की वार्ता बहुत अच्छी रही है तथा उन्होंने यह आशा व्यक्त भी की आने वाले समय में मित्रता तथा सहयोग बढ़ेगा। इसपृष्ट भूमि, में मैंने यह समझा कि अधिकार आयोग मे कश्मीर के मसले को न उठाने सबंधी उनका ब्यान, दोनों देशों में मित्रता का सही वातावरण बनाने के लिए ही है जो दिल्ली में हुई सफल वार्ता के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है। अपने लम्बे अनुभव के आधार पर मैंने सही काम किया अर्थात उसके तुरन्त बाद मैंने विदेश मन्त्री को यहां लिखित रिपोर्ट दे दी। जब आप कूटनीतिज्ञों के माध्यम से औपचारिक रूप से बात चीत करते हैं, तो किसी भी सरकार के लिए यह आसान हो जाता है कि यदि वह उनके उद्देश्यों के अनुरुप है, तो वह कभी इन्कार भी कर देती हैं। चूंकि मेरी लिखित रिपोर्ट रिकार्ड में है अतएव जो कुछ उन्होंने मेरे लिए कहा है उससे वे इन्कार नहीं कर सकते।

यह घटना 10 फरवरी को हुई थी और एक सप्ताह बाद उन्होंने 17 फरवरी को एक वक्तव्य दिया था जो मद संख्या 9 पर था। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर काफी बोला था और उस वक्तव्य के अन्त में उन्होंने कश्मीर का उल्लेख किया था जिसका कि श्री वाजपेयी ने उल्लेख किया है। अब पाकिस्तान ने इसे एक सीधा सा (मोडरेट) वक्तव्य बताया है। और उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया को तीखा बताया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उन्होंने 17 तारीख को इसका उल्लेख क्यों किया ? मेरा ख्यालयह है कि 6 सप्ताह साथ रहे थे। मैंने श्री आगा हिलाली से कई बार बातचीत की। मैंनिजीबातों को प्रकट करना नहीं चाहता, लेकिन यह मेरा ख्याल है अर्थात कि जब उन्होंने मेरे सामने 10 फरवरी को वक्तव्य दिया, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस्लामाबाद सरकार की नीति यह थी कश्मीर का जिक्र नहीं किया जाये तथा भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने तथा अच्छा वातावरण बनान की दिशा में प्रयास किया जाये। उसनीतिके अनुसरण में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था।

17 तारीख को जब उन्होंने उल्लेख किया तब इस्लामाबाद में इस नीति में कुछ परिवर्तन किए गए थे। वह परिवतन क्यों किया गया मैं उसके बारे में अन्दाजा लगाना नहीं चाहता। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसका तत्पश्चात दो घटनाएं घटी। एक विदेश मन्त्री आगा शाही के जिनकी दिल्ली में की गई बातचीत सफल रही थी त्यागपत्र दे दिया। इस विषय में अटकल बाजी लगाई जाती है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से त्यागपत्र दिया है। लेकिन न केवल यहां बल्कि पश्चिम देशों लन्दन तथा अन्य स्थानों के समाजारों में यह अटकलबाजी लगाई गई है कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ कुछ नीति सम्बन्धी मतभेदों के कारण त्यागपत्र दिया है।

तथ्य यह है कि वहां का विदेश मन्त्री बदल दिया गया है। दूसरी बात वहां की आंत-

रिक स्थिति है जो काफी देर के बाद प्रकट हुई है। इसके बारे में आगा हिलाली ने मुझसे बातचीत की थी, और विदेश मन्त्री जी को इसकी सूचना दे दी है, वह रिकार्ड में है। वहां की आंतरिक स्थिति और भी बिगड़ गई। आप जानतेहैं हाल ही में अर्थात एक या दो सप्ताह बाद वहां क्या हुआ। कई हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है: प्रत्येक राजनीतिक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह ये दो कारण थे। क्योंकि यह सबको भली प्रकार ज्ञात है कि जब कभी पाकिस्तान को आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे कश्मीर जैसे भावनात्मक मामले का न उठाने का जोखिम नहीं ले सकते। इसलिए मेरे विचार के अनुसार वहां यह परिवर्तन हुआ है उन्हें नए निर्देश प्राप्त हो गए हैं, और यही वह कारण है जिसकी बजह से उन्होंने यह मामला उठाया।

यह उनके अश्वासन तथा उनके बाद से दिए गए वक्तव्य के बारे में है। दूसरा कारक इस बारे में प्रतिक्रिया है। क्या यह मामूली वक्तव्य था? यह पाकिस्तान के समाचार पत्रों के अथवा पाकिस्तान सरकार पर निर्भर करता है कि वह यह कहें कि उनका उल्लेख मामूली किस्म का था। लेकिन प्रश्न औचित्य का है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है मेरी आपत्ति तथा तथा विरोध केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होने इस प्रश्न को उठाया है हम यह कहते आ रहे हैं—पहले इस विवाद को आप, क्योंकि यह प्रश्न उठाकर वे मैत्री के सहयोग के अच्छे वातावरण जो दिल्ली में हुई बातचीन से पैदा किया गया है, को दूषित कर रहे हैं वास्तव में यह अच्छे काम को कष्ट करने की तरह है जो किया गया है, और यही कारण था— जिसकी वजह से मैंने इस पर बल दिया वे इस प्रश्न को क्यों उठा रहे हैं। इससे इस्लामाबाद में निकट भविष्य में होने वाली बातचीत के बारे में बातावरण दूषित हो जाएगा।

अब मार्शल-ला का उल्लेख करने के बारे वाजपेयी जी ने कहा कि मैंने रुजरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पाकिस्तानी राजदूत कहते हैं कि यह आन्तरिक मामला है। पाकिस्तानी, समाचार पत्र मुझ पर दोष देते हैं। लेकिन मैंने केवल एक लाइन का उपयोग किया है। जब मैंने जवाब दिया और जब मैंने आत्म निश्चय के अधिकार के बारे में इस मामले को उठाया।

हमने कहा है कि हम जम्मू और कश्मीर में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करा चुके हैं। समस्त विश्व जानता है कि भारत में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कुछ अन्य देशों के साथ-साथ यदि कहीं मजबून जीवंत, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष प्रजातन्त्र है तो वह भारत में है। अतएव, उस कारण से अथवा मानवीय अधिकारों के मामले में कोई भी भारत के रिकार्ड को चुनौती नहीं दे सकता। भारत का रिकार्ड विश्व में सर्वोतम है और पाकिस्तान चुनौती देता है और कहता है कि यह नहीं कहा जा सकता कि चुनावों से आत्म निश्चय को अधिकार का निर्णय किया गया है क्योंकि वे स्वतत्व और निष्पक्ष नहीं होते हैं तब में केवल एक प्रश्न पूछता हूं। मैंने कहा "क्या पाकिस्तान के विशिष्ट प्रतिनिधि यह महसूस करते हैं कि आत्म निश्चिय के अधिकार का मार्शल-ला के अन्दर वेहतर उपयोग किया जा सकता है? "यह आत्म निश्चय के उस प्रश्न के बारे में है, जिसका मैंने मार्शल लॉ के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावों के अतिरिक्त आत्म निश्चय के अधिकार का प्रयोग कैसे किया

जाता है ? क्या दूसरी जगह इसका प्रयोग किसी और ढंग से किया गया है ? अतएव, मैंने यह प्रश्न पूछा है और जब मैंने यह प्रश्न पूछा था ,जब मैं पाकिस्तान के आंतरिक मामले के रुप में मार्शल-लॉ के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के इस आरोप, कि जम्मू और कश्मीर की जनता को आत्म निश्चय का अधिकार नहीं दिया गया है, का जवाब देने के लिए यह एक आवश्यक तर्क है। मैंने जरुरत से ज्यादा प्रतिक्रिया बिल्कुल भी नहीं की है। मैं किसी भी शासन पद्धति के रूप में किसी भी मार्शल-लॉ का उल्लेख नहीं कर रहा हूं मैं केवल यह कह रहा हूं कि आत्म निश्चय के अधिकार का प्रयोग केवल स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से ही किया जा सकता है न कि मार्शल-लॉ के अन्तर्गत।

मैं भारी समर्थन देने के लिए सदन का आभारी हूं। इस बारे में मेरी अनुपस्थिति में तथा दूसरे सदन में भी चर्चा की गई थी। जिस लाइन पर मैं चला हूं उस पर निष्पक्ष मतैक्य था, क्योंकि वही एक लाइन है जिसे हम पिछले रिकार्ड तथा सिद्धान्तों के आधार पर लेते आ रहे हैं। बात यह है कि वातावरण दूषित हो गया है। तत्पश्चात पाकिस्तान ने एक और काम किया, यद्यपि उसे सही कर दिया था। क्योंकि मानवीय अधिकार आयोग 38 वें सत्र के प्रतिवेदन के प्रारुप में जम्मू और कश्मीर का उल्लेख किया गया था। मैंने इस बारे में पाकिस्तान के प्रतिनिधि से बातचीत की थी। मैंने कहा था कि "यदि इसका उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया जाता है तो वातावरण और दूषित हो जाएगा" हम दोनो यह चाहते थे कि दिल्ली में हुईबातचीत के बाद जो वातावरणबना था और इसे यहां कश्मीर के बारे में उल्लेख किए जाने से एक धक्का लगा है—को और दूषित नहीं किया जाना चाहिए। अतएव यह भारत और पाकिस्तान के अच्छे सम्बन्धों के हित में हैं और एक उपयुक्त स्थिति तथा अच्छा वातावरण पेश करने के हित में हैं ताकि इस्लामाबाद जिसके लिए आगे का समय निश्चित किया गया था, इसलिए इस उल्लेख को हटा दिया जाना चाहिए।

तब उन्होंने कहा था, "हम निर्देश प्राप्त करेंगे" और उन्होंने इस्लामाबाद से निर्देश मांगे थे और उन्हें अन्तिम क्षणों में ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि कश्मीर के उल्लेख को हटाने पर आपत्ति न की जाये और इस मामले को स्पष्टतया हटा दिया गया था। अतएव मानवीय अधिकार आयोग में जो कुछ होना था हुआ क्योंकि इस्लामाबाद सरकार की एक निश्चित नीति है और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को निश्चित निर्देश दिए। प्रतिनिधि ने तो शुरू में जब उन्होंने मुझे यह वक्तव्य दिया कि वे इस मामले को नहीं उठाएंगे अथवा 17 तारीख को एक सप्ताह बाद, जब उन्होंने इस मामले को उठाया अथवा उसके बाद जब वे रिपोर्ट से जम्मू तथा कश्मीर के मामले को हटाने के लिए सहमत हो गए थे, स्वप्रेरणा से कार्य नहीं किया, उन्होंने हमेशा सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य किया और, इसलिए इस्लामाबाद को प्रत्यक्ष नीति सम्बन्धी निर्देशों के अन्तर्गत जो होना था वह हुआ था।

अतएव, इस सम्बन्ध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और विदेश मंत्री ने यह ठीक ही कहा है कि बातचीत को कुछ समय के लिए इसलिए टाल दिया गया है क्योंकि वातावरण दूषित हो गया है और बातचीत करने से कोई भी लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि सदन के सभी वर्ग पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध चाहते हैं। हमारी स्वतन्त्रता से

लेकर, शुरु से ही यह नीति रही है कि हमारे पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध, सहयोग तथा मित्रता हो इसके बारे में दो राय नहीं है ; इसके बारे में पूर्णतया एकमत है। अतएव, बातचीत शुरु किए जाने के हित में यह अच्छा है कि वातावरण उपयुक्त नहीं है, यदि अगली बातचीत कठिनाई में होती हैं अथवा···तो सम्बन्धों को एक और धक्का लगेगा। इस बात को देखते हुए यह आवश्यक है और में इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पुन: अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए पाकिस्तान को दृढ़ निश्चय करना है, क्योंकि जब मैंने यह वक्तव्य दिया कि शिमला समझोते में यह व्यवस्था है कि द्विपक्षीय बातचीत से सभी प्रश्नों का रेजुलुशन पास किया जाए, पाकिस्तान सरकार ने एक प्रैस विज्ञप्ति में यह कहा, "यह स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं शिमला समझोते की संक्षिप्त भाषा को जानता हूं। लेकिन शिमला समझौते के अन्तर्गत किसी मामले को पंचनिर्णय अथवा किसी तीसरी पार्टी को केवल तभी भेजा जा सकता है जबकि वह बहुत महत्वपूर्ण हो, कश्मीर के बारे में भी द्विपक्षीय मामला है। अतएव, पाकिस्तान को इस बारे में पक्का निश्चय करना है कि क्या वे भारत के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में उभयपार्श्वता (द्विदक्ष) के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। वे साफ नहीं कर सकते कि वे कश्मीर के मामले को किसी भी मंच पर जहां वे चाहें, चाहे वह क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अथवा कहीं भीहो,किसी भी तरीके से जैसा वे चाहें उठाते रहें और कह ये कह सकें कि हम बातचीत के लिए है, हम अच्छे सम्बन्धों के लिए तैयार हैं। इसलिए यह पूर्णतया महत्वपूर्ण है और मैं इस बात पर तैयार बल देनाचाहता हूं कि जब तक यह आश्वासन नहीं दिया जाता वास्तव में, यह आश्वासन का प्रश्न नहीं है, मैंने यह गलत शब्द कहा है जब तक पाकिस्तान यह नहीं कहता है कि वे शिमला समझौते को अक्षरश: स्वीकार करने के इच्छुक है अर्थात सभी प्रश्नों को द्विपक्षीय वार्ताओं से से सुलझाया जाए। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते तो उभयपार्श्वता (द्विपक्ष) का सिद्धान्त, जो कश्मीर के बारे में शिमला समझौते का खोजकोष है, एक सच्चा सार है। जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते युद्धार्जन सान्ध, अथवा मैत्री क कोई सन्धि अथवा संयुक्त आयोग अथवा अन्य मामलों के बारे में बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक यह क्षेत्र सन्दिग्ध बना हुआ है और पाकिस्तान बातचीत टालने के लिए भारत पर दोष लगाने का प्रयास करता रहेगा तब तक हमे भारत की जनता के समक्ष भारत पाक सम्बन्धों की सच्ची तथा स्पष्ट तस्वीर रखनी चाहिए। भारत पाक सम्बन्धों के मामले का सबसे महत्वपुर्ण पहल यह है कि विश्वास का वातावरण पैदा किया जाए और पाकिस्तान को किसी भी मंच पर कश्मीर के मामले को उठाए जाने के बिचार को त्यागना पड़ेगा। उन्हें कश्मीर समेत सभी मामलों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा सुलझाने के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिए। यही निष्कर्ष है और मैं समझता हूं कि सारा सदन इस बात से सहमत है कि लोकतान्त्रिक प्रणाली में विदेश नीति का मतलब इस पर सबकी सहमति है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह सुनकर खुशी हुई कि वाजपेयी ने विदेश नीति पर सबकी सहमति पर बल दिया है। एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र और एक गैर-लोकतान्त्रिक राष्ट्र या तानाशाही राष्ट्र की विदेश नीति में यही अन्तर होता है।

हमारी राष्ट्रीय सहमति का सामंजस्य ही यही है कि हमें लोकतान्त्रिक समर्थन प्राप्त है हमारी राष्ट्रीय नीति को जनता का समर्थन प्राप्त है। सुदृढ़ पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों

से द्विपक्षीय बातचीत द्वारा सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमें इस नीति का पालन करना होगा चाहे इस नीति को लागू करने में कितनी ही कठिनाईयां आएं। हांलांकि मुश्किलें आती रही हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हम एक सुदृढ़ और स्थायी और प्रगतिशील पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी इस देश के विद्यमान इन संवेदनशील मामलों को समझना चाहिए और उनको इन बातों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और उन्हें बिना किसी तीसरी पार्टी के या विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने की बजाय मिलजुलकर-बैठकर सभी समस्याओं को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० आर० भोले।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र श्री बाजपेयी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। काफी देर सुनने के बाद मैंने पाया कि यदा-कदा कुछ आलोचना के अलावा वे हमारे द्वारा अपनायी जा रही विदेश नीति से पूर्णतय: सहमत हैं।

हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारे कुछ उद्देश्य व लक्ष्य हैं और हम उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी स्वाधीनता और प्रभुसत्ता को बनाये रखना है हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था और जीवन के स्तर में सुधार लाना होगा और इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे माहौल और वातावरण में काम करना होगा जिससे हमें शान्ति प्राप्त है और न केवल देशवासियों की बल्कि समस्त देश की सुरक्षा बनी रहे। चर्चा का विषय है कि यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आज के विश्व में, हमें अपने पड़ोसियों की तरफ भी देखना पड़ता है लेकिनि आज विश्व काफी छोटा हो गया है इसलिए आस पास के विभिन्न देशों में जो शक्तियां काम कर रही हैं उनका मुकाबला करना होगा। हो सकता है आज से 50 या 100 वर्षों के बाद जब मंगल, शनि, वृहस्पति और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाये तो हमें इन ग्रहों की ताकतों और उनकी प्रवृतियों का मुकाबला कर अपने अस्तित्व को कायम रखने का प्रयास करना होगा। लेकिन आज हमें सिर्फ अपने जैसे विकासशील देशों की ओर ही नहीं बल्कि विकसित देशों की तरफ भी ध्यान देना है। यह खुशी की बात है आज जिस विश्व में हम रह हैं उसमें एक नहीं। दो बड़ी शक्तियां हैं। प्रथम महायुद्ध से पहले सिर्फ एक बड़ी शक्ति, अमेरिका ही थी। दूसरे महायुद्ध के बाद सोवियत संघ भी बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इन दो बडी ताकतों के अलावा पाकिस्तान, बंगला देश नेपाल, भूटान, बर्मा, श्री लंका और हमारे पड़ोसी देश हैं हिन्द महासागर भी हैं जो हमारे देश को घेरे हुए है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भी हैं और पूर्वी एशियाई देश जैसे-चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया और अन्य देश हैं। हमें पश्चिम एशियाई देशों जैसे इसराइल, ईराक, इरान, पी० एल० ओ० और अन्य मुस्लिम देशों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अफ्रीका के अन्दर हमारे अभिन्न मित्र राष्ट्र भी हैं हमें यह भी देखना है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है, दक्षिण अफ्रीकी स्वाधीनता संग्राम और नाम्बिया के लोगों के आन्दोलन स्वापों द्वारा क्या किया जा रहा है, हमें यह भी देखना है कि पश्चिम यूरोप के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे पूर्व

यूरोप के लोग, जो कि सोवियत संघ के दोस्त हैं आगे बढ़ रहे हैं। नि.सन्देह इसके अलावा हमें ब्रिटेन की ओर भी ध्यान देना है हमें अपने देश के आस पास के सभी देशों की चाहे वे नजदीक हों या दूर,नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि हम शान्तिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से कैसे रह सकते हैं। यद्यपि शान्ति और सुरक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी बाधाएं हैं। ये बाधायें हैं असमानता और दूरी बहुत अधिक असमानता विकसित और विकाशील देशों में लोगों के रहन-सहन में व्याप्त असमानता। विकसित देश अमीर हैं। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। भोजन-स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने के अलावा उनके पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है, वास्तव में कुछ विकसित देश बड़े पैमाने पर हथियारों पर खर्च कर रहे हैं और उन्हें विकासशील देशों को बेच रहे हैं, जिससे कि वे गरीब देशों में और अस्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं और उन्हें और गरीब बना रहे हैं। श्रीमन हमारे जैसे देशों को यह ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उन हथियार निर्माता या उनकी सरकारें अन्य देशों को हथियार बेचने की अनुमति मिले और वे ये करोड़ों डालर की राशि भोजन, स्वास्थ्य और गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में खर्च करें। लेकिन यह लांबी शक्तिशाली है। यह दुर्भाग्य की बात की है कि इतनी असमानता होते हुए भी दोनों बड़ी शक्तियों के बीच टकराव है और यह होड़ नगी हुई है कि कौन बड़ा है, तथापि, इन दोनों देशों की युद्धनीति सम्बन्धी मत और विचारधाराए अलग-अलग हैं।

अमेरिका और रूस के उद्देश्यों में भारी अन्तर है। यह जानना हमारे लिए मुश्किल है कि वे टकराव की नीति पर चलने की बजाये नरमी का रूख क्यों नहीं अपनाते। दो बड़ी शक्तियों में यही अन्तर होता है। पिछले महायुद्ध में रूप को काफी नुकसान सहना पड़ा। उनके देश भूमि और घरों पर तूफानी (हवाई) हमले किये गये। उसके नगरों, शहरों और गांवों और देश के काफी बड़े हिस्से को विध्वंस कर दिया गया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। इसलिए रूस के लोग जानते हैं कि युद्ध से लोगों को, उनके शहरों और देश को कितना नुकसान हो सकता है। इस मामले में अमेरिका भाग्यशाली है। भाग्यवश, आज तक उनके लोगों ने काफी (नुकसान) सहा है, शायद लोकतन्त्र की रक्षा के लिए उनके लाखों बेटों की जानें गई। लेकिन यहां भी पेंच है। इसलिए, शायद लड़ाई के बारे मे जो रूस निवासियों की भावनाएं हैं, वह अमेरिकियों से अलग है, क्योंकि उन्होंने इसको सहा है उनके देश ने सहा है। ऐसा होना निश्चित ही है।

लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं और आप सभी जानते है कि अमेरिकावासी भी युद्ध नहीं चाहते। आज हिन्द महासागर, पश्चिम एशियाई देशों और नाम्बिया और यहां तक कि यूरोप में भी तनाव की स्थिति है। ये ऐसे स्थान हैं जहां कुछ भी सकता है, और इससे हम प्रभावित होंगे।

अमेरिका और अन्य देशों द्वारा हमारे पड़ौसी और अन्य देशों को परमाणु हथियारों की सप्लाई करने के बहुत गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान को अधिक हथियारों की सप्लाई की जा रही है, हमें यह सुनिश्चत करना होगा कि अपनी सुरक्षा बनाये रखते हुये कैसे शान्ति बनाये रखी जा सकती है। पाकिस्तान आज से ही नहीं

बल्कि 1972 से ही हथियार जमा करने व परमाणु शक्ति का विकास करना शुरू कर दिया था। श्री वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की स्थिति का उल्लेख किया है, वो एक बहाना मात्र है, श्री भुट्टो ने भी अपने शासनकाल में कहा था कि वे परमाणु हथियारों का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन दिनों में जरब से प्राप्त धनराशि से उन्होंने करीब 10 लाख डालर के हथियार खरीदे थे और 10 लाख डालर के हथियार चीन से भी खरीदे थे। यह बहुत खतरनाक बात है···(व्यवधान) अब पाकिस्तान को अमेरिका से करीब 3.2 करोड़ डालर के अत्याधुनिक हथियार जैसे एफ-16 लड़ाकू विमान और एम-60 टैंक आदि की सप्लाई की जा रही है। निश्चय ही इससे हमारी रक्षा व्यवस्था पर गम्भीर परिणाम पड़ेंगे।

हम में से अधिकांश का मत है कि ये गतिविधियां शान्ति और सुरक्षा या आत्मरक्षा के लिए नहीं हैं। यहां तक कि अमेरिका, जोकि इन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, इस बात पर विश्वास नहीं करता। अमेरिका के सेनेटर कांग्रेस मैन यहां तक कि पश्चिमी प्रेक्षक, हालांकि उनकी उससे सहानुभूति है, उनके परमाणु कार्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं हैं। 20 मार्च को अमेरिकी हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण एजेंसी के प्रधान श्री ड्यूगने रुस्तोव ने कहा कि पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की परमाणु गतिविधियां संदिग्ध हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी के अमेरिका के उप-प्रतिनिधि श्री रोजर क्रिक ने कहा कि पाकिस्तान का "कानुप्प" रियेक्टर खतरनाक हैं। अमेरिकी संसद की विदेशी मामलों सम्बन्धी समिति के सामने साक्ष्य देते हुए उन्होंने बताया कि वे इस बात का आश्वासन नहीं दे सकते कि पकिस्तान को परमाणु गतिविधियां, शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग की जायेंगी। जैसा कि श्री भगत ने अभी उचित ही कहा कि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक पल तो वे यह कहते है कि हम शिमला समझौते का आदर करते हैं, तो दूसरे ही पल वे काश्मीर का मामला उठा देते है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए।

हमें हिन्द महासागर में परमाणु हथियारों के रखे जाने की ओर भी ध्यान देना होगा। हालांकि राष्ट्रीय रीगन की विदेश नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण पूर्णतया सेना से सम्बन्धित है। अगर हमें सुरक्षा और अपना अस्तित्व बनाये रखना है तो इन सभी बातों की ओर ध्यान देना होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि सही दिशा में किये गए हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलेंगे। गुट-निरपेक्ष अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। हमारी प्रधान मंत्री के कानकुन में राष्ट्र-मण्डलीय राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र की समितियों में किये गए अथक प्रयासों का यूरोप, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक राष्ट्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सही समय पर, सही दिशा में किये कार्यों के विश्व-शान्ति के अच्छे परिणाम निकलेंगे। हम अपने इन प्रयासों से बड़ी ताकतों में युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमण्डल सम्मेलन और अन्य मंचों के माध्यम से परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए अपने तरीकों से प्रयास जारी रखे हुए हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि एक इस सही कदम उठाए जाने से हमें आशा की किरण दिखाई दे

रही है कि रूस द्वारा सोवियत यूरोप, पूर्वी यूरोप में माध्यमिक श्रेणी के मिसाइलों के फैलाव को अस्थाई तौर पर रोकने की एकपक्षीय घोषणा की गई है इसका अच्छा प्रभाव हुआ है न केवल यूरोपीय देशों में बल्कि अमरीका में भी। हम जानते हैं कि वाशिंगटन और यूरोप के बहुत से देशों की राजधानियों में बड़े-बड़े प्रदर्शन और शान्ति आन्दोलन शुरू हो गए हैं। यह शान्ति के लिए जन-आन्दोलन है।

चूंकि हम सब शान्तिप्रिय लोग हैं, हममें से अधिकांश भगवान बुद्ध के अनुयायी है, यदि हम जिस दिशा में पहले से कदम बढ़ा रहे हैं उसी दिशा में सही ढंग से कदम उढ़ाएं तो मेरा विश्वास है कि हम इस देश में शान्ति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय से सम्बद्ध अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के कई माननीय सदस्य है जो इस मन्त्रालय के सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं।। मन्त्री इस वाद-विवाद पर कल 4 बजे उत्तर देंगे। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कल बोलने की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें निर्धारित समय में कल बोलने की अनुमति दी जाएगी। यदि दोनों पक्षों के अन्य माननीय सदस्य देर तक बैठने को तैयार हों तो मैं यहां पर बैठने के लिए तैयार हूं और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जा सकेगा, अब मैं श्री नागरत्नम को आमन्त्रित करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मन्त्री कब उत्तर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : कल ८ बजे इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : बैठक 6 बजे से ओर आगे नहीं चलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर बोलने के इच्जुक सदस्य बैठना चाहें तो मैं बैठने को तैयार हूं।

श्री टी० नागरत्नम (श्री पेरम्बदूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1882-83 के लिए विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। यह मन्त्रालय दूसरे देशों में हमारी छवि को उजागर करने और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विदेशों से भारत के सम्बन्धों से निर्धारित करने के प्रति उत्तरदायी है।

मैं विदेश मन्त्रालय के 1882-83 के बजट अनुमानों का स्वागत करता हूं और विदेश मन्त्री को बधाई देता हूं कि वे विदेशों और पड़ोसी देशों यथा पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका और अन्य महा-शक्तिशाली देशों के साथ बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे है।

महोदय, मुझे याद आ रहा है कि मेरे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री अशिनार अन्ना जो उस समय तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने अमरीका जाने से पहले हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से भेंट की और विचार-विमर्श किया। जब वे अमरीका में थे तो अधिकांश लोगों ने इनसे पूछा "आपकी विदेशी नीति क्या है ?" मेरे प्रिय नेता ने सीधे शब्दों में बताया कि "मेरी विदेश नीति वही है जो मेरे देश की विदेश नीति है।" येल विश्वविद्यालय के लोगो ने जिनमें से अधिकांश पढ़े-लिखे थे, उनसे फिर पूछा, "आप तमिलनाडु से आए हैं, आपका एक

दल द्रविण मुनेत्र कड़गम है। लेकिन आपने बताया है कि अपनी विदेश नीति वही है जो आपके देश की विदेश नीति हैं, क्या आपकी नीति केन्द्र सरकार की विदेश नीति से अलग नहीं होनी चाहिए ?" मेरे नेता ने फिर सीधे शब्दों में कहा "मेरे देश की विदेश नीति नहीं है जो हमारी विदेश नीति है। अर्थात् विदेश नीति राष्ट्रीय नीति है। हम भारतीयों के रूप में संगठित हैं। अतः हमारी विदेश नीति समान है।" अतः मैं सदन और बहस में इस पहलू पर भाग लेने वाले सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बहस में अब तक भाग लेने वाले सदस्यों ने कहा है कि पाकिस्तान अत्याधुनिक शस्त्र एकत्रित कर रहा है जो उसने संयुक्त राज्य अमरीका से खरीदे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता शासन के दौरान पाकिस्तान को ढाई करोड़ डालर कीमत की सैनिक सहायता प्रदान की गई और पाकिस्तान ने अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों से दो करोड़ डालर कीमत की शस्त्र और युद्ध सामग्री प्राप्त की.

अब वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान को हथियार बद्ध करना एक खतरनाक खेल है। हमें उन सब देशों से सहयोग करना चाहिए जो शांतिप्रिय हैं। हम सभी देशों से अपने सम्बन्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा शस्त्र जोड़ने के विपरीत यदि पाकिस्तान युद्धबंदी समझौते पर हस्ताक्षर करने में अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करता है तो हमें उससे मित्रता का हाथ बढ़ाने में प्रसन्नता होगी।

हमारा देश नेपाल, भूटान, बंगला देश और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अन्य विकासशील देशों को द्विपक्षी समझौतों या विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

मन्त्रालय ने अन्य देशों में प्रचार कार्यक्रमों को सुधारने का जबरदस्त कार्य किया है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे तमिल संस्कृति व परम्परा पर कुछ और कार्यक्रम आयोजित करें।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि 1982-82 के बजट अनुमानों में बंगला देश को दी जाने वाली सहायता 1982-82 के संशोधित अनुमानों में निर्धारित 1.35 करोड़ रुपये की तुलना में 2.52 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

हम बंगला देश के तकनीकी कार्यक्रमों में सहायता देते रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, प्रशिक्षण सुविधाओं, लघु-उद्योगों संसदीय अध्ययन में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बंगला देश जूट का उत्पादन करता है जोकि चीन को बेचा जाता है और बदले में बंगला देश हथियार और युद्ध-सामग्री खरीदता है। अतः मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमें भी बंगला देश से खरीद करने की प्राथमिकता देनी चाहिए।

मैं पिछले अगस्त व सितम्बर 1981 में श्रीलंका में घटी उन अप्रिय घटनाओं का उल्लेख ही करना चाहता हूं। मैंने बहस में भाग लेने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित वरिष्ट सदस्यों द्वारा व्यक्त प्रेक्षणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने श्रीलंका में पिछले वर्ष हुई उस अप्रिय घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है। इसमें अधिकांश तमिल लोग प्रभावित हुए है; उन्हें

सिंगलियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। बहुत से तमिलों की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई। उनकी सम्पत्ति को आग लगा दिया गया। अधिकांश स्त्रियों का शील भंग कर दिया गया। तमिलनाडु के श्री धनवथी को जो सैर-सपाटे के लिए सीलोन गए थे - हत्या कर दी गई।

पिछले वर्ष विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर मैंने भाषण दिया था, मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। उन्होंने सीलोन के तमिलों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

मेरे प्रिय नेता डा० कालाजार और अन्य जिन्होंने सीलोन के विरुद्ध प्रदर्शन किया उन्हें जेल भेज दिया गया। मेरे नेता सहित कई तमिल जेल में हैं। लम्बे अरसे से चली आ रही इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। 1964 के समझौते के अनुसार दो वर्ष का समय बढ़ाये जाने के पूरक समझौते की अवधि पूरी हो गई है। एक बार समझौता पूरा होने के बाद श्रीलंका में भारतीय मूल को कोई भी नागरिकता विहीन व्यक्ति वापस नहीं किया जाना चाहिए। उनकी नागरिक विहीनता को हटाने की जिम्मेदारी श्रीलंका की है।

रामेश्वरम में अधिकांशत: मत्स्य पालकों का समुदाय है। उन्हें मंत्रणा दी जा रही है। श्रीलंका के लोगों से कोई इसका कारण नहीं पूछता है। भारतीय राज्य क्षेत्र के जल में भी भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। अत: मंत्री जी को यह मामला श्रीलंका के प्राधिकारियों के पास ले जाना चाहिए और इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए।

मैं इस सदन का ध्यान हिन्द-महासागर में संयुक्त राज्य अमरीका के युद्ध-पोत अड्डा बनाए जाने की ओर आकृष्ट करता है। श्रीलंका सरकार ने बताया था कि उन्होंने मनोविनोद स्थल बनाया है। परन्तु उन्होंने इस बात से इकार किया कि हिन्द-महासागर में युद्ध-पोत अड्डा बनाया जा रहा है।

हमारे मंत्रीगण, उच्च पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधि विदेशों में जाते रहते हैं और विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं। हम लोकतांत्रिक और सहयोगी सम्बन्धों और एक दूसरे के प्रति अपने सम्बन्धों की सच्चरित्रता को मजबूत करने के परम्परागत तरीके का पालन कर रहे हैं।

विदेशों में मिशनों और पदों के माध्यम से और यह देखते हुए कि विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा हिस्सा होने से सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकारी नीति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमारे मंत्रालय की सरकारी भाषा क्रियान्वित समिति ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के मामले में वास्तविक क्रियान्वयन नीति पर कड़ी निगाह रखी है। हिन्दी में नई पुस्तकें विदेश भेजी गई। लेकिन मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विदेशों में विशेष रूप से जहां दक्षिण भारतीय हैं वहां तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं की पुस्तकें भी भेजी जाएं।

उदाहरणार्थ फिजी और मारीशस द्वीप-समूह में अधिकांश तमिल लोग हैं। मेरा अनुरोध है कि थिरुकुराल जैसा तमिल साहित्य और तमिल समाचार-पत्र और पत्रिकाएं उनके पुस्तकालयों में भेजी जानी चाहिए।

हमारे देश से विशेषकर नौकरी के उद्देश्य से बाहर जाने वाले लोगों को पासपोर्ट जारी करने के सम्बन्ध में सरकार को इस बात पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि जब तक किसी व्यक्ति को नौकरी की पूरी गारंटी नही मिलती तब तक उसे पासपोर्ट जारी न किया जाए। अन्यथा जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है और वहां उसे नौकरी नहीं मिलती तो वह बेकार और भिखमंगा बन कर रह जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट में पासपोर्ट कार्यालय का कार्यभार बढ़ने की बात कही गई है। 1981 के दौरान कार्य-भार 55 प्रतिशत बढ़ गया। 1981 में 13.54 लाख नये पासपोर्ट जारी किये गए जो अब तक किसी भी वर्ष में की तुलना में सबसे अधिक रिकार्ड किये गए हैं।

जहां तक मंत्रालय के विदेश प्रचार-प्रभाग का सम्बन्ध है, उससे सुधार किया जाना चाहिए और उसे जनसासान्य और देशों के सम्बद्ध प्राधिकृत प्रचार माध्यमों के समक्ष भारतीय विदेश नीति के सभी पहलुओं को उजागर करना चाहिए।

मैलबोर्न में दिनांक 29 सितम्बर से 30 अक्तूबर तक हुए राष्ट्र-मण्डलीय सरकारों के अध्यक्षों के सम्मेलन—जिसमें 41 देशों ने भाग लिया, का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रपतियों और प्रधानमत्रियों द्वारा किया गया। आस्ट्रेलिया के प्रधानमत्री श्री मैलकम फ्रेजर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। मैलबोर्न घोषणा में कहा गया:—

> "विश्व में धन की असमानता और विशेष रूप से विकासशील देशों में लाखों लोगों की गरीबी विश्व में तनाव और अस्थिरता की जड़ हैं।"

उत्तर-दक्षिण के मसलों पर भी बहस हुई। हमारी प्रधान मंत्री ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को अन्य देशों की दृष्टि में और बढ़ाया।

नई दिल्ली में 9 से 13 फरवरी तक निर्गुट राज्यों का सम्मेलन हुआ। इसमें 93 सदस्य देशों ने भाग लिया, सम्मेलन का उद्घाटन हमारी प्रधान मंत्री ने किया। उन्होंने सबका स्वागत कर कहा:—

> "विश्व की इस यथार्थ स्थिति में, पलक झपकते ही नाभिकीय युद्ध-क्षेत्र बन जाने या किसी दुस्साहसपूर्ण कृत्य की सम्भावना को देखते हुए शक्ति के प्रति न्योछावर होने की निर्गुट देशों की पाँग अधिक प्रासंगिक हो गई है।"

उन्होंने बड़े देशों का आवह्वान कर उनसे अपील की कि वे अपने अत्यधिक युद्धप्रियता के रुख को छोड़े, और हिन्द महासागर और एशिया व अफ्रीका के बहुत से भागों में दबाव को कम करें और सौहार्द व शांति स्थापना के प्रयास करें। एक बार फिर मैं अपने विदेश मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं जिन्हें करतल ध्वनि के साथ सम्मेलन का सभापति चुना गया।

एक सम्मानीय सदस्य भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल विहारी वाजपेयी ने जब वाद-विवाद में भाग लेते तो उस समय बोला था उस समय माननीय मन्त्री महोदय थोड़ी देर के लिये सभा से बाहर गए हुए थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण के शुरू में ही यह टिप्पणी की थी :—

अध्याय पन्द्रह : "प्रशासन तथा संगठन"

"वार्षिक प्रतिवेदन 1981-82"

जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्धरण दिया था तभी गलती बता देनी चाहिए थी। मुझे भी श्री अटल विहारी वाजपेयी जी की टिप्पणी में दोष निकालने के बारे में बताया जाये।

अध्याय में प्रशासन तथा संगठन पर विचार किया गया है। इसमें यह कहा गया है :—

"श्री पी० वी० नरसिंह राव विदेश मन्त्री बने रहे।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी "प्रशासन तथा संगठन" शीर्षक को भूल गये हैं और उन्होंने अवसर पाकर बाद के हिस्से को हटा दिया है, वह भाग यह है :—

"विदेश सचिव तथा सचिव स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।"

अपर सचिव स्तर पर श्री जे० आर० हीरेमय ने अमर सचिव (प्रशासन) पद पर और डा० जे० एस० तेजा ने अपर सचिव (नीति आयोजना) पद पर कार्यभार सम्भाला।"

मैं समझता हूं कि यह वाक्य :—

"विदेश मन्त्री पद पर बने रहे"

त्रुटिपूर्ण नहीं है। यह सही है। यह वाक्य बड़ी सावधानी से इस प्रतिवेदन में रखा गया है। अन्त में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री हरिकिशनलाल भगत (पूर्वी दिल्ली) : मुझे इस बात का दुख है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यहां होते।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूं। वह विदेश मन्त्री थे तथा इसलिए वह स्वभाविक रूप से यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें विदेशी मामलों तथा ऐसे तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में बहुत जानकारी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सदन में कुछ विचार रखे थे जिनके कारण मैं अब यह बात कह रहा हूं। वह वर्तमान विदेश मन्त्री के बारे में कुछ प्रश्न, कुछ बातें उठा रहे थे।

मैं विदेश मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दें।

मैं कहूंगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कहना कि केवल दिल्ली के बारे में उठाये गये प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता है आत्मभिमान होगा।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े सम्मान पूर्वक यह कहूंगा कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य संसद सदस्य है और यह कहना अच्छी बात नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ दिल्ली के बारे मे ही बात कर सकता है, विदेशी के मामलों के बारे में नहीं। (व्यवधान)

भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश हम दोनों भूतपूर्व मन्त्री हैं और भाग्यवश आप भूतपूर्व मन्त्री हैं। हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि भूतपूर्व मन्त्री कम से कम हमेशा भूतपूर्व मन्त्री रहते हैं।

मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि भारत का यह ऐतिहासिक नगर न केवल सत्ता-धारी दल को सदस्य संख्या को दृष्टि से अपितु, मतों की दृष्टि से भी किसी तरहश्री अटल बिहारी वाजपेयी से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं मैं यह कहकर अपने को छोटा करना नहीं चाहता।

लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे बोलने के लिये प्रेरित किया है अन्यथा मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था।

मैं सर्वप्रथम अभी उनके अन्तिम तर्क को ले रहा हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने हमारे विदेश मन्त्री से एक प्रश्न किया और परमाण अस्त्रों के बारे में अपना मत व्यक्त किया।

मैं उनकी अन्तिम बात को ले रहा हूं।

हम सभी राजनैतिक नेता तथा संसद सदस्य आमतौर पर कुछ बातें बाजीगरों की तरह और कुछ बातें इस तरह से करते हैं मानो हम स्वयं बाजीगर हैं।

मैं यह कहता हूं कि मैं बाजीगर हूं मैं यह कहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी बाजीगर हैं ?

इसलिए मैं अभी यह निवेदन कर रहा हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहते हुये कि आप इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि पाकिस्तान क्या है परमाणु अस्त्रों के बारे में अपनी राय स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं ? यह प्रश्न हमारी प्रधान मन्त्री से किया है।

प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में अच्छी तरह जानता है और हमने भी हमेशा इसके बारे में कहा है और हमारी इस सरकार ने भी हमेशा यह कहा है कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्ति पूर्ण कार्यों के लिये करेंगे।

प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है और विश्व में हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। कि पाकिस्तान परमाणु बम्ब बनाने जा रहा है और इस प्रकार के अन्य अस्त्र भी बनाने जा रहा है। इसके कुछ प्रमाण भी मिले हैं। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सरकार का रुख बहुत अच्छा रहा है। हमारा रुख भी यही है कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्ति पूर्ण कार्यों के लिए करेंगे। लेकिन हम स्थिति पर निगाह रखेंगे। अब श्री वाजपेयी जी हमारे विदेश मन्त्री महोदय

से क्या कहलवाना चाहते हैं ? यही कि इस बात पर ध्यान दिये बिना कि पाकिस्तान बम्ब बनाता है या नहीं हम बम्ब बना रहे हैं ? बाजीगरी ठीक होती है । लेकिन इस प्रकार के गम्भीर मामलों में श्री वाजपेयी जी ने यह प्रश्न उठाया है । इससे यह पता लगता है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर किस प्रकार पक्षपात पूर्ण चर्चा कर सकते हैं । मैं उसका अनुकरण नहीं करना चाहता हूं लेकिन उन्होने यह कहा है कि इसक ेलउन्हें आवश्यकता नहीं थी । मैं उनकी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने तथा उनके दल ने परमाणु बम्ब के बारे मे पूछा था जब हमारी सरकार ने पोखरन में शान्ति पूर्ण कार्यों के लिए परमाणु विस्फोट किया था उन्होंने इसका स्वागत किया था जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री थे उस समय श्री वाजपेयी जी विदेश मन्त्री थे श्री मोरारजी देसाई ने प्रधान मन्त्री क रूप में उस विस्फोट की यह कह कर निंदा की थी कि यह विस्फोट शान्ति पूर्ण कार्यों के लिए नहीं था, वह बात उन्हें कहनी नहीं चाहिए थी । वह विश्व में हमारे दुश्मनों के साक्षी बन गये । श्री वाजपेयी उस समय मौन नहीं उस समय श्री वाजपेयी ने इसके विरोध में कुछ नहीं कहा । श्री मोरारजी देसाई न आगे यह भी कहा कि भारत भविष्य मे शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी कोई परमाणु विस्फोट नहीं करेगा । मैं यह नहीं जानता हूं कि उस समय इस मामले पर संसद में विचार किया गया था या नहीं, इस मामले पर तत्कालीन मंत्रिमंडल ने विचार किया था या नहीं और श्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्र के नाम पर अपनी यह राय दी । श्री वाजपेयी ने मंत्रिमंडल स्तर का मन्त्री होने के नाते भी इसके बारे मे एक शब्द नहीं कहा जब वह हमारे विदेश मन्त्री से सीधे यह चाहते हैं कि हम इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे में । बहुत ही स्पष्टरूप से उत्तर दिया गया है मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है । मैं यह जानता हूं कि सभी विशेष तौर से, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित राजनैतिक कार्य बहुत ही जटिल तथा नाजुक होते हैं और इस प्रकार के नाजुक मामलों के सम्बन्ध में श्री वाजपेयी जो इस प्रकार से खुले रूप से बात करते हैं वह इस प्रकार की बात करके केवल कुछ वाजगिरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है ।

अब हमें उनके कुछ अन्य नाजुक मामलों जो पाकिस्तान तथा अन्य बातों से सम्बधित है, को लेना चाहिए । मै उन्हें कोई प्रेरणा नहीं दे रहा हूं मेरा विश्वास है कि वह भी हमारी तरह देश भक्त हैं । लेकिन उनका इरादा कुछ भी हो, उनके दिमाग में कुछ भी हो । उनके सभी तर्क पाकिस्तान के तर्कों की बकालत करते हैं और उनके तर्क भारत के तर्कों के विरुद्ध हैं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं यह बात पूर्ण जिम्मेदारी की भावना के साथ कहना हूं कि श्री वाजपेयी की बात को सुनने वाला व्यक्ति यही अनुमान लगायेगा कि श्री वाजपेयी को उससे पूरा सन्तोष है कि विभिन्न मामलों पर जो कुछ पाकिस्तान कह रहा है उसका कुछ महत्व है और भारत का दृष्टिकोण गलत है यदि श्री वाजपेयी इस पर निष्ठा और ईमानदारी से विचार करते हैं, जो उन्हें ऐसा कहने की छूट है ; उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । मैं केवल इस कारण कि हम श्री वाजपेयी जो की भावनाओं से सहमत नहीं है, मैं उनसे चुप रहने के लिए नहीं कहूंगा । लेकिन यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के तर्कों को मजबूत करने के सम्बन्ध में कहा है । जब मैंने उन्हें टिप्पणी करते हुए सुना तो मुझे दुख हुआ । कि हम भारत में युद्ध का आतंक क्यों पैदा करे । उन्होंने युद्ध का आतक शब्द का प्रयाग किया है ।

उसे भारत में कौन पैदा कर रहा है। सभापति महोदय, आप जानते हैं क्या भारत में कोई अन्य व्यक्ति युद्ध का आतंक पैदा कर रहा है? क्या भारत में युद्ध का आतंक फैला रहे हैं? इसे किसने पैदा किया है? भारत में युद्ध का आतंक विद्यमान नहीं है। यह पाकिस्तानी त्यागी है, जो तत्व हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम भारत में युद्ध का आतंक फैला रहे हैं कि हम भारत में युद्ध का आतंक फैला रहे है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुखदायी है कि श्री वाजपेयी उस तर्क को समर्थन दे रहे हैं यह लज्जा की बात है। मै यह कहूंगा कि वह इसे समर्थन दे रहे हैं।

हमें उनके अन्य तर्कों को लेना चाहिए। उन्होंने शिमला समझौते के बारे में कहा। जैसा कि मैंने कहा है मैं किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं लेकिन मुझे कुछ बातें निष्कपट रूप से कहनी चाहिए। जब भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उस समय पाकिस्तान ने श्री वाजपेयी जी के दल ने शिमला समझौते का विरोध किया था वह राजस्थान गये वहां की धूल हाथ में लेकर अपने माथे पर लगाई और एक ऊंट पर बैठकर गये और यह कहा मैं शपथ लेता हूं :—

"भारत मां धरती मां का एक कचरा भी हम जाने नहीं देंगे।"

यह श्री वाजपेयी की बाजीगरी थी। जब वह विदेश मन्त्री बने उस समय क्या घटना घटी? उन्होंने यहां कहा "शिमला समझौता बेजोड़ समझौता है उन्होंने यहीं जाहिर किया कि वह शमला समझौते के उतने प्रत्याधिक सहृदयी वकील तथा समर्थक हैं जितना शिमला समझौते की समर्थक इसकी निर्माता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी नहीं है। यह उनका वक्तव्य था। उन्होंने यही कुछ कहा और मैं आश्चर्य में हूं कि जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने यह प्रभाव छोड़ा। जब श्री वाजपेयी से प्रश्न पूछा गया कि आप इस विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा इसे भूल जाओ आज मुझे आश्चर्य है मैं जानता हूं कि यह सच है कि शिमला समझौते में कहा गया था कि सभी बातों पर विश्वनीय बातचीत होगी। लेकिन यह दबाव डालने का प्रश्न है। अब पाकिस्तान कश्मीर पर जोर दे रहा है। क्या हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उनके जाल में फंस जायें और दबाव में आ जाए तभी वाजपेयी जी ने कहा है कि कश्मीर पर बातचीत कीजिए, और उन्होंने कहा बातचीत करिए उसमें बुरा क्या है? वहां भी वह पाकिस्तान के तर्क का समर्थन कर रहे थे कि कश्मीर पर इस तरीके से बातचीत की जाए। उस पर द्विपक्षीय बातचीत नहीं की गई, वह मामला अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया।

अतः विनम्रता से जो कुछ मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि उनके सभी तर्क वास्तव में पाकिस्तान के पक्ष का और उसके तर्कों का समर्थन करते हैं। कभी यह सत्य नहीं है कि जवाहर लाल नेहरु जी ने बिना शर्त युद्ध न करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या हमारे सरकार की ओर से यह कहना गलत है कि हम गंभीरता से इस विषय पर विचार करते है? क्या शिमला समझौता युद्ध न करने समझौता नहीं था? भारत ही हमेशा उसके लिए अटल रहा है। जब पाकिस्तान अचानक यह कहता है, "हम युद्ध न करने का प्रस्ताव गलत है" कि हम हमेशा ही ऐसा कहते रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान सरकार को इसका पाठ पढ़ाएं और इस

तर्क में शामिल हों कि हमने ही सबसे पहले ऐसा कहा था जबकि ऐसा करने वालों में सर्वप्रथम हम ही थे। क्या यह गलत है? यह गलत कैसे है यदि हम उन्हें यह याद दिलायें और यदि हम सावधान रहें ? महोदय अब मैं स्पष्ट कह दूं। मेरे विचार से, साम्राज्यवादी ताकतें भारत को विभिन्न तरीकों से संत्रस्त रूप में घेरने के प्रयास कर रही हैं और यह दुःख की बात है कि स्थिति को जानते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे हैं और गुरुत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं कहूंगा कि इन बातों को कहना अनुचित है।

परिस्थितियों की संपूर्णता में वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा वह उनकी वकालत ही है। उन्होंने बिना उस शब्द को कहे हमारे ऊपर पड़ोसी देशों पर बड़े भाई का सा रौब जमाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन उनके कथन का यही अर्थ है जो कि सर्वथा अनुचित है। प्रारम्भ से ही भारत का रुख विशेषकर को कांग्रेस शासन में पाकिस्तान सहित सभी पड़ौसी देशों को साथ दोस्ती का व्यवहार करने का रहा है। मैं संसार किसी ऐसे उदाहरण के बारे में जानना चाहता हूँ किसी देश ने जीती हुई भूमि को इतने कम समय में भारत की तरह वापिस कर दिया हो। भारत पर यह आरोप लगाना कि आप यह नेपाल के साथ कर रहे हैं और आप यह बंगलादेश के साथ के साथ कर रहे हैं ; सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है यह सच है और दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि विदेश मन्त्री के रूप में वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत को हर एक ने कमजोर समझ लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति, भारत का स्तर और क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। हम कोई सरदारी नहीं चाहते। हम अपने पड़ौसियों पर प्रभुत्व नहीं चाहते। भारत कोई बड़ी शक्ति भी बनाना नहीं चाहता। भारत शांति प्रयासों के उद्देश्यों में सहायक बनना चाहता है। भारत अपने हितों की रक्षा चाहता है। चाहता है। भारत अपने पड़ोसियों के हितों की रक्षा चाहता है। क्या मुझे यह याद दिलाना होगा कि उनके कार्यकाल के दौरान जिन्होंने बंगला देश की मुक्ति के लिए लड़ा, उनमें से अधिसख्यक को बगला देश के प्राधिकारियों को सौंप दिया गया जिसे कि वह बंगला देश के प्रति मित्रता का संकेत कहते हैं और उन्हें तत्कालीन शासन द्वारा निर्दयता से मार दिया गया। हम बंगलादेश के साथ मित्रता चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार के प्रयत्न वह कर रहे वह मित्रता नहीं थी। उनका सारा काम मतभेद बढ़ाने का था और इसी कारण भारत की क्षति धूमिल हो रही थी। यह हम सभी जानते हैं। राष्ट्रपति रीगन के बारे में न कहें। जब श्री कार्टर भारत आए तो उन्होंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के विषय में क्या कहा। हम जानते हैं वह महान देश की महान प्रधानमन्त्री हैं। वे प्रसन्न थे। मैं कोई तुलना करना नहीं चाहता हूं। मैं भी चाहता था कि श्री मोरार जी देसाई का प्रधान मन्त्री के रूप में स्वागत किया जाता। लेकिन, दुर्भाग्य से नहीं किया गया अतः मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि उनके तर्क वास्तविक और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

उनका यह कहना भी बड़ा मजेदार है कि गुरू-निरपेक्ष देश अफगानिस्तान के विषय में शुरुआत क्यों नहीं कर सकते हैं'' यह ऐसा या वैसा क्यों न कर सकें ? मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए ? भारत को क्या करना है चाहिए और श्री नरसिंह राव को क्या करना है ? फिर वह कहते हैं कि गुट निरपेक्ष देश भी दबाव में हैं। उन्हें भी मन्त्री बनाया गया

था। मैं नहीं कहना चाहता कि वे भी इसी प्रकार के दबाव में थे कुछ अधिक और कुछ कम। लेकिन गुट निरपेक्ष देश, भारत तथा गुट-निरपेक्ष विश्व के कई अन्य नेताओं द्वारा प्रयत्न करने पर कठिन परिस्थितियों में पड़ गए। यह सच है कि उन्होंने नई दिल्ली में हुए हाल ही में हुए सम्मेलन के महत्व को कम करके आंकड़े का प्रयत्न किया है सबसे दुखद यी बात यह है कि इन्होंने ऐसा कहा। मैं इसे राष्ट्र का अपमान समझता हूं जब उन्होंने कहा कि भारत बड़ी ताकतों पर निर्भर है अत: भारत निर्णय लेने में कमजोर पड़ गया है क्योंकि उसे सोवियत संघ से हथियार व अन्य बड़ी ताकतों से पैसा धन लेना है। मैं कहुंगा कि यह कहकर कि हमें अमेरिका से धन मिला है इस सदन भारत और भारतीयों का अपमान करना है हमें अमेरिका के विरोध के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन मंजूर हुआ। यह तथ्य है। हम सोवियत संघ व अन्य देशों से हथियार खरीद रहे है। यदि हमें हथियारों की आवश्यकता पड़ी है तो सोवियत संघ हमेशा हमारे समर्थन में दोस्ती निभाता रहा है। वास्तव में, हमने हथियारों की खरीद अन्य कही से नहीं की। वह हमेशा यह कहते हैं कि भारत दूसरों पर निर्भर देश हो गया है ऐसा उनके समय में रहा होगा। हम सभी जानते हैं और सारा विश्व इसे जानता है। वास्तव में श्री वाजपेयी आम सहमति की बात कर रहे हैं। उनके दल, जो कि प्रतिक्रियावादी है, को छोड़कर आम सहमति दी है। यह साम्राज्यवादी ताकतों का समर्थक है। वास्तव में हमारे दल में आय सहमति है। यहां बैठे हुए हमारे कुछ वामपंथी मित्र जिनके हमारे कई बातों पर मतभेद है किन्तु जहां तक भारत की विदेश नीति का संबंध है सी० पी० आई, सी० पी० एम और अन्य ग्रुपों के साथ आम सहमति है। उन्होंने कहा है कि भारत की विदेश नीति में कोई दोष नहीं है। किन्तु मेरे मित्र पर बिचार, भारत की विदेश नीति के सम्बत्ध में, इसके विपपीत हैं। वह ऐसा जता रहे हैं मानो हमारी सरकार अमेरिका और रुस द्वारा चलाई जा रही है। सोवियत संघ ने हम प्रगुणन विरोधी सधि पर हस्ताक्षर न करने के लिए दबाव डाला। अमरीका से दबाव होने के बावजूद हमने ऐसा नहीं किया। हमे यह नही भूलना चाहिए कि जब डा० किसिंजर ने भारत के संबंध में लिखा तो क्या हुआ। मोरारजी देसाई ने का था कि वह राजनीतिज्ञ हैं और कुछ कर नही सकते। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें हमारे देश का क्या हित था। इसे सारी दुनिया जानती है। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता। ये एतिहासिक तथ्य हैं। आज भारत की विदेश नीति हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे योग्य विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ चलाई जा रही है जिस पर तमाम राष्ट्र को फख्र हैं जब में आस्ट्रेलिया में था तो मैंने वहां के समाचार पत्र में पढ़ा। जापान की एक अलग अलग नीति है। मैं वहां पर भी गया और लोगों के विचार जाने लोगों का अधिकारिक रूप से एक दृष्टिकोण है और अनाधिकारिक रूप से अलग दृष्टिकोण है। मैने पाया कि वे हमारी विदेश नीति के प्रशंसक है।

अब चीन के सम्बन्ध में श्री वाजपेयी ने कुछ कहा। वह हमसे कैसा करवाना चाहते है जैसा वह चाहते हैं। नियतनाम की लड़ाई जारी थी और वे वहां पर डिनर कर रहे थे। मैं केवल "भोजन कर रहे" शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। आप जानते हैं कि हम चीन के साथ अपने संबंधों में सुधार करना चाहते। हमारी सरकार इस दिशा

में प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रही है। हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। मैं उनके साथ मैत्री का इच्छुक है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है। श्री वाजपेयी आप विदेश मन्त्री थे। जो कुछ राव कर रहे हैं आपने उससे अधिक अथवा बेहतर कुछ भी नहीं किया। अफगानिस्तान की समस्या राजनैतिक समस्या है। हमारे रूस के साथ अच्छे संबंध हैं। वे हमसे कहते हैं कि हम उनसे इस मामले में कुछ करने के लिए क्यों नहीं कहते। वह सोचते हैं कि हथियारों का प्रयोग भारत के विरूद्ध किया जाएगा। वह यह भी कहते हैं कि कम से कम अमेरिका के पास, अफगानिस्तान की घटनाओं के आधार पर, पाकिस्तान को हथियार देने का बहाना है। मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा कहकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अमरीका और पाकिस्तानी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। इसका कोई कारण और वास्तव में कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिका पहले भी पाकिस्तान को हथियार देता रहा है। महोदय, अमेरिका की नीति हमारी शक्ति को कम करने की और मैं कहूंगा कि हमें अस्थिर करने की रही है श्री वाजपेयी का यह तर्क देना अमरीका और पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन करना है।

महोदय, उन्होंने गोलान हाईट्स के बारे में कहा उसे समाप्त किया जा रहा है और हम संकल्प पारित करने के अलावा और अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि और क्या किया जा सकता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे माननीय मित्र ने मुझे याद दिलाया है कि मुस्लिम देशों को उनके अधिकार मिलने चाहिए किन्तु उनके ही विदेश मन्त्रित्व काल में मोशे दयान की गुप्त यात्रा की अनुमती दी गई। इससे क्या पता चलता है। यह केवल दोगलापन और धोखाधड़ी है। तब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विरुद्ध कौन है। महोदय हम पाकिस्तान में अस्तित्व को चाहते हैं किन्तु यह उनका ही दल था जिसने पाकिस्तान विरोधी वातावरण तयार किया। उन्हीं के दल ने ऐसा वातावरण तैयार किया जिसके परिणाम स्वरुप महात्मागांधी का कत्ल हुआ। यह इन्हीं का दल उन्हीं के समर्थक और उन्हीं के मित्र ही थे जिन्होंने साम्प्रदायिक वातावरण तैयार किया और अब तक कर रहे हैं। वे अब भी पाकिस्तान विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं किन्तु वे यहां पर कुछ कहते है और बाहर कुछ और करते हैं। वे अपने मदारीपन द्वारा गधे को घोड़ा बना कर दिखाना चाहते हैं और देश के भीतर लगातार गम्भीर परिस्थितियां पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं उन पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता।

महोदय, इनी शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। मैं विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और विदेश मन्त्री को विदेशी मामले शानदार ढंग से निभाने के लिए बधाई देता हूं।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मोतरम चेयरमैन साहब, श्री वाजपेयी जी की पुरजोश तकरीर और भगत जी के उससे ज्यादा जोशीले जवाब के बाद जो अभी आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं कुछ खास बातें कहना चाहता हूं।

कल से हो रही खारजा पालिसी की बहस में अपनी पार्टी की तरफ से हिस्सा लेते

हुए मैं चन्द अहम बातों की तरफ खासतौर से इशारा करना चाहूंगा। हमारी खारजा पालिसी की बुनियाद हमारे आजाद होने के बाद नहीं पड़ी, बल्कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी इस सिलसिले में हमारे खयालात और खद्दोखाल बहुत वाजे थे। आज भी हमारी खारजा पालिसी को कुछ लोग गैर-जानिबदार कहते हैं और कुछ लोग नावाबस्तगी कह कर हमारी गैर-जानिबदारी और नावाबस्तगी का तरह-तरह का मतलब निकालते हैं।

यह सच है कि हम किसी खेमे में शामिल नहीं है और हम किसी के पिछलग्गू नहीं है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हमको अपने दोस्त और दुश्मन पहचानने की तमीज जरूर होनी चाहिए।

हम सुपर पावर राइवलरी की बात करते हैं। हर बड़ी ताकत के अपने अलहैदा-अलहैदा मुफाद हो सकते हैं और हमारे भी कुछ अपने मुफाद हैं लेकिन सोवियत यूनियन और यू० एस० ए० को हर मौके पर बराबर खड़ा करना हकीकत से मुंह मोड़ना है। दूर क्यों जाते हैं, इंडियन ओशन, बहरेहिन्द को अमन का जोन बनाने और लड़ाई का अड्डा न बनाने के लिये एक तहरीक चल रही है।

डिएगो-गार्सिया से अमरीकी जंगी अड्डे को हटाने की तहरीक हिन्दुस्तान, श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देशों और यूरोप के कई देशों में चल रही है। हमें देखना चाहिए कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। क्या हम इसमें गैर-जानिबदार रह सकते हैं? क्या हम इस तहरीक से नावाबस्ता रह सकते हैं? जंग और अमन के सवाल पर हमको वाजेह तौर पर अमन का जानिबदार रहना और जंग का मुखालिफ। हम अपने आपको अमन के खेमे से नावाबस्ता नहीं रख सकते।

जब सोवियत यूनियन के सदर ब्रेजनेव न्युक्लियाई हथियारों समेत हर सयय के अस्लहात की तखफीफ और कंट्रोल की बात करते हैं, तो उनकी आवाज में आवाज मिलाने से हमारी गैर-जानिबदारी को कोई ठेस नहीं लगती। वह हमारी अपनी आवाज है। जब अमरीकी सदर रीगन डिएगो-गार्सिया के अमरीकी अड्डे को मजबूत करने का कदम उठाते हैं या बहरे-हिन्द में मजीद अड्डे को तलाश करते हैं, या इस इलाके में पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों को हथियार फराहम करते है, तो हमें खुलकर अमरीकी सदर रीगन के नापाक इरादों की मुखालिफत करनी है चाहिए।

मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमें मुखालिफत उस ताकत की करनी चाहिए जो कम्पूचिया और वियतनाम से लेकर पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिश्र तक और निकारगुआ और एलसैल्वाडोर तक हर तरह की दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आ रही है और दूसरों के कंधे पर रखकर अपनी राइफल चलानी चाहती है। उस कंधे की मुखालिफत करने से कोई फायदा नहीं है, जिस पर राइफल रखकर जंगबाज चलाना चाहता है। हमें बन्दूक फराहम करने वाली ताकत की मुखालिफत करनी चाहिए, जो हमारी असली दुश्मन है, जो अमन दुश्मन है। पाकस्तान और सऊदी अरब को खतरनाक अस्लहा फायहम करने वाली ताकत हमारा निशाना होना चाहिए, न कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम या हुकूमत।

पाकिस्तान को अमरीकी अस्लाहा की फराहमी के मामले में हमने पाकिस्तान को अपना दुश्मन माना है, जिसके कंधे पर अमरीका अपनी बंदुक चलाना चाहता है। यह बात हमारे लीडरों की तरफ से दिए गए बयानात से जाहिर होती है। लेकिन हमें उस बूंदकची को हर तरह से कनडेंम करना चाहिए, जो पाकिस्तान को अपने जैसी मंसूबों का हिस्सा बनाना चाहता है। मैं याद दिलना चाहता हूं कि 1953 में जब पहली बार अमरीका ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अस्लाहा फराहम किया था, तो मरहूम वजीरे-आजम जवाहर लाल नेहरू ने खोल कर अमरीकी इकदाम की मुखालिफत की थी और मुल्कगीर पैमाने पर अमरीका-मुखालिफ जलसे और रैलियां करने का नारा दिया था।

मौजूदा हालत मे हमें पाकिस्तान के ना-जंग मुआहिदे की पेशकश और उनके साथ-साथ वजीरे आलम की तरफ से दोस्ती के मुआहिदे की पेशकश, इन दोनों का खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वजारत खारिजा में कुछ ऐसे अनासिर हैं, जो अमरीका के इशारे पर पाकिस्तान से हमारी दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से हिन्दूस्तान को हो दोस्ती उसको अमरीका से दूर रखने की जमानत हो सकती है।

इस सिलसिले में हमारे बुजुर्ग, श्री बी आर भगत, अभी जो वजाहत की है, उससे मामला और वाजेह होने के वजाए और कांप्लिकेटिड हो गया है। मैं उनकी दो बातें दोहराना चाहता हूं। एक जगह उन्होंने कहा कि माहोल खराब हो गया है, इसलिए पाकिस्तान से बातचीत स्थगित की गई। मेरा इतना ही कहना है कि माहौल को खराब करने में पहले जिम्मेदारी पाकिस्तान की है यह मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हम प्रोवोक हो गए। पाकिस्तान या उसके नुमाइन्दे की —या हो सकता है कि जो उसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं, उनकी यह चाल रही हो कि वह हमको प्रोवोक कर दे और हमारे बीच जो दोस्ती की बातचीत चल रही है, उसमें कुछ रखना पैदा कर दें। तो थोड़ी देर के लिए ही सही, वह अपनी चाल में कामयाब हो गए। इस सिलसिले में मैं श्री कुलदीप नैय्यर साहब का जुमला कोट करना चाहता हूं :—

तथापि आयोग में भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के विचारों की टिप्पणियों से पता चलता है कि एक ने जो कुछ कहा है दूसरे ने उसकी आलोचना की और दोनों ने अपनी सरकारों द्वारा निर्धारित की गयी सीमाओं का उल्लंघन किया मैंने इसलिए कोट किया कि मैं समझता हूं हमारे बुजुर्ग, मोअज्जिज मेम्बर, भगत साहब, जो लिमिट रखी गई थी, उसको एक्सीड कर गए और वह सब कुछ कह गए जो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी। उनको मुखालिफत जरूर करनी चाहिए थी लेकिन प्रवोक नहीं होना चाहिए था। प्रोवोकेशन दूसरे का गेम था और प्रोवोक होकर वे दूसरे के गेम में आ गए और इस तरह से उन्होंने अपना खेल बिगाड़ लिया। हमारी हुकूमत ने भी वजाए इसके कि बात को वहीं पर खत्म कर देती, उसको उसी तरह से सीरियसली लिया और जो हमारा आला सतह पर खारजा मोहकमे के सेक्रेटरी की सदारत में एक डेलिगेशन बात-चीत को आगे बढ़ाने के लिए एक पाकिस्तान जाना चाहिए था, उसको मुलतवी

कर दिया । मैं एक फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान से दोस्ती ही पाकिस्तान को अमरीका के खेमे से निकाल सकती है, कोई और दूसरी चीज नहीं । इसलिए हमको बहुत ठंडे दिमाग से सिम्त कदम उठाना चाहिए और कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए ।

प० जवाहर लाल नेहरू के जमाने में, जब वे हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो काफी अरसे तक वे वजीरे खारिजा भी रहे । उस वक्त से अफ्रीकी और अरब मुल्कों की खुसूसी अहमियत वजारते खारजा में रही है । अफ्रीकी और अरब देशों में जो हमारे चुनिन्दा नुमाइन्दे भेजे जाते थे उनको बहुत अहमियत दी जाती थी । मुझे थोड़ा अफसोस है । हालांकि में अपने नुमाइन्दों पर कोई हमला नहीं करना चाहता, कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो अहमियत हमको अफ्रीकी और अरब मुल्कों को देनी चाहिए थी वह दे रहे हैं हम नहीं जितने अच्छे नुमइन्दे हमें अफ्रीकी और अरब देशों में भेजने चाहिए थे वह हम नहीं भेजरहे है । इन देशों से ताल्लुकात बढ़ाने में पडित जवाहर लाल नेहरू जो हमेशा जाती दिलचस्पी लेते रहते थे । हमें भी उन देशों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में खासी दिलचस्पी लेनी चाहिए । हमेंनहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को असला फराहम करने में अमरीका का निशाना न तो अफगानिस्तान है और न सोवियत रूस है बल्कि अमरीका का निशाना हिन्दुस्तान है । वह ईरान और ईराक की जंग की तरह हमारे बाम्बे हाई को भी तबाह करना चाहता है । आज तो हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और जो तेल के बोहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए अमरीका की नीयत है कि हमारी तरक्की की रफ्तार को ढ़ीला करदे । हमें अमरीका की इस चाल को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ।

अमरीका जब यौमे अफगानिस्तान मनाता है तो उसकी अरा भी हमदर्दी अफगानिस्तान या वहां के अवाम से नहीं रहती है । पिछले 21 मार्च को बड़े जोश व खरोश से यौमे अफगानिस्तान मनाने की तैयारी की गई । सारी दुनिया में यौमे अफगानिस्तान मनाने की तहरीक सबसे पहले अमरीकी सिनेट में खुद सदर रीगन ने पेश की जिसकी हिमायत बरतानिया के दोनों ऐवान और यूरोपियन एक्तिसादी बिरादरी ने की लेकिन जिस इजरायल ने अमरीकी की सह पर गोलान पहाड़ियों पर एकतर्फा कब्जे का एलान सीनाजोरी से कर दिया तो इनमें से किसी ने यौमे गोलान मनाने का एलान नहीं किया । कहां गई उन की इस्लाम और मुस्लिम देशों से हमदर्दी ? खुशी की बात है कि अब कट्टर इस्लामी नजरियात रखने वाले लोग की अमरीकी चाल से वाकिफ होने लगे हैं। जमानते-इस्लामी का हफ्त रोजा "दावत" भी" यौमे-अफगानिस्तान को मगरिब का नया सियासी स्टैंट मानने लगा है और यहां तक कहने लगा है—

> "अमरीका और दूसरे मुल्कों के इस मामूल और तरीके-कार से यह अन्दाजा होता है कि रूस के खिलाफ अपनी मुहाज-आराई के लिए अफगानिस्तान के मसले को सिर्फ जिन्दा रखने से ही दिलचस्पी रखते हैं ।"···दावत मौजूदा- हफ्ता ।

इस बात से किसी को इन्कार नहीं होगा कि जनता दौरे-हुकूमत में पासपोर्ट हासिल करने में आसानियां फराहम की गई थीं और और आजकल इस सिलसिले में धीरे-धीरे कुछ सख्ती लाई जा रही है । कुछ तो यह भी बात है कि पासपोर्ट की दरख्वास्त देने वालों की

तादाद में भी खासा इज़ाफा हुआ है। रीजनल पासपोर्ट आफ़िस का अगर मजीद स्टाफ की जरूरत हो तो उसे फराहम करना चाहिए। हो सकता है सरकार की पालिसी में कुछ तबदीली हुई हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग सही तरीके से अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वह किसी ख्वाहिश से जाना चाहते हों, उनको जाने का मौका देना चाहिए, उनको सहूलियत देनी चाहिए। पासपोर्ट हासिल करने के रास्ते में जो भी मुश्किलात हों उन्हें दूर करना चाहिए।

चेअरमैन साहब, अब मैं एक ऐसे मसले की तरफ अपने लायक वजीरे-खारजा की खसूसी तवज्जह दिलाना चाहूंगा जिसकी तरफ इस बहस में शायद कभी तजकिरा भी न हुआ हो। हज मुसलमानों के लिए एक अहम मजहबी फरीजा है और हिन्दुस्तान मुसलमानों की तादाद को के लिहाज से दूसरे नम्बर पर है लेकिन यहां से हज को जाने वाले मुसलमानों की तादाद को देखा जाय तो हिन्दुस्तान से जाने वाले हाजियों की तादाद दूसरे मुमालिक से जाने वालों के मुकाबले बहुत कम है। मिशाल के तौर पर इण्डोनेशिया से 69002, मलेशिया से 22704 और पाकिस्तान से जहां मुसलमानों की आबादी हम से कम है 69343 हज्जाज 1981 में हज के लिए सऊदी अरब गये जिनके मुकाबले में हमारे यहां से 21280 हाजियों को इजाजत-नामा मिल सका। इस तादाद में हवाई जहाज और बहरी-जहाज से जाने वाले सभी हाजी शामिल हैं। 1979 में हिन्दुस्तान से बहरी रास्ते से 15005 हाजी तशरीफ ले गये थे। 1981 में यह घट 13245 हो गई। और अब 1982 के लिए यह तादाद 9915 रह गई।

पहले मुगल लाइन्ज की तरफ से चार बहरी-जहाज इस काम के लिए लगाए जाते थे, अब ये दो कर दिए गये हैं। यह सच है कि सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से किबले-रगजान हाजियों की खानगी पर पाबन्दी लगा दी गई थी, लेकिन इस पाबन्दी से पहले भी हर साल हजारों की तादाद मे दीनदार मुसलमान अपने इस मुकद्दस मजहबी फरीजे का अदा करने से महरूम रह जाते थे और इस साल तो तादाद में करीब चार हजार की ओर कमी आ गयी है। दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सब से बड़ी आबादी हिन्दुस्तान में रहती है और यहां से पाकिस्तान के और इण्डो शिया के 69000 और मलेशिया के 22000 के मुकाबले 12000 हाजियों में भी 4000 मजीद कम कर दिए जांय, यह हमारे लिए शर्म की बात है। कम-अज-कम तीस-हजार (30000) हाजी हर साल भेजने का इन्तजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। सऊदी अरब हुकूमत पर इल्जाम लगा कर हम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। भारत के मुसलमान बराबर के शहरी हैं और उनकी उनके मुकद्दस मजहबी फरीजे की अदायगी में हर तरह की सहूलियत पहुंचाना हुकूमते-हिन्द की जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास अपने बहरी-जहाज की कमी है तो इस खास काम के लिए हमें बहरी जहाज, चार्टर करने चाहिए। हमारी अपनी कमी और कोताही की वजह से हाजी न जा सकें और हम सऊदी अरब हुकूमत पर इल्जाम लगाकर या यह कह कर कि जो लोग बाहरी रास्ते से न जा सकें वह हवाई जहाज से चले जांय, यह ठीक नहीं है। जिनको हम रोटी नही दे सकते क्या उन को हम केक खान की सलाह देगें या उन की सेटी का इन्तजाम करेंगे। आप जानते होंगे कि मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि बहरी रास्ते से जाने में पैसा कम लगता है और हवाई रास्ते से जाने में पैसा ज्यादा लगता

है और मुसलमानों की ऐसी बहुत बड़ी तादाद है, जो कम पैसा खर्च करके ही अपने इस फर्ज को अदा कर सकती है।

हज कमेटी की सतह पर जो गड़बड़ियां हैं चाहे वह मरकजी हज कमेटी हो या रियासती हज कमेटी, इन की तरफ भी खसूसी तवज्जह की जरूरत है। यू० पी की रियासती हज कमेटी की कारकर्दगी से आम बेइतमिनानी है। अर्द अखबारात इस से भरे पड़े हैं और इनकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है। हज कमेटी की तरफ से 100 रुपये और 50 रुपये की हर साल वसूल किया जाता है हाजियों को बम्बई में रिहायश की सहूलियतें लेकिन हाजी जिस परेशानी की हालत में अपना वक्त गुजारते हैं, वह बयान के बाहर है। हाजियों के लिए बम्बई में मजीद मुसाफिरखाने की तामीर अशद जरूरी है।

हज के ऐयाम में जद्दा में, मक्का शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में और सिना में हाजियों की देखभाल पूरे तौर पर मुअल्लिम के जिम्मे छोड़ दी जाती है हिन्दुस्तानी सिफारतखाने को जो खैरखबरी करनी चाहिए, वह नहीं होती है। दूसरे मुमालिक का शिफारिती अमला ऐयाम हज इन जगहों पर रहता है और उन लोगों की तरफ से अपने-अपने मुल्क के हाजियों को हर प्रकार की सहूलियतें फराहम की जाती हैं लेकिन हमारी तरफ से तिब्बीसहूलियत भी नाम के लिए ही है। डाक्टर अगर मिल भी जाएगा, तो दवा मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर अमले की कमी हो, फड की कमी हो, तो उसे पूरा किया जाए या अगर बदन्तजामी है, तो उसे दूर किया जाए। इससे हमारे मुल्क के हाजियों को तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है और दूसरों की नजर में हिकारत, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इसकी तरफ खसूसी तवज्जह हमारे वजीर देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।

एक बात और कहकर में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी यूनाइटेड नेशन्स की डिसअर्मामेंट कान्फ्रेन्स में हमारी सरकार ने अपना रोल अदा किया था और मुझे उम्मीद है कि दूसरी कान्फ्रेन्स जो जल्दी होने वाली है, उसमें भी अपना रोल अदा करने में हम कभी नहीं हटेंगे।

शुक्रिया।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, आज विश्व में व्याप्त कठिन और जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विदेश-मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों के लिए मांग का काफी महत्व है। शीत युद्ध का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसके लिए हमें बड़ी शक्तियों को परस्पर झगड़ों और संयुक्त राज्य अमरीका के दुराग्रह को धन्यवाद देना चाहिए। तेल संकट और तेजी से बढ़ रही मुद्रा स्फीति गंभीर समस्याएं बन गई हैं इससे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। विश्व की विभिन्न मंत्राओं में तनाव दुलभ जिसमें मध्य-पूर्व भी शामिल है विकसित देशों में हथियारों की होड़ बढ़ रही है यहां तक कि अनेक विकासशील देशों में बड़े खतरनाक ढंगसे ऐसा हो रहा है। बहुत से छोटे देश परमाणु शस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी सीमा के पार युद्ध की तैयारी बिल्कुल स्पष्ट है। विश्वव्यापी आपार और वाणिज्य में संरक्षणवाद से से काफी हद तक राष्ट्रों के पारसपरिक आर्थिक सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है। वर्तमान

परिस्थितियों में बाहरी सम्बन्धों को विभाग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसी राष्ट्र की रक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए कूटनीति मसत्वपूर्ण है जो पहले कभी नहीं था। कूटनीति का अर्थ विवेक बुद्धि है जैसा कि चाणक्य ने स्पष्ट किया है, फिर भी इसमें अधिक विशालतर परिप्रेक्ष्या, दूर दर्शी दृष्टि और राष्ट्रीय हित है। भारत को मानचित्र में अपनी स्थिति पर विचार करना होगा, अपने पड़ौनी देशों पर विचार कराना होगा,, नीतियों को ग्रहण करने और उन्हें कार्यरूप देते समय विचार करना होगा। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनी विदेशी नीति तैयार करते समय ध्यान में रखना होता है।

इस समय की स्थिति है उसके प्रति अलग रहने के लिए में प्रधान मन्त्री और विदेशी मन्त्री दोनों को बधाई देती है। इसने बहुत से नए दोस्त बनाए हैं और वर्तमान दोस्तों से भी हमने अपने सम्बन्ध स्थिर कर लिए हैं। हमारे पुराने मित्र सोवियत संघ से हम रे सम्बन्ध अनेक नए-नए मन मर्जी इसे विश्लेसक बने लोगों के विचारों के विपरीत पहले की तरह सौहार्दपूर्ण हैं। ऐसा भारत द्वारा अफगानिस्तान में रुस की उपस्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने के बाबजूद हुआ था। राजनीतिक प्रणालियों में अन्तर होने के बावजूद इन दोनों के सम्बन्ध सौहाद्रपूर्ण बने हुए हैं। जनरल उरतीनाव हाल ही में जो यहां का दौरा किया है, उससे यही सम्बन्ध और अधिक मजबूत हुए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस से भी राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है और इन ही देशों में रक्षा सम्बन्धी प्रयासों सहित द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक और औद्योगिक कार्य के बारे में सफलता पूर्वक बातजीत करने में हम सफल हुए है। अमरीका द्वारा घोर विरोध के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋण के बारे में बातचीत करने में सफलता ता प्राप्त हुई है वह पक्ष राजनीयक प्रयासों के माध्यम से नए सम्बन्धों और प्रभावों की ओर संकेत करता है।

यूरोपीय देशों से हमारे सम्बन्धों के बारे में प्रश्न पेदा हो जाना है। राष्ट्रपति रीगन के शासन में भारत अमरीका में थोड़ी अनबन हो गई है हालांकि अनेक क्षेत्रों में इन दोनों देशों में मतभेद होने के बावजूद इससे पहले ऐसा कभी नही हुआ था। ऐसा केवल भारत के साथ ही नहीं वरन् अन्य देशों में मतभेद होने के बावजूद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा केवल भारत के साथ ही नहीं वरन् अन्य देशों के साथ हुआ हैं कि जिन्होंने भी राष्ट्रपति रीगन की नीतियों का समर्थन नहीं किया उन्हें बेरूखी का सामना करना पड़ा तीसरे विश्व के अनेक देश इस श्रेणी में आते हैं। इन देशों को यह कहा गया गया हैं कि उन्हें राष्ट्रपति रीगन की विचार धारा का समर्थन करना चाहिए अथवा उन्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी।

कोई कह सकता हैं कि भारत की अमरीकी बाजार और प्रौद्योगिकी की जरुरत है। यह रही है किंतु इसके विपरीत नहीं है इसीलिए भारत अपने और अमरीका बीच अलगाव बनाए नहीं रख सकता हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि भारत अमरीकी विचारों से खुद को अलग नहीं कर सकता है क्योंकि इससे भारत के क्षेत्रीय हितों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि संतुलन बनाया जाना जाहिए, इन सभी वर्षों में भारत के लाभ के लिए यही सतुलन बनाए रखा गया था किंतु रीगन प्रशासन ने जानबूझ कर भारत का दर्जा घटाया है और यह सतुलन अमरीका के लिए असंगत हो गया है। भारत ने बेहतर पारस्परिक सौहार्द्रपूर्ण का

प्रयास किया है। हमारी प्रधान मन्त्री और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच कैनकन में तथा हमारे विदेश मन्त्री और अमरीका के विदेश मन्त्री के बीच हुई बैठक से इस प्रक्रिया में कुछ योगदान हुआ हैं। किंतु पाकिस्तान को शस्त्र भेजने और तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र के लिए ईंधन न भेजे जाने के कारण आशंकाएं और मतभेद पैदा हो गए हैं।

इस संदर्भ में भारत के लिए सबसे बढ़िया बात यही है कि अनेक मामलों में भारत की नीति अमरिका के यूरोपीय मित्र राष्ट्रो के अधिकाधिक समान होती जा रही है, खासतौर से मित्ररैंद का फ्रांसीसी राष्ट्रपति होने के बाद से शस्त्र के इस्तेमाल, यूरोप में नाभिकीय मिसाइलों को लगाने और न्यूट्रान बमों के बारे में यूरोप की तनाव में कमी सम्बन्धी ज्ञान अमरीका से बहुत भिन्न है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय देश उत्तर दक्षिण के मामलों को पूर्व पश्चिम की विचार धारा के आधार पर नहीं देखते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत की अपने हित में यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय मंच से निकट का संपर्क स्थापित करना चाहिए ताकि वह कम से कम अमरीका द्वारा हाल ही में भारत की सामाजिक भूमिका का अवमूल्यन पाने का प्रतिकार कर सके।

अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के समय पाकिस्तान पर सोवियत संघ की ओर से यह दबाव पड़ सकता था कि वह अफगानिस्तान में अमरीकी सहायता से विरोधियों को सहायता दे रहा है और उकसा रहा है। पाकिस्तान इस बात पर बल देते हुए कि उसने खुद को अमरीका का हाथी नहीं बेचा है यह कोशिश कर सकता है कि अमरीका के निकट रहे और भारत से एक और लड़ाई करने के लिए अपनी सेना मजबूत करे या बलूचियों जैसे पृथकतावादियों से लड़ सके।

भारत चाहता तो वह सोवियत संघ के हस्तक्षेप पर दुःख व्यक्त नहीं करता किन्तु उसने बड़े स्पष्ट ढंग से अपने क्षेत्र को व्यक्त किया है। यूरोपीय राष्ट्रों के विपरीत अमरीका ने इसे पसन्द नहीं किया था।

भारत की रूस से जो मैत्री है वह अन्य देशों से बने सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों से असंगत नहीं है और इससे अमरीका को यह पता चलना चाहिए कि भारत को अधिक महत्वपूर्ण मानसिक भूमिका अदा करनी है, और इसीलिए उसको इस तरह नकारा नहीं जा सकता है।

अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान से दुर्भाग्यवश सैनिक शासन ने सीमा पार समस्या खड़ी कर दी है, वह अधिक उन्नत शस्त्रों से खुद को साज्जित करने की कोशिश कर रहा है और अमरीका की मदद से नाभिकीय क्षमता प्राप्त करने का प्रमाण कर रहा है, इससे भारतीय उपप्रयास महाद्वीप में स्थिरता की परिकल्पना ही बदल गयी है बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान युद्ध न करने सम्बन्धी सन्धि के बारे में बात कर रहा है और साथ ही उन्नत शस्त्रों से लैस हो रहा है और समय-समय विरोधी प्रचार भी कर रहा है। जेनेवा में हुए मानव अधिकार सम्मेलन में जो घटनायें हुई और कश्मीर का नाहाक उल्लेख किया गया जहां कि जनता और उनके नेताओं ने स्थायी तौर से भारत से सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं, ये उदाहरण हैं, जिससे पाकिस्तान के

इरादों का उदाहरण मिलता है। प्रधान मन्त्री ने सही ही पहचाना है कि यह सन्धि हमें सुरक्षा के झूठे आश्वासन बहकाने की एक चाल है।

बहरहाल भारत का इस बात पर बल देना सही ही है कि दोनों देश परस्पर के मतभेदों को शान्ति पूर्ण साधनों से दूर करें। मन्त्री महोदय यह घोषणा ठीक ही की है कि जब तक बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार नहीं हो जाता वह पाकिस्तान जाने से पहले स्थिति पर नजर रखेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे।

भारत के पंडित जवाहर लाल नेहरु के समय से ही गुट निरपेक्षता की नीति का अनुपालन किया है और एक ऐसे चरण पर पहुंच गया है जहां कुछ परिपक्वता आ ही जाती है, जिसके आधार पर हम अधिक आत्म विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। जुटबंदी वाले विश्व के नाश की तैयारी कर रहे हैं। अपनी प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतंत्रता को बनाए रखने, निर्णय और कार्यवाही को स्वतंत्रता को बनाए रखने, अन्तर्देशीय शांति और स्थिरता बनाए रखने, विश्व में तनाव को कम करने और नयी अन्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तैयार करने लिए आगे बढ़ता ही गुट-निरपेक्षता का सार है। आजकल गुट-निरपेक्षता बहुत संगत है क्योंकि गुट- निरपेक्ष राष्ट्र राजनैतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में विश्व व्यापी तनाव को समाप्त करने के लिए दोनों शक्तियों पर काफी असर डाल सकते हैं। भारत को तीसरे विश्व के गुट-निरपेक्ष देशों का नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि प्रधान मन्त्री औ विदेश मन्त्री ने इस दिशा से कुछ रचनात्मक कदम उठाए हैं। इससे पहले कैनकन में और हाल ही में नई दिल्ली में हमने अपने विचार सफलता पूर्वक व्यक्त करने के लिए मंचों का इस्तेमाल किया है।

विदेश में भारत की छवि स्पष्ट करने का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। मेरा विश्वास है कि इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास खासतौर से लातीनी अमरीकी देशों, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में और ठोस ढंग से बढ़ाए जाएं। लातीनी अमरीका एक ऐसा क्षेत्र है भारत के बारे में जानकारी देना अत्यावश्यक है। यह सही है कि लातीनी अमरीकी देशों से शुरू में भारत के सम्बन्ध औपचारिक ही रहे, मैत्री सी हार्द्रता और पारस्परिक आदर का वर्तमान स्तर काफी बदल गया है। प्रधान मंत्री जब कैनकन थी तो उस दौरान वह उस क्षेत्र के अनेक देशों की सरकारों के अध्यक्षों से मिली थी बेनेज्युएला में विकासनशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें हमारे विदेश मन्त्री ने भाग लिया था। ऊर्जा राज्य मन्त्री ने भी वेलाइज की ब्रिटिश उपनिवेश के स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया था। अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल क्यूबा गया था। वाणिज्य मन्त्री लातीनी अमरीका और मध्यपूर्व में काम कर रहे हमारे भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने गए थे। मैं इन सब बातों को बता रही हूं लेकिन फिर भी अब इन देशों मे भारत को और भी जान जाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रवादी तेजी से उभर रहे हैं तथा व्यापार और वाणिज्य के लिए वहां व्यापक क्षेत्र है मध्यपूर्व में पेट्रोलियम के लिए बाजार है, और वहां विश्वयुद्ध होने की सम्भावना भी अधिक है। कुछ स्मारक और अन्य

कारणों से हमें दक्षिण पूर्व एशियायी देशों की तरह अमरीका, रूस और चीन के संरक्षण में नहीं रहना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों में अपनी सहभागिता को बढ़ाने के लिए हमें एक व्यापक समर नीति तैयार करनी चाहिए। इसके अन्तर्गत दूतावासों और काउंसलर कार्यालयों में कर्मचारी बढ़ाए जाएं, हमारी नीतियों कार्यक्रमों, संस्कृत और विराउस के बारे में जानकारी का प्रचार किया जाए, व्यापार सम्बन्धों को मजबूत किया जाए दौरों में वृद्धि की जाए और उनसे सम्बधित जो भी नई स्थिति सामने आए उसके बारे में शीघ्रातिशीघ्र अवसर मिलने पर एक सुनिश्चित राय व्यक्त करने में भी हम समर्थ हो सकें। ऐसी प्रतिक्रिया अक्सर स्थायी संबध की सुरूआत होती है। इन क्षेत्रों में स्थित हमारे राज दूताऐसों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खूब लगन से काम करना चाहिए।

एक और मुद्दा है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। वह मुद्दा है हमारे पड़ोसी देशो और अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों को दी जाने वाली तकनीकी सहायता को बढ़ाना। इस समय इन देशों को जो तकनीकी सहायता दी जा रही है वह बहुत प्रशंसनीय नहीं है। जबकि कतिपय संसाधनों की कमी के कारण हम बड़े पैमाने पर तकनीकी सहायता तथा कार्यक्रम शुरू करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम तकनीकी सहायता कार्यक्रमों में तेजी नहीं ला सकते। विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत ने उच्च कोटि की निपुणता प्राप्त की है। हमारे राजदूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों को तकनीकी सहायिता के क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए तथा हमें अपने तकनीकी विशेषज्ञों को वहां भेजकर अपनी विशेषज्ञता को वहां उपलब्ध कराना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस दिशाओं में एक अच्छी नीति बनाई जाए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी भूमिका के बारे में बोलना चाहूंगा। अब ऐसा समय आ गया है कि हमें इस मंच का प्रयोग प्रभावी रूप से करना चाहिए ताकि हम मित्र बना सकें और राष्ट्रों को प्रभावित कर सकें। द्वैधवृत्ति अथवा रक्षात्मक प्रवृत्ति से सहायता नहीं मिलेगी। विभिन्न दुतरफा तथा व्यापक मसलों पर सकारात्मक गुट-निरपेक्षता की हमारी नीति को देखते हुए उचित समग पर अपनी नीति बनानी होगी। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान हमारी प्रधान मंत्री तथा विदेश मत्री के दिशा-निर्देशन के अन्तर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना, बर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों को बनाये रखना, गुट-निरपेक्षता आंदोलन, नि शस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद तथा रंग-भेद दूर करना तथा नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना है।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में मैं अनुरोध करना चाहता हूं। रामनवमी आ रही है और उस दिन सभा की बैठक निश्चित की गई है। हमें उस दिन छुट्टी करनी चाहिए।

सभापति महोदय : यह आ रहा है, ऐसा कहने से आपका क्या अभिप्राय है ?

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : यह 2 अप्रैल की है ।

सभापति महोदय : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहूंगा क्योंकि विभिन्न मंत्रायय्रों के अमुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए समय नियत किये गए हैं और एक दिन सभा की बैठक न होने पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं । इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रश्न पर विपक्ष के नेताओं से परामर्श लिया है अथवा यदि विपक्ष के सदस्य···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभापति जी, संसद सदस्य के नाते हम तो किसी भी दिन काम करने को तैयार हैं, मगर संसद में बहुत से कमचारी भी जुड़े हुए हैं, रामनवमी की छुट्टी न हो, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री मगन भाई बारोट (अहमदाबाद) : यह तो हम भी मानते हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप मान तो रहे हैं, मगर आपने फैसला कर दिया कि नहीं होगी ।

श्री नारायण चन्द पाराशर : मान रहे हैं हम ।

सभापति महोदय : ठीक है, अगर किसी को और इसमें एतराज नहीं है तो मैं पार्लिय-मेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि उनकी राय क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : यह बात सही है कि सदन इस वक्त बजट पर विचार कर रहा है और डिफरेन्ट मिनिस्ट्रीज की डिमांडज चल रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नही हुआ कि सदन की भावना से सरकार अलग रही हो । अगर सदन की इच्छा हो, सबकी राय ऐसी हो कि रामनवमी की छुट्टी ही तो हम रास्ते में क्यों आयें ? सदन की राय होगी···

श्री जी० एम० बनातवाला : गिलोटीन का क्या हुआ ? हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अनुदान की मांगें उस तरह गिलोटीन कर दिए जाएं । यह इस प्रकार···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभा मांग कर रही है ।

सभापति महोदय : आपकी बात आ गई ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अगर एक अतिरिक्त शनिवार को बैठना जरूरी हो तो सदन उस पर फैसला कर सकता है, लेकिन रामनवमी की छुट्टी होनी चाहिए ।

सभापति महोदय : क्या मैं मान लूं कि सदन का निश्चय है कि रामनवमी को सदन नहीं बैठेगा ? तो यह बात सर्वसम्मति से तै हुई कि रामनवमी के दिन सदन नहीं बैठेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : गिलोटीन 19वी शताब्दी की परिपाटी है। इस संसद में इस परिपाटी के समाप्त कर देना चाहिए।

सभापति महोदय : इस पर आप इस समय चर्चा नहीं कर सकते। आप अपने प्रतिनिधि से केस कार्य-मंत्रालय समिति में उठाने को कहें। हम 18वीं शताब्दी की अनेक परिपाटियों का पालन करते आ रहे हैं।

अब श्री बनातवाला अपना भाषण शुरू करें।

श्री एम० बनातवाला (पोन्नानी) : या तो गिलोटीन को हटा दिया जाए, या एक और दिन हाउस बैठ जाए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : गिलोटीन का दिन तो तय है। सब बातों पर विचार करके ही गिलोटीन की तिथि तय की जाती है। अगर सदन की इच्छा है कि रामनवमी की छुट्टी हो, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : जैसा कि श्री याजपेयी ने कहा है, रामनवमी को सदन की बैठक न हो और फिर किसी अतिरिक्त दिन बैठकर काम पूरा किया जाए। इस बारे में विचार करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : हाउस का टाइम रोज एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : सदन की राय मालूम होती है कि···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, अब यह बात कह दीजिए। रुकिए मत।

सभापति महोदय :···रामनवमी के दिन सदन न बैठे और फिर बिजिनस एडवाइजरी कमेटी में कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अतिरिक्त घटे बैठ कर, या किसी और दिन बठ कर, काम को पूरा किया जा सकता है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह पहले से तय है कि अगर आवश्यकता हुई तो हम 6 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं। हमने लंच आवर को पहले ही डिसपेंस विद कर दिया है। इसमें सबका सहयोग है। जब सबका सहयोग है, तो हम रामनवमी के दिन बैठने की बात पर कैसे एतराज करें?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, यह प्रशंसनीय बात है कि हमारी विदेश नीति ठीक दिशा में चल रही है। ठीक परिप्रेक्ष्य के आधार पर नीति निर्धारित की जाती है इसका सारा श्रेय हमारे माननीय विदेश मन्त्री को जाता है पूरा देश हमारी विदेश नीति का समर्थन करता है और यह विशेष तथ्य किसी सत्तारुढ़ सरकार के लिए विशेष उपलब्धि है। कतिपय ऐसे क्षेत्र हो सकते है जहां हमें यह जरूरत पड़ सकती है कि नीति का और उत्साह से पालन किया जाना चाहिए। कतिपय ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं कि जहां हम यह महसूस कर सकते हैं कि आत्मालोचन आवश्यक है लेकिन कुल मिलाकर यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारे देश की विदेश नीति ठीक है।

मेरे पास उपलब्ध सीमित समय में मैं हमारी विदेश नीति के बारे में सामान्य अवलोकन से बचना चाहूंगा और कतिपय सीमित क्षेत्रों पर ही अपना विचार केन्द्रित करूंगा। पश्चिम एशिया में गहरा संकट बना हुआ है। फिलस्तिनियों के अधिकारों की मान्यता उनके राज्य बनाने के अधिकार समते मध्य पूर्व संकट का मुख्य मुद्दा है। वस्तुतः, इस्रायल ने दुराग्रह, गिरोहवाद, अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डागिरी और आक्रमण में सभी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व मत को अवलेहना करके इस्रायल ने जेरूसलम और गोलानहाइट को अपनी सीमाओ में मिला लिया। उसने इराकी परमाणविक संयत्र को ध्वंद करने की घृष्टता की। उसने दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमला किया और पी० एल० ओ० के मुख्यालय पर आक्रमण किया इस्रायल मकानों, गांवों का लगातार विध्वंश कर रहा है और अरब के लोगों को विस्थापित कर रहा है। इसने अधिकृत अरब क्षेत्रों में आतंक फैला रखा है। अरबों को दबाया जा रहा है। उसने महत्वपूर्ण फिलस्तिनी नेताओं को समाप्त करने की भी घृष्टता की है। इस्रायल इस विशेष रुख की निन्दा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः हमारे विदेश मन्त्री इस समस्या के प्रति जागरूक हैं। उन सभी अवसरों पर सरकार ने शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तथापि, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस्रायल के विरूद्ध और अधिक प्रतिबन्ध की जरूरत है। कुछ समय पहले गुट निरपेक्ष देशों का नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था उन्हें इस्रायल के साथ सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेदन करने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने फरवरी, 1982 में संकल्प पारित किया कि इस्रायल एक ऐसा देश है जो स्वतन्त्रता तथा शान्ति नहीं चाहता है। उसने इस्रायल का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया। मैं अपनी सरकार का अवश्य धन्यवाद करूंगा कि वह इस विशेष संकल्प को सह-प्रवर्तकों में थे। जिसमें इस्रायल के साथ सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद करने का आह्वान किया गया है, लेकिन इस्रायल का वाणिज्य दूतावास अभी भी बम्बई में काम कर रहा है। यह हमरी विदेश नीति में एक बड़ा कालदोष है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल चार बजे जब विदेश मन्त्री इस वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए उठेंगे, तब वे घोषणा करेंगे कि सरकार ने निर्णय किया है कि वह इस्रायल से बम्बई स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को बन्द करने के लिए कहेगी। इस मामले में विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात हम पासपोर्ट जारी करते हैं। हमारे पासपोर्ट पर यह मुद्रित होता है कि यह पासपोर्ट दक्षिणी अफ्रीका के लिए विधि मान्य नहीं है। उसी प्रकार सभी पासपोर्टों पर यह मुद्रित होना चाहिए कि यह इस्रायल में यात्रा के लिए विधिमान्य नहीं है।

इस्रायल को दक्षिणी अफ्रीका के समान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रंग भेद बरतने वाला देश कहा गया है। इसलिए, जहां तक हमारा संबंध है, दक्षिणी अफ्रीका और इस्रायल के बीच पृथक-पृथक रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? जैसाकि मैं कह चुका हूं, यह एक कालदोष है। कुछ वर्ष पहले यदि मैं गलत नहीं हूं तो स्थिति यह थी कि पासपोर्टों पर यह मुद्रित होता था कि वह इस्रायल में यात्रा के लिए विधिमान्य नहीं है। तत्पश्चात दुर्भाग्यवश श्री वाजपेयी विदेश मन्त्री बनकर आए जो देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य था ···(व्यवधान)·····जिनका मोशेदयान तथा अन्यों के साथ गुप्त सम्बन्ध था। मैं समझता हूं कि उस विशेष अवधि के दौरान यह विशेष पृष्ठांकन कि पासपोर्ट दक्षिणी अफ्रीका के अलावा इस्रायल के लिए विधिमान्य नहीं होगा, गुप्त

रूप से हटा दिया गया । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर भी गौर करें ।

सचमुच, इस्रायल के साथ हमारा कोई सरकारी व्यापार नहीं है । लेकिन कोई इस तथ्य से नहीं मुकर सकता कि निजी व्यापार और आर्थिक सम्बन्ध है । कुछ समय पूर्व जब इस सभा में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था तब मैंने भारत से इस्रायल की निर्यात तथा इस्रायल से भारत में आयात के बारे में आकड़े पेश किए थे । यह बढ़ रहा है । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस्रायल से सभी व्यापारिक सम्बन्धों तथा आर्थिक सम्बन्धो पर प्रतिबन्ध लगाए ।

एशियाई खेल दिल्ली में होने वाले हैं । परन्तु अभी तक सरकार की ओर से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि इजराइल को इशियाई खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जायेगा । इस सम्बन्ध में घोषणा बिना और विलम्ब के की जानी चाहिए । विशेषकर संयुक्त राष्ट्र महा सभा के उस संकल्प के बाद जिसका कि मैंने उल्लेख किया किया है ।

अब भी इजराइल में प्राप्त की गई कुछ व्यवसायिक और शैक्षणिक योग्यताओं को भारत सरकार मान्यता देती है । इन योग्यताओं को मान्यता समाप्त की जानी चाहिए ।

दुर्भाग्यवश ईराक और ईरान के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है । दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत के द्वारा शांति स्थापित करने और समस्याओं को हल करने के लिए अन्य देशों के सहयोग से विदेश मन्त्री द्वारा किये जा रहे प्रयत्न सराहनीय हैं । यह आवश्यक है कि ये प्रयत्न किये जाते रहें । भूतकाल में भी इस दिशा में अनेक प्रयत्न किये गये । ईराक के राष्ट्रपति सादाम हुसैन ने अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया दिखलाई है । परन्तु दुर्भाग्यवश ईरान की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने राजनयिक प्रयत्नों को जैसी रखे जिससे ईरान और ईरार के बीच पैदा हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण आक्रमक रवैये को समाप्त किया जा सके ।

दुर्भाग्यवश ईरान ने एक प्रश्न को प्रतिष्ठा का मामला बना लिया है । हम सभी जानते हैं कि गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन सितम्बर, 1982 में बगदाद में होने वाला है । ईरान ने इसके सम्बन्ध में आपत्ति की है । इतना ही नहीं ईरान ने दुर्भाग्यवश इससे आगे बढ़कर भी उन राज्यों को धमकी दी है जो गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में, यदि वह ईराक में होता है, भाग लेंगे । यह स्थिति गुट निरपेक्ष देशों के लिए बड़ी ही असमंजसपूर्ण है । मैं आशा करता हूं कि विदेश मन्त्री ईमान को इस सम्बन्ध में सहमत करने के लिए अपने राजनयिक प्रयत्न जारी रखेंगे तथा ईरान को इस बात के लिए राजी करेंगे कि सम्मेलन के स्थान को न बदला जाये, विशेषकर जबकि स्थान का निर्णय बहुत पहले हो गया था तथा इतने समय बाद स्थान को बदलने से गुट निरपेक्ष देशों की स्थिति बहुत ही संकोचपूर्ण हो जायेगी । स्थान को बदलना गुट-निरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरुप नहीं होगा ।

सभापति महोदय एक अन्य झगड़े के कारण भी विश्व शान्ति को खतरा पैदा हो गया

है। यहां ऐसा कहने से मेरा सम्बन्ध है आन्ध महासागर में सिकन्दरा की खाड़ी में अमरीका द्वारा सीमा का उल्लंघन करना है। अमरीका और लोबिया हवाई जहाजों ने वहां बममारी की। स्थिति की गम्भीरता के सम्बन्ध में मैं यहां कर्नल गदाफी के शब्दों की उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा है।

> "यदि अमरीका सिदरा की खाड़ी में घुसता है तो पूरी तरह से विश्व युद्ध शुरू हो जायेगा···जिसमें हवाई जहाजों, नौसेना मिसाइलों और सब चीजों का उपयोग किया जायेगा। सिदरा की खाड़ी लोबिया का एक भाग है और वहां उसकी प्रभुसत्ता है।"

हमारी सरकार ने अपने वक्तव्य में यह सही ही कहा है कि हमारा सहयोग और सहानुभूति लोबिया के साथ है। मैं आशा करता हूं कि लोबिया के प्रति एकता की यह भावना हम सिद्धांत और न्याय के नाम पर सदैव दिखाते रहेंगे।

अब मैं साइप्रस के समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। साइप्रस में हो रही गड़बड़ का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के कारण यह और भी पेचीदा हो गया है। हम सभी जानते हैं कि तुर्की के साइप्रस वासियों और यूनानी साइप्रस वासियों के बीच के झगड़े को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान में अन्तसामुदायिक वार्ताएं हुई हैं परन्तु यूनान के प्रधान मन्त्री द्वारा इन वार्ताओं के चलते चलते उनकी सर्वथा उपेक्षा करके दिये गये बयानों से समूचा विश्व स्तमित रह गया है। ग्रीस के प्रधान मन्त्री इस समय साइप्रस के मामले पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं। बहुत से देशों और बहुत सी बाहरी शक्तियों ने साइप्रस के मामले को बिगाड़ दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि साइप्रस को बड़ी शक्तियों का राजनीतिक मोहरा बनने से बचाया जाये। यूनान के प्रधान मन्त्री ने बड़ी उत्तेजक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि मिश्र की औरतें कुसतुनतुनिया को नहीं भूली हैं और वे इस लड़ाई में जो अब शुरू हुई है पूरी तरह से भाग लेंगी ऐसा कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है तथा यह उस समझौते के विरुद्ध है जो 19 मई, 1979 को हुआ था। इस समझौते के बावजूद इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण पेचिदगियां उठ खड़ी हुई हैं। मेरा यह कहना कि यूनान और तुर्की के साइप्रस वासियों को शांतिपूर्ण ढंग से रहना होगा। और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इसके लिए हल उन्हें स्वयं ही खोजना होगा। सौभाग्य से उक्त समझौते के अतर्गत उसका हल निहित है।

हमारी सरकार को भी अपने देश की महानता के अनुरुप उपयुक्त भूमिका निभानी है। भारत ने औपनिवेशिक राज्य से स्वतंत्र हुए लोगों की आवश्यकता की ओर सदैव ध्यान दिया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समझौता कराने के लिए कारगर ढंग से कार्यवाही करे। इन लोगों को अपने देश के बारे में निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए।

आपकी चेतावनी के बाद में कुछ और बातें कहना चाहता हूं। दिल्ली में अरब राष्ट्रों की लीग का मिशन है। उसे संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण राजनैयिक दर्जा प्राप्त है। उसे यह दर्जा स्पेन, कीनिया आदि में भी प्राप्त है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दिल्ली में भी उसे पूर्ण राजनीयिक दर्जा प्रदान किया जाये।

मिशनों की चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशों विशेषकर मध्य पूर्व देशों में हमारे मिशन हैं। इन मिशनों में कर्मचारियों की बहुत कमी है। प्राक्कलन समिति ने भी इसकी ओर संकेत किया है। फिर मंत्रालय भी यह स्वीकार करता है कि वहां के काम को निपटाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। तथापि मंत्रालय का कहना है कि कुछ प्रक्रिया संबंधी कठिनाईयां हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इन कठिनाइयों को दूर करने का कोई रास्ता निकाले।

प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है "समिति जटिल प्रक्रिया पर चिन्ता व्यक्त करती है"

मैं आशा करता हूं कि सरकार भी इसी प्रकार इस संबंध में विचार करेगी। खाड़ी के देशों में भारतीय मिशनों में पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त किये जायें। तथा विदेशों में स्थित भारतीयों को कर्मचारियों की कमी की वजह से कठिनाइयां न उठानी पड़े। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी।

हमारे निकट पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध होना आवश्यक है। निःसंदेह सरकार जो कुछ भी उसकी शक्ति के अन्दर है कर रही है जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है हमारी सरकार की ओर से मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए बड़ी अनुकूल प्रतिक्रिया है। हमारी प्रधान मन्त्री ने स्वयं यह घोषणा की है चाहें युद्ध न करने की संधि हो या न हो भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा। उन्होंने द्विपक्षीय विवादों को द्विपक्षीय अथवा संयुक्त आयोग के द्वारा हल करने का प्रस्ताव रखा है। हमने मैत्री-संधि का प्रस्ताव भी रखा है। दुर्भाग्यवश मानव अधिकार आयोग के सन्तर्गत कुछ समस्याएं उठ खड़ी हुई। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने इस संबंध में प्रकाश डाला है अतः मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा कश्मीर का उल्लेख किए जाने पर उसने इस संबंध में आपत्ति उठाये जाने के बाद पाकिस्तान सरकार से अनुदेश मांगे तथा बाद में उन्होंने उसके उल्लेख को भाषण में से निकाल दिया। कम से कम इस दिशा में उनकी यह प्रतिवाद प्रतिक्रिया तो सामने आई। हम इन वर्षों में अपनी स्थिति पूर्णतः स्पष्ट करते आये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान द्वारा मानव अधिकार आयोग के प्रतिवेदन में से कश्मीर के उल्लेख को निकाल लेने से सहमत होने पर इस प्रकार के राजनयिक प्रयत्न किये जाने चाहिए जिससे जो बातचीत रुकी पड़ी है उसे फिर से शुरू किया जा सके।

कश्मीर तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति को पुनः स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न भाग हैं। इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। परन्तु हमें यह देखना चाहिए कि बातचीत को हमेशा के लिए समाप्त करने से अमरीका के हितों की रक्षा होती है। हमें इस संबंध में भी सावधान रहना है।

बंगला-देश के सम्बन्ध में सांस्कृतिक आदान प्रदान व्यापार तथा आपसी समझ को पैदा करने की बड़ी आवश्यकता है। यही स्थिति अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक दो मामलों को छोड़कर हमारी विदेश नीति सही दिशा में चल रही है और इसका श्रेय मैं मंत्री महोदय को देता हूं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय के मांगों को समर्थन करता हूं।

प्रारम्भ में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विश्य के तनाव का केन्द्र अब यूरोप से हटकर एशिया हो गया है। यह इस क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों, सेनाओं को वृद्धि, दो गुट-निरपेक्ष देशों में लगातार युद्ध और अन्य कई कारणों से स्पष्ट है। अतः जैसाकि हमारी प्रधान मन्त्री ने ठीक ही कहा है हमारे देश के चारों ओर असुरक्षा का वातावरण पैदा हो गया है। और हमें इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री बाजपेयी के इस कथन में कोई सत्यता नहीं है कि हमें युद्ध को रोना नहीं रोना चाहिए। इस देश में कोई भी कोई भी युद्ध से भयभीत नहीं है।

भारत सदैव शांति के रास्ते पर चलता रहा है और हम इस दिशा में पूरे प्रयत्न करते रहे हैं। हम अपने पड़ोसी का मामला ही लें पिछले वर्ष आपसी समझ काफी अच्छी रही। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत आये। चीन के विदेश मन्त्री श्री हुआंगहुआ यहां आये और हमने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने की दिशा में भरपूर प्रयत्न किया। सीमा का प्रश्न संबधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी प्रकार एक राजकीय प्रतिनिधि मंडल बीजिंग की यात्रा की यात्रा की ओर हम इस दिशा में कुछ और महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना करते हैं।

इसके पश्चात भूटान के राजा हाल ही में यहां आये।

पिछले वर्ष भूटान के विदेश मंत्री यहां आये थे। हमारे विदेश मन्त्री बंगला देश गये तथा बंगला के विदेश मन्त्री भारत आये। हमारे राष्ट्रपति श्री लंका गये और नेपाल भी गये। हमारी प्रधान मन्त्री इन्डोनेशिया इत्यादि देशों में गयीं। इस प्रकार पड़ोसी देशों के साथ न केवल संबंध बनाये रखने अपितु सम्बन्ध सुधारने पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के इस भरसक प्रयत्न करते रहें हैं। हमें पूरी बात पर इसी परिपेक्ष में विचार करना पिछले वर्ष दिसम्बर से ही पाकिस्तान ने रेडियो से ऐसे प्रसारण करने शुरू किये जिसमें हम पर आरोप लगाये गये तथा जन सम्पर्क के मत्य माध्यमों का भी हमारे विरुद्ध प्रचार कार्य के लिए उपयोग किया गया। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे राजदूत श्री नटवर सिंह को उत्तर पश्चिम सीमा प्राप्त की यात्रा नहीं करने दी गयी। इस प्रकार इन उत्तेजना वाली बातों के बारे में भी जब हतने कड़ा विरोध प्रकट किया तब पाकिस्तान सरकार सन्धि प्रस्ताव की बात करने लगी। भारत सदा पाकिस्तान के साथ सन्धि का इच्छुक रहा है। युद्ध-वर्जन सन्धि सम्बन्धी पूरे विवाद को इस व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता कि जबकि भारत तो धीरे-धीरे सामान्य संबन्ध स्थापित करने के लिए सचेष्ट रहा है परन्तु दूसरी ओर का उनका रवैया मैत्रीपूर्ण नहीं रहा है।

यह कहा गया है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में शस्त्र देना किसी अन्य देश का हित के विरुद्ध नहीं है। तो ये शस्त्र सोवियत रूस के विरुद्ध तो उपयोग में नहीं लाये जा सकते। ये अफगानिस्तान के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाये जा सकते।

और खतरा इसी बात का है कि अतत: ये शस्त्र भारत के विरुद्ध ही उपयोग में लाये जायेंगे ।

अत: भारत को इस खतरे के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है तथा इस बारे सभी तैयारियां बहुत आवश्यक है और इसलिये हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए सजग रहना पड़ेगा । हम इस तथ्य को भूला नहीं सकते ।

यह बात अधिक महत्वपूर्ण है तथा मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि आज का विश्व केवल राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्व नहीं गया है। हम आर्थिक वास्तविकताओं के युग की ओर तेजी से जा रहे हैं तथा महान व्यक्तियों आर्थिक बल प्रयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमारी ओर से भी ठोस प्रतिक्रिया होनी चाहिए

इस बारे में मैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी की आलोचना का उत्तर देना चाहूंगा ; भारत दक्षिण-दक्षिण सम्मेलन उत्तर-दक्षिण सम्मेलन, किसी छोटे सम्मेलन तथा अमुक-अमुक सम्मेलन से बाहर रहने की चेष्टा क्यों कर रहा है

यह एक ठोस विषय है जिस पर कि तीसरे विहन की एकता ,शोसित देशों की एकता विकसित देशों के विरुद्ध विकासशील देशों की एकता को बनाये रखना तथा उसे दृढ़ करना है ।

मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति रीगन के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दिये गये सितम्बर के भाषण से यह पता चला कि उनकी नयी आर्थिक नीति में में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । बताया जाता है कि अपने भाषण में राष्ट्रपति रीगन ने कहा" कि वह उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन और ऐसी बातों को पसन्द नहीं करते तथा इस मामले को विश्व बैंक के चेयरमैन श्री क्लोसेन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने 13 जनवरी को तेल तथा पैट्रोलियम के निर्यात कर्ता देशों की डयूटी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए वहां बात कही और उसी लहजे में दोहरायी विश्व दो खण्डों में विभक्त नहीं है, उन्होंने कहा कि वह बहु ध्रुवीय दृष्टि कोण है ।

यह अत्यन्त रोचक बात है कि विश्व के विकासीशल देशों के बीच एकता की प्रशंसा करने के स्थान पर अमरीकी राष्ट्रपति तथा अन्य व्यक्ति भी उसकी विरोध कर रहे हैं तथा इसका कारण समझ से बाहर नहीं हैं ।

विश्व के विकासशील देशों में, उनकी संख्या 44 हो अथवा 47 अथवा जो भी हो, विद्यमान विरोधों के बावजूद भी एक निश्चित एकता है तथा यह एकता दृष्टिकोण की एकता है । ये देश सदा शोषण का शिकार होते रहे हैं ।

जब यूरोपीय देश विभिन्न नामों से, तथा ओ० ई० सी० डी० तथा वैसे ही अन्य एसोसियशनों के नामों पर एकत्रित होते रहे हैं, तब यह विचित्र बात है कि ऐशिया और अफ्रीका के तथा लैटिन अमरीकी देशों के लिए मिलकर शोषण के विरुद्ध अपनी अवाज उठाने की चेष्टा करना हानिकर किस प्रकार है ।

इस बारे में इस कानकुन सम्मेलन का स्वागत करते है ।

हम दक्षिण-दक्षिण वार्ता का स्वागत करते हैं ।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह यह रही कि पिछले वर्ष भारत में हुए निर्गुट देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के 93 देशो ने भाग लिया, और 22 देशों न अतिथि के रूप में तथा 15 राष्ट्रो न प्रेक्षको के रूप में भाग लिया । इससे राष्ट्रों के समुदाय में भारत की शक्ति का पता चलता है इससे हमें प्राप्त समर्थन का पता चलता है । इससे सीधे पता चलता हैं कि भारत विश्व के मामलों में कितनी रुचि लेता है । हमसे जिस बात की आशा की जा सकती है और जिससे हमें अधिक लाभ पहुंच सकता है वह यह हैं कि हम दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग लाने के लिए शीघ्र तथा व्यापक कार्यवाही करें । हम यह बात समझते हैं कि यह सरल नहीं है । उपनिवेशीय अतीत के कारण बहुत से विरोधाभास है, कुछ देशों पर फ्रान्स का शासन था, कुछ पर ब्रिटेन का तथा अन्य शक्तियों का तथा इन विभिन्न विरोधाभासो तथा विभिन्न आर्थिक प्रणालियों, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, विभिन्न गुटों व गठजोड़ों के कारण, शिल्पविधि का आदान-प्रदान, सद्भावना एवं सहयोग जैसी बाते सुप्रवाहित रूप से नहीं हो पायीं। यदि हमें विकास करना है तो हमें दक्षिण पूर्व एशिया के विकास के लिए कई समान नीति तैयार करनी होगी । क्षक्षिण पूर्व एशिया का महत्व इसी बात से आंका जा सकता है कि यह क्षेत्र सहसा विश्व मंच में स्थान पर गया है । यदि आप श्री हेनरी किसिंगर की प्रसिद्ध पुस्तक "दी व्हाइट हाउस" को पढ़े तो देखेंगे कि इस विशाल पुस्तक में अफगानिस्तान का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । ? क्योंकि उस समय अफगानिस्तान विश्व मंच पर नहीं था । अब यह न केवल किसिंगर के ही मन में हैं अपितु श्री रीगन के मस्तिष्क में भी प्रतिदिन उपद्रव पैदा कर रहा है । क्यों । क्योंकि यह क्षेत्र सहसा क्रियाशील हो गया है । जब हैनरी किसिंगर राष्ट्रपति कैनेडी के सलाहकार मात्र थे तब वह कहा करते थे, 'मैं 'बलूचिस्तान' की समस्या पर नहीं सोचूंगा' आज बलूचिस्तान पाकिस्तान की सुरक्षा में प्रमुख स्थान रखता हैं ।

मैं कहना यह चाह रहा हूं कि दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया सहसा विश्व के देशों की नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान पा गये हैं और हमे उस स्थिति में जागरूक रहना है । जब तक हम द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा अपने भेदभाव समाप्त नहीं करते तथा विकास कार्यों मे सहयोग के लिए राजी नहीं होते तब तक हमारे विकास कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकते तथा हमें शस्त्रों पर विकास से अधिक व्यय करना पड़ेगा । इतना ही पर्याप्त नहीं हैं । हमें प्रत्येक सम्भव क्षेत्र में अपनी कार्यवाही करनी चाहिए । यहां दक्षिण के विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक एव आर्थिक सम्बन्धों के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता की बात आ जाती है । हमारे पास कोलम्बो योजना जैसी योजनाए तथा एशिया विकास बैंक इ० एस० सी० ए० पी० आदि जैसे संगठन हैं । परन्तु महत्व की बात क्या है ? विश्व बैंक की ओर ताकने के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर रहने के स्थान पर, इस परस्पर मिलकर कोई व्यवस्था क्यों नहीं करें ताकि हमें पारस्परिक आधार पर एक दूसरे से ही ऋण प्राप्त हो सकें और बाहर से ऋण न लेना पड़े । ओ० पी० ई० सी० देशों भी हम कुछ सहयोग कर सकते हैं । हमने 1 80 में संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके विचार सुन थे जब हम वहां पर नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थ पर चर्चा

कर रहे थे, वह इस बात पर बल देते थे, ठीक है आप शस्त्रों की कीमत बढ़ा देते हैं आप विमानों की कीमत बढा देते हैं परन्तु जब इस तेल की कीमत बढ़ाते हैं तब सभी हम पर नाराज होने लगते है, आखिर यह हमारी आमदनी का मूल स्रोत है. हमारी समृद्धि का यही आधार है "उन्होंने यह प्रस्ताव रखा।" यदि आप इस बात की गारन्टी देते हैं कि निर्मित वस्तुएं सस्ती दरों पर देंगे तो आपको तेल सस्ता मिलेगा। यह सस्ता तेल देने का आश्वासन तब देंगे जब आप कीमती सामान उन्हें सस्ते दामों पर मिलेगा। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तेल तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों को इस तरह के तर्क की अनदेखी नहीं कर सकते। आवश्यकता है दृष्टिकोण में प्रतिवतन की। पश्चिम की ओर देखने के स्थान पर महान शक्तियों पर निर्भर रहने के स्थान पर हमें अपने क्षेत्र के पूर्व पश्चिम और दक्षिण मित्र देशों से सहयोग लेना चाहिये जिससे कि हम समृद्धि का एक नवीन युग आरम्भ कर सकें। हमें इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अमरीका तथा अन्य शक्तियां नयी आर्थिक व्यस्थवा में बाधा पैदा करने की चेष्टा कर रही हैं, उन के प्रयत्न दक्षिण-क्षक्षिण वार्ता अथवा उत्तर दक्षिण वार्ता के विरुद्ध है, वे ऐसी नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को भंग करना चाहते है जिसमें गरीब देशों को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं। वह यह है कि जब अमरीकी सिनेट के सदस्यों के सामने इसमें से कुछ ने यह प्रश्न रखा तो अमरीकी सिनेट ने उस प्रश्न को टाल सा दिया। वे ऐसे प्रश्न चाहते हैं जो राजनैतिक हो और जिनकी चर्चा हमारे साथ हो सके। हम उनसे इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहते थे कि विश्व के विख्यात के लिये वे किस सीमा तक वचनवद्ध है। संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य महान शक्तियां आज स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य बातों पर जितना खर्च करना चाहते है उससे अधिक शस्त्रों पर खर्च कर रहे हैं, तथा विश्व इस दिशा में बढ़ रहा है।। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक नये युग के लिये एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का उद्भव होना जरूरी है और सभी कदम उस दिशा में उठासे जाने चाहिये और इसे विफल बनाने के किसी भी प्रयत्न से विश्व के उभरते हुए राष्ट्रों को एक धक्का पहुचेगा।

मैं संरक्षणवादी दृष्टिकोण का जिक्र भी करना चाहूंगा। आप अपनी कई मण्डियों की रक्षा यूरोपियन आर्थिक समुदाय जैसी संस्थाओं द्वारा करते है। लेकिन एशिया के देशों के मामले मामले में ऐसी कोई भी संरक्षण व्यवस्था नहीं हैं। हमारी प्रधान मन्त्री इन संरचनात्मक उपायों के विरुद्ध बोलती रही है। अत: हमें इस बात के बारे में सावधानी से काम लेना चाहिये कि हमारे देशों की परिश्रम से अर्जित सम्पति को अमरीका तथा अन्य देशों के कूटनीतिज्ञ अपने राजनैतिक कृत्यों द्वारा बर्बाद न करें। दुनिया इस बात को जानले कि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हम अपने पैरों पर केवल राजनैतिक प्रश्न उठा कर ही ही नहीं खड़े रह सकते। अब संस्थाओं, व्यवस्थाओं तथा वास्तविकताओं को मजबूत करने पर विचार करना है जिससे हमें एक बेहतर अर्थव्यवस्था प्राप्त हो सकती है। इस हेतु यू० एन० आई० डी० ओ० जी० संयुक्त राष्ट्रीय एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी है की स्थापना सही दिशा में एक कदम हैं। इसी प्रकार फोस्टारिफ में शान्ति के लिये एक विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार तनाव कम करने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की प्रतिष्टा को बढ़ाने

कम विकसित देशों के दुनिया के सामने आने के सम्बन्ध में जो कदम उठाये जाये उन्हें भारत का समर्थन मिलना चाहिये ।

मैं अपना भाषण पं० जवाहरलाल की उस टिप्पणी के साथ समाप्त करना चाहता हू जो उन्होंने उन दिनों संविधान सभा में विदेशी नीति के बारे में की थी—किस दृष्टि और आशय: से हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ था । निस्संदेह उस समय बड़े बड़े लोग थे—राष्ट्रपति नायर और जवाहरलाल नेहरु । उन्होंने पारस्परिक मैत्री की भावना पैदा की और अविश्ववास तथा निराश की उन लहरों के पीछे धकेल दिया । जो समय-समय पर विश्व को बहा ले गयी थी । और जवाहरलाल नेहरु ने चेतवानी दी थी "शान्ति को अविभाजनीय कहा गया है, आजादी भी ऐसी ही ,है अब समृद्धि भी ऐसी ही है और इस विश्व में विनाश भी ऐसा ही हैं जिसे अब छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता । विश्व की सभी समस्याओं के लिये हमारा एक समेकित दृष्टिकोण होना चाहिये । ये समस्यायें केवल राजनैतिक ही नहीं सामाजिक तथा सांस्कृतिक भी है और दृष्टिकोण की समग्रता तथा विश्व में शान्ति की स्थापना पर ही मानवजाति की आशय निर्भर करती है ।"

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्री द्वारा कई प्रश्नों के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण तथा भारत धारा अपनाये गये रवंये की प्रशन्सा करता हूं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज की परिस्थितियों में किसी सरकार की विदेश नीति केवल विश्व व्यापी विचारधारा तथा उस क्षेत्र की जहां वह देश हो जागरूक विचारधाओं क आधार पर ही सफलतापूर्वक बनायी जा सकती है । मेरा यह मत है कि विश्व सम्बन्धी ज्ञान बोध को क्षेत्रीय ज्ञानबोध में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ताकि विदेश नीति निर्धारित करने के लिये सही दिशा मिल सके । लेकिन साथ ही साथ दोनों एक दूसरे की अनुपूरक तथा पूरक होनी चाहिये । इस अवस्था में हमारे लिये वर्तमान स्थिनि को ध्यान में रखते हुये विश्व सम्बन्धी विचारधारा की मूलभूत बातों का ज्ञान होना सचमुच जरूरी है ।

मैं अपनी बात का संक्षेप मैं कहूंगा मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारे सम्बन्धी ज्ञात बोध की मुख्य बातें जेसा से बिगड़ता विदेशी सुरक्षा वातावरण निस्पोटक परिस्थितियों मे वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय तनावों में वृद्धि ,सधि भावना का समाप्ति, शाति युद्ध में तेजी -कुल निंदा,शस्त्र होड़, आदि आदि है । ये बुनियादी तत्व है ; ये विश्वव्यापी परिस्थितियों का सही ज्ञात प्राप्त करने के लिए बुनियादी तत्व हैं । आज इन स० बातों के कारण बिगड़ती अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और भी अधिक बिगड़ रही है जिससे अणविक युद्ध सहित,युद्ध के खतरे में और वृद्धि हो रही है ।

इस स्थिति में हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि इस परिस्थिति के पैदा होने के क्या कारण है ? मैं संक्षेप में केवल इतना ही कहूंगा कि यह खतरनाक परिस्थिति रीगन प्रशन्नता के युद्ध सम्बन्धी नीतियों के ही फलस्वरूप पैदा हुई है । रीगन प्रशासन की घोषित आकंक्षायें स्पष्ट की हैं । उनकी स्पष्ट इच्छायें तथा घोषित इच्छाएें इस प्रकार हैं :

1. सामाजिक श्रेष्ठता प्राप्त करना।

2. विनाशकारी शस्त्र।

3. विश्व के किसी भी भाग में अमरीका के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने के अधिकार को जताना।

4. सीमित तथा जीतने योग्य अणविक युद्ध।

सामान्यत: अमरीका की विश्व सम्बन्धी नीति के ये चार पहलू हैं जिनका वे पालन कर रहे हैं रीगन प्रशासन द्वारा अभी हाल में इन उद्देश्यों के पूरा करने के लिए जो कदम उठाये गए है ; उनका जिक्र करता मैं जरूरी नहीं समझता। मेरे लिए यह कहना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको इसकी जानकारी है और समूची समय को भी है- भारत सरकार के विशेषतौर पर इसकी जानकारी है।

इस परिस्थिति में मेरे विचार में सारा देश इस बात से सहमत होगा कि मानवता का सबसे बड़ा प्रश्न आज युद्ध और शांन्ति का है अब समय आ गया है जब हमें भारत के लोगों की ओर से दृढ़ता से कहना चाहिए कि हम शांन्ति के पक्ष में हैं और हम युद्ध के विरुद्ध हैं। मुझे यह भी कहना चाहिए कि युद्ध और शांन्ति की ताकतों का पता लगाना जरूरी है। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार शांन्ति के शत्रु का पता लगाने के प्रश्न के बारे में मूल करती है। अत: सभा द्वारा इस विशेष पहलू पर और अधिक विचार करना जरूरी है।

हमें उस समय बहुत निराशा होती है हम यह देखते है कि हमारी सरकार के नेता अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के हर पहलू की व्याख्या महान् शक्तियों के बीच शत्रुता के फलस्वरूप उत्पन्न रूप में करते हैं।

मुझे यह कहने की अनुमति दें कि यह भ्रम पैदा करने का एक जानबूझ कर किया जाने वाला प्रयत्नहै। यह बहुत सरल भी है वास्तव में आज विश्व पर में तनाव का कारण विश्व की दो प्रधान शक्तियों के बीच का कड़ा संघर्ष है जिनमें से एक शक्ति एक तनाव-मुक्त विश्व तथा युद्ध निवारण के लिए है और दूसरी महाशक्ति युद्ध की तैयारी और तनाव, शस्त्रों ओर अणविक युद्ध के शस्त्रों में वृद्धि करने के लिए है।

यह संघर्ष दो महत्वपूर्ण तथा प्रधान ताकतों के बीच है और आज इस संघर्ष का होना स्वाभाविक ही है। हम इस संघर्ष का होना स्वाभाविक ही है। हम इस संघर्ष को टाल नहीं. मेरा कहना यह है कि दोनों को समझ समझने अथवा किसी बराबर दूरी के दृष्टिकोण से दोनों को समान समझने अथवा दोनों की बराबर सराहना या निंदा करने के किसी दृष्टिकोण से केवल युद्ध की ही ताकतें मजबूत होती हैं और उस सीमा तक आप इससे सहमत होंगे-शांति की ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं। वास्तव में सरकार के विरुद्ध मेरा आरोप है कि इन्होंने बराबरी से देखने की रवैया अपनाया है ; उन्होंने संकेत से काम लिया है और कभी-कभी उन्होंने इस प्रश्न के बारे में द्वेष का रवैया अपनाया है। संकोच, गोलमोल बात तथा द्वेष के रवैये इसे अन्तत विश्व की शांति समर्थक ताकतें कमजोर पड़ जाती है।

यह नारा लगाया जाता है कि हम संयुक्त राज्य अमरीका के समर्थक नहीं हैं और हम भारत के ही समर्थक नहीं हैं। और हम भारत के ही समर्थक हैं। मैं सरकार के भारत के पक्ष सम्बन्धी रवैये का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार के भारत के पक्ष सम्बन्धी रवैये के दृढ़ता से अपनाना चाहिए (व्यवधान)। भारत के पक्ष में होना सचमुच जरूरी है ? साम्राज्यवाद विरोधी होने के यह जरूरी है। जब तक आप सचमुच सामाज्यवाद- विरोधी न बनें उस उस समय तक सही अर्थ में भारत के पक्ष में नहीं हो सकते। जब तक आप सचमुच उपनिवेशवाद-विरोधी नही बनते, उस समय तक आप सही अर्थ में भारत के पक्ष में नहीं हो सकते। जब तक आप सचमुच नव-उपविवेशवाद विरोधी नहीं होते उस समय तक आप सही अर्थ में भारत के पक्ष में नहीं हो सकते। जब तक आप शांति आत्म निर्भरता के शिविर समाजवाद के शिविर को शक्ति तथा ताकत प्रदान नहीं करते उस समय तक भारत के पक्ष सम्बन्धी सही विदेश नीति नहीं बन सकती।

अतः साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, उप-निवेशवाद विरोधी, शांति और आत्म निर्भरता तथा समाजवादी देश में रहे मित्रता ही शांति, गुट निरपेक्षता, आत्म निर्भरता तथा विकल्प की नीति की वास्तविक बुनियाद है। यदि हमें अपनी विदेश नीति के मामले में सचमुच भारत के पक्ष में होता है तो हमें इन तत्वों के विदेश नीति बनाने के लिए बुनियादी आधार बनाना पड़ेगा हमें खेद है कि इस मामले में कुछ संकोच के लक्षण नजर आते हैं (व्यवधान)

अब मैं अपने ही देश की बात पर आता हूं। हमें कुछ क्षेत्रीय समस्याओं के ध्यान में रखना चाहिए मेरे विचार में कुछ को छोड़कर समूचा समय इस बात से सहमत है कि पाकिस्तान को शस्त्र देने से भारत के सुरक्षा तथा प्रभुक्ता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अमरीका की विश्व नीति के सन्दर्भ में इसका महत्व बढ़ गया है···

सभापति महोदय : मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं कि क्या हम समय आधा घन्टा बढ़ा सकते है या नहीं। कुछ और बकना भी है। क्या हमें आज समय 6.30 बजे सायं तक बढ़ा देना चाहिए ?

माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है। हर सोम के 6-30 बजे तक बैठेंगे। सायं 6-30 तक समय बढ़ा दिया गया है।

श्री चित्त बसु : आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री चित्त बसु : जैसा कि मैं कह रहा था, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने से हमारे देश की सुरक्षा और प्रभुसत्ता की भारी खतरा पैदा हो गया है हाल ही में पाकिस्तान की ओर से किया गया युद्ध न करने की सन्धि सम्बन्धी का प्रस्ताव केवल प्रचार और ध्यान बटाने की चाल मात्र है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत प्रनः आरम्भ

की जानी चाहिए क्योंकि हम द्विपक्षवाद में विश्वास करते हैं। हम द्विपक्षवाद की नीति और सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों के मामले में परन्तु, बातचीत पुनः आरम्भ करने से पूर्व, यह निश्चित करना आवश्यक है कि पाकिस्तान भी द्विपक्षवाद के मूल सिद्धान्त को स्वीकार करता है और द्विपक्षीय विवादों को सुलझाने के मामलों में तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप के सिद्धान्त को एकदम से रद्द कर देता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : शिमला समझौते का आधार भी यही है।

श्री चित्त बसू : मैं चाहता हू कि सरकार इस बारे में अपना निश्चित मत बना ले। चीन के सम्बन्ध में हम यह जरूरी समझते हैं कि सरकार चीन जन गणराज्य के साथ बातचीत आरम्भ करें और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयास इस ढंग से करें जो दोनों देशों की ऐतहासिक मित्रता, राष्ट्रीय भावना, देश की सरकार और लोगों के बचनबद्धता के समनुरुप हो जिससे मसलों का आपसी विश्वास और समझ तथा समानता और न्यायसंगत सम्मान के आधार पर सुलझाया जा सके। यह न केवल भारत और,चीन के आपसी हित में अपितु यह विश्व शान्ति के व्यापक हित में भी आवश्यक है। क्षेत्र में स्थिरता के हित में भी यह आवश्यक है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भारत और चीन के बीच सम्बन्धों को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए, विश्वशांति ओर हमारे दोनों देशों के आपसी हितों के लिए बातचीत को भलीभांति आरम्भ करे।

अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति के संबंधमें सदस्यों ने आज कतिपय प्रश्न उठाए थे। अब समस्या के मर्म को समय लेना आवश्यक है। हमें अफगानिस्तान में समस्या की मूल की प्रकृति को समझना होगा। किसी ने कहा था कि समस्या का समाधान अफगानिस्तान से सोवियत सेना को हरा लेने निहित है। नही, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में समस्या का हल बाहर से हस्तक्षेप को रोकना उसे समाप्त करने में है जो अफगानिस्तानी लोगों को उन की क्रांति के फल से वंचित कर रहा है इससे अफगान क्रांति के घोषित उद्देश्य के प्रतिफल से वहां के लोगों को वंचित किया गया और किया जा रहा है अतः वह बाहरी हस्तक्षेप ही समस्या है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। और विदेशी शक्तियां इसमें हस्तक्षेप कर रही हैं। इसलिए एक राजनीतिक हल ढूंढना होगा जो सभी बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त कर दें। जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही अफगानिस्तान जनता की प्रभु की सुरक्षा करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती और निर्गुर स्थिति पैदा हो जाती है, तो वे अफगानिस्तान से हट जाएंगे। उन्हें अफगानिस्तान से हटन में कोई हिचकिचाहट नही होनी चाहिए प्रश्न अफगानिस्तान से हटन का नहीं है प्रश्न अफगानिस्तान मे बाहर से हस्तक्षेप को समाप्त करने का है ताकि अफगानिस्तानियों को उनकी क्रांति के लाभ मिल सकें जो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने भाग्य का निर्णय कर सकते हैं मूल समस्या यह है

महोदय, जहां तक हिन्द महासागर का सम्बन्ध है, प्रश्न सेना की उपस्थिति की सीमा का नहीं है अपितु मूल प्रश्न विदेशी अड्डों को समाप्त करने और उखाड़ने का है। मैं सरकार से

अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर हिन्द महासागर में विदेशी अड्डों को समाप्त करने, उखाड़ने के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए और हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं यह बता दूं कि संयुक्त राज्य अमरीका ही जो हिन्द महासागर सम्मेलन होने वाला था उसमें रोड़े अटका रहा है। भारत सरकार को यह देखने के लिए राजनयिक तौर पर और अन्यथा पहल करनी चाहिए कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के अमरीकी निर्णय का क्रियान्वयन हो।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बंगला देश में नए राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। हमारा पड़ौसी होने के नाते बंगला देश के हमसे सदियों तक सांस्कृतिक, भाषाई और अन्य सम्बन्ध रहे हैं। मेरे विचार से सरकार को वहां पर हुए राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद बंगला देश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने चाहिए। और इसके लिए यह आवश्यक है कि बड़े व्यापारिक सम्बन्ध हो, अधिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान हो ताकि हम बंगला देश के लोगों पर वास्तव में यह प्रभाव डाल सकें कि भारत सरकार और भारत के लोगों लोगों की बंगला देश के लोगों के साथ पक्की मित्रता है और भारत के लोगों और बंगला देश के लोगों के बीच मित्रता ही किसी भी प्रकार के बाह्य षड़यंत्रों या किसी तीसरे पक्ष, बाहरी शक्ति के षड्यन्त्रों के विरुद्ध गारन्टी है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और श्री लंका के साथ सम्बन्ध सुधारे जाने चाहिए।

अन्त में, मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार को टाल मटोल, अनिश्चितता, दुविधा प्रवृत्ति की नीति को छोड़ देना चाहिए और दृढ़ता से शान्ति अभियान में शामिल होना चाहिए और गुट-निरपेक्षता की नीति का समर्थन करना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री दलीप सिंह मूरिया (झाबुआ) : माननीय उपध्यक्ष महोदय, मैं विदेशमन्त्री जी ने जो मांगें प्रस्तुत की हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी 35 साल की आजादी के बाद भी हमारी तटस्थता की नीति सफलता पूर्वक चल रही है - हमारे देश के लोगों ने, खास कर हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में, जब वे विदेश मन्त्री थे तो उन्होंने यह पौधा लगाया था और आज कई देश और कई राष्ट्र इस तटस्थता की नीति को मानते हैं। भारत ही नहीं भारत के साथ छोटे छोटे और भी राष्ट्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वे भी इस नीति पर चल रहे हैं फिर चाहे यह आर्थिक नीति हो या सामाजिक नीति हो या विदेश नीति हो।

माननीय जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो जनता पार्टी के राज में विदेश मन्त्री थे उनके भाषण को मैं सुन रहा था। उन्होंने कुछ तो हमारी विदेश नीति का समर्थन किया और कुछ आलोचना की। ढ़ाई साल तक वह सत्ता में रहे और विदेश मन्त्री रहें। इस देश के लोगों और दुनिया के देशों का उनको अनुभव है। लोग भी उनको जानते हैं। उनकी बात को सुनकर

मुझे एक बात याद आ गई। श्री कैरों चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। वह कार से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में उनके ड्राइवर ने एक गिलहरी को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नीचे आ कर मर गई। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे मरी तो श्री कैरों ने कहा कि वह निर्णय नहीं कर सकी कि इधर जाए या उधर जाए। इस वास्ते मर गई। यही नीति हमारी जनता पार्टी की रही। न वह पूंजीवादियों के साथ। दोस्ती कर सकी और न ही साम्यवादियों के साथ। ढाई साल तक आपस में ये लड़ते मरते रहे। आखिर में ये बिखर कर ही रहे। यही हाल इनकी विदेश नीति का रहा। हमारी विदेश नीति स्पष्ट है। दुनिया के लोक आज इसको मान रहे हैं। देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी फ्रांस की यात्रा पर गई, इंग्लैंड की यात्रा पर गई। दूसरे देशों की यात्रा पर गई। उसका वहां बड़ा भारी स्वागत हुआ। हमारी डिप्लोमेंसी का वहां भारी स्वागत किया, उसकी प्रसंशा की। चाहे विदेश व्यापार हो या आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात महात्मा गांधी और जवाहर लाल जी के जमाने से हमारी यही नीति रही है कि शान्ति से जीओ और शान्ति से ही दूसरों को जीने दो। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी कल्चर है। हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते। किसी को येडवाइज करना नहीं चाहते।

श्रीमती इंदिरा गांधी और विदेश मंत्री द्वारा पिछले दो साल में जो विदेश नीति अपनाई है उसके रिजल्ट निकले हैं। भूटान, बंगला देश, श्री लंका तमाम देशों की यात्रा करके जो रिजल्ट निकला है वह इसी ओर इंगित करता है। विदेश मन्त्री जी, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए यह धन्यवाद के पात्र हैं।

विदेशों में हमारे जो राजनयिक काम कर रहे हैं उनकी कुछ समस्यायें हैं। हम उनको जो सैलेरी देते हैं वह विदेशी मुद्रा में देते हैं। डालर की कीमत दस रुपये के करीब बैठती है। मैं चाहता हूं कि उन लोगों की जो तनख्वाहें दी जाएं, वेतन दिए जाएं वे वहां के हिसाब से ही दिए जाने चाहियें, ठीक वेतन उनको मिलने चाहिए, तभी वे सही तरीके से काम कर सकते हैं।

उनकी सिक्योरिटी का भी ठीक प्रबन्ध होना चाहिए। थोड़े दिन पहले ब्रिटेन में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी जबकि उनको खतरा मसहूस होने लग गया था। उनकी पूरी सुरक्षा का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय रूल कुछ बने हुए हैं। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिये कि उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध हो।

हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। बहुत से डेलीगेशंज हमारे बाहर जाते हैं, अफसर विदेशों में आते हैं। वे विदेशी भाषा अंग्रेजी में वहां बात करते हैं, बोलते हैं, स्पीच देते है और इसी भाषा में नोट भी बनाते हैं। लेकिन आप देखें कि फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी लोग अंग्रेजी जानते हुए भी अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में बोलते है और ट्रांस्लेटर साथ रखते हैं। इसमें वे गौरव का अनुभव करते हैं। अपनी भाषा सेअनुवाद करके वे दूसरों को सुनाये हैं। तो मैं कहता हूं कि विदेशों में जो हमारे डैलीशन जाते हैं वह अपनी राष्ट्रभाषा का उपयोग करें इससे हमारे राष्ट्र का उपयोग करें इससे

हमारे राष्ट्र का गौरव और शक्ति बढ़ेगी। अभी दिल्ली में जो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उससे हमें काफी लाभ मिला। विदेशों में जो प्रचार होता है बहुत सारी हमारी पत्रिकायें जाती हैं वह हमारे दूतावासों तक ही सीमित रह जाती हैं। हमारा प्रचार माध्यम प्रभावशाली नहीं है। कुछ दिन पहले मैं योरप के देशों में गया था वहां मैंने पाया कि लोगों में एक धारणा सी है कि हमारा देश बहुत गरीब है, वहां कुछ खाने को नही मिलता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे देश ने इतने थोड़े समय में जो चहुमुखी प्रगति की है उसका प्रचार अच्छी तरह होना चाहिए जिससे लोगों की धारणा दूर हो। हमारे विकास की पब्लिसिटी विदेशों में होनी चाहिए। संसद कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे कहूंगा कि एक पार्लियामेटरी कमेटी बनायें जो दूसरे राष्ट्रों में जाकर बतायें कि हमने क्या प्रगति की है और अधिक पब्लिसिटी हो।

दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है। बहुत सारे राष्ट्रों को रागन प्रशासन हथियार बेच रहा है जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। मैं विदेश मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छोटे-छोटे राष्ट्रों में इसके प्रति विरोध की भावना को जागृत किया है और सारे राष्ट्र हमारी प्रधान मंत्री को एक महान् नेता मान रहे हैं, न कि रीगन को।

पाकिस्तान की जनता कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहती। मगर वहां का तानाशाही प्रशासन लड़ाई करना चाहता है। हमारे यहां जो प्रजातन्त्र है उसको फलते-फूलते नहीं देखना चाहते। छोटे-छोटे देशों में हमको प्रजातन्त्र का पैगाम फैलाना चाहिए। आज पाकिस्तान में वहां की जनता चाहती है कि चुनाव हो, प्रजातन्त्र स्थापित होना चाहिए। मगर तानाशाह ऐसा नहीं चाहते है। ऐसे लोगों की भी हमें भर्त्सना करनी चाहिए। आज हमारी विदेश नीति की दुनिया तारीफ कर रही है। प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री जिस प्रकार कार्य कर रहे है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे साथी इस बात से सहमत होंगे कि आज देश में शान्ति की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री सी० चिन्ना स्वामी** (गोविचेट्टिपलयम्) : ताध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982-83 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में मैं अपने दल, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनैत्र कड़गम की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

एक राष्ट्र की विदेश नीति किसी राजनीतिक दल विशेष की ही समस्या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को पूरी तरह से सरकार की विदेश नीति का समर्थन करना चाहिए। इस षदर्भ में राजनीतिक दलों में कोई मतभेद नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में राजनीतिक भेदभाव लागू नहीं होने चाहिएं चूंकि यह देश की प्रतिष्ठा को कुप्रभावित करते हैं और राष्ट्रों के बीच मतभेद पैदा करते हैं।

मैं पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने पर जोर दूंगा। 1964 में श्रीलंका में

नागरिकता-विहीन भारतीय मूल के लोगों के सम्बन्ध में श्री माओ-शास्त्री समझौता हुआ था। यह 31-10-1979 को समाप्त हो गया था। 1974 में अनुपूरक समझौते के रूप 1864 के समझौते की अवधि दो वर्ष बढ़ा दी गई थी। इन 17 वर्षों के दौरान भारत ने दोनों समझौतों के उपबंधों की ईमानदारी से क्रियान्वित किया है। समझौतों में दिए गए सभी वचनों को भारत द्वारा पूरा किया गया था। परन्तु श्रीलंका दोनों समझौतों में अनुबद्ध दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। आज भी भारतीय मूल के हजारों नागरिकता विहीन लोग भारतीय पासपत्र हाथ में लिए भारत लौटने में असमर्थ हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि श्रीलंका के प्राधिकारी उन्हें भविष्य निधि और उपदान की राशि देने में असमर्थ हैं। वे लोग कई वर्षों से वहां पर इस असहाय स्थिति में हैं। उनकी संख्या लगभग 60,000 है।

इस सम्बन्ध में पिछले सप्ताह इस सभा की प्राक्कलन समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मैंने इस प्रतिवेदन को पढ़ा है। हमारी प्रधान मंत्री के पिता पं० नेहरू विदेश वापसी के सिद्धान्त को जोरदार तरीके से नकारते रहे। उन्होंने श्रीलंका में वहां के प्रधान मन्त्री को यह तर्क दिया था कि ये लोग श्रीलंका में सैकड़ों वर्षों से रहते आ रहे हैं और उन्होंने श्रीलंका की उन्नति के लिए अपना खून-पसीना बहाया है। अत: उनको संरक्षण देना श्रीलंका का कर्त्तव्य है। उनकी पुत्री श्रीमती गांधी को भी वही नीति अपनानी चाहिए। भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के प्रश्न का समाधान करना श्रीलंका का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार को इस पहलू पर जोर देना चाहिए विशेषकर अब जबकि कोई भी समझौता इस समय लागू नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई नया समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह गर्व की बात और ऐतिहासिक महत्व का मामला है कि श्रीलंका में पैदा होने वाला एक व्यक्ति तमिलनाडु का मुख्य मन्त्री बना। हमारे पुरात्वी थालैवर थिरु एम० जी० रामचन्द्रन भारतीय मूल के नागरिकता-विहीन लोगों की समस्याओं से परिचित हैं परन्तु वे श्रीलंका के तमिलियों की स्थिति से भी परिचित हैं जो श्रीलंकावासी लोगों की तरह समान अधिकारों का उपयोग करते हैं। श्रीलंका के तमिलियन श्रीलंका के नागरिक हैं। उनके अधिकार श्रीलंका के संविधान में शामिल हैं। कुछ महीने पहले मेरे मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री के पास उन्हें श्रीलंका के तमिलियनों पर किए जा रहे अत्याचारों से अवगत कराने के लिए एक सर्वदल प्रतिनिधि-मंडल लेकर गए थे। यह कहा जा सकता है कि यह श्रीलंका की आन्तरिक समस्या है। परन्तु श्रीलंका भारत की तरह माननीय अधिकार सम्मेलन सदस्य है। बार-बार होने वाले जातिगत दंगों ने श्रीलंका के तमिलियनों की जानें ली हैं और उनकी सम्पत्तियों को नष्ट किया है? हमारे विदेश मंत्री को यह मामला श्रीलंका सरकार के साथ उठाना चाहिए और उससे इस प्रकार के अनियंत्रित जातिगत दंगों को समाप्त करने के लिए सशक्त उपाय करने का अनुरोध करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए।

मलेशिया में सभी हिन्दू मन्दिरों को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ प्रति-क्रियावादी तत्वों को हिन्दुओं के सांस्कृति स्थलों की समाप्त करने में आनन्द आता है। विदेश मंत्री को यह मामला मलेशिया सरकार के साथ उठाना चाहिए और हिन्दू मन्दिरों के विनाश को बन्द करना चाहिए।

सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है । आवास के एक स्थानसे दूसरे स्थान पर बदलने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार को इस मामले को सिंगापुर की सरकार के साथ उठाना चाहिए ।

जहां तक मैं जानता हूं हमारे बहुत से राजदूतवासों तथा दूतावासों किराये के मकानों में हैं । दूतावासों तथा राजदूतावासों के किराये पर हम प्रति वर्ष भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय करते हैं । उदाहरण के तौर पर बहुत वर्ष पहले कोलम्बो स्थित हाई कमीशन का भवन बनाने के लिए एक एक प्लाट का अधिग्रहण किया गया था । आज भी वह प्लाट खाली पड़ा हुआ है तथा अपने हाई कमीशन के लिए भारी किराये दे रहे है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

विदेश मन्त्रालय में हमारी मा० वि० से० -क, मा० वि० से० ख हैं । जब म० वि० से० (क) के अधिकारी रेंक श्रेणी के अधिकारियों से विदेशों में होते हैं तब उन्हें अधिक वेतन मिलता है । जब वे नई दिल्ली में नियुक्त होते हैं, तथा वे म० वि० से० 'ख' के अधिकारियों की तरह काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त भत्ता क्यों दिया जाता है स वेतनों भत्तों में भेदभाव तुरन्त समाप्त होना चाहिए ।

समाप्त करने से पूर्व मैं भारत सरकार से माँग करना चाहूंगा कि विदेशो द्वारा हमारे देश में भारतीय नागरिकों को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करन की प्रथा समाप्त होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगो का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव ।

एक माननीय सदस्य : आज नही उन्हें कल दें ।

उपाध्यक्ष सहोदय : हम 6.30 वजे सभा स्थगित कर रहे हैं । चिन्ता न करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) श्रीमान, मैं समझता हूं कि आज की विहन की स्थिति में विदेश मन्त्रालय का महत्व बढ़ गया है । वास्तव में विहन की स्थिति अत्यन्त जटिल है तथा मैं समझता हूं कि इतिहास में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी जबकि किसी देश की आन्तरिक स्थिति पर इसका इतना प्रभाव पड़ा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आप कल, जारी रख सकते हैं ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है ।

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे केरल विनियोग (लेखानुदान) 1982 विधेयक को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27.3.1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को

उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ''

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 189 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में केरल विनियोग विधेयक, 1982 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 मार्च, 1982 की बैठक में पारित किया किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को वापिस लोटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।''

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे असम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक: 1982 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 मार्च, 1982 को बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा था को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।,,

चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे असम विनियोग विधेयक, 1982 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी को बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा की उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को वापिस लोटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।''

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 31 मार्च 1982/10 चैत्र, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रबन्धक आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पण्डित रामचन्द्र दहलवी मार्ग,
दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।